राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 8वां दिवस [संख्या 6

शनिवार,

27 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

इन्द्रगढ़ (कोटा) में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना

131. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) [श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) के अनुपस्थिति में]। क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ जिला कोटा में अच्छे सीमेंट के पत्थर का अपार भण्डार है, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग सकती है?

(2) यदि हां, तो सरकार ने यहाँ पर सीमेंट का कारखाना स्थापित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है तथा अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार यहां पर सीमेंट उद्योग लगा कर इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) कोटा जिले के इन्द्रगढ़ में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डार हैं लेकिन ये भण्डार बड़ी सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

(2) चूना पत्थर के भंडार सीमेंट उद्योग के लिये पर्याप्त नहीं होने से इन भण्डारों का उपयोग छोटे-छोटे खनन पट्टों द्वारा चूना उद्योग में किया जा रहा है। इन भण्डारों का एक भाग एसोसियेटेड सीमेंट कंपनी को उनके लाखेरी स्थित सीमेंट प्लाण्ट की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवंटित किया गया है। अतः सीमेंट का कारखाना स्थापित किये जाने की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) सीमेंट बनाने के उपयुक्त चूना पत्थर के भण्डार पर्याप्त मात्रा में नहीं होवे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

से इस क्षेत्र में बड़े सीमेंट उद्योग की स्थापना संभव नहीं है। बड़ा सीमेंट प्लाण्ट लगाने हेतु करीब 60 मिलियन टन लाइम स्टोन के भण्डार होना जरूरी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो मिनी सीमेंट प्लाण्ट लगाये जा रहे हैं, क्या उनके लिये भी पत्थर उपयुक्त नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मिनी सीमेंट प्लाण्ट लगाने के लिये कोई एप्लीकेशन विभाग में इस क्षेत्र के लिये पेंडिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री हीरालाल आर्य।

संकर ज्वार का दोषपूर्ण बीज

132. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या गत दो वर्षों में खरीफ की फसल में बीज निगम द्वारा विक्रय की गई संकर ज्वार के अंकुरित न होने या कम अंकुरित होने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या किसानों की क्षतिपूर्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : जी हां। निगम के खरीफ 81 में संकर ज्वार के बीज के कम अंकुरण की शिकायत कोटा एवं उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों से प्राप्त हुई थी। उदयपुर संभाग की शिकायतों की बीज निगम के किसी अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई एवं इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कोटा जिले में जिन अधिकारियों की मार्फत मौके की जांच करवाई गई उन्होंने रिपोर्ट दी कि अधिकांश स्थानों में अंकुरण अच्छा था तथा जिन कुछ स्थानों पर अंकुरण कम पाया गया वहां बीज की खराबी नहीं बल्कि गलत प्रकार से बुवाई कम अंकुरण का कारण थी।

उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों के काश्तकारों की शिकायतों के आधार पर कृषि विभाग द्वारा बीजों के कुछ लॉट्स का परीक्षण करवाया गया किन्तु काश्तकारों को मुआवजा देने संबंधी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

निगम को निर्देश दिये गये हैं कि जिन लॉट्स के परीक्षण के आधार पर अंकुरण कम पाया जाना प्रमाणित हो चुका है उन काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान अविलंब किया जाय तथा उदयपुर संभाग के जिन और स्थानों की शिकायतें हैं उनके लिये कृषि विभाग की सहायता से पूर्ण विवरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वे उस संभाग में बांटे गये बीजों की लॉट्स के नम्बर आदि बतावें तथा उन लॉट्स की तत्कालीन टैस्टिंग की क्या रिपोर्ट्स थीं, वह भी प्राप्त करें और उस उपलब्ध विवरण के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपने आप में कितना गंभीर है कि अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि विभाग के कौन से लॉट्स में अंकुरण शक्ति कम थी। कोटा के लिये जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचा और उन्होंने भी यह महसूस किया। क्या कोटा का संकर ज्वार का बीज टेस्टिंग के लिये आया था ? यदि आया, तो क्या रिजल्ट रहा और उसमें अंकुरण शक्ति कितने पर्सेंट थी ?

श्रीमती कमला : इस संबंध में शिकायतें मुझे खुद को भी मिली थीं। कोटा संभाग के अधिकारियों से लोगों की शिकायतें थीं और रीजनल लेवल आफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस उस समय हुई थी। उस वक्त भी काश्तकारों और अधिकारियों ने शिकायतें की थीं, उनको मैंने इकट्ठा कर के चेयरमैन, सीड्स कार्पोरेशन, जो एग्रीकल्चर सैक्रेटरी भी हैं, को भेजी। उस के उपरान्त उन्होंने या उस के पूर्व में जांच करवाई उस में कोटा संभाग के क्षेत्र में किन-किन खेतों में कब-कब जांच करने के लिये भेजी और उस जांच में क्या रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट प्राप्त की है, इसके आधार पर उन्होंने उत्तर प्रस्तुत किया है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या कोटा संभाग के संकर ज्वार के बीज के संबंध में शिकायतों के संबंध में वहां का नमूना लेबोरेट्री में गया था ? यदि भेजा गया, तो क्या रिजल्ट रहा ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसका विवरण जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें कोटा संभाग में जो लॉट्स गये उनका कहीं दुर्गापुरा में टेस्टिंग लेबोरेट्री में टेस्ट किया गया या नहीं, यह मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन उदयपुर संभाग के बीज के लॉट्स की टेस्टिंग की गई, यह मेरे पास मौजूद है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि बीज टेस्टिंग के लिये भेजा गया है और यह रिपोर्ट है कि अंकुरण शक्ति कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सैक्रेटरी, एग्रीकल्चर यह सारा फ्राड कर रहे हैं। संकर ज्वार के बीज में फ्राड हो रहा है। मैंने पिछली बार भी इस संबंध में शिकायत की थी और इस बार भी सीड कार्पोरेशन से लोगों का विश्वास उठ रहा है। आपके पास उदयपुर संभाग की रिपोर्ट आई, उदयपुर में अंकुरण शक्ति कम थी तो किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? केवल बीज को रिप्लेस करने से काम नहीं होता, किसानों का फर्टिलाइजर और टाइम भी लगा है। कृपा करके उत्तर दीजिये, आपने मुआवजे का जो क्राइटेरिया बनाया, वह क्या है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर मुआवजे के बाबत प्रश्न उठाया यह स्वयं मैंने पिछली विधान सभा में भी बताया था कि मैंने सीड कार्पोरेशन को निर्देश भेज दिये थे कि सिर्फ बीज की कीमत मुआवजे में मत

(श्रीमती कमला)

दीजिये, फसल जितनी नष्ट हुई है उसके आधार पर मुआवजा दिया जाय लेकिन निगम ने अभी तक इस बाबत कोई भी अपनी तरफ से निर्णय नहीं लिया है।

(व्यवधान)

जरा सुनिये। इसका मतलब, इसका एग्रीकल्चर से संबंध नहीं है, यह नहीं है। मैंने स्वयं ने इस बात को महसूस किया है कि एक ही व्यक्ति चेयरमैन हो, एम. डी. हो और वही व्यक्ति डिपार्टमेंट का सैक्रेटरी हो तो कार्पोरेशन में बहुत ही असुविधा होती है बल्कि विभाग को शिकायत करने में भी एक ही सचिव होने से संकोच भी होता है। इसलिये इस पर विचार किया जा रहा है, एम. डी. दूसरे व्यक्ति को लगा देते हैं और चेयरमैन का भी तबादला करके अन्य स्वतंत्र रूप से काम करने वाले व्यक्ति को लगाया जायगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): इनको एग्रीकल्चर विभाग से निकाला जाय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। सीड खेती के लिये सबसे महत्वपूर्ण है। इस असेंबली में यह पहले भी आपने महसूस किया था कि आप हेल्पलैस हैं कुछ करने में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। यह मामला काफी गम्भीर है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इसको गंभीर मानती हूं और इसमें स्पष्ट रूप से मैंने खुदने यह उल्लेख किया है। जिन लॉट्स का टेस्टिंग करने से साबित हो चुका है कि अंकुरण क्षमता थी और उसके बावजूद भी वह अंकुरित नहीं हुआ तो भी उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, यह आदेश है कि तत्काल इतने दिन के अन्दर-अन्दर तमाम काश्तकारों को मुआवजा दें। लेकिन जो आटोनोमस बाडीज हैं वे अपने ढंग से चलती हैं, इसलिये विभाग की स्थिति दयनीय है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज(जमवा रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा कृषि मंत्री को निवेदन है कि क्या बीज निगम के कायदे के तहत उनको यह पता है कि तब ही बीज खरीदा जाता है जब लेबोरेट्रीज में उसका टेस्टिंग हो जाता है? उस जाति का बीज, जिस का पर्सेन्टेज के हिसाब से हाई होता है, को ही लिया जाता है। परन्तु इसका मतलब यह हुआ कि बीज निगम ने कानून को बलाये ताक रख कर बीज खरीदा है। उसका नतीजा यह है कि किसान बर्बाद हो गये हैं।

(व्यवधान)

दूसरे, इससे रबी की फसल भी खराब हो रही है। जो गेहूं का बीज है, वह उस जाति का नहीं है। मैंने खुद जो का बीज 3 20 रुपये किलो और हूंगे का बीज 4 10 रुपये किलो खरीदा है। मेरी यह शिकायत है कि वह बीज उचित क्वालिटी का नहीं था। इसका पौधा उखाड़ कर मैंने विभाग

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

को दिखाया है। इससे मैं ही नहीं कई किसान बर्बाद हो गये हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में सब से मीठा बाजरा पैदा होता था लेकिन इस बाजरे के बीज ने उस मीठे बाजरे को नष्ट कर दिया है। इस बाजरे के बीज से बाजरा पैदा न होकर अफीम पैदा होती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें। मंत्री महोदया उत्तर दे रही हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही बात है कि जो बीज काश्तकार को दिया जाता है उसका वही आधार है। काश्तकार की आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है। इन सारी बातों को समझते हुए जैसे ही यह बात मेरे ध्यान में आई, जो कायदे कानून सख्त से सख्त किये जा सकते थे, वह मैंने इस बार किये हैं। उसके बावजूद भी कहीं पर गड़बड़ नजर आयेगी, या आप लोग बताएंगे तो कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में किसानों के साथ इस सरकार ने मखौल किया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसानों की ज्वार और मक्का की फसल नष्ट हो गई है....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया ने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया कुछ कहना चाहती हैं। कृपया शान्ति से सुनें।

श्रीमती कमला : सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि मैंने प्रस्तावित किया है कि चेयरमैन, सैक्रेटरी, एम. डी. तीनों अलग-अलग होने चाहिए। इस कड़ी को लागू कर दिया है। चेयरमैन भी किसी दूसरे व्यक्ति, जो स्वतन्त्र रूप से इस कार्य को देख सके, को नियुक्त किया जायेगा....

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : जिन लोगों ने घपला किया है उन पर काबू करना आप लोगों की ताकत के बाहर है। आपकी भी इनके साथ मिलीभगत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहती हूं....

(व्यवधान)

आप सुन तो लें। कृषि सचिव के बजाय दूसरे को, स्वतन्त्र रूप से काम करने वाले को अध्यक्ष जल्दी से जल्दी नियुक्त किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, यह पर्याप्त है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसमें मंत्री महोदय को ××× है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदया, आपने गत सत्र में यह आश्वासन दिया था, तब से लेकर आज तक कोई कार्यवाही की गई है या नहीं? आपने उस दिन निर्णय लिया था तब से आज तक कोई इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : फर्जी बीज की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ, क्या उसका किसानों को मुआवजा मिलेगा?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसका स्पष्टीकरण करवाइये। क्या किसानों के हर्जे को दिलवाएंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह जो कम अंकुरण शक्ति का बीज सीड कार्पोरेशन ने दिया है क्या आप उसकी जांच करवाएंगी? इसमें जिन अधिकारियों के द्वारा घपला हुआ है, उन अधिकारियों को दंडित करेंगी? मैंने स्पाट पर अधिकारियों को बताया है। यह मेरी जानकारी में निश्चित रूप से आया है। आपको गुमराह किया गया है क्योंकि आप अधिकारियों पर डिपेन्डेन्ट हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्रीकल्चर सैक्रेटरी ××× हैं। आपका डाइरेक्टोरेट और

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

7

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

निगम किसानों का हित नहीं कर सकता है। आप कोई क्राइटेरिया तय कीजिये मुआवजा देने का,और जिन अधिकारियों ने घपला किया है उनकी जांच कराने का विश्वास दिलाइये यदि आपकी नीयत साफ है ...

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : ....चूरू, सीकर, अलवर, नागौर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिये।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

इसके लिये जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने इजाजत नहीं दी है। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : ध्यक्ष महोदय, बीज निगम के द्वारा 3-4 मामलों के अन्दर कमी पाई जा रही है। पहली तो जो कमी है वह बीज खरीदने में है दूसरी कमी, जिस प्रकार का बीज खरीदा जाता है उसकी क्वालिटी में है। तीसरी कमी उसकी वितरण व्यवस्था में है और चौथी कमी उसकी टैस्टिंग में और पांचवीं कमी मुआवजा देने के संबंध में है। इन सारे मौकों पर, हर स्टेज पर जो कमी नजर आयी है, आपके माध्यम से और अन्य प्रकार से भी उसके सिलसिले में सब से पहले यह कोशिश की गयी है कि जो निगम का ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाय। अध्यक्ष दूसरा बनाया जाय, मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरा बनाया जाय, बोर्ड का गठन इस प्रकार से किया जाय कि जिसमें जन-प्रतिनिधि हों, काश्तकारों के प्रतिनिधि भी हों और सरकारी अधिकारी भी हों। दूसरा, यह किया गया है कि जो बीज खरीदने का सिस्टम है उस को जितना फूल प्रूफ बनाया जा सकता था उतना बनाने की कोशिश की गयी है। दूसरा, यह किया है कि इसके ढांचे को बदलने के बाद जो बोर्ड आये वह इसमें यह निर्णय ले कि काश्तकारों को बीज का ही मुआवजा नहीं दिया जाये बल्कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जाय। माननीय सदस्य जो जमवा रामगढ़ से आने वाले हैं उन्होंने शिकायत की है और स्वयं का अनुभव बताया है। इसी प्रकार से फाउंडेशन सीड की शिकायत मुझे और भी कुछ काश्तकारों ने की है जिनको कि मैंने चेयरमैन को भेजा था उसका परिणाम नहीं आया। मैं स्वयं भी महसूस करती हूं कि इसमें बहुत कमी है। इसके लिये जितने कदम उठाये जाकर काम करने चाहिए, मैं इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देना चाहती हूं। यह आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदया ने यह सारा कुछ बताया है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं उनसे जानकारी करना चाहूंगा कि उनको यह कब से अनुभव हुआ है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अलग-अलग होने चाहिए ? जो कुछ आपने सारी व्यवस्था बतायी इसका आपको कब से अनुभव हुआ, और आपने उसके बाद क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस विभाग का चार्ज लिया था 80 में, उसके कुछ समय बाद ही पता लगा कि इस निगम के अध्यक्ष और सचिव इस पद के कार्य के लिये यथेष्ट समय नहीं देते हैं। सचिव, एम. डी. और चेयरमैन एक ही व्यक्ति होने के कारण इस पर पूरा ध्यान नहीं देने से नीचे के अधिकारियों के द्वारा कमी होती गयी, उस वक्त से महसूस किया था।

श्री अध्यक्ष : पिछले सत्र में भी किया होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : She is helpless, Sir.

श्रीमती कमला : मैंने मुख्य मंत्री जी से इसकी चर्चा की, सुझाव दिये उसके उपरान्त एम. डी. बदल दिया गया है और चेयरमैन दूसरा लाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अब इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री नंदलाल मीणा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल:) जिन लोगों ने घपले किये हैं उनको तो हटा रही हैं लेकिन इससे जो आपकी अयोग्यता सिद्ध हुई है तो क्या आप त्याग पत्र दे रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करें।

श्री नंदलाल मीणा।

तहसील प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की विभिन्न सहकारी समितियों की बकाया

133. श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ की सेवा सहकारी समिति अरनोद, वन श्रमिक सहकारी संघ चिकलाड़ एवं बगड़ाबद, गणेश क्रय-विक्रय सहकारी संघ, रायपुर व दलोट, गुड़ खांडसारी सहकारी समिति, रायपुर और ग्राम सेवा सहकारी समिति, खरोट में विभागीय ऑडिट के अनुसार हजारों रुपया समिति के सदस्यों में बकाया निकलता है ? यदि हां, तो उक्त समितियों में किस-किस व्यक्ति में कितनी-कितनी राशि बकाया निकलती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री रामपाल उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को स्थगित करने का आपसे अनुरोध करता हूं क्योंकि यह प्रश्न एक दो दिन पहले ही प्राप्त हुआ है । इसके जवाब के लिये चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में आदमी भेजा गया था परन्तु अधिकारी वगैरह शादी आदि के कारण छुट्टियों पर थे इसलिये पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । मैं नहीं चाहता कि इस सदन का मूल्यवान समय उस अधूरी जानकारी से नष्ट हो इसलिये कृपया इसे स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री नंदलाल मीणा : इस सत्र में इसका जवाब तो आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी, श्री नाथूसिंह ।

जिला भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र में नाजायज खनन

134. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) एवं श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र में नाजायज खनन के मामले सामने आये थे ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र के संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध ? कृपया पूर्ण नामावली सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नाजायज खनन से राज्य कोष को कुछ अधिकारियों के कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना-कितना नुकसान किस-किस क्षेत्र में हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने नाजायज खनन को नियमित करने के लिये नियमों में संशोधन या नीति-निर्देश जारी किये हैं, जिससे लाखों वर्ग गज क्षेत्र में अतिक्रमण नियमित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर बकाया जुर्माना तथा पेनल्टी की छूट दी गई है ? यदि हां, तो ऐसे नियम एवं आदेश तथा कितनी-कितनी छूट किस-किस क्षेत्र में किस-किस को दी गई है, कृपया उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार नाजायज खनन तथा अतिक्रमण किये गये क्षेत्र में जुर्माना व पेनल्टी वसूली का गत विधान सभा में आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसके बाद सरकार ने वसूली की है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस से वसूल हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि बिजौलिया क्षेत्र में नाजायज खनन प्रचुर मात्रा में नियमित होता जा रहा है ? क्या सरकार के पास इतनी शिकायत होने पर विस्तृत जांच एवं सर्वे किया गया है ? यदि हां तो कृपया प्रत्येक क्षेत्र एवं व्यक्ति के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) बिजौलिया क्षेत्र भीलवाड़ा में जुलाई, 1981 से अब तक किन-किन लोगों को कब-कब, किन-किन नियमों के अन्तर्गत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

खानें आवंटित की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) मार्च, 1980 के पश्चात् किन-किन लोगों पर कितनी-कितनी पेनल्टी बाकी है ? यह पेनल्टी कितनी, किन कारणों से की गई थी ? इनमें से किन-किन लोगों से कितनी-कितनी पेनल्टी अब तक वसूल कर ली गई व किस-किस को कितनी-कितनी पेनल्टी माफ कर दी गई हैं ? कृपया पेनल्टी वसूल न करने या माफ करने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खनिज: (श्री प्रद्युम्नसिंह)

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में नाजायज खनन के कुछ मामले विभाग के सामने आये थे। अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1981 तक सामने आये ऐसे मामलों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। नाजायज खनन के मामले जो विभाग के सामने आये उनके नियमितीकरण हेतु शासन द्वारा दिनांक 10-4-81 को निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। नियमितीकरण के मामले प्रश्न-संख्या (1) के उत्तर में दी गई सूची में अंकित हैं।

(4) गत विधान सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि बिजौलिया क्षेत्र में नाजायज खनन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और इसमें राज्य सरकार शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी ? इसी आश्वासन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर निर्देश जारी किये गये हैं और नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है। मामलों में जो राशि वसूल की गई है वह प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में दी गई सूची में अंकित है।

(5) जिन मामलों में खनन कार्य नियमित किये गये हैं वे सभी सदन की मेज पर रखी सूची में अंकित हैं। इसी सूची में क्षेत्र, जिसमें नियमितीकरण किया गया है, भी दर्शाया गया है। क्षेत्र में विस्तृत जांच तथा सर्वे के आधार पर ही नियमितीकरण हुआ।

(6) बिजौलिया क्षेत्र, भीलवाड़ा में जुलाई, 1981 से जनवरी, 1982 तक जिन व्यक्तियों को खानें आवंटित की गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत पट्टाधारियों पर नियम 18 (21); 18 (22) एवं नियम 32 के अन्तर्गत संविदा के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित की जाती है। दिनांक 31-12-81 तक की बिजौलिया क्षेत्र के किसी भी पट्टाधारी के विरुद्ध शास्ति के रूप में कोई बकाया नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि नाजायज खनन हो रहा है। तो नाजायज खनन कार्य होने के कारण बतायें, तथा इसके दोषी कौन हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट विभाग के द्वारा प्राप्त हुई है उसमें यह है कि जो प्लाट्स का वितरण किया गया था वह गलत किया गया था, वह कुछ अवैध रूप से हुआ। कुछ लोग प्लाट्स से बाहर निकल गये। यह सब सीमांकन गलत होने के कारण से हुआ है। कुछ ऐसा भी हुआ है कि अलॉट तो किसी को कहीं पर किया गया और खनन कहीं पर कर रहा है। जो इस प्रकार से खनन किया गया है उनसे वसूली की गयी है, उसकी सूची सदन की मेज पर रखी गयी है।

श्री नाथूसिह : मेरा प्रश्न यह है कि दोषी कौन हैं ? अधिकारी क्या कर रहे थे ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा यह है कि जो खानों के पट्टे दिये गये हैं उनका क्या क्राइटेरिया था ? प्रश्न के छठे भाग में यह पूछा है कि एस. सी. और एस. टी. को प्रिफरेंस दिया जाय, वह बंद कर दिया गया क्या ? यह अधिकारी की जानकारी में खनन कार्य हुए हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है कि कई दफा ऐसा होता है अधिकारी की जांच के बिना भी, उस की मिली-भगत के बिना भी अवैध खनन कार्य हुआ है और कुछ प्लाट्स से बाहर निकल गये हैं जब कि उनका सीमांकन गलत हुआ है। दूसरा, यह इलाका बहुत बड़ा है और कुछ लोगों ने, छोटे-छोटे लोगों ने छोटे-छोटे प्लाट्स के अन्दर थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाला है। इस प्रकार के मामले जांच से सामने आये हैं, अगर मिली-भगत होती तो ये मामले सामने नहीं आते। जहां तक प्रश्न (6) का प्रश्न है जो प्लाट्स आवंटित किये गये हैं उनके अन्दर पचास प्रतिशत एस. सी. और एस. टी. को प्लाट्स आवंटित किये गये हैं।

श्री नाथूसिह : जो पेनल्टी माफ की है उसमें कुल कितने की पेनल्टी माफ की गयी है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आप से निवेदन किया कि पेनल्टी लगाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नियमों को देखें तो जो एग्रीमेंट निष्पादित होता है उसके अन्दर कोई कमी रह गयी है तब ही पेनल्टी वसूल की जाती है। कहीं पर अवैध खनन कार्य होता है तो उस से खनिज की कीमत वसूल की जाती है।

श्री नाथूसिह : जो सीमा थी, जो बाकी थी, क्या वह माफ कर दी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कब कहा ? प्रश्न का उत्तर आपने देखा नहीं, जरा गौर कीजिए। जिन से वसूली की गयी है उन की लिस्ट, जिनके ऊपर बकाया है उन की लिस्ट और जिनके ऊपर पी. डी. आर.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक्ट के तहत कार्यवाही की है उन की भी लिस्ट है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गयी है अगर आप इसको देखें तो जो राशि वसूल की गयी है उस से कई गुना ज्यादा राशि बकाया है। अध्यक्ष महोदय, निरन्तर बकाया चल रही है। जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, जो राशि बकाया है उसको माफ किया गया है। क्या आप सदन को एश्योरेंस देंगे कि बकाया राशि पूरी की पूरी वसूल की जायेगी? कब तक बकाया राशि वसूल की जायेगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप को तो हर चीज में षड्यंत्र नजर आता है।

श्री भंवर लाल शर्मा : करते भी तो हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खुशबू आती है। पता नहीं, भगवान जाने आपकी नाक कैसी है?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): आपकी असफलता यह सोचने को बाध्य करती है....

(व्यवधान)

सरकार को नुकसान देंगे....

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पेनल्टी बकाया है वह कम से कम कितनी राशि है, आंकड़े बतायें? कितने समय से राशि बकाया है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पेनल्टी की कोई राशि बकाया नहीं है।

श्री नाथूसिंह : लिस्ट दी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खनिज की कीमत है।

श्री नाथूसिंह : कीमत ही सही....

(व्यवधान)

मैं पेनल्टी नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : मैंने पूछा है कि यह जो शेष राशि है इसे कब तक वसूल करेंगे? माफ तो नहीं करेंगे? एश्योरेंस दीजिए इस सदन को।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वसूली का प्रश्न है, 10-4-81 के सर्कूलर के तहत जितनी राशि की वसूली की जानी होगी वह वसूल की जायेगी उस से अधिक नहीं कर पायेंगे। 10-4-81 का सर्कूलर बहुत क्लीयर है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एन्क्रोचमेण्ट का प्रश्न नाथू सिंह जी ने उठाया और जो रिप्लाई दिया गया है उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जो एन्क्रोचमेण्ट किया गया है वह आज या कल वर्ष दो वर्ष का नहीं है, पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में एन्क्रोचमेण्ट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, जहां तक मेरी जानकारी है उस के अनुसार उन पर जुर्माना इम्पोज किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में बहुत बड़ा घपला यह हुआ है कि राशि कम वसूल की गयी है। इसके बारे में जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके समक्ष निवेदन करूं, यह बात सही है जैसा कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह बहुत पुराना अतिक्रमण है, काफी लम्बे अर्से से इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। जो सर्कूलर जारी किया गया है वह इस समस्या के निराकरण के लिए जारी किया गया है और वह सरकार के ध्यान में है।

श्री अध्यक्ष : बस, अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में उपलब्ध करवा दें मुझे। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : करोड़ों रुपये मुख्य मंत्री जी ने लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

कोटा नगर स्थित उद्योगों के मुख्यालय

135 श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में स्थित किन-किन उद्योगों के मुख्य कार्यालय राज्य से बाहर हैं व क्यों ?

(2) क्या उक्त उद्योगों के मुख्य कार्यालयों को राज्य में ही रखने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या उस संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में कब-कब पत्र व्यवहार हुआ है।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) कोटा नगर स्थित निम्न उद्योगों के मुख्य कार्यालय राजस्थान से बाहर हैं—

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

1—मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, नई दिल्ली।

2—मैसर्स श्रीराम रेयन्स, नई दिल्ली।

3—मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कानपुर।

4—मैसर्स कोटा आक्सीजन, बम्बई।

उक्त उद्योगों के मुख्यालय इनकी स्थापना के पूर्व ही राजस्थान के बाहर हैं। इनकी कई शाखायें होने के कारण इनके मुख्यालय राजस्थान के बाहर हैं।

(2) कम्पनी का पंजीकरण, रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज द्वारा किया जाता है। पंजीकरण के समय ही मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसिएशन भी अनुमोदित किया जाता है, जिसमें कम्पनी का मुख्यालय रखने का स्थान भी अंकित होता है, इस विषय में राज्य सरकार को अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) मुख्य कार्यालय राजस्थान के बाहर होने से क्या राज्य की आय में किसी प्रकार का भी नुकसान होता है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि तीन प्रकार का नुकसान होता है। जहां पर कम्पनी का हैड आफिस होता है इन्कम टैक्स परपंजेज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के लिए उस कम्पनी का असेसमेण्ट वहीं पर होता है। तो, जब कम्पनी का असेसमेण्ट ही दूसरे प्रान्तों में होगा तो निश्चित रूप से राज्य को जो इन्कम टैक्स का अंश मिलता है उसमें कमी होती है। दूसरा, सैल्स टैक्स का और तीसरा, अगर कम्पनी का हैड आफिस राजस्थान में होता तो यहां के लोगों को रोजगार मिलता। वह यहां के स्थानीय लोगों को न मिलकर दूसरे प्रान्तों के लोगों को मिलता है। ये तीनों प्रकार के नुकसान हैं जो सामने आते हैं जो कि राज्य को निश्चित रूप से होते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : इस नुकसान को देखते हुए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह प्रश्न काफी समय से इस सदन के अन्दर उठाया गया है, इसको एग्जामिन भी किया गया है। हमारी सरकार ने भी किया और इससे पूर्व आपकी पार्टी की सरकार ने भी किया। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस मामले में अपने आपको असमर्थ पाती है। नियम और कानून के तहत इनको बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री हीरालाल आर्य : जे. के. सिन्थेटिक्स का सारा माल कानपुर आफिस में जाता है और वहीं सेल होता है। सैलसटेक्स की करोड़ों रुपयों की चोरियां करते हैं। राजस्थान की धरती से उठ-

(श्री हीरालाल आर्य)

कर दिल्ली और कानपुर में जायें और वहाँ पर लोग चोरियाँ करें। सरकार का कोई दबाव न होने के कारण 5 साल के अन्दर 121.1 प्रतिशत इन्कम उसके मालिक की बढ़ गयी है।

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं, माननीये सदस्य। समाप्त कीजिए।

अगला प्रश्न।

जोधपुर जालौर व पाली जिलों में घोड़ों की प्रजाति में निरंतर ह्रास

136. **श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल), एवं श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :** क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जालौर व पाली जिलों में घोड़ों की संख्या कम होती जा रही है? यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त जिलों में घोड़ों की घटती संख्या को रोकने का उपाय कर रही है?

पशु पालन मंत्री (श्रीमती कमला) :

(1) जी हाँ। घोड़ों की संख्या में कमी होने का मुख्य कारण मशीनीकरण एवं इनकी कम उपयोगिता होना भी है।

(2) इन जिलों में घोड़ों की घटती संख्या को रोकने के लिए कोई योजना नहीं है।

श्री माधवसिंह दीवान : क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान के घोड़े दुनिया भर में मशहूर हैं और इनकी संख्या कम होती जा रही है? क्या इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, दरअसल में मारवाड़ के घोड़े बहुत मशहूर नस्ल के घोड़े माने जाते हैं और जोधपुर, जालौर, बाड़मेर आदि स्थानों में काफी अच्छी संख्या में पाये जाते हैं। परन्तु आधुनिक युग में साधनों की उन्नति, और घोड़ों के रख रखाव पर अधिक खर्च होने की वजह से और कोई योजना नहीं बनने से इनकी संख्या में कमी आई है लेकिन इस साल छठी पंचवर्षीय योजना में इनके लिए कोई केन्द्र बनाकर सहयोग किया जाय इस तरह की योजना बनाने की चेष्टा की जायेगी जिससे उन्नत किस्म के घोड़ों की संख्या बढ़ सके, लेकिन धनाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका है। इसके लिए राष्ट्रीय केन्द्र भी कायम करने की बात चली थी। हमने चरागाह के लिए योजना बनाकर दी थी लेकिन धनाभाव के कारण वह स्वीकृत नहीं हो सकी। इसीलिए इच्छा होते हुए भी हम इसको नहीं कर पाये। फिलहाल हम कोई कार गर कदम उठाने की स्थिति में नहीं हैं

(श्रीमती कमला)

लेकिन कुछ पैसा बचा सकेंगे तो अच्छे घोड़े रखने वाले हैं उनको जो मदद दी जा सकती है, विदिन फाइनेन्शियल लिमिट्स, वह देने की चेष्टा करेंगे।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, किसान घोड़ियां रखते हैं लेकिन घोड़े उपलब्ध नहीं हैं, उसके लिए क्या सरकार पशु चिकित्सालयों में नये घोड़े रखवाने का विचार करेगी ?

श्रीमती कमला : जो घोड़े रखते हैं उनको क्या सहायता दी जा सकती है, विदिन फाइनेन्शियल लिमिट्स उसकी की जायेगी। पशु मेले में घोड़ों का काफी आदान-प्रदान होता है लेकिन हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, यह मैं मानती हूँ। उनको सिब्सिडी या लोन दिलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम कोई योजना बनाने की स्थिति में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, कृत्रिम गर्भाधान के लिए घोड़ों की संख्या कम है इसकी क्या व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या-137

श्री लच्छूराम :

अनुपस्थित:—कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 138

श्री सी. पी. जोशी :

अनुपस्थित:—कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-139

श्री यदुनाथसिंह :

अनुपस्थित: —कृपया आगे देखें)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये पशु चिकित्सालय खोलना

140. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जमवा रामगढ़ में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या इस क्षेत्र में करीब 5 लाख से भी अधिक पशुओं की संख्या को देखते हुये वर्तमान रोगोपचार व्यवस्था पर्याप्त है ?

(2) क्या जमावा रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम आंधी में एक विशेष की-विलेज स्कीम पहले से चलती थी ? यदि हाँ, तो इस स्कीम को यहाँ से बिना जनता को सूचना दिये स्थानान्तरण क्यों

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

और कहां कर दिया गया ?

(3) क्या इतनी बड़ी योजना को हटाने के कारण इस क्षेत्र को जो पशुधन की क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के बदले में सरकार कोई दूसरी योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस पशु बहुल क्षेत्र के गठवाड़ी, बोबाड़ी, ताला, रायसर, आंधी, नीमला, चावण्डिया, खवारानीजी, चिताणु जैसे बड़े-बड़े कस्बों में निकट भविष्य में पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि, हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार की ग्राम भानपुर कलां की पशु चिकित्सालय एड-पोस्ट को डिस्पेन्सरी के रूप में परिवर्तित करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ में । एक पशु चिकित्सालय व 2 पशु औषधालय कार्यरत हैं । इस क्षेत्र में पशु गणना 1977 के अनुसार लगभग दो लाख पशु संख्या है, जिसके लिए उपरोक्त संख्या पर्याप्त है ।

(2) इस स्कीम को ग्राम आंधी से दिनांक 8-7-75 को भीलवाड़ा जिले के ग्राम आसीन्द में स्थानान्तरित किया । राज्य सरकार की नीति के अनुसार जहां-जहां डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई वहां से इस स्कीम को हटा दिया गया था ।

(3) वर्ष 1975-76 के बाद कुछ डेयरी क्षेत्र में की-विलेज स्कीम समाप्त कर दी गई है । अब पशु चिकित्सालय या औषधालय ही खोले जाते हैं । इस क्षेत्र में डेयरी फेडरेशन की तरफ से कृत्रिम गर्भाधान से 91 शंकर बछड़ियां उत्पन्न की गईं 33149 पशुओं की चिकित्सा की गई ।

(4) वित्तीय साधन उपलब्ध होते ही विचार किया जाना सम्भव होगा ।

(5) भानपुर कलां में पशु औषधालय कार्यरत हैं ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है, पशु चिकित्सालय दो हैं, कहां हैं, कौनसी जगह हैं ?

श्रीमती कमला : एक भानपुर कलां और दूसरा ढेर में ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय शायद कृषि मन्त्री जी को गलत सूचना दी गई है, भानपुर कलां जमवारामगढ़ क्षेत्र में नहीं है ।

श्रीमती कमला : मैं अपने को सुधार लेती हू ।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : जमवारामगढ़ में एक भी नहीं है । क्या यह सही नहीं है कि पिछले 35 सालों में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, किया तो काफी है लेकिन इनके क्षेत्र में नहीं हुआ क्योंकि जोरदार प्रतिनिधित्व नहीं है । अब पिछले साल से इन्होंने कोशिश की है लेकिन अब चालू वर्ष में नान डेजर्ट एरिया में पशु चिकित्सालय नहीं मिला है, नये बजट में कितने मिल पायेंगे, इस पर निर्भर करेगा, उस स्थिति में विधायक महोदय के क्षेत्र में खोलने की चेष्टा करूंगी नहीं तो क्षमा मांग लूंगी ।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, की-विलेज स्कीम को भीलवाड़ा ले गये और छोटे-मोटे दवाखाने या डिस्पेन्सरी भी नहीं खोली । आठ-दस साल से कुछ भी काम नहीं किया गया, क्या यह न्यायोचित बात है ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, काफी गलत कदम उठाया गया है । वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स के सम्बन्ध में काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, डेयरी फैडरेशन इतना काम करेगी उसको उठा दिया गया, लेकिन अब वह स्कीम खतम हो गई, चालू नहीं है और औषधालय और पशु स्वास्थ्य के लिये योजना लागू है जो खोले जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया

भवन निर्माण सहकारी समिति, मालासर में उक्त ग्राम के हरिजनों की हिस्सा राशि

141. **श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया** (रतनगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम मालासर के हरिजनों ने भवन निर्माण सहकारी समिति, मालासर की हिस्सा राशि 1800 00 रुपये तथा प्रवेश शुल्क 90·00 रुपये (कुल राशि 1890 रुपये) दिनांक 28 फरवरी, 1975 को जमा करा दी थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त राशि 1890.00 रुपये प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा आज तक किसी भी बैंक में जमा नहीं करवाई गई है ? यदि हां तो सम्बंधित-अधिकारी के विरुद्ध इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गइ ?

(3) क्या अब उक्त राशि मालासर के हरिजनों को वापस लौटाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उपमंत्री (सहकारिता)श्री रामपाल उपाध्याय : (1) जी हां।

(2) जी, हां। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जांच में सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति से राशि वसूल कर लौटाई जा सकेगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न पूछा गया तो तत्कालीन प्रसार अधिकारी श्री हनुमानसिंह जो वर्तमान में सीकर में हैं। ने मुझे एक पत्र दिया है, मेरे नाम से रजिस्टर्ड पत्र आया, 1800 रु. का ड्राफ्ट आया है, वह मैं आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रखता हूँ और सदन मुझे यह बताये कि यह 1800 रु. का चैक मैं किसको दूं ?

श्री अध्यक्ष : अपने पास ही रख लीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : रुपया तो मालासर के हरिजनों का है। प्रश्न पूछा गया तो मेरे नाम से 19 तारीख को पत्र मिला जिसमें 1800रु. का ड्राफ्ट था। मैंने तत्काल कलेक्टर को सूचना दी। वह भ्रष्ट अधिकारी है। 1975 में यह रुपया वसूल किया गया है आज तक यह रकम उसके पास ही रही, उसको जमा नहीं कराया और मुझे ड्राफ्ट द्वारा भेजी गयी माननीय मन्त्री महोदय मुझे बतायें कि इस ड्राफ्ट का क्या किया जाय ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया है, वह काफी गम्भीर मामला है। 1975 में 1800 रुपये इकट्ठे किये गये। शिड्यूल्ड कास्ट्स के माननीय सदस्यों ने एक समिति के रूप में पैसा इकट्ठा करके माननीय सदस्य को दिया। इन्होंने 15 दिन के बाद श्री हनुमान सिंह, जो वहां के पंचायत समिति के अधिकारी थे, को दिये। उन महाशय ने इस रुपये की समिति रजिस्टर में एण्ट्री नहीं की और अपने पास रख लिया। यह सूचना मुझे परसों मिली, इस सूचना के मिलते ही मैंने 25-2-82 को श्री हनुमान सिंह को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से और सदन के आदेश से इस बीच जितना उसका ब्याज बनता है वह हनुमान सिंह की तनख्वाह से काट कर उसका एरियर माननीय सदस्य को देने का आदेश करूंगा। यदि वह चाहें तो फिर से उस समिति की रजिस्ट्री करा कर कार्य करें, अपना आपस में विभाजन कर लेवें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि उस कर्मचारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, फौजदारी केस चलाने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : जब मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी मिल गई थी तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस से निकाल देना चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : यह मामला बहुत पुराना चल रहा है। सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई। उस रुपये का गबन कर लिया। ऐसे भ्रष्ट आदमी को जब विधान सभा में यह प्रश्न आया तब सस्पैंड किया गया।

श्री रामपाल उपाध्याय : जैसा मैंने निवेदन किया कि 25 तारीख को यह प्रश्न आया और मुझे इसकी जानकारी मिली तो तत्काल उस आदमी को निलम्बित किया गया और जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता ने बताया है, मैंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं मेरे पास जो 1800 रुपये का ड्राफ्ट है, उसका मैं क्या करूं ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कृपया सदन की मेज पर रख दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जीतमल जैन।

व्यापारिक आधार पर तांबे के खनन की योजना

142. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार ने जिला झालावाड़ में उपलब्ध तांबे के भण्डारों की दृष्टि में, व्यापारिक आधार पर तांबे के खनन की योजना बनाई है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह) : झालावाड़ कस्बे के पास ताम्र खनिज के संकेत मिले हैं।

पूर्व में राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया था किन्तु भू-रासायनिक सर्वेक्षण में उत्साहजनक परिणाम नहीं मिलने से कोई खनन योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या 143

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री पचेरवाल।

अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।

श्री भगवान दास डोसी।

रेगिस्तानी क्षेत्र में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि

144. श्री भगवान दास डोसी (चोहटन) : क्या कृषि (विशिष्ट योजनायें) मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में भीषण अकाल की समस्या को कम करने हेतु सरकार द्वारा गत एक दशक से सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) को स्थायी समाधान के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो जिला बाड़मेर में अब तक उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है तथा कितना व्यय किया गया है ? कृपया वर्षवार एवं पंचायत समितिवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कितनी कितनी धनराशि के क्या क्या कार्यस्वीकृत किये हैं तथा उनकी प्रगति क्या है ? कृपया पंचायत समितिवार स्थिति सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। रेगिस्तान में भीषण अकाल से उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं को हल करने हेतु डी. पी. ए. पी. का कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में आरम्भ किया गया था जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय विकास कार्य चलाये जा रहे हैं।

(2) वर्ष 1974-75 से वर्ष 1981-82 तक बाड़मेर जिले में कुल प्रावधान रु. 734.26 लाख का था जिसके विरुद्ध व्यय रु. 535.80 लाख दिसम्बर, 81 तक हो चुका है। वर्षवार प्रावधान व व्यय के आंकड़े (पताका "अ") में सदन के पटल पर रख दिये हैं। चूंकि प्रावधान जिलेवार आवंटित किया जाता है इसलिए व्यय भी जिलेवार ही संकलित किया जाता है। अतः पंचायत समितिवार आंकड़े देना संभव नहीं है।

(3) बाड़मेर जिले में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की मदवार व्यय की सूचना पताका "ब" सदन के पटल पर प्रस्तुत है। मद के अंतर्गत धनराशि का आवंटन जिलेवार किया जाता है। अतः सूचना जिलेवार ही संभव है।

(आंकड़ों व सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भगवान दास डोसी : इस योजना में कृषि पुंज भी बनाये जाते हैं जो हमारे इलाके में भी हैं, लेकिन वह किताबों में ही लिखे जाते हैं, खेतों में नहीं बनाये गये, क्या इसके लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष, अगर माननीय सदस्य की निगाह में ऐसी कोई सूचना है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्चा हुआ बताया गया है, लेकिन वास्तव में वह काम नहीं हुआ अगर वह इसको हमारे ध्यान में लायेंगे तो उसकी मैं जांच करूंगी।

22

श्री भगवान दास डोसी : खेतों की सूची तो बनाई जाती है, लेकिन उनका नाम रेवेन्यू रिकार्ड में न होने कारण बैंक उनको ऋण नहीं देते।

श्रीमती कमला : कृषि पुंज किसे कहते हैं ?

श्री भगवान दास डोसी : जो टांका बनता है उसको कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह कृषि कुन्ड को नहीं जानते, दुर्भाग्य की बात है। कृषि कार्य के लिए जो पैसा दिया गया उसको बर्बाद किया गया हैं, क्या आप उसकी वसूली पर कार्यवाही करने का विचार कर रही हैं ?

श्रीमती कमला : इस कानूनी खामी के कारण उनको जो पैसा उपलब्ध होना चाहिये था वह नहीं हुआ है, इसकी जांच रेवेन्यू विभाग ही कर सकता है, इसलिये हम इसमें कार्यवाही करने में असमर्थ हैं।

प्रश्न संख्या 145

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम जैन।

अनुपस्थित : कृपया आगे देखें

अगला प्रश्न। श्री देवदत्त तिवाड़ी

जिला बाड़मेर व नागौर के ग्रामों में उपलब्ध लिग्नाइट के भंडारों का उत्खनन

146. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के कपूरड़ी ग्राम में और जिला नागौर के मेड़ता ग्राम में लिग्नाइट के सर्वेक्षण एवं खोज का कार्य ड्रिलिंग मशीनों के अभाव में तथा विभागीय शिथिलता के कारण ठप्पा सा पड़ा है तथा उनकी प्रगति बहुत ही धीमी है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त क्षेत्रों में लिग्नाइट की खोज को गति प्रदान करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(3) यदि विभाग की यह क्षमता नहीं है कि वह उसे गति दे सके तो क्या इस मामले में राज्य सरकार केन्द्र से मदद लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) यह कहना सही नहीं है कि अब तक लिग्नाइट सर्वेक्षण का कार्य विभाग में ड्रिलिंग मशीनों के अभाव में या विभागीय शिथिलता से धीमी गति से चल रहा है। राज्य सरकार इस कार्य को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने हेतु सभी प्रयास कर रही है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) व (3) विस्तृत सर्वेक्षण के कार्य और भी तीव्र गति से करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा भारत सरकार के खनिज विभाग से भी सामंजस्य स्थापित किया गया है। हाल ही में केन्द्रीय खनिज सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। इन क्षेत्रों में कितने ड्रिलिंग कार्य की आवश्यकता होगी इसके अनुमान हेतु एक तकनीकी समिति का भी गठन कर दिया गया है जिसमें भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, योजना आयोग व नेइवली लिग्नाइट परियोजना के अधिकारी भी सम्मिलित किये गये हैं। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस कार्य में राज्य सरकार की किस तरह से मदद की जायेगी के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

श्री देवीदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। विभाग में शिथिलता के कारण यह काम धीमा हुआ है। वहां कोई ड्रिलिंग मशीन नहीं है, केवल एक मशीन है, बाकी सब मशीनें हटा ली गई हैं इसलिए वहां यह काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। जितनी प्रगति पिछले दिनों हुई है इस वर्ष आधी भी नहीं हुई है. क्या यह सही है? यदि नहीं, तो मुझे आंकड़े बतायें पिछले वर्ष के और इस वर्ष के।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो माननीय सदस्य ने कहा, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है बाड़मेर नागौर क्षेत्र में 206 ड्रिलिंग मशीन काम कर रही हैं। मेरे पास ब्रेक-अप नहीं है कि बाड़मेर में कितनी हैं और नागौर में कितने हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : बाड़मेर में एक है, वहां से कई नागौर चली गई है, मैं बाड़मेर के लिये पूछ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दोनों इलाकों में लिग्नाइट के प्रारंभिक सर्वेक्षण में अब तक दोनों इलाकों को मिलाकर करीब 4800 मीटर ड्रिलिंग का कार्य हुआ। जबकि वास्तव में इनकी डिपोजिटस एस्टेब्लिश करने के लिये, डिपाजिट्स का इन्डीकेशन लेकर टोटल डिपाजिट्स एस्टेब्लिश करने के लिये हमें 20 हजार से लेकर 30 हजार मीटर तक के छिद्रण की आवश्यकता है। इसलिये भारत सरकार से कहा गया। उसने टास्क फोर्स का गठन भी किया है जैसा मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा वहां पर सिर्फ एक ड्रिलिंग मशीन है, मैं इस बात की जानकारी विभाग के अधिकारियों से करूंगा और इस कार्य को गति देने के लिये वहां जो कुछ किया जा सकता है आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं कहना चाहूंगा कि नागौर मेड़ता में जो लिग्नाइट है, क्या वह दूसरी जगह से निकलने वाले लिग्नाइट से अच्छी क्वालिटी का नहीं है?

(24)

श्री प्रद्युम्न सिह : अभी हमने जो जम्मू के अंदर लैबोरेट्री है वहां टेस्ट कराया है, उन दोनों जगह के विशेष लिग्नाइट को बहुत अच्छा माना है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई है, उसका और विस्तार से परीक्षण करना है। जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिली है, उसके अनुसार काफी अच्छी क्वालिटी है. इसमें दो राय नहीं है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : यह बात सही नहीं है कि बाड़मेर का लिग्नाइट नागौर और मेड़ता से अच्छा नहीं है, वह बेहतर क्वालिटी का है इसलिये वहाँ ज्यादा मशीनें न लगाकर बाड़मेर में अन्वेषण व खोज जल्दी कराई जाय जिससे लाभ उठाया जा सके।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नम्बर 147 है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था देने में असमर्थ हूं।

श्री बालचंद्र आर्यवीर : केवल जवाब दिलाइये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचंद्र आर्यवीर।

डकैतियों को रोकने की दिशा में कार्यवाही

147. **श्री बालचंद्र आर्य वीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अप्रेल, 1981 से अब तक राज्य में पड़ी कितनी डकैतियों में कितने लोगों की हत्यायें हुई और कितने लोगों को चोटें आयी है? कितनी राशि का माल लूटा गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने डकैतियों को रोकने हेतु कोई कदम उठाये हैं? यदि हाँ, तो क्या ?

राज्य मंत्री गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) अप्रेल, 1981 से अब तक राज्य में कुल 136 डकैती के अभियोग दर्ज हुए इनमें 15 व्यक्तियों की हत्यायें हुई, 193 व्यक्तियों के चोटें आयी हैं। इन अभियोगों में कुल 52,01,678/रुपयों का माल लूटा गया।

(2) जी हां। राज्य सरकार इस समस्या के निराकरण के प्रति पूर्णतया सजग

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गश्त कराना डकैती प्रभावित क्षेत्रों में एण्टी डकैती की पोस्ट स्थापित करना एवं पड़ोसी राज्य की पुलिस से सहयोग प्राप्त कर सम्मिलित कार्यवाही करना आदि कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया है तो एक तथ्य और बताना चाहूंगा अन्यथा रिकार्ड पर यह बात नहीं आयेगी, जो 52 लाख रुपये की डकैतियां हुई हैं उनमें से रिकवरी 38.50 की है जो 72 प्रतिशत है, यह सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुठभेड़ों के अंदर 20 डकैत मारे गये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सरकार ने किडनेपिंग शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति बाजला (झुन्झुनू)

137. श्री लच्छूराम (माण्डावा) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति बाजला, जिला झुन्झुनू के पिछले चुनाव कब हुये थे और अब नये चुनाव कब होने वाले हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस सहकारी समिति की भूतपूर्व कार्यकारिणी के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष ने मिलकर बड़ी राशि का गबन किया था जिसके रिकार्ड को विभाग ने जब्त कर रखा है?

(3) क्या यह सही है कि विभाग व पुलिस द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि नहीं, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) यदि कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है, तो कब तक की जायेगी?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति बाजला जिला झुन्झुनू के पिछले चुनाव दिनांक 28-5-73 को हुये थे। नये चुनाव सम्बंधित रिकार्ड उपलब्ध होने पर तुरन्त करा दिये जायेंगे।

(2) इस सहकारी समिति की कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा भारी राशि का गबन किये जाने की कोई सूचना

26

(सहकारिता मन्त्री)

नहीं है। कार्यकारिणी के मंत्री श्री अस्त अली खां के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट वर्ष 77-78 के अनुसार 5631-20 एवं वर्ष 78-79 के अनुसार 100-40 का गबन पाया गया। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1975 की धारा 70 की जांच के आधार पर निम्न पदाकारियों के खिलाफ गबन के और मामले पाये गये।

1—श्री अस्त अली खां मन्त्री 2625.00

2 श्री अस्त अली खां मन्त्री 174.20

कुछ फर्जी ऋण वितरण के मामले भी प्रकाश में आये हैं जिनमें मंत्री कोषाध्यक्ष व व्यवस्थापक भी सम्मिलित बताये गये हैं। रिकार्ड जब्त कर लिया गया है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा प्रथम दो मामलों में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत निर्णय दिया जा चुका है। दोनों मामलों में दिनांक 29-7-81 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है और तफ्तीश जारी है।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम पिण्डवाड़ा (सिरोही) के निकटस्थ केल्साइट एवं बूलस्टोनाइट की खानों के पट्टाधारियों से रॉयल्टी की वसूली

138. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सिरोही के ग्राम पिण्डवाड़ा के समीप केल्साइट एवं बूलस्टोनाइट का खनन पट्टा कब से किसके नाम पर है ?

(2) क्या यह सही है कि केल्साइट की रायल्टी तीन रूपये प्रति टन ली जाती है और रायल्टी का निर्धारण ट्रक की निर्धारित क्षमता से किया जाता है, जबकि ट्रकों में निर्धारित क्षमता से करीब डेढ़ गुणा खनिज ले जाया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि बूलस्टोनाइट की रायल्टी विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत लेने का प्रावधान है और पट्टाधारी केवल रुपये 100/- प्रति टन का विक्रय मूल्य बताकर रायल्टी जमा कर रहा है, जबकि इसका विक्रय मूल्य रु 500/- प्रति टन है ?

(4) क्या यह सही है कि विक्रय मूल्य के बारे में विभाग द्वारा जांच व जानकारी कर लेने के बाद भी पट्टाधारी को नाजायज लाभ पहुंचाया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार इन दोनों खनिजों पर पूरी रायल्टी वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जिला सिरोही के तहसील पिण्डवाड़ा में खनिज कैल्साइट एवं बुलस्टोनाइट के तीन खनन पट्टे श्री वोलकेम प्रा0 लि0 श्री एस० पी० अग्रवाल तथा श्री वेस्टर्न बंगाल कोल फील्ड के पक्ष में क्रमशः दिनांक 27/12/68 दिनांक 19-3-76 एवं दिनांक 26-5-72 से 20 वर्षीय अवधि के लिए स्वीकृत हैं।

(2) कैल्साइट की रायल्टी दिनांक 23-7-81 से 3/-रु0 प्रति टन के स्थान पर संशोधित कर 6/- रु0 प्रति टन कर दी गई है, अतः अब इसी के अनुसार रायल्टी वसूल की जाती है। यह सही है कि रायल्टी का निर्धारण ट्रक की निर्धारित क्षमता से किया जाता है। डेढ़ गुणा माल ले जाने को शिकायत विभाग को नहीं प्राप्त हुई है।

(3) खनिज बुलस्टोनाइट पर रायल्टी पिट माउथ सैल वैल्यू के 10 प्रतिशत की दर से वसूल करने का प्रावधान था। परन्तु दिनांक 23/7/81 से खनिज बुलस्टोनाइट पर रायल्टी की दर रु. 10 प्रति टन केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित कर दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रधान खनिज रियायत नियम 1960 एवं एम. एम. आर. डी. एक्ट के 1957 के प्रावधान के अनुसार पूर्ण रायल्टी वसूल की जा रही है।

विभिन्न आय ग्रुप वाले परिवार

139. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) क्या मुख्य मन्त्री (आर्थिक एवं सांख्यकी) यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में निम्न वार्षिक आय वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है:—

(1) रु. 1 लाख से ऊपर

(2) रु. 50 हजार से 1 लाख तक

(3) रु. 10 हजार से 50 हजार तक

(4) रु. 5 हजार से 10 हजार तक

(5) रु. 2 हजार से 5 हजार तक

(6) रु. 2 हजार से नीचे ?

उत्तर

प्रश्न में दिये गये वर्गों में परिवारों के प्रतिशत की सूचना सारणीकृत नहीं की जाती। अतएव सम्बन्धित आय वर्ग में परिवारों के प्रतिशत की सू[illegible] उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उ[illegible]ता।

(20)

राजस्थान वित्त निगम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विचाराधीन ऋण आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही

143. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम में 1980 से जनवरी, 1982 तक अनुसूचित जाति के लोगों के बसों के लिए ऋण आवेदन-पत्र पूर्ण होने पर भी बस परमिट के अभाव में ऋण स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन-पत्र हैं और किन-किनके ? कृपया सूची जिलेवार आवेदकों के नाम व जाति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

21 दिसम्बर, 1981 तक प्राप्त सभी पूर्ण ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। किन्तु 21-12-81 को निगम ने यह निर्णय लिया कि जिन आवेदकों के पास रूट परमिट नहीं है उन्हें ऋण जब ही स्वीकार किया जाय जबकि रूट परमिट प्राप्त करले। इस निर्णय के अनुसार निगम के पास अनुसूचित जाति के प्रार्थियों के 5 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनकी जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के विरुद्ध गबन के मामलों में कार्यवाही

145. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कितने व्यवस्थापकों के खिलाफ गबन के मामले चल रहे हैं एवं उनमें कितना कितना रुपया कब से बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 21 व्यवस्थापकों के खिलाफ गबन के मामले चल रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दोषी व्यवस्थापकों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। सहायक रजिस्ट्रार चित्तौड़गढ़ को पुलिस में मामले दर्ज कराने हेतु भी निर्देश दे दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उप तहसील इन्द्रगढ़ के आजाद नगर के बैरवाओं की फसल को विनष्ट होने से बचाना

92. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) ; क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ के आजाद नगर के बैरवाओं की फसल को जयनगर निवासी सवर्ण व्यक्ति उजाड़ रहे हैं जिसकी सूचना उन्होने तहसील व पुलिस को दी है, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति के हित में शीघ्र उचित आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) श्री नारायण पुत्र केसरा बैरवा की जबानी रिपोर्ट पर अपराध संख्या 6 दिनांक 15-2-82 अन्तर्गत धारा 447, 427 भा0द0सं0 थाना इन्द्रगढ़ पर पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। 6 रेवारियों के विरुद्ध सबूत होने पर 5 रेवारियों को गिरफ्तार कर जमानत ली जा चुकी है। एक रेवारी की गिरफ्तारी शेष है।

(2) आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है।

आरक्षी विभाग के सिपाही का कार्य कुशलता में अभिवृद्धि की दिशा में कार्यवाही

93. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के सिपाही को मिलने वाला वेतन एवं भत्ता उनके कार्य के घण्टों की तुलना में कम है ? यदि हां, तो सरकार उनके जीवन स्तर को समुन्नत करने हेतु विचार कर रही है? यदि नहीं, तो वर्तमान वेतन एवं भत्ते का आधार क्या है ?

(2) क्या सरकार इनके बच्चों की पढ़ाई एवं नौकरी की पूर्णतया व्यवस्था कर उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अन्य विभागों के समान पुलिस विभाग के कर्मचारियों के भी वेतन एवं भत्ते उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य एवं दायित्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये हैं। मौजूदा वेतनमान का आधार राणावत पे कमीशन की रिपोर्ट है। सभी पहलुओं पर नये सिरे से विचार कर बेरी वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो राज्य सरकार में विचाराधीन है।

(30)

(गृह मन्त्री)

(2) राजस्थान पुलिस बेनीवलेंन्ट फण्ड से पुलिस विभाग के अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की विशेष व्यवस्था है, जिससे वे समुचित शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकें। पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में सीधी भर्ती के लिए पुलिस महानिरीक्षक वर्ष में कुल रिक्त पदों का कुछ प्रतिशत विशेष योग्यताओं को ध्यान में रख भरे जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते हैं, जिसमें पुलिस विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों के मामलों में विशेष सहानुभूति के साथ विचार किया जाता है।

जिला भीलवाड़ा में पांच टैक्सटाइल उद्योगों की स्थापना

94. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में 20 करोड़ की लागत से माइका पेपर की स्थापना की जा रही है व इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने भीलवाड़ा जिले में 5 टैक्सटाइल उद्योगों की स्थापना के लिए भी अपनी स्वीकृति दे दी है ?

(3) यदि हां, तो इन उद्योगों की स्थापना कब होगी व कितना व्यय होगा, कितना उत्पादन होगा एवं कितने लोगों को काम मिलेगा ?

उत्तर

(1) माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने भीलवाड़ा में माइका पेपर बेस्ट प्रोडक्टस के विनिर्माण हेतु 22.00 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना की स्थापना के लिए भारत सरकार को लाइसेन्स स्वीकृति हेतु आवेदन किया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 24-7-1981 को कम्पनी के आवेदन को अन्तिम रूप से रद्द कर दिया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28-9-1981 को पुन: उक्त कम्पनी को औद्योगिक लाइसेन्स स्वीकार करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश भेजी गई हैं। भारत सरकार द्वारा अभी तक उक्त कम्पनी को कोई लाइसेन्स जारी किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) भीलवाड़ा जिले के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 13 टैक्सटाइल उद्योगों के विवरण की सूची (अ) सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(3) विवरण की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

(31)

लघु उद्योगों को निजी डीजल जनरेटिंग सेंट्स लगाने हेतु आर्थिक अनुदान

95. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) --क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लघु उद्योगों को निजी डीजल जनरेटिंग सैट्स लगाने के लिए आर्थिक अनुदान देने का निर्णय किया है ?

(2) यदि हां, तो ये राशि कितने प्रतिशत होगी ? अब तक कितने उद्योगों को अनुदान दिया गया हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुदान की अधिकतम राशि क्या है ? अभी तक कितने लोगों के डीजल जनरेटिंग सैट्स के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जनरेटिंग सैट के पूंजी लागत के 50 प्रतिशत तक ही राशि अनुदान के रुप में दी जा सकेगी। इसकी अधिकतम सीमा ढाई लाख रुपये होगी। यह योजना 1-1-1982 से ही लागू होने के कारण अभी तक किसी भी उद्योग को अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(3) अनुदान की अधिकतम राशि 2.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। जनेरेटिंग सेट पर अनुदान के लिये 23 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन अभी किया जाना हैं।

लघु उद्योग भवनों की स्थापना

96. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रदेश में 6 जिलों में शीघ्र ही लघु उद्योग भवन स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो यह भवन किन-किन जिलों में स्थापित किये जायेंगे ? इन पर कितनी लागत आयेगी, इनका क्या काम होगा, तथा कब काम करना प्रारम्भ करेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने राज्य के तीन जिलों में ही लघु (मिनी) उद्योग भवन स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(2) अलवर, कोटा जोधपुर में लघु (मिनी) उद्योग भवन बनाने की योजना है जिनका तकमीना तैयार किया जा रहा है और तकमीना तैयार होने पर ही यह कहा जा सकता है कि इन पर कितनी

(उद्योग मन्त्री)

लागत आयेगी। इन लघु (मिनी) उद्योग भवनों में, उद्योग विभाग व अन्य सम्बन्धित निगम व बोर्ड के अधिकारी अपने समस्त स्टाफ के साथ एक स्थान पर बैठकर उद्यमियों को मार्गदर्शन एवं सहायता आदि प्रदान करने का कार्य किया जायेगा। इन लघु उद्योग भवनों का निर्माण पूरा हो जाने पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

बूंदी में वित्त निगम की जिला शाखा की स्थापना

97. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) –क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार बूंदी में राजस्थान वित्त निगम की जिला शाखा खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) जिला बूंदी की वित्त निगम शाखा, कोटा में वर्ष 1980-81 में ऋण हेतु कितने आवेदन-पत्र किस-किस उद्देश्य के प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये व कितने विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा माह जनवरी, 1982 में बूंदी जिला उद्योग केन्द्र में सहायक प्रबन्धक की नियुक्ति कर शाखा का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(2) वर्ष 1980-81 में राजस्थान वित्त की कोटा शाखा में बूंदी जिले के 40·94 लाख रु० के 11 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जो मुख्यतः राइस मिल, सीमेन्ट पूरक, पेपर बोर्ड, खाण्डसारी, कारपेट एवं ट्रक के लिए थे। वर्ष के अन्त में दो ऋण आवेदन पत्र विचाराधीन रहे।

जयपुर में शेयर बाजार की स्थापना

98. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान परिषद, कलकत्ता की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने पर राज्य सरकार जयपुर में शेयर बाजार चालू होने की संभावना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कृपया ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यह बाजार कब चालू होगा तथा इसकी प्रस्तावित पूंजी क्या होगी? कितनें कितने रुपयों के शेयर होंगे।

उत्तर

(1) कुछ प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों आदि जयपुर में शेयर बाजार खोले जाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। राजस्थान परिषद, कलकत्ता से कोई

(उद्योग मंत्री)
ज्ञापन उद्योग विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

प्रवंतकों द्वारा मार्च, 1982 द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने की आशा है व उसके पश्चात स्टाक एक्सचेंज के चालू होने की संभावना है। प्रवंतको द्वारा बनाये गये मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रारम्भ के अनुसार शुरू में अधिकृत पूंजी 5-00 लाख रुपये होगी। प्रत्येक शेयर 1000/-रुपये का होगा।

लघु उद्योगों का पंजीकरण

99. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

इस वित्तीय वर्ष में राज्य में कुल कितने उद्योगों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 1 अप्रेल, 1981 से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक राज्य में कितने लघु उद्योग पंजीकृत हुए हैं?

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1981-82 में राज्य में 20,000 अस्थायी एवं 20,000 स्थाई लघु उद्योगों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 अप्रेल, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक 20,262, अस्थाई एवं 17,160 स्थाई लघु उद्योग का पंजीयन किया गया है।

जोधपुर एवं बीकानेर सम्भाग में नवीन पशु चिकित्सालय

100. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) —क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मरुस्थलीय विकास कार्यों पर सन् 1981-82 में 30 नये पशु चिकित्सालय जोधपुर एवं बीकानेर सम्भाग में खोलने का निर्णय लिया है?

(2) यदि हां, तो अब तक कितने चिकित्सालय खोले गये व किन-किन स्थानों पर?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 30 पशु स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित किया जा चुका है। जिनकी सूची सलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला जैसलमेर के पशु चिकित्सालय

101. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)—क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जैसलमेर के समस्त पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने स्वीकृत पद हैं तथा इनमें कितने स्थान रिक्त हैं?

(34)

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

(2) जिला जैसलमेर में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? उनमें से कितने चिकित्सालय कब से बन्द पड़े हैं ? भीषण अकाल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार इन चिकित्सालयों को कब तक सुचारु रूप से चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालय, पशु स्वास्थ्य केन्द्र पशु औषधालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची (क) सलग्न है।

(2) जिला जैसलमेर में 5 पशु चिकित्सालय, 1 पशु स्वास्थ्य केन्द्र, 3 पशु औषधालय कार्यरत हैं।

इन संस्थाओं में से कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, जो बिल्कुल बन्द पड़ी हुई हो।

इस जिले में रिक्त पदों पर जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, वे या तो वहां पर कार्य ग्रहण ही नहीं करते हैं या वहां से अन्यत्र स्थानान्तरण के लिए प्रयास कर चले जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला नागौर की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

102. श्री महाराम चौधरी (नागौर) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर, जिला नागौर ने दिनांक 1 अप्रेल, 1981 से कुल अल्पकालीन, मध्यकालीन कितना कितना ऋण किस-किस सहकारी समिति को वितरित किया ? कृपया सूची दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैंक ने दिनांक 1 अप्रेल, 1981 से किस-किस सहकारी समिति से अब तक ऋण वसूल किया है ? यदि वसूली कम की है, तो इसका क्या कारण है ?

(3) उक्त बैंक ने गोदाम योजना के अन्तर्गत किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुख्यालय पर गोदाम निर्माण सम्पूर्ण कर दिया है ? किस-किस सहकारी समिति में निर्माण कार्य चालू है व किस-किस सहकारी समिति में माह मार्च 1982 तक गोदाम बनाने की योजना है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिला की किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विरुद्ध कब से सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में वसूली गबन एवं अनियमितताओं की कार्यवाही चल रही है ? सहकारी समिति का नाम, दोषी सदस्यों का नाम एव कबसे कार्यवाही चल रही है, का पूर्ण व्यौरा कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट (क) में सलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) सूची परिशिष्ठ (क) में संलग्न है। वसूली कम होने का कारण जिले के अधिकांश गांवों में लगातार 4 वर्षों से अकाल की स्थिति होना है।

(3) सूचना परिशिष्ट (ख) में संलग्न है।

(4) सूचना परिशिष्ट (ग) में संलग्न है।

(सूची व सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

दी मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक

103. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा)—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या दी मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक अवसायन में आ गया है? यदि हां, तो अब तक जमाकर्ताओं को उनके धन की कितनी किस्तें दी जा चुकी हैं और शेष किस्तें कब तक दी जायेंगी?

उत्तर

जी हां, दी मर्केन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक दिनांक 9-3-1976 से अवसायन में हैं। जमाकर्ताओं को 25 प्रतिशत प्रति किश्त के हिसाब से तीन किश्तों का वैध क्लेम्स का भुगतान किया जा चुका है। शेष चौथी किश्त का भुगतान बैंक की लेनदारी पर्याप्त मात्रा में वसूल होने पर किया जा सकेगा।

सहकारिता निरीक्षक/ऋण निरीक्षकों का गृह जिलों में पदस्थापन

104. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सहकारिता निरीक्षक या ऋण निरीक्षक अपने गृह जिले में पदस्थापित किये जा सकते हैं?

(2) जिला भरतपुर में ऐसे कितने निरीक्षक हैं जिनका गृह जिला, जिला भरतपुर होते हुए भी वहां कार्यरत है एवं उन्हें वहां से हटाने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से गृह जिले में पदस्थापित किये जा सकते है।

(2) भरतपुर जिले में राज्य सरकार की स्वीकृति से 10 निरीक्षक (कार्यकारी) एवं 16 निरीक्षक (आडिट) कार्यरत हैं जिनका गृह जिला भरतपुर है उन्हें वहां से हटाने के लिए उपयुक्त समय पर कार्यवाही की जावेगी।

सूचना

श्री चेतराम मीणा राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण द्वारा बस नं आर. एस. जी. 40 के ड्राइवर का अपहरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अभी-अभी मुझे वायरलेस से मैसेज मिला है, जो प्रद्युम्नसिंह के नाम है उसकी प्रति मुझे भी प्राप्त हुई है। उसमें लिखा है विधा-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यक श्री राम किशोर मीणा, कैम्प बस्सी, 10 बजे बनेड़ा के पास बालाजी से जयपुर जाते वक्त ट्रैफिक जाम मिला तब लोगों से मेरी जानकारी मिलने पर बताया कि श्री चेतराम जी मंत्री महोदय बस नं. आर. एस. जी. 40 के ड्राइवर को पकड़कर जबर्दस्ती अपनी कार में बिठाकर ले गये। इस समय करीब एक हजार यात्री हैं जिनमें से करीब 50 विदेशी यात्री हैं। मुझे विधान सभा जरूरी तौर पर पहुंचना है लेकिन यात्रियों के घेराव की वजह से मुझे विधान सभा नहीं आने दिया जा रहा है। अविलम्ब ट्रैफिक खोल कर मुझे, यात्रियों को जयपुर व अन्य गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें।" यह वायरलैस मैसेज है। अभी भी श्री राम किशोर मीणा और श्री यदुनाथ सिंह दोनों साथ थे। सदस्यों का अधिकार है समय पर....

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैं 9.15 बजे घर से रवाना होता हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह 6 बजे चले तब जाकर उस स्थान पर पहुंच पाये हैं जहां ट्रैफिक जाम हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारी स्थिति क्या है, इस संबंध में मंत्री महोदय जानकारी दें। मुझे अभी पता लगा कि हजारों यात्री, बस, कार, सारे का सारा ट्रैफिक जाम है, उसको किस प्रकार से खुलवाने की व्यवस्था की है, यह बतायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अभी जब मैं प्रश्न का उ र दे रहा था उस समय असेम्बली सचिवालय में मुझे वायरलैस मैसेज मिला था और बीच में एस. पी. का टेलीफोन आया था, इस प्रकार का वायरलैस मैसेज उनको भी मिला है। एस. पी. जयपुर को मैंने टेलीफोन पर कहा था, इसकी जानकारी कर के मुझे सूचित करें और उन से मैंने कहा कि वहां फोर्स भेज दें। उन्होंने कहा, फोर्स भेज दी है, दो एडीशनल एस. पी. और तीन डी वाई. एस. पी. भी हैं। विधायकों को सुरक्षित लाने के विचार से मैंने टेलीफोन पर निर्देश दे दिया था। जब तक पूरी फैक्चुअल पोजीशन का पता नहीं लगेगा तब तक मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। मुझे खुशी है कि दोनों विधायक यहां पर आ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : ड्राइवर को....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाद में कह दें, सरकार का उत्तर आ जाय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ड्राइवर का पता नहीं, ड्राइवर का किडनेप कर लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तथ्यों को सामने आने दीजिये, आपको अवगत....

श्री यदुनाथ सिंह : सदन में बचाने से कुछ नहीं होगा। एक मंत्री, सरकार का आदमी इस तरह से किडनेप करके ले गया है, उसका कहीं पता नहीं है....

(व्यवधान)

10 हजार से कम आदमी नहीं हैं। ड्राइवरों ने कह दिया कि जब तक वह ड्राइवर वापस नहीं आयेगा तब तक रोडवेज की बसें चलाने को तैयार नहीं हैं, स्थिति खराब है। चेतराम जी बता दें कि वह आदमी कहां है ?

श्री अध्यक्ष : फैक्ट्स को सामने आने दो।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : फैक्ट्स क्या बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उस की कांस्टीट्यूएंसी के रहने वाले हैं, उसके लड़के को पीटा है और मुझे भय है, आशंका है, अध्यक्ष महोदय, उस लड़के को किसी तरह से यातना न दी जाय, पीटा नहीं जाय। जब रोडवेज के ड्राइवर को ले जा सकते हैं पता नहीं उसके साथ क्या होगा, एफ. आई. आर. दर्ज करके केस बनाया जायगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पहले सरकार से उत्तर दिलवायें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि उस ड्राइवर को पकड़ कर ले गये हैं और उसको मारने की धमकी दी जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वहां पर हजारों की मात्रा में विदेशी यात्री आये हुए हैं वह वहां पर पड़े हुए हैं, वहां का ट्रैफिक जाम हो गया है। भारी झगड़ा हुआ है, चाकू, छुरे चल रहे हैं, कई लोग घायल हो गये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप वहां पर डाक्टरों की टोली भेजिये, लोगों की वहां हालत खराब है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां की कन्डीशन बहुत खराब है, वहां पर सैकड़ों लोग घायल हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय को भी जानकारी मिल गयी है। उन्होंने यहां कहा कि मैंने एस. पी. से सूचना मंगायी है। जब वह जानकारी मेरे पास आयेगी तब मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

आपको आज नहीं कल बोलने का अवसर दे दूंगा।

श्री यदुनार्थसिंह : अध्यक्ष महोदय, हजारों यात्री वहां पर हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है। सैकड़ों लोग घायल हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, सदन का समय ले रहे हैं।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति, जिसको उठा कर ले जाया गया है, मंत्री महोदय के विरोधी खेमे का है। मैंने खुद ने उसको पकड़ कर ले जाते हुए देखा है। अपनी आंखों से देखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। तथ्यों को सामने आने दीजिये।

श्री यदुनार्थसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम खुद आपके सामने तथ्य रख रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक मंत्री किसी आदमी को गायब कर दे इस से बड़ी बात आपके सामने क्या आयेगी ? यह लोग घायल हो गये हैं, उनके लिये व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री यदुनार्थसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर हजारों की संख्या में यात्री हैं। आप उनके लिये पानी की व्यवस्था कीजिये। बाहर से लोग आये हुए हैं, वह अपने यहां के बारे में क्या विचार ले कर जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आर्डर आर्डर।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, वहां की कन्डीशन खराब है, लोग यात्रा करने के लिये आये हुए हैं।

(व्यवधान)

(39)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा अनर्थ तो कभी नहीं हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिये। इससे तो मंत्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री रामकिशोर मीणा : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री रामकिशोर मीणा : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आर्डर आर्डर आर्डर।

श्री राम किशोर मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री यदुनाथसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, पहले मुझे कहने दीजिये। ज्यों ही यह सूचना मंत्री महोदय के पास आई उन्होंने सदन में कहा कि मैंने एस. पी. से जानकारी मंगायी है और फैक्ट्स आने पर सदन को सूचित कर दिया जायेगा। इतना आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। जब यह मामला सदन के सामने आ गया है और मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है फिर क्या बात रह जाती है?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

अनेक माननीय सदस्य × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त हों। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य घटना स्थल से आये हैं उनसे बात कर लें और माननीय सदस्यों को कोई शिकायत हो वह मंत्री महोदय को बता दें।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को पूर्व में ही सूचित कर दिया था कि 3 डी.एस.पी., 2 एडीशनल एस.पी.

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(40)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और मैं स्वयं भी मौके पर होकर आ रहा हूं। वह वहां पहुंच गये हैं। जब तक फैक्ट्स नहीं आ जायें, अध्यक्ष महोदय....

श्री यदुनाथ सिंह : हम फैक्ट्स बता रहे हैं। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि एक भी शब्द ××× नहीं कह रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा :....आम आदमी नहीं है....राज्य में मंत्री किस स्तर पर आदमियों के साथ व्यवहार करते हैं। मुख्य मंत्री जी जवाब दें इस चीज का। उनकी केबिनेट का मंत्री है, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

गिरफ्तार कर के बुलाया जाये चेतराम को, जो आम आदमी के साथ व्यवहार इस तरह से करता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय सदन के नेता का जो प्रत्युत्तर आयेगा उसके पहले सदन में वक्तव्य दे देंगे, सारे हालात को लेकर? इसका एश्योरेन्स दे दें। मामला इतना गम्भीर आ गया। दो तीन इश्यूज आ गये इसमें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि मैं कुछ समझ नहीं सका हूं। सदस्य समझ नहीं सके हैं कि किस्सा क्या है। एक-एक करके 5 मिनट में अपनी बात कह दें। मैं भी समझ लेता हूं। कौन कहेगा आपस में तय कर लें आप।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं बालाजी से जयपुर के लिए आ रहा था। बस्सी से आगे वन वे ट्रैफिक है। वहां पर, जयपुर से 22 किलोमीटर के ऊपर, आगे एक ठाकुर भोलासिंह की बस आ रही थी। वह उनकी कांस्टीट्यूएन्सी की बस है और ठाकुर भोलासिंह उनके अगेन्स्ट में पड़ते हैं जहां तक मुझे जानकारी मिली है....

एक माननीय सदस्य : किन के ?

श्री रामकिशोर मीणा :.. चेतराम जी के क्योंकि उनकी कांस्टीट्यूएन्सी के रहने वाले हैं। उन्होंने पीछे से हार्न दिया या नहीं दिया। वन वे ट्रैफिक था। ट्रैफिक को ज्यों ही साइड मिली तो आगे गाड़ी कर दी। मंत्री महोदय ने आगे गाड़ी रोकी और बाडी गार्ड के द्वारा बस के ड्राइवर के बाल पकड़ करके अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। उसके बाद में बस यात्री और आना चाहते

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामकिशोर मीणा)

थे और बाहर के विदेशी भी थे, 100 विदेशी यात्री थे जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे ...

श्री अध्यक्ष : उस बस में थे क्या 100 यात्री ? साइड में कर ली बस तो फिर रुकने का क्या कारण हुआ ?

श्री यदुनाथ सिंह : भोलासिंह की बस थी, यह कारण था, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : उस ड्राइवर को पकड़ कर ले आये और वह गाड़ी जहां खड़ी थी उसको वहां के वहां ही रोके रखा। इस तरह से बस लगी है और ड्राइवर से इस तरह से घुमाकर बस खड़ी कराई है। वहां वन वे ट्रैफिक पहले ही था, इस कारण से दूसरा ट्रैफिक जा नहीं सकता था। ड्राइवर को पकड़ कर के गाड़ी में लाये हैं....

श्री अध्यक्ष : यह स्वयं आपने देखा ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं, ड्राइवर को साइड में नहीं लेने की वजह से पकड़ा है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य को कहने दीजिए। जिस वक्त का आप कहते हैं उनके गनमेन ने ड्राइवर को बालों से पकड़ा उस समय आप उपस्थित थे क्या मौके पर ?

श्री रामकिशोर मीणा : मैं, अध्यक्ष महोदय, नहीं था लेकिन जो आर. एस. जी. 40 नम्बर के यात्री थे उनके सामने मुझे साथ-साथ पकड़ कर ले गये तब पता लगा कि यह एम. एल. ए. हैं तो मेरा घेराव किया और मुझे नजदीक के थाने में ले गये। थाने में जा कर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखवाओ। उन्होंने 15 मिनट तक हमारी रिपोर्ट नहीं ली....

श्री अध्यक्ष : वह अलग प्रश्न है। आपके रूबरू यह घटना हुई है क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से नदवई की बस आपके राज्य में चलती नहीं है। एक दिन जाती है और एक दिन नहीं जा पाती है।, बहरोड़ से मैं सुबह चला, सवा सात बजे और पौने नौ बजे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मंत्री महोदय की कार के आगे एक बस जा रही थी, उस बस को हार्न दिया या नहीं। सड़क बन रही है वह एक तरफ बहुत ऊंची हो गई है, वन वे ट्रैफिक है, वहां पर गिट्टी भी पड़ी है। यहां से 22 किलोमीटर दूर की बात है, अध्यक्ष महोदय। जब ड्राइवर ने देखा होगा तो बस साइड में की। साइड में करते ही कार को आगे रोका है, अध्यक्ष महोदय, कार को रोक कर ड्राइवर के बाल पकड़ कर गनमैन ने उतारा है और स्वयं मंत्री महोदय उसके बाल पकड़ कर घसीटते हुए कार में बैठाकर उसको वहां से ले आये। उसके बाद....

श्री अध्यक्ष : आप उस समय मौके पर थे ?

श्री यदुनाथ सिंह : मौके पर था। मैं पीछे की बस में था लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। जितनी देर घटना में लगी उतनी देर में दस पन्द्रह बस और ट्रक इधर की ओर दस पन्द्रह ट्रक उधर की खड़ी हो गई इस वक्त वहां पर तीन चार हजार बस और ट्रक और गाड़ी खड़ी हुई है। चक्का जाम है, कोई भी एक पत्ता इधर से उधर निकल नहीं सकता है। बड़ी मुश्किल से साइड में से थोड़ी सी दूर आये। वहां पुल टूटा हुआ है वहां से टेम्पो से यहां पहुंचा हूँ। उस बस में वहां से मरीज भी आ रहेथे जिनको अस्पताल लाया जा रहा था। उनका जीना दूभर है। वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे रो रहे है, बिलख रहे हैं। मैं मंत्री महोदय के ऊपर चार्ज लगाता हूं उनको बुलाकर सदन में बयान लिया जाये कि क्या कारण था? वहां बस से आने वालों का क्या हुआ? ठाकुर भोलासिंह का लड़का महेन्द्रसिंह बस को चला रहा था। उनकी राजनैतिक लड़ाई है इसीलिए उसको उठाकर ले गए। वह आदमी अभी तक गायब है। उस आदमी का ड्राइवर का अभी तक पता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मार दिया होगा उसको।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं ...

व्यवधान

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आज ही सरकार उस घटना की जानकारी लेकर सदन के समक्ष उत्तर देगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कब ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी के उत्तर के पश्चात्।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय एक निवेदन और है छोटा सा मैं स्वयं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। यह हालत हो रही है कि जब तक उस बस के ड्राइवर का पता नहींलगेगा कि वह कहां है, मिल नहीं जायेगा तब तक वहां पर ट्रैफिक को जाम करके रख सकते हैं। ट्रेफिक जाम है और जब तक एश्योरेंस नहीं दिया जाता तब तक मरीजों की हालत खराब हो रही है....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि ट्रैफिक जाम हैएक बस खड़ी है तो दस आदमी इधर उधर बस को हटा सकते हैं धक्का देकर। ट्रेफिक जाम कई दफा हो जाता है....

श्री यदुनाथसिंह : लोगों में आक्रोश है अध्यक्ष महोदय.......

(व्यवधान)

मंत्री महोदय इस तरह की घटना करके गये हैं इसीलिए जनता में आक्रोश है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने तथ्य आ जायेंगे। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय सदन के सामने तथ्य आयेंगे तब तक एक दो मरीज मरे मिलेंगे। उनकी हालत मैं देख कर आया हूं, अध्यक्ष महोदय। एम्बुलेन्स की व्यवस्था करें, अध्यक्ष महोदय।....

(व्यवधान)

....वहां पर मरीज जिस हालत में हैं वह मरेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त हो गया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज : स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था....

श्री रामकिशोर मीणा : वह ऐसी हालत में है कि वह मरेंगे। हम वहां पर देख कर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री रामकिशोर मीणा :....वहां पर मरीज मरेंगे। उनके घरवालों की व्यवस्था करो पानी की व्यवस्था कराइये,....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी किसी मंत्री को भेज दें। 2 घण्टे में वक्तव्य आ जायेगा....

श्री अध्यक्ष : सरकार के हाथ लम्बे हैं इसलिए आ जायेगा।

(व्यवधान)

स्थान प्रस्तावों पर व्यवस्था....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य

आर्डर प्लीज आर्डर, आर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था.

श्री रामकिशोर मीणा : यह हमारे राज्य के लिए कलंक है। हमारी जाति पर कलंक है कि मीणा जाति का मिनिस्टर बनाया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य

श्री रामकिशोर मीणा : वहां मर रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है उनकी हालत ऐसा है उनके घरवालों की क्या दशा होगी !....

व्यवधान

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था....

व्यवधान

आप सदन का कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

श्री रामकिशोर मीणा : मेडिकल

व्यवस्था करायें। यह × × × मंत्री है····

श्री अध्यक्ष ; कृपया स्थान ग्रहण करें।

व्यवधान

माननीय सदस्य, आवेश में नहीं आयें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीरामकिशोर मीणा : ....राजस्थान के लिए कलंक है....

श्रीअध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। ....कृपया स्थान ग्रहण करें।........

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

श्री राम किशोर मीणा : उनको जवाब देना चाहिये। यह××× नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह××कराते है···

श्री अध्यक्ष : सदन का समय ले रहे हैं। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

तथ्यों को सामने आने दीजिये। आपने एक घंटा ले लिया।

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना आश्वासन चाह रहे हैं मेडिकल ऐड उनको मिल जायेगी पानी उनको मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सब ऐड उनको मिल जायेगी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मेडिकल एड····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर···

श्री राम किशोर मीणा :··· यह गूंगी बहरी····

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा था ·· एक भी नहीं गया····।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : मेरे आने के पहले माननीय राज्य मंत्री जी ने आपको बहुत साफ बताया है कि वहां एस. डी. ओ पहुंच गये हैं और दो एडीशनल एस. पी पहुच गये हैं वह सारी व्यवस्था करेंगे

(व्यवधान)

मैं समझता हूं जो भी कोई घटना घटी है उसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था होनी चाहिये उस व्यवस्था को करने के लिये सारे अधिकारी वहां पहुंच गये हैं ऐसी क्या दिक्कत आ गई है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। अधिकारीगण वहां पहुच गये है जो भी व्यवस्था है वे करेंगे। आपको विश्वास रखना चाहिये····

(व्यवधान)

इतने जिम्मेदार लोग वहां पर गये हुए हैं, सारी व्यवस्था हो रही है····

श्री दाऊ दयाल जोशी : डाक्टर···· डाक्टर····

(व्यवधान)

श्री दूलाराम (रायसिहनगर) : पाइंट ऑफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से निवेदन करूंगा जब कभी विपक्ष के नेता बोलते है, हां पक्ष की बैंचों से कभी भी शोर नहीं मचाते हैं। जब हमारे सदन के नेता····

(व्यवधान)

आप बात सुन लीजिये यों क्या करते है····

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : आपको क्या अधिकार है····

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये कि जब इस सदन के नेता या विपक्ष के नेता बोलते हैं तो हमारी यह परम्परा रही हैं, इस सदन की परम्परा रही है कि उनको हमें चुपचाप सुनना चाहिये जो नये सदस्य हैं यह ××× है तो कोई बात नहीं लेकिन पुराने ××× है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ××× अन-पालियामेंट्री वर्ड है।

श्री दूलाराम : चतुर्वेदी साहब भी यह बोलते हैं····

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्यों बोल रहे हैं? आप टोकिये इनको ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि एक एक माननीय सदस्य यदि कोई बात कहें तो हम सुन सकेंगे। जहां तक पाइंट आफ आर्डर का प्रश्न है कि सदन के नेता और विपक्ष

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किये गये।

(46)

(श्री अध्यक्ष)

के नेता बोल रहे हों तब शांति रखें। यह व्यवस्था आप को करनी चाहिये, ऐसा माननीय सदस्य ने कहा है। मैं इस से भी आगे जाना चाहता हूं। कोई भी माननीय सदस्य यदि आसन की इजाजत से बोलें तो उसमें बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दूलाराम जी सबको एक नजर से देखते हैं ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वहां एडीशनल एस. पी. चले गये हैं और डी.आई.जी.एस पी. चले गये हैं ...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की शायद।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह कहा था कि मेरे आने से पूर्व माननीय रामकिशोर जी ने आपको यह सूचना दी थी कि इस घटना के बाद मैं जयपुर के एस. पी., दोनो एडीशनल एस. पी. व्यवस्था करने गये हैं। आप इतने चिन्तित हो रहे हैं। इतने जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर पहुंचे हैं, व्यवस्था कर रहे होंगे। हमें उन पर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन यह है। आपने कहा डाक्टर को भेज दो, एक मंत्री जी को भी भेज दो, शायद यह भी....

एक माननीय सदस्य : पानी की टंकी भी भेज दो....

श्री शिवचरण माथुर : सारा सदन वहां पर जाये, ऐसी दिक्कत क्या आ गई आखिर सारी व्यवस्थायें वहां पर हो रही हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, व्यवस्था कर रहे होंगे। उसमें इतनी चिन्ता की बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता इस बात की है कि आपने सारी व्यवस्था की बात कह दी, काम हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। माननीय सदस्य की शिकायत यह है जिस लड़के का अपहरण करके ले गये उस लड़के की रिकवरी के संबंध में आपने कोई व्यवस्था नहीं की। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। अब आप बतायें।

श्री शिवचरण माथुर : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। किसने अपहरण किया है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : आपको घटना का पता नहीं है। मंत्री ने अपहरण किया हैं उनको स्वयं को सदन में बुलाया जाये ...

श्री शिवचरण माथुर : इसमें जानकारी कर ली जायगी। यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लड़के की रिकवरी के संबध में कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री शिवचरण माथुर : सभी जानकारी

(श्री शिवचरण माथुर)

करने के लिए अभी राज्य के गृह मंत्री जी हैं और वह सब जानकारी कर रहे हैं आपको सारी स्थिति की इत्तला दे दी जायेगी ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दुःख तो यह है, राज्य के गृह मंत्री तो आप है। वे तो गृह राज्य मंत्री है।

श्री शिवचरण माथुर : एक ही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री राजबहादुर, गोपाल पचेरवाल, अनंगकुमार जैन, देवीसिंह भाटी वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान-सभा की ओर से पंचायती राज्य कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन करने के संबंध में,

(2) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में सफाई व रोशनी की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में,

(3) श्री गुलाबचंद कटारिया व श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधा सभा की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति, गोगुन्दा के मंत्री द्वारा फर्जी अंगूठे लगाकर ऋण की राशि उठा लेने और आदिवासियों से जबरन वसूलियाँ करने के संबंध में।

(4) श्री दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 30 जनवरी को ग्राम कनवास, तहसील सांगोद जिला कोटा में दो गुण्डों द्वारा सत्य नारायण कण्डक्टर की हत्या के संबंध में,

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 24-25 फरवरी की रात्रि को धौलपुर से 15 किलोमीटर दूर बिसनोदा ग्राम में पोस्टमास्टर राम निवास एवं उसकी पत्नी की हत्या के संबंध में,

(6) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट लाटरीज का 81 वां ड्रा 29 फ़रवरी, 1982 को खोला जायेगा, इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के संबंध में,

(7) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 1 फरवरी को मेड़ता सिटी में किसानों पर बराबर लाठी चार्ज किये जाने के विषय में,

(8) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान की ओर से राजस्व विभाग द्वारा समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक विज्ञप्ति के

(श्री अध्यक्ष)

विषय में, जिसमें कहा गया है कि मास्टर प्लान व अवाप्ति कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और इस प्रकार कानून का उल्लघंन करने के सम्बंध में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से डग विधान सभाई क्षेत्र के झीकड़िया ग्राम में पीने के पानी के अभाव के विषय में,

(2) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 22 फरवरी को उदयपुर के चेतक चौराहे पर विख्यात संगीतकार देवगन्धर्व की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने के संबंध में,

उक्त दोनों विषय स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री यदुनाथसिंह–प्रशिक्षित धात्री उप वैद्यों की नियुक्ति नहीं करने के सम्बन्ध में।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसी विषय से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि की सूचना दी थी। अतः मैं चाहूंगा कि इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से 1 मार्च, 82 को सदन में एक वक्तव्य दिया जाये।

(2) डा. उजला अरोड़ा : जन गणना कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में। इस विषय पर श्री राज्य सरकार द्वारा एक मार्च, 82 को सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(3) डा. उजला अरोड़ा : राज्य में विद्युत संकट। इस विषय पर भी अन्य माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा 2 मार्च, 1982 को सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(4) सर्व श्री मेघराज तावड़, त्रिलोक सिंह, यदुनाथ सिंह : गत 23 फरवरी को सीकर में कालेज के छात्रों पर कथित लाठी चार्ज। इस सम्बन्ध में सरकार ने सूचना दी है कि पुलिस द्वारा छात्रों को केवल तितर-बितर किया गया था और किसी प्रकार का बल प्रयोग अथवा लाठी चार्ज नहीं किया गया। अब छात्र आन्दोलन समाप्त हो गया है।

(5) श्री मोहन लाल मोदी : पंचायत समिति नीम का थाना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव में अनियमितताओं के सम्बन्ध में। सरकार से प्राप्त उत्तर से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्ताव में उठाये गये मुद्दे चुनाव याचिका के माध्यम से ही उठाये जा सकते हैं।

(6) श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री दाऊ दयाल जोशी : कोटा जिले के चेचट

(श्री अध्यक्ष)

थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार । सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और गिरफ्तार करके अन्वेषण जारी है ।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं । अब जिन माननीय सदस्यों के नाम मैं पुकारूं वह दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सीकर में लाठी चार्ज हुआ है....

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगित प्रश्न का उत्तर

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न आ गया है, माननीय सदस्या । बैठ जाइये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो हमारी प्रक्रिया की नियमावली है, उसमें जो रूल दिया गया है उसके अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं । कल माननीय मंत्री ने एक प्रश्न, जो 26 फरवरी का पहला प्रश्न मंत्रियों के यात्रा भत्ते से सम्बन्धित था, को स्थगित करने की मांग की थी और यह कहा था कि इस पर सूचना प्राप्त नहीं हुई इसलिये स्थगित करने की अनुमति दे दी जाय । उस पर आपने स्थगित करने की अनुमति दे दी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित कोई बात है । पूर्ण तथ्य उसमें नहीं होंगे । मैंने भी देखा है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यदि आप समझते हैं कि नियमों का हनन हुआ है तो आप भी किसी अन्य तरीके से उठायें, माननीय सदस्य ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने व्यवस्था का प्रश्न रखा था । तत्काल राज्य सरकार को जानकारी के लिये मेरा स्थगन प्रस्ताव भेजा है लेकिन मैं कहती हूं इसमें जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मैं वक्तव्य दिलवा रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा निवेदन है, कल अखबारों में आया है। अखबार से सीधी जानकारी मिल सकती है। आपने भी पढ़ा होगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं उसमें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उस पर माननीय मंत्री महोदय ने उसी दिन शाम को जानकारी देने के लिये बात कही थी। चार दिन हो गये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो यह बात कह रही थी, राज्य सरकार एक बिल ला रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या।

श्री यदुनाथसिंह : सीकर कालेज के छात्रों पर लाठी चार्ज।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, तारीख 23 जनवरी को सीकर के कालेज के विद्यार्थी, स्कूलों के विद्यार्थी किन्हीं दो विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के विरोध में एक शान्त जुलूस निकाल रहे थे, उस समय पुलिस ने निहत्थे विद्यार्थियों पर बर्बर लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज भी करीब दो फर्लांग तक पुलिस ने पीछा करते हुए किया। लाठी चार्ज केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं किया, जो रास्ते में आने जाने वाले थे उनको भी बुरी तरह से मारा, औरतों तक को मारा। वहां के अस्पताल में पुलिस ने घुसकर कम्पाउण्डरों को मारा और इधरउधर जाते हुए लोगों को मारा। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अस्पताल के पीछे ग्राउण्ड पर अन्तर्प्रान्तीय खेल हो रहा था जिसमें हिन्दुस्तान के फौज के कुछ खिलाड़ी थे, उन पर भी लाठी चार्ज किया। यही नहीं, वहां पर डाक्टर के. डी. का बंगला है, उस डाक्टर के. डी. के बंगले में घुसकर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनके टैक्निशियन श्री अरुण को लाठी मारी। 52 चोटें उसके आई हैं। 52 चोटों में अधिकांश उसके सिर पर आयी हैं। इतना बर्बर लाठी चार्ज होने के बावजूद यह उत्तर मिलता है कि लाठी चार्ज नहीं किया। हमने विद्यार्थियों को केवल तितर-बितर किया है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के मुख्य मंत्री को और इस सरकार के होम मिनिस्टर को कि तितर-बितर क्या ताली बजाकर किया? क्या ताली बजाकर किया? कैसे किया? शर्म आनी चाहिये इस सरकार को। ऐसी सरकार जो लोगों से वोट × × ×

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री त्रिलोक सिंह)

मांगती है वही सरकार उस जनता के मासूम बच्चों पर बेवजह खूनी लाठी चार्ज करे, कोई वजह नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं मांग करूंगा, लाठी चार्ज करने से सम्बन्धित व्यक्ति श्री बिशनसिंह को अविलम्ब बर्खास्त किया जाय। कलेक्टर, सीकर और उससे सम्बन्धित गवाहों को तलब किया जाय और सदन में वक्तव्य दिया जाय कि उनके खिलाफ क्या किया ? यह मैं मांग करूंगा कि जिसने लाठी चार्ज किया है, श्री बिशनसिंह को अविलम्ब बर्खास्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र झीकड़िया ग्राम में अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट्स के और गरीब तबके के लोग रहते हैं। उनके लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार समय-समय पर जिला कमेटी में भी इस बात को उठाया था और मैंने पूर्व के विधान सभा सत्र में भी इस समस्या को रखा था लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह सरकार केवल गरीबों की हिमायत की थोथी बात करती है, बेकार की बात करती है। अभी कुछ दिन पहले आपका स्टेटमेंट आया था कि राज्य के ऐसे क्षेत्रों को पानी देंगे, पीने के पानी की समस्या को दूर करेंगे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि झीकड़िया गांव में गरीब लोग तीन-तीन, चार-चार मील से पानी ढोकर लाते हैं, इसका अभी तक कोई निदान नहीं निकाला गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस गांव की ओर ले जाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र पानी की समस्या को दूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी, शिवरात्रि के दिन उदयपुर के महारावल ने राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, विख्यात संगीत साधक श्री देव गन्धर्व को उदयपुर में बुलाया था कि एकलिंग जी का जो मन्दिर है, उस मन्दिर में वह अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें, भगवान शिव की पूजा महान संगीत साधक के द्वारा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्री देव गन्धर्व 22 फरवरी की रात्रि को उदयपुर के चेतक चौराहे पर एकलिंग जी के मन्दिर की ओर जाने के लिये इन्तजार कर रहे थे उस समय उनके साथ और संगीत साधक और बड़े-बड़े अच्छे महान् अन्य साधक भी थे। दो पुलिस के सिपाही आये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह भी संगीत साधक को देखकर आये होंगे....

(52)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, तीन लोग और थे किन्तु आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस चौराहे पर सरे बाजार पुलिस के लोगों ने उनकी जम कर पिटाई की और विरोध करने वाले लोगों के लातें लगाईं। इन देव गन्धर्व को पुलिस थाने में ले गये, रात्रि को बन्द कर दिया, ठण्ड से मरने दिया गया। यह सारी सूचना मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को देना चाहता हूं। शायद राज्य सरकार वही पुनरावृत्ति करना चाहती हो। राजस्थान की पवित्र भूमि में महादेवी का अपमान हुआ है। पत्रकारों की पिटाई भरतपुर में हुई। साहित्यकारों, लेखकों और कवियों के साथ कौन सा व्यवहार राजस्थान सरकार कर रही है? आज सारी जगह क्रोध है, रोष व्याप्त है, कलाकारों में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से केवल इतनी बात नहीं है कि सिपाहियों ने जुल्म किया, वहां पर जो पुनर्वास अधिकारी हैं, वे जजमेन्ट तो करें कौन सा भद्र पुरुष है, कौन संदिग्ध व्यक्ति है। संदिग्ध व्यक्ति छूट रहे हैं, वह तो डाके डाल रहे हैं और जो इस प्रकार के भद्र पुरुष हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं उनके साथ मारवाड़ की भूमि में, माननीय सुखाड़िया जी की भूमि में चेतक चौराहे पर इस प्रकार का व्यवहार आपके पुलिसमैन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं, वह इस बात की ताईद करें और राजस्थान पर कलंक का धब्बा नहीं लगायें। राजस्थान में जहां आप हैं वहां हम भी हैं। राजस्थान की पवित्र भूमि पर इस प्रकार का धब्बा लगाना, इस प्रकार के कलाकारों का, साहित्यकारों का, लेखकों का, कवियों का, पत्रकारों का अपमान, किसी भी दृष्टि से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप बोल रहे थे, कुछ।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि नीम का थाना पंचायत समिति में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो चुनाव हुए वह गलत तरीके से हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इससे तो यह चुनाव नहीं कराते तो अच्छा था। राज्यपाल के अभिभाषण में चुनावों को लेकर एक वाहवाही लूटने की बात कही है लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो चुनाव हुए हैं, वह गलत ढंग से प्रजातन्त्र को समाप्त करने वाले हुए हैं। वह क्यों हुए हैं? उसका कारण यह है कि पहाड़िया जी की सरकार ने इन सहकारी समितियों पर यह धर्म सांड बैठा दिये। वह चाहते हैं कि हमारा कब्जा इन सहकारी समितियों पर रहे, इस तरह से कायम रहें। मैं यह बात बताना चाह रहा हूं कि नीम का थाना पंचायत समिति में महावा ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हुए। उसके अन्दर वहां के लघु कृषकों और कारीगरों के फार्म आये थे, उनको यह कह कर रिजेक्ट कर दिया कि इन पर पैड की स्याही का अंगूठा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह रिटन में लिखा हुआ है, फार्म्स रिजेक्शन में लिखा हुआ है'

(श्री मोहन लाल मोदी)

मंत्री महोदय इसकी जांच कर लें, पैड की स्याही का अंगूठा नहीं होने की वजह से उस को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लादीकावास में 500 मत पत्र पड़े, वहां चुनाव अधिकारी पहले मुरलीधर शर्मा नियुक्त किये गये। हमारे सहकारिता विभाग में जो बैंक के अध्यक्ष बनाये गये हैं जब उनकी दाल नहीं गलती दिखी तो उन्होंने रातों रात अधिकारी को चेंज कराया और राम कुमार सैनी को वहां नियुक्त कराया गया। उसने वहां पर 500 मतपत्र में से 149 वोट रिजेक्ट कर दिये। 500 वोट पड़े और 149 रिजेक्ट कर दिये। वह रिजेक्ट मत-पत्र भी उन सम्बन्धित उम्मीदवारों को नहीं

(12.53 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, पदासीन)

दिखाये। उन्होंने अपने आप आखिर किस तरह से मोहर लगायी है, क्या किया है, यह देखने का विषय है। मंत्री महोदय, यह चुनाव आपने सहकारी समितियों के व्यवस्थापक और चुनाव अधिकारी द्वारा कराये हैं, चुनाव अधिकारी आपके क्या हैं, कोई सोसायटी का बैंक मैनेजर है, कोई आपका इन्सपेक्टर है उन लोगों के जरिये आपने चुनाव कराये हैं। इन सारे चुनावों को रद्द कर के आपको चुनाव विभाग के द्वारा चुनाव कराने चाहिए। इसमें जितनी अनियमितताएं हुई हैं, उसकी आपको जांच करनी चाहिए। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा काम इससे चलेगा कि यह चुनाव सही ढंग से हों। सारे चुनाव दुबारा चुनाव विभाग के द्वारा कराये जायें। जब चुनाव कराये जायें जितने सहकारी समितियों के, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष आपने बनाये हैं, उन सभी अध्यक्षों को हटाकर के चुनाव करायें तब सही स्थिति में चुनाव हो सकेंगे। यह मेरा नम्र निवेदन है। आपने इन चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ी शाबाशी लूटने का काम किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि पंचायत समितियों के प्रधानों के, प्रमुखों के कई अर्से से चुनाव नहीं होने से उन चुनावों को सम्पन्न कराकर मुख्य मंत्री जी ने जो काम किया है, वह बड़ी बहादुरी का काम किया है लेकिन साथ-साथ सहकारी समितियों का भट्टा बैठा दिया है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और जगहों के चुनाव हों या नहीं लेकिन नीम का थाना में जितनी सहकारी समितियों के चुनाव हुए हैं, उनके दुबारा चुनाव करायें और चुनाव विभाग के जरिये से करायें। जितने सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, उनको हटा कर चुनाव करायें, यह मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य। वैसे इसमें बोलने की आवश्यकता तो है नहीं।

(54)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यही पर्याप्त है क्या ? पुलिस द्वारा बलात्कार हो, पुलिस का ए. एस. आई. उसमें इन्वाल्व हो, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं ? इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। उपाध्याय महोदय, बलात्कार के अनेक केस इस सदन में आये हैं पर ऐसे जघन्य अपराध जहां हुए हों, यह शायद मेरे ख्याल से पहला केस होगा कि जहां थाने का ए. एस. आई. किसी महिला को बुलाकर ले जाये और ए. एस. आई., हैड कासन्टेबल और 2 कान्सटेबल उस महिला के साथ रात में थाने में ले जाकर रेप करें। जब यह प्रश्न मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यहां रखा उसके बाद आपके गृह राज्य मंत्री ने जानकारी के लिए कोटा भेजा। 19 तारीख की घटना है और 25 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया है इन छः दिनों के बीच में क्या हुआ ? यदि साधारण घटना कोई होती है तो एफ. आई. आर. दर्ज करके तुरन्त गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाती है लेकिन चूंकि यह अपराध ए. एस. आई. और हैड कान्सटेबल ने किया था इसीलिए मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बाद यह कार्यवाही हुई है। उनको गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और भी शिकायत है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह प्रश्न मैंने यहां स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रखा। 6 दिन बाद आज सरकार जवाब देने की स्थिति में आ रही है। हमारे क्षेत्र के लोग पूछते हैं कि आप लोग वहां जाकर बैठते हैं, कैसे हमारी समस्या को वहां रखते हैं या नहीं रखते हैं मुझे यह कहते हुए दुःख होता है उपाध्यक्ष महोदय, सदन में उत्तर आज आया है, आपके माध्यम से दिया गया है और अखबारों में आज सुबह छप गया है। यह समाचार गृह राज्य मंत्री द्वारा दिया गया है कि सम्बन्धित लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा प्रश्न पूछने का मतलब क्या है ? जो प्रश्न हम यहां स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रखते हैं, उसका क्या महत्व रह जाता है ? 6 दिन में 10 दिन में और कभी कभी तो 20-20 दिन में स्थगन प्रस्ताव का उत्तर आता है। यह स्थगन प्रस्ताव का एक मखौल है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह खेचड़ की घटना नहीं है कि जहां पुलिस के अफसर महिला को बुलाकर बलात्कार करें, मांडल थाने में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। वहां उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर उसकी 20 दिन में रिपोर्ट लिखी गयी और परसों अदालत ने पुलिस हैड कान्सटेबल की जमानत रिजेक्ट कर दी। माननीय मुख्य मन्त्री जी और गृह राज्य मन्त्री मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह काम पुलिस के जिम्मे है ? कोटा के बारे खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि खेचड़ के चारों को गिरफ्तार कर लिया मांडल के हैड कान्सटेबल का क्या हुआ और

(श्रीरघुवीरसिंह कौशल))

यह एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक गुण्डागर्दी होती जा रही है। आर. ए. सी. के जवानों ने एक भील महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसके घरवालों ने प्रतिरोध किया तो उनको गोली मार दी गयी और एक आदमी ने बारां के अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह आज के अखबार में है, यह दूसरी घटना है। क्या बलात्कार के लिए थाने में आर. ए. सी. के जवानों ने, हैड कांस्टेबल ने प्रयत्न किया है? क्या आप इस ओर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप थाने के थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जिसकी मौजूदगी में यह कार्यवाही हुई है? अब साधारण आदमी को क्या कह कर यह कहा जायेगा कि बलात्कार नहीं करें जब रक्षक लोग, पुलिस के अधिकारी महिलाओं को थाने में बुलाकर एक नहीं 4-4 लोग बलात्कार करते हैं। इससे जघन्य अपराध कोई हो सकता हो तो बताया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही थी मैं आज गृह राज्य मन्त्री के सामने कहना चाहता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव की इम्पोर्टेन्स उन्होंने इतनी समझी कि अखबारों में पहले पेश कर दिया, समाचार पत्रों में पहले आ गया और असेम्बली में बाद में आया। इसका क्या मतलब यह है? हमारे क्षेत्र के लोग पूछते हैं कि असेम्बली में क्या करते हैं? यह अब गृह राज्य मन्त्री कि कृपा हो गई कि उत्तर जब देंगें पहले अखबारों को देंगे, बाद में असेम्बली को देगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा अपराध है जिसमें सख्ती बरती जानी चाहिए भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो, बलात्कार के केस नहीं हों, इसके कुछ उपाय सोचने चाहिए। इसको गम्भीरता से लेना होगा। जैसा आप जवाब मस्ती से देते हैं ये मामले इतने लाइटली लेने के नहीं हैं। आप पर मेरा चार्ज है, आपने पत्रकारों को पहले दिया सदन को छोड़कर आपने यह क्यों किया? यह बताने के लिए कि यह मैंने असेम्बली के लिए नहीं किया है, मैंने अपनी तरफ से किया है? अगर आपने इनीशियेटिव लिया होता तो यह प्रश्न मैंने 20 तारीख को रखा था, आपने 21 तारीख को गिरफ्तार किया होता। 25 तारीख को गिरफ्तार क्यों किया? केवल इसीलिए कि पुलिस के अफसर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनको शील्ड किया जाता है, उनको बचाया जाता है। मैं 25 तारीख को कोटा में था। मैंने एस. पी. महोदय को टेलीफोन कर के पूछा तो मुझे बताया गया कि अभी अन्वेषण बाकी है। यह जवाब दिया जाता है। इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यल से निवेदन करना चाहता हूं कि ये गम्भीर मसले हैं, इनको गम्भीरता से लेना चाहिए। दषियों के साथ सख्ती से कार्यवाही की जावे, यह मेरी मांग है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा भी नाम है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री यातायात) : बलात्कार करने में नाम है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में बलात्कारों पर यहां चर्चा हुई थी। पिछले सत्र में बलात्कार को लेकर कहीं गली में, कूचे में, खेतों में, खलिहानों में, अंधेरों में बलात्कार की घटनाएं हुई थीं लेकिन यह पहली बार है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह उचित समझता हूं कि जब माननीय सदस्य दो तीन चार मिलकर कोई सवाल करें तो एक बोले तो पर्याप्त होगा। यह परम्परा मैं आयन्दा से लागू करूंगा।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज तक हमने इस प्रकार की घटनाएं सुनी गली कूचों में, अंधेरों में घटनाएं होती हैं, यह तो सुनी थी लेकिन यह पहली बार इस विधान सभा में सुन रहे हैं कि तीन-तीन घटनायें कोटा क्षेत्र के थानों के अन्दर हुई, यह पहली बार सुन रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि जो थाने एक प्रकार से रक्षक-स्थान है, रक्षा के स्थान हैं उन स्थानों पर अगर बलात्कार होने लगे तो अपने राजस्थान का क्या होगा ? श्रीमान् माथुर साहब के राज में बलात्कार हों, मां बहनों की इज्जत थानों में लुटे इससे ज्यादा लज्जा की बात नहीं हो सकती। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच करवायें। कल ही मध्य प्रदेश विधान सभा के अन्दर जानकारी दी गई जिससे मध्य प्रदेश का सिर शर्म से झुक गया। हर आठ घण्टे बाद एक बलात्कार की घटना घटित होती है। हर आठ घण्टे बाद। हर बारह घण्टे में एक औरत खुदकशी करती है और हर तीसरे दिन एक औरत की हत्या कर दी जाती है।....

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आप पूछें तो काहे के लिए है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा काम है।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)
आर्डर प्लीज आर्डर आर्डर ।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्य कोई भी एक घटना को लेकर आ जाते हैं और यहां पर × × × कर देते हैं । कभी एक बलात्कार का पाइन्ट उठाते हैं कभी दूसरा, क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये आर्डर प्लीज आसन पैरों पर है माननीय सदस्य ।

श्री चतुर्भुज : ....यह सरकार के ऊपर × × आरोप है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि हर आधे घण्टे बाद एक औरत के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है, हर बारह घण्टे में....

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान की बात कहिये । मध्य प्रदेश की बात नहीं करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हर बारह घण्टे में एक औरत खुदकशी करती है और हर तीसरे दिन दहेज के नाम पर हत्या होती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का सर्वे कराया जावे कि मध्य प्रदेश ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है नारी का जो अपमान हो रहा है, मेरी राजस्थान की नारी का अपमान धौलपुर के बाजार में हो रहा है, राजाखेड़ा क्षेत्र में हो रहा है, राजस्थान की नारी आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक रही है, मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान की नारी आज अरब के बाजार में बिक रही है तो, राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय, इससे बड़ी लज्जा की बात नहीं हो सकती । आप बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं और वहां सुरक्षा के लिए नारी अपनी बात कहने जाती है तो वहां नारी की इज्जत लूट ली जाती है, थानों में । इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जो कीर्तिमान मध्य प्रदेश ने स्थापित किया वह कीर्तिमान राजस्थान में स्थापित नहीं हो । इण्डियन एक्सप्रेस ने राजस्थान का नाम उजागर कर दिया इण्डियन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश पर × × × मेरी नारी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, सती सावित्री........

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : आपकी पत्नी ?

× × × अभिव्यक्ति एवं शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप-लोपित किया गया ।

श्री बाऊदयाल जोशी : हां मेरी पत्नी भी अरबों के बाजार में बिक रही है, अपनी इज्जत लुटा रही है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, यहाँ पर बहुत से कानून लेकर आये हैं. ऐसा भी कानून लेकर आयें जिससे कि राजस्थान की नारी की रक्षा हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह थानों में जो नारी के साथ बलात्कार हो रहे हैं उसके बारे में श्रीमान् मंत्रीजी बयान दें। आज नारियों का अपमान हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

माननीय चतुर्वेदीजी।

नियम 295 के तहत उठाया गया प्रश्न

शेरगढ़ तहसील के ग्राम नाथाराव में दो व्यक्तियों की भूख से एवं एक व्यक्ति की इलाज के अभाव में मृत्यु

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No talk please

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह कानून का विषय है, मुख्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर वे सब प्रकार जानकारी करें और ठीक प्रकार से स्थिति सदन के समक्ष रखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की चर्चा पिछले चार पांच दिनों से लगातार यहां हो रही है। एक तरफ अकाल के नाम पर भीलवाड़ा जिले में अधिक राहत कार्य खोलने की चर्चा कल हुई तो दूसरी तरफ राजस्थान के दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ अकाल में कार्य नहीं खोलने के कारण बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील से मुख्य सचेतक महोदय आते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज से लगभग दस दिन पूर्व शेरगढ़ तहसील में, जहां अकाल का भयंकर प्रभाव है, अकाल राहत कार्यों का अभाव है, नाथाराव गांव में, जहां ग्रामवासियों को दस किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता है, भुखमरी के कारण अनुसूचित जाति और जन जाति के दो भाई खेड़ाराम जिसकी उम्र 39 साल है और हमीराराम जिसकी उम्र चालीस साल है, भूख से तड़फ तड़फ कर मर गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब इस बात की जानकारी राज्य सरकार को दी गई, जिलाधीश महोदय को दी गई और तहसीलदार महोदय को उस स्थान पर इन तथ्यों के आधार पर जानकारी करने के लिए भेजा गया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब शेरगढ़ के तहसीलदार ने....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल 295 में आपने अलाउ किया है?

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ किया हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिना अनुमति के नहीं बोलता हूं। मेरी आदत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब तहसीलदार महोदय उस गांव में जो लोग भूख के कारण दिवंगत हो गये थे उनके निवास स्थान पर पहुंचे तो पता लगा कि दो व्यक्ति जो मर गये है, उनके घर में बच्चों के खाने के लिये अनाज का दाना नहीं है। मृतक लोगों के बच्चों से पूछा उन्होंने, तो उन्हें जानकारी दी गई कि उन्होंने एक दिन पहले खाना खाया था। तहसीलदार ने उनके भोजन की व्यवस्था की। उनको दस रुपये अपनी जेब से निकाल कर दिये। वे सर्दी से तड़पते रहे थे इस कारण उन्होंने अपना स्वेटर उतार कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, दो आदमी भूख से मर जायें यह राजस्थान के मुख्य मंत्री के × × × है, कलक हैं और राजस्थान पर कलंक है।

इतना ही नही उस गांव में एक और व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है। उसको मेडिकल सहायता नहीं पहुंची। उसका नाम है श्री तेजाराम मेघवाल। वह टी. बी. के मरीज थे। उनके पास पैसे की कमी थी। वह इलाज करवाना चाहते थे किन्तु इलाज गांव में नहीं मिला। जिस समय उनकी हालत खराब हुई उनकी दवाएं क्रय करने की शक्ति नहीं थी। वह व्यक्ति इलाज के अभाव में मर गया। यह तीनों घटनाएं हुई हैं। राजस्थान के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने आज इस प्रकार की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है।

जैसे चर्चा हो रही है चार पांच दिन से अकाल ग्रस्त लोगों के लिये काम खोलने की मांग की जा रही है। उनको मजदूरी दी जाये इस बात की चर्चा हो रही है किन्तु लोगों को मजदूरी नही मिल रही है। मुख्य सचेतक महोदय उस क्षेत्र से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री के क्षेत्र में, मुख्य सचेतक के क्षेत्र में इतना धनाभाव क्यों हो रहा है? इस प्रकार की चर्चा की स्थिति क्यों बन रही है? क्या भविष्य में दीवारों पर लिखे जाने वाले शब्द तो यह नहीं है। पूत के पांव आज पालने में दिखने शुरू हो गये। एक दो दिन के बाद सुनने का मौका मिलेगा कि अब मुख्य सचेतक महोदय मुख्य सचेतक नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूं, स्थान स्थान पर यह स्थिति बनती चली जा रही है अकाल राहत कार्य नहीं खोलने के कारण माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात को गंभीरता से लें। जो लोग भूख से मरे हैं कहने को कह दिया जाएगा पूरा खाना नहीं

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मिला। कहने को कह दिया जाएगा मेडिकल सहायता नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं, राज्य सरकार से निवेदन करता हूं अकाल राहत मंत्री नहीं है, उन से निवेदन करना चाहता हूं वह आपका इलाका है। लोग तड़प रहे हैं बाड़मेर में, लोग तड़प रहे हैं जैसलमेर में, लोग जोधपुर में तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं चारों तरफ। पशु छोड़े जा रहे हैं। तिलक लगाकर वह निकाल दिये जा रहे हैं। उनको पाकिस्तान की ओर निकाल दिया जा रहा है। फिर भी चारे की व्यवस्था नहीं हो रही है। इस भुखमरी का दृश्य, भूख से मरने वालों का दृश्य, मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री तक पहुंचे। जब वह जवाब दें तब स्थिति स्पष्ट करें। इससे काम नहीं चलेगा कि यह कह दिया जाय मेडिकल सहायता नहीं मिली इसलिये मर गये, भूख से नहीं मरे हैं। यह कोई तर्क नहीं है, यह कोई बात नहीं है। भूख से मरे हैं, यह मेरा आरोप है। मुख्य मंत्री उत्तर देते समय इस बात का जवाब दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाला यह सवाल है। यदि आप दो मिनट दें तो मैं निवेदन कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय विरोधी दल के उप नेता महोदय ने जिस गांव के लिए प्रस्ताव रखा है वह गांव मेरे चुनाव क्षेत्र शेरगढ़ में है। आपने कहा कि वहां दस किलोमीटर से पानी लाते हैं। उस गांव में जल योजना है, बिजली है, ट्यूब वैल खुदे हुए हैं और पानी बराबर लोगों को मिल रहा है। इसलिए आप स्वयं पधार कर, माननीय नेता जी को साथ ले जाकर देख आवें। मैं गलत बोलूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है।

दूसरा प्रश्न उन्होने कहा, कोई अकाल राहत कार्य शुरू नहीं होने के फलस्वरूप तीन लोग मर गये। इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि उस गांव के अन्दर पिछले दो महीने से एक सड़क चौमूं से पीलवा वाया मालगढ़ का काम खुला हुआ है। उस गांव में एक कैम्प खोला था, जब मैं आया था उस दिन साढ़े तीन सौ मजदूर काम कर रहे थे। अब कुछ मजदूर और बढ़े ही होंगे। यदि ये मजदूर कार्य करते होते तो भूखें रहने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। यह निश्चित है जो भूखा है, वह मजदूरी पर अवश्य जायगा। वास्तव में यह भूख से मरे या नहीं, इसका जवाब फेमिन मिनिस्टर देंगे क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि उनको मजदूरी पर नहीं लगाया गया या भूख से मरे हैं। किन्तु मेरी मान्यता निश्चित है कि जिस गांव में कैम्प खुला हो मजदूरी मिल रही हो, लोगों को मजदूरी पर लगाया जाता हो, वहां पर भूख से लोग मर जायें यह समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं खास तौर से निवेदन करूंगा, ऐसा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

××आरोप लगाकर ×× बात कहकर गुमराह करने का प्रयत्न क्यों करते हो? आखिर जिस इलाके को तीन साल से रिप्रेजेन्ट करता आ रहा हूं, उसके सम्बन्ध में पूछने वाली बात नहीं है, उसके लिए आप कष्ट न करें और उन लोगों के लिये इतनी सहानुभूति प्रकट न करें। इतनी अभी मेरे में कमजोरी नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक तो ××शब्द का प्रयोग किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिजली की जो व्यवस्था है, जिस ट्यूब वैल की चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ, वहां से आने वाले माननीय सदस्य जानकारी कर लें, बिजली की क्या व्यवस्था है, कार्य कैसा चल रहा है। पानी कैसे निकालते हैं ट्यूब वैल से। मैं चाहता हूं, राज्य मंत्री गृह, मुख्य मंत्री, अकाल राहत मंत्री जानकारी कर लें फिर निश्चित जानकारी दें। मुझे अधिकृत जानकारी है, जो बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और उसके आधार पर सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की स्थिति न बने यह स्थिति और आगे न पहुंच जाये। यह स्थिति बढ़ रही है। यह सही है यह घटना हुई है। जोधपुर जिले में लोगों ने वहां पर कलेक्टर की विज्ञप्ति पर अपने पशु भेज दिये क्योंकि चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। सैकड़ों पशुओं को तिलक लगा लोगों ने छोड़ दिया कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो चले जाओ, वह मरने के लिये चले गये, कटने के लिये पाकिस्तान चले गये। यह व्यवस्था हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काम खोलें तो आप नाराज, नहीं खोलें तो फिर आप हम पर यह चार्ज लगाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): आपने सूचना नहीं दी थी कि इस तरह बोलना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आपके ध्यान में आ गई सारी बात।

श्री उपाध्यक्ष : प्रद्युम्न सिंह।

(व्यवधान)

सूचना

श्री चेतराम मीणा राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण द्वारा बस नं. आर. एस. जी. 40 के ड्राइवर का अपहरण

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय चेतराम जी आ गये, उपाध्यक्ष महोदय, और गृह मंत्रीजी ने सूचना इकट्ठी कर ली है। मैं चाहता हूं कि वह उसका जवाब दें वरना फिर गायब हो जायेंगे।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है।

श्री यदुनाथ सिंह : व्यवस्था दे दी है। पकड़कर ले गये, उसका अभी तक पता नहीं है। गृह मंत्री के कानों में बात आ चुकी है। गृह मंत्रीजी के ऊपर चार्ज लगाया गया है। वह यहां पर विराजमान हैं। फिर गायब हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : कोई गायब नहीं होगा। आप चिंता मत करिये। हमें सब बातें मालूम पड़ गई हैं। आप चिंता मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने नहीं दी। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। उन्होंने कहा, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था के बाद आप....

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई अनुमति नहीं दी गई है, आप तशरीफ रखिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप प्रोसिडिंग्स देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आप बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले उस पर बयान दिलवा दें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : वह मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद बयान देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : खुद मंत्री महोदय आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1980-81 के लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोभाराम, सभापति, जन लेखा समिति।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति, 1980-81 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) विनियोग लेखे 1975-76 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1975-76 के लिये नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट वन और सार्वजनिक निर्माण विभाग विषयक मामलों पर समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(3) वर्ष 1975-76 के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कृषि, पशुपालन और योजना विभाग विषयक मामलों पर समिति का पांचवां प्रतिवेदन।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान शारीर विधेयक, 1981

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा, राजस्थान शरीर विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, प्रवर समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिव चरण माथुर, प्रभारी मंत्री, राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री शिव चरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शिव चरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री रेवतराम चौधरी को 20 फरवरी से 3 मार्च, 1982 तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रेवतराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण 20 फरवरी से 3 मार्च, 1982 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चेतराम मीणा, राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण द्वारा बस नं. आर. एस. जी. 40 के ड्राइवर का अपहरण

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चेतराम जी आ गये हैं उनसे जवाब दिलावें।

(व्यवधान)

इसका बहुत अहम सवाल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

पहले मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के जिम्मेदार व्यक्तियों की यह हालत है। इस प्रकार से अपहरण कर के चले जाते हैं और उत्तर नहीं दिया जाता।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद जो कुछ कहना होगा, कह देंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : पहले ही बता दें। आप नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही ढंग से चले। पहले ही जो उत्तर देना हो, कह दें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसका उत्तर दिलावें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी। विरोधी पक्ष के माननीय नेता के सामने व्यवस्था दी थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी के उत्तर देने के उपरान्त तथ्यों से आपको अवगत करा

65

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दिया जायेगा, यह व्यवस्था दी थी या नहीं दी थी ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उस वक्त स्थिति यह थी कि श्री चेतराम जी यहां मौजूद नहीं थे । अब चेतराम जी आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर मुंह करके कहिये । उधर नहीं ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है जवाब मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको खयाल नहीं है नियमों का । स्थान ग्रहण कीजिये । अंकित न किया जाय ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : जो एक व्यवस्था दी गई है, मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद आपको जवाब दिलाया जायेगा । थोड़ी देर धैर्य रखिये । आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । अंकित न किया जाय ।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, मैं उस पर कायम रहने को बाध्य हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य । अंकित न किया जाय ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप इत्मीनान रखिये, माननीय मंत्री महोदय आ गये हैं तो कोई जुल्म नहीं हुआ । उनका हक है सदन में आने का ।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की ओर से उत्तर दिलाया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : पहले दिलवाइये। नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। जब तक उत्तर नहीं देंगे, कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। आर्डर प्लीज। अंकित न किया जाय।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले जवाब क्यों नहीं दिलाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद में उनका जवाब होगा।

(व्यवधान)

अंकित नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : X X X

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद ही इसके ऊपर कोई वक्तव्य दिया जाएगा।

(व्यवधान)

मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को, जैसा कि मुझे सदन के अन्दर सूचना मिली थी, मौके पर भेजा था और मुझे थोड़ी देर पहले ही जानकारी मिली है कि ट्रैफिक क्लियर हो चुका है, आवागमन नार्मल है।

माननीय चेतराम जी से जानकारी प्राप्त की है, जब वह सदन में आ गये तो मैंने उन से पूछा क्या मामला था, क्या मामला हुआ ? मुझे माननीय चेतराम जी ने बताया, वह इस प्रकार है कि यह बस्सी से आगे जब निकल रहे थे, वहां पर एक सड़क का निर्माण हो रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास ट्रैफिक पुलिस की इत्तला आ गई है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं फर्स्ट हैण्ड इन्फार्मेशन दे रहा हूं, श्रीमन्, जो मेरे पास उपलब्ध है। चूंकि माननीय सदस्य इस मामले में काफी चिन्तित और उत्तेजित हैं, इसलिये जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वह आपके माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं।

(व्यवधान)

बस्सी के पास जहां सड़क का निर्माण हो रहा था वहां एक गाड़ी और इनके आगे थी। वहां इन्होंने साइड लेने की कोशिश की तो बस वाले ने इस गाड़ी को साइड नहीं दी। वह बराबर हार्न दे रहे थे। एक गाड़ी और इनके आगे थी। यह सोच कर के किसी मंत्री की गाड़ी है, उस गाड़ी को आगे निकल जाने दिया, शायद बस वाला इनको रास्ता दे देगा। श्रीमान्, मुझे मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों के सामने बताया है, काफी सदस्य बैठे हुए थे, विपक्ष के सदस्य बैठे थे। उस गाड़ी के ड्राइवर ने जान बूझकर, डेलीब्रेटली बस के बैंक से जब यह ओवर टेक कर रहे थे, तीन दफा टक्कर मारने की कोशिश की ...

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये, यदुनाथ सिंह जी, आपके संग भी यह हो सकता है, मेरे संग भी हो सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपके, मेरे, सब के साथ हो सकता है। यह आपका, मेरा सबका अनुभव है। रास्ता न दें, यह बात तो समझ में आती है। रास्ता न दें न सही, लेकिन जान-बूझकर गाड़ी को तीन दफा बैंक से टक्कर मारने की कोशिश की। गाड़ी उलट जाती तो क्या होता? माननीय सदस्य एक मंत्री हैं। मैं सही कह रहा.हूं....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह मनगढ़न्त बात कही जा रही है। यह मंत्री को बचाने के लिये कहा जा रहा है। इतने लोग वहां पर थे क्या वह सब लोग मूर्ख थे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों से निवेदन कर रहा हूं, इस बात पर विश्वास करें। इसके अलावा, जिस आदमी ने तीन दफा बैंक से टक्कर मारने की कोशिश की....

(व्यवधान)

कई दफा हमको भी रास्ता नहीं देते हैं। ठीक है, रास्ता न दें लेकिन डेलिब्रेटली शैतानी कोई ड्राइवर करे। फिर इन्होंने ओवर टेक किया। अल्टीमेटली रास्ता मिला। इसमें सक्सेज हुए हैं। गाड़ी आगे जाकर इन्होंने रोक ली और इनके गनमैन ने उस ड्राइवर को पकड़ा और पकड़ कर ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया। माननीय सदस्य, श्री रामकिशोर मीणा ने जो बात कही, अध्यक्ष महोदय ने उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वहां पर केवल ट्रैफिक रुक गया था।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो वायरलैस उन्होंने दिया है उस वायरलैस की कॉपी विपक्ष के नेता महोदय को भी मिली है। माननीय यदुनाथ सिंहजी ने इस बात को स्वीकार किया है....

श्री उपाध्यक्ष : वायरलैस किसने दिया था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह रामकिशोर मीणा ने दिया है।

(व्यवधान)

माननीय यदुनाथ सिंह भाषण कर रहे थे, अगर सिर्फ आलोचना की खातिर आलोचना करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यह किसी के संग घटना होए तो रोष आना स्वाभाविक है। इस तरह किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह ऐसी हरकत करे। मैंने तथ्य लेने भेज दिये हैं। ट्रैफिक क्लीयर हो चुका है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ बताया है उसके आधार पर पुलिस को भेजा है। यहां पर यह भी कह दिया कि उसके विरोधी थे इसलिये उसको पकड़ा, उसका अपहरण कर जान से मारने की कोशिश की। यह नहीं है बल्कि उसको ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको कहता हूं....

(व्यवधान)

यहां पर आकर उनके गनमैन ने ड्राइवर से लाइसैन्स मांगा। मैं यह मान कर चलता हूं कि कई दफा ड्राइवर लोग लाइसैन्स नहीं रखते हैं। हम लोग जब कभी गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास भी लाइसेन्स नहीं रहता है। स्कूटर चलाते हैं तो लाइसेन्स नहीं रखते हैं। यह व्यवहार के अन्दर कई दफा हो जाता है, घर पर भूल जाते हैं ऐसा देखने में आता है। उसको बाद में प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह जो कुछ उन्होंने कहा है वह सब के सामने, 10-20 विपक्ष के सदस्य भी मौजूद थे, कहा है। इसलिये आपको विश्वास करना चाहिये। मगर राजनैतिक भावना से कोई बात कही जाय तो यह गलत है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप बचा रहे हैं। आप कतई गलत बयानी कर रहे हैं।

(व्यवधान

बस को छोड़ कर ड्राइवर को यहां पर क्यों ले आये ? वह ड्राइवर कहां पर है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह • × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

(व्यवधान)

Please sit down.

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष)

मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने माननीय चेतराम जी की इन्फार्मेशन पर बयान दिया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, क्या पुलिस अधिकारियों को आपके पास सूचना प्राप्त हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं। ऐसी स्थिति में मैं यह मुनासिब समझता हूं, माननीय प्रभारी मंत्री जी, जिनके पास होम डिपार्टमेन्ट का पोर्टफोलियो है वह पुलिस अधिकारियों से पूरी सूचना मंगवा कर उसके बाद यहां बयान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कितना टाइम चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व मैं बयान दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य : चेतराम जी का बयान तो होने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह इन्होंने बयान कर दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय ने कह तो दिया....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, चेतराम जी का बयान करवाइये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 23 फरवरी को जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री हीरालाल जी देवपुरा ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस वाद विवाद में इन पिछले चार दिनों में 33 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और हमारे दल के अधिकांश सदस्यों ने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये और अपने विचार प्रस्तुत किये। मैं उम्मीद करता था कि इसी प्रकार का रचनात्मक रोल यदि विरोधी पक्ष का भी होता तो हमें कुछ गाइडेंस मिलता, लेकिन विडम्बना है इस मुल्क की कि हमारे देश का विरोधी पक्ष सिवाय विरोध के और कुछ करता नहीं है। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा में यदि यह परम्परा डालने की कोशिश करें कि सरकार की जो कुछ अच्छी बातें हैं उनका विरोध भी रचनात्मक ढंग से करें और जो नीति संबन्धी बातें पसन्द नहीं हों उनका उसी प्रकार से विरोध करें।

(1.39 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, पदासीन)

मैं उम्मीद करता हूं कि यदि इस प्रकार की परम्परायें, देश की बात मैं नहीं कहता लेकिन यदि हमारी विधान सभा में डाली जायेंगी तो विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य जितना समय विरोध का

(श्री शिवचरण माथुर)

पक्ष लेकर इस सदन में लेते हैं, उससे बहुत कम समय का यदि उपयोग करें तो भी सरकार ज्यादा जागरुक रहेगी। यह मेरा सुझाव है, उसका असर कितना आप पर होगा यह नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि ऐसी परम्परायें डालनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी मौका मिला था।

श्री शिवचरण माथुर : हमने इस तरह से नहीं किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जो पास में बैठे हैं इन्होंने किया था।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये कहते हैं कि हम लोगों को विरोध करना नहीं आता और आपको राज करना नहीं आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चलो आपने तो अपनी असफलता स्वीकार कर ही ली।

एक माननीय सदस्य : विरोध करने की असफलता स्वीकार कर ली है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आपका भाषण कल एक घंटा और 35 मिनट बहुत शांति से सुना है और हर पाइन्ट को अपने हाथों से नोट किया है। मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि वह भी मेरी बात को उसी भावना से सुनने की चेष्टा करें।

आपने यह कहा कि भाषण बहुत नीरस था, उसमें कोई मुद्दा नहीं था जो कि राजस्थान को आगे ले जाने वाला हो, उसमें कोई उपलब्धियों का जिक्र नहीं था। मैं यह मानता हूं कि यह भाषण जितने रेप्ट अटेंशन से इस सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा सुना गया वह इस बात का प्रतीक है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया गया था। करीब 40 मुद्दे हैं जो कि अभिभाषण में उठाये गये थे जिनमें राजस्थान के सामने जो समस्यायें हैं उनका जिक्र भी किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पर उनका हल नहीं आया है।

श्री शिवचरण माथुर : आ जायेगा।

राजस्थान के सामने क्या दिक्कतें हैं, उनकी चर्चा की गई और राजस्थान की सरकार ने पिछले दिनों में जो कुछ किया उन प्रयत्नों का जिक्र भी किया गया है।

आप जानते हैं, इस सदन की यह परम्परा रही है कि बहुत सी बातें जो गवर्नर साहब के, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं होती हैं उन बातों को कुछ दिनों के बाद जब, बजट भाषण दिया जाता है उस समय कहा जाता है। मूलतः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले वर्ष में सरकार की जो कुछ उपलब्धियां रही हैं, उनका व्यापक रूप से

(श्री शिवचरण माथुर)

जिक्र होता है और मैं समझता हूं कि उस रूप में यह भाषण सम्पूर्ण माना जा सकता है और सार गर्भित माना जा सकता है। जिस ढंग से उस भाषण को पढ़ा गया उसकी सब जगह प्रशंसा की गई है। पहले यह भी हुआ कि कुछ शब्द पढ़ने के बाद यह कहा जाता था कि इसे पढ़ा मान लिया जाय लेकिन कोई सवा घंटे तक लगातार राज्यपाल महोदय ने भाषण पढ़ा, बहुत स्पष्ट पढ़ा और हमने सफाई से सुना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सफाई से क्या सुना ?

श्री शिवचरण माथुर : विरोधी दल के नेता महोदय ने अपने भाषण को आरम्भ करते हुए यह कहा था कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री, मेरी ओर उनका संकेत था, केन्द्र द्वारा मनोनीत मंत्री हैं. वह किस के प्रति जिम्मेदार हैं यह समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि नेता पद के लिये किस प्रकार चुनाव होता है, उस प्रक्रिया से वह अच्छी तरह से परिचित हैं, किसी दल के नेता का चुनाव किस प्रकार से होता है, वह इससे भली भांति जानकार हैं और नेता चुनने के बाद में वह किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं,यह वह जानते हैं और यदि जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो उसका क्या हस्र होता है, यह भी वह जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहाड़िया जी की तरह।

श्री शिवचरण माथुर : आप....

(व्यवधान)

लेकिन वह कहने से पहले मैं निश्चित रूप से गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का मुख्य मंत्री चाहे मैं हूं या मेरे से पहले के मुख्य मंत्री हों, उनका विश्वास उनके दल में रहा है और दल का विश्वास उनमें रहा है। निश्चित रूप से दल के द्वारा उनका चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद वह निश्चित रूप से अपने दल के प्रति उत्तरदायी रहे हैं और मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने दल के प्रति उतना ही उत्तरदायी हूं, जिम्मेदार हूं जितना विरोधी दल में बैठने वाले विरोधी दल के नेता महोदय रहे हैं, जबकि वह मुख्य मंत्री थे। फर्क सिर्फ यह है कि उनकी पार्टी 10 पार्टियों से मिलकर बनी थी....

श्री चन्दनमल बैद : ×××

श्री शिवचरण माथुर : दूसरे शब्दों में ××× की संज्ञा दे सकते हैं। एक माननीय सदस्य, एक किस्सा कह रहे थे, वह, मैं समझता हूं, इस समय उपयुक्त बैठता है। उनका कहना था कि अनेक तरह की पार्टियों का मिश्रण था, जिसको विश्वास नहीं था अपने नेता में। अपनी नीतियों में, अपने दल में जिसका विश्वास नहीं था, हर

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवचरण माथुर)

वक्त अपने-अपने घटक की नीतियों के अनुकूल काम करते थे, अलग-अलग तरह से चलने की प्रथा थी और जब मौका आता था तो विरोध करते थे। विरोध करने की उनकी परम्परा रही है, नेता को नेता नहीं मानते हैं, नेता को नेता नहीं मानने की उनकी आदत है। हम में वह बात नहीं है। हमारी पार्टी का इतिहास पुराना है, 95 साल पुराना इतिहास है। विरोधी दल के नेता, इस पार्टी के काम करने वाले बुजुर्ग नेता, जिनमें मैं भी अपने आपको आन्दोलन में रहने वाला मानता हूं, उस समय पता नहीं आप कहां थे और किस का प्रतिनिधित्व करते थे....

एक माननीय सदस्य : सब इन्सपेक्टर थे।

श्री शिवचरण माथुर : इस पार्टी के लोगों ने आजादी के लिये कुर्बानियां दी हैं....

एक माननीय सदस्य : उस समय आप भी तो पटवारी थे।

श्री शिवचरण माथुर : अधिकार तो खैर कम थे लेकिन 65 साल तक लगातार इस पार्टी ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये जद्दो-जहद की है, हजारों लाखों लोग जेलों में गये हैं और कुर्बानियां दी हैं। उनकी विरासत हमारे पास में है और वह विरासत हमने इसलिये प्राप्त की है कि हमने जो हमारे नेता रहे हैं उनको देश के स्तर पर सर्वोपरि माना है, उनके अन्दर में चले हैं। हमें गौरव है हमारे देश की नेता, मेरी नेता और मेरे दल की नेता श्रीमती गांधी के आश्वासन....

(व्यवधान)

हमारे लिये और मेरे लिये गौरव की बात है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक कार्य पूरा हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : चलो यही ठीक है, यह तो माना आपने।

श्री चन्दनमल बैद : मोरारजी को आपने कभी अपना नेता नहीं माना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने तो नहीं माना पर आपके परसराम जी और खेतसिंह जी ने भी इन्दिरा को नेता नहीं माना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब राजीव गांधी का भी जिक्र आ जाना चाहिए। वह बाकी रह गया।

श्री शिवचरण माथुर : घनश्याम जी, अगर इस तरह से करेंगे तो मैं सब बातों का जवाब नहीं दे सकूंगा। मुझे बोल लेने दें फिर कह देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच-बीच में चलता रहना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : चलिये ऐसा ही सही। बहस करने की जरूरत है लेकिन अभी तो मैंने शुरू ही किया है। आधा घंटा बोल लूं फिर करें तो बात समझ में आती है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह तो आप को उत्साहित कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे गौरव है और माननीय सदस्यों को गर्व है कि हमारे देश की नेता में हमारा....

श्री अहमद बक्श सिंधी : Including myself.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कह रहे हैं Including myself.

श्री शिवचरण माथुर : Yes All right. आपके पड़ोस में बैठने वाले माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वह केवल देश की नेता नहीं बल्कि आज अन्तर्राष्ट्रीय नेता हैं। उनकी आवाज दुनिया सुनती है। दुनिया के मसलों पर जब वह बोलती हैं तो उसका असर होता है और यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह आज तीसरी दुनिया की नेता हैं। आजादी के बाद हमारी तरह से जितने मुल्क आजाद हुए, बहुत गरीब थे, पिछड़े हुए थे। अफ्रीका और एशिया के उन सभी मुल्कों ने आजादी के बाद में विकास और तरक्की का जेहाद छेड़ा, उन सारे मुल्कों की नेता आज इंदिरा गान्धी हैं और हम उनके नेतृत्व में काम करके अपने आप को गौरवशाली अनुभव करते हैं, मुझे गौरव और गर्व है।

आपने कहा कि मैं पहला मुख्य मंत्री हूं जिसने राजस्थान के हितों का बलिदान कर दिया, जिसके लिये राजस्थान नहीं बल्कि अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं, शेखावत साहब, बहुत नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, यह कुर्सी रहे या नहीं रहे लेकिन आने वाले दस, बीस या पचास साल में इस राजस्थान प्रदेश का नक्शा क्या होगा, इस बात की कल्पना मेरे दिमाग में है। आप इसको छोटे मुंह बड़ी बात समझ सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान जो आज है और जो उसके सामने आज समस्यायें हैं, अगर हमारा ध्यान इस ओर नहीं गया कि इस शताब्दी के अन्त तक राजस्थान की क्या तस्वीर होगी तो यह मानकर चलिए कि पिछड़ा हुआ राजस्थान और पिछड़ जायेगा। आपने कल कहा कि मैं घोषणायें करने का आदी हूं, जिस सभा में जाता हूं, घोषणा करता हूं। मैं निश्चित रूप से घोषणायें करता हूं और घोषणा यह करता हूं कि आने वाले वक्त में यदि राजस्थान में बिजली का प्रबन्ध नहीं हुआ और उसके लिए आज से नहीं सोचा गया तो हमारा क्या भविष्य होगा? इसलिए आज से सोचना शुरू किया जाना चाहिए। मैंने कहीं पर यह घोषणा नहीं की कि मैं कल जाकर बिजली के बड़े-बड़े कारखाने लगा दूंगा, कल जाकर लिग्नाइट का पलाना का स्टेशन चालू करा दूंगा या कल जाकर कोल, पार्वती की विद्युत योजनाओं से राजस्थान में बिजली ले आऊंगा। लांग टर्म स्कीम्स ही बनानी पड़ेंगी, प्रावधान करना पड़ेगा। यदि हमारे दिमाग में आज सोचने की शक्ति नहीं होगी, कल्पना नहीं होगी, लांग रेंज विजन नहीं होगा तो हम क्या कर सकेंगे? जवाहर लाल नेहरू ने 1952 में देश की आजादी के बाद यह सोचा कि इस मुल्क के पास साधन कम हैं लेकिन साधनों को पैदा करने की शक्ति बहुत है। उन्होंने कल्पना की, आगे आने

(74)

(श्री शिवचरण माथुर)

वाले भारत के 50 साल के बाद के भारत के बारे में यह सोचा कि 5-5 साल की योजना को बनाकर साधन इकट्ठे करके उनके जरिये राष्ट्र की छिपी हुई दौलत को ऊपर लाया जाय, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया जाय, इस आधार पर कल्पना की। यदि जवाहर लाल नेहरू हैवी इस्पात कारखाना राउरकेला, दुर्गापुर कारखाने की कल्पना नहीं करते तो आज जो भारत आप देख रहे हैं वह नहीं होता। उन्होंने आगे की कल्पना की। उनका लांग रेंज व्यू था और विजन था। उस विजन का परिणाम यह है कि आज हमारा देश दुनिया के आगे आने वाले देशों में अपने आप को गिनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी महत्वपूर्ण जगह पर बैठकर यदि एक व्यक्ति 7 दिन, 15 दिन या महीने, साल की कल्पना करे, अगर उसका लांग रेंज व्यू न हो तो उसको वहां बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोगों पर जिम्मेदारी आयद है, एक दायित्व है उस दायित्व को निभाने के लिए, आज हो सकता है कि राजस्थान के पास साधनों का अभाव हो। हो सकता है कि राजस्थान पर ओवर ड्राफ्ट हो लेकिन वह ओवर ड्राफ्ट समाप्त हो, उसको कम किया जाय, इसके लिए सोचना पड़ेगा। राजस्थान के साधन आगे बढ़ें, उनको बढ़ाने की प्रक्रिया को चालू करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी योजनायें एक दिन में नहीं बन जाती हैं, उनको आज सोचना शुरू करना पड़ेगा। यही बात मैंने हर जगह कहा है। चाहे पलाना की बात हो तो भी यही कहा, कोल-पार्वती की बात हो, तो भी यही कहा। वहीं साल दो साल पांच साल की बात नहीं की। 10-10 साल लग सकते हैं लेकिन यदि आज हमारे दिमाग में कल्पना है तो आगे आने वाले 6 सालों में बिजली आ जायेगी, उसके आगे आने वाले सालों में पार्वती भी आ सकती है। आज सोचना शुरू किया जाय तो चार सालों में पलाना लिग्नाइट विद्युत ताप घर भी आ सकता है। इस प्रकार छोटे-छोटे विद्युत स्टेशन भी आ सकते हैं। आज सोचना शुरू नहीं करेंगे तो आयेगा कैसे? इसलिए मैंने निवेदन किया कि हम लोग निश्चित रूप से इस बात को दिमाग में कल्पना रखते हैं और संकल्प की भावना से रखते हैं। इसलिए इस सरकार में आने के ठीक बाद यह निश्चित किया कि हमारे पास साधन कम हो सकते हैं लेकिन एक सब से बड़ा साधन हमारी जनशक्ति है उसका उपयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार ने इस शक्ति का उपयोग करके देश में चमत्कारिक काम किये हैं। इसको दुनिया जानती है, इतिहास समझता है। इसी भावना से हमने निश्चित किया कि जो भी साधन उपलब्ध हों उनको जनशक्ति के साथ जोड़कर और लोगों की भावना को प्रेरित कर के संकल्प बद्ध तरीके से टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हाथ में लिया जाय। हमने निश्चय किया कि प्रायोरिटीज छांटें, प्राथमिकताओं का निर्धारण करें। जिस आधार पर हमारी नेता का 20 सूत्री कार्यक्रम हैं, बिलकुल उन्हीं पर आधारित बीस संकल्प का कार्यक्रम हाथ मे लिया है। उन कार्यक्रमों में, मैं नहीं कहता कि पूरी सफलता मिली है, यद्यपि कुछ शार्ट फाल भी हो सकता है लेकिन उनको पूरा करने की एक भावना

(श्री शिवचरण माथुर)

और संकल्प से हम आगे बढ़े हैं। न केवल प्रस्ताव पास करके छोड़ दिया बल्कि बाकायदा उसके लिए प्रोविजन रखा गया, उनका मानीटरिंग किया गया। मंत्रिगण अलग अलग जिलों में जाकर मानीटरिंग करते थे, मीटिंग बुलाते थे, जन प्रतिनिधियों से मिलते थे और सरकारी अधिकारियों से पूछते थे कि आपके रास्ते में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको मौके पर मिटाने की चेष्टा करते थे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे संकल्पों को बहुत बड़े पैमाने पर सफलता मिली है। अलग-अलग संकल्पों की बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या सफलता मिली है। सब से पहला, संकल्प चुनाव कराने का था। आपको मालूम है कि....

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सो रहे हैं।

श्री दुलाराम : जगे हुए हैं। आपको ऐसे दिख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बता दूं, सोना नियमों के विरुद्ध नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : बहुत बरसों से हमारी जितनी भी चुनी जाने वाली संस्थाएं थीं, उनके चुनाव नहीं हुए थे। नगरपालिकाओं, पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, सहकारी समितियों और कृषि उपज मण्डी समितियों आदि, सभी संस्थायें जिनमें चुनाव के जरिये से जन प्रतिनिधियों को बुलाना आवश्यक हो जाता है, के चुनाव नहीं हुए थे। पंचायत समितियों के चुनाव बहुत दिनों से नहीं हुए थे। आपने अपने राज में हिम्मत की, पंचायती राज के चुनाव कराने की। आपने सोचा कि पहले शुरूआत पंचायतों से करो, पंचायतों के चुनाव हो गये, उसके बाद में जायजा लिया कि आगे बढ़ने की सोचें या नहीं, आगे बढ़ेंगे तो क्या परिणाम होंगे ? आपको रिपोर्ट मिली कि सरपंच तो किसी प्रकार से आ गये हैं, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव करायें तो पंचायत समितियों में हार जायेंगे, जिला परिषदें आपके हाथ में नहीं आयेंगी। आपने वहीं प्रक्रिया को रोक दिया और पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराये, जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये और उस चुनाव के प्रोसेस को सरकमवेन्ट करने का प्रयास किया। एक बड़े इलेक्ट्रोरलरोल को छोटा करने की आपने कोशिश की। मैं, विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय, आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने इस इलेक्ट्रोरलरोल को छोटा किया तो हम लोग आपसे सचिवालय के कक्ष में मिलने के लिए गये थे, हमने कहा था कि आप इलेक्ट्रोरल रोल को छोटा कर रहे हैं यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। आप यदि बड़ा इलेक्ट्रोरलरोल करने की बात करते तो समझ में आता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले भी था।

एक माननीय सदस्य : 65 में नहीं था।

श्री शिवचरण माथुर : हमने उसको बढ़ा दिया। हमने पंचों के माध्यम से चुनाव की बात को रखा अगर आप ग्राम आदमी के माध्यम से चुनाव की बात रखते तो बात समझ में आती लेकिन आपने इलेक्ट्रोरलरोल और छोटा कर दिया। यह समझ करके कि थोड़े लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे। ऐसा आपका मानना था मानने के आधार पर इलेक्ट्रोरलरोल को आपने छोटा किया। छोटा करने की बात समझ में आती यदि आप उसके बाद चुनाव कराने की हिम्मत करते। वह हिम्मत भी आपने नहीं की चुनाव पंचायत समितियों और जिला परिषदों के नहीं कराये। हमने आते ही यह निश्चय किया, हारना जीतना, प्रजातन्त्र में एक प्रक्रिया होती है, हम लोग कई बार जीते एक बार हारे भी इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया कि हमको जनता के बीच में जाना चाहिये और अपने आपको कसौटी पर कसना चाहिये। जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं, क्या जनता का मेन्डेट उसके साथ है या नहीं। हम गये और मैं आप से कह सकता हूं, यह तथ्य बतायेगा कि 1980 में जनवरी में लोकसभा के चुनाव हुये थे और उसके ठीक चार पांच महीने बाद जून 80 में विधान सभाओं के चुनाव हुए उनमें जितने मतदाताओं ने मत दिया, उससे बीस लाख अधिक मतदाताओं ने पंचायतों के चुनाव में मत दिया। 1.49, करीब-करीब डेढ़ करोड़ व्यक्तियों ने इस चुनाव में भाग लिया। चुनावों का क्या परिणाम हुआ ? सरपंचों में 75 प्रतिशत से अधिक कांग्रेस के लोग आये। जब पंचायत समितियों के चुनाव हुए, 235 पंचायत समितियों के चुनाव हुए एक कांटे हो गया देवगढ़ का, 235 में से 189 पंचायत समितियां हमारी आयीं। उसके बाद जो स्थिति होती है पंचायत राज में जिला परिषदों के चुनाव होते हैं, उनमें 26 की 26 हमारी आई हैं। यह इस बात का प्रतीक है, बड़ा भारी मतदान हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने जनता के पास जाकर उसका विश्वास प्राप्त किया। यह ग्राम तौर से धारणा बनी हुई थी कि कांग्रेस तो रूरल एरिया में मत लेती है और शहरों में इसका पक्ष प्रबल नहीं है, शहरों में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है।

राजस्थान में ग्राम लोगों को यह भ्रम था, हमने कहा कि हमें इस भ्रम को निकालना चाहिए। मैं कह सकता हूं हममें हिम्मत है, शहरी इलाके में जायेंगे। आल टाइम रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव का इतिहास उठाकर देख लीजिये जब भी चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई उसमें एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में नगरपालिाओं के चुनाव कभी नहीं हुए। अधिक से अधिक एक समय में 46 नगरपालिकाओं से अधिक के कभी नहीं हुए, कभी 40 के हुए, कभी 42 के हुए कभी 46 के हुए। हमने 192 नगरपालिकाओं में से 143 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये उनमें छोटी-मोटी सब तरह की नगरपालिकाएं थीं। जोधपुर नगर परिषद् जो जयपुर के बाद दूसरे नम्बर की म्यूनिसिपल कौंसिल है, भी चुनाव कराये। गांवों में आप समझ सकते हैं कि भावना के आधार पर

(श्रीशिवचरण माथुर)

वोट लिये लेकिन जोधपुर नगरपालिका में पार्टी के आधार पर वोट डालते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तशरीफ भी लाये थे।

श्री शिवचरण माथुर : आपने × × × भी बताया था कि यह × × × सरकार है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो है ही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां मुंह की खाकर आये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर नगरपालिका में तो बिलकुल पार्टी के आधार पर चुनाव होता है। जोधपुर के म्यूनिसिपल इलेक्शन्स का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए या तो कांग्रेस पार्टी जीतती है या जनता पार्टी, केवल दो व्यक्ति निर्दलीय जीते हैं। वहां पार्टी के आधार पर चुनाव होता है। वहां पर 46 में से कांग्रेस पार्टी के 29 व्यक्ति हैं। बहुत ही स्पष्ट बहुमत मिला है।

एक माननीय सदस्य : 26 लड़े।

श्री शिवचरण माथुर : 29 Including the Co-opted members, Now.

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नन्दलाल मीणा ; पिटीशन्स चल रही हैं।

श्री शिवचरण माथुर : हारने के बाद तो पिटीशन्स ही कर सकते हैं और क्या करेंगे ? उसके बाद आज तक चुनाव की बात में आपसे कह रहा हूं....

(व्यवधान)

इसके बाद करेंगे क्या ? जनता ने तो अपना मत दे दिया।

तो मैं यह कह रहा था, बिलकुल स्पष्ट रूप से, जनवरी, 1980 के लोक सभा और जून, 1980 के विधान सभा के चुनावों के सम्बन्ध में राजस्थान में कांग्रेस दल, जिसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, को एक जबर्दस्त मेसिव मेण्डेट राजस्थान की जनता ने दिया। आज तक हमारे खिलाफ एक चार्ज लगाया जाता है कि कांग्रेस हमेशा अल्प मत में आकर जीतती है 50 पर्सेन्ट से नीचे कांग्रेस को वोट मिलते हैं, और बाकी विरोधी दलों के अन्दर बंट जाते हैं, इसलिए बंट जाने के कारण कांग्रेस जीत जाया करती है। शेखावत साहब मैं निवेदन करूं, जानकारी दूं कि सारे चुनाव की प्रक्रिया में पंचायती राज के चुनाव में 73 पर्सेन्ट मत अकेली कांग्रेस को मिले हैं और बाकी 27 पर्सेन्ट भारतीय जनता पार्टी को। मुझे तो बहुत सी पार्टियों के नाम भी याद नहीं हैं !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : आपके नेता बोल रहे थे जब हम बिलकुल नहीं बोले ।

श्री बुलाराम : आप जैसों को शोभा नहीं देता ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : और मैं कुछ निवेदन करूं, मतों के प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस का शायद अधिक प्रतिशत है और भारी बहुमत मिला है । मैं आपके सामने और तथ्य रखूं, इस चुनाव में ऐसी नगरपालिकायें भी सामने आयीं जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं देखा था । 29 म्यूनिसिपैलिटियां ऐसी थीं जिनका वर्षों पहले निर्माण तो हो गया था लेकिन उनका कभी चुनाव नही हुआ था । ऐसी 29 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये, बांदीकुई नगरपालिका के 18 वर्षों बाद चुनाव हुए ।

एक माननीय सदस्य : दोषी कौन हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : आप भी दोषी हैं और हम भी हैं । लेकिन अब की बार हिम्मत करके चुनाव कराये और जबर्दस्त मेन्डेट जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं । विरोधी पक्ष का यह आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हमनें चुनाव के अन्दर किया, यह आरोप कोई नया नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपकी आदत है ।

श्री शिवचरण माथुर : जब भी हार जाते हैं तो यह आरोप लगाया जाता है और यह मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के डेढ़ करोड़मतदाता का यह अपमान है । इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराये जायें, जिसमें डेढ़ करोड़ मतदाता भाग लें और उसमें इतने बड़े पैमाने पर बहुमत से हम जीतें और यहां पर विधान सभा में आपको कुछ भी कहने का अधिकार है इसीलिए यह कहना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वोट डाले गये, वोट लेकर आयें, जीतें, यह जागरूक मतदाता का अपमान है । अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान का मतदाता आप द्वारा किये काम को कभी नहीं भुला सकेगा, आगे जब भी मौका आयेगा इससे करारी चोट आपको दी जायेगी । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नगरपालिकाओं के चुनाव करायेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : बिलकुल करायेंगे ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आज ही घोषित कर दीजिए ।

श्री शिवचरण माथुर : आज ही घोषित करने से क्या मतलब है ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उदयपुर के चुनाव....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन पंचायत राज क्षमता वाली संस्था बने, इसका संकल्प लेकर बीकानेर में 30 जनवरी को हमने प्रधानों और प्रमुखों का सम्मेलन कराया। हमने यह बात कही कि आज चाहे दिल्ली हो या जयपुर हो जहां भी भ्रष्टाचार है, उसको दूर किया जाये। जब तक सत्ता विकेन्द्रीकरण नहीं होता, तब तक भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को यदि पूरा किया जा सकता है तो वह केवल पंचायती राज से किया जा सकता है इसीलिए हमने राजस्थान में पंचायतों के चुनाव कराये। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायत राज केवल एक विकास की प्रक्रिया नहीं है बल्कि वह एक जीवन दर्शन है और यह जीवन दर्शन आज स्वीकार नहीं किया गया है, सदियों से हमारे देश में यह व्यवस्था रही है। जब देश उन्नति की चरम सीमा पर रहा उस समय का इतिहास आप उठाकर देख लीजिये जो ग्राम पंचायतें थीं वह सबसे अधिक अच्छी चलती थीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह चुनाव की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया नहीं है, यह पंचायती राज जीवन दर्शन है और हम इसको स्वीकार करते हैं, हम इस के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं। हमने निश्चय किया कि पंचायत चुनाव कैसे हों, बीकानेर में हमने कुछ घोषणायें की और मैं कह सकता हूं कि आज पंचायत राज का जितना सुधार हुआ है और जितना इसे महत्व दिया गया है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। जितने अधिकार हमारी सरकार ने पंचायतों को दिए हैं उन अधिकारों के माध्यम से पंचायती राज सही मायनों में हमारी ग्रामीण जनता की खुशी और उसकी अपेक्षाओं के प्रतीक के रूप में कार्य करेगा। हमारी चेष्टा है कि पंचायती राज ग्रामीण जनता और हमारे बीच माध्यम बने और हम उसको आगे भी कारगर बनाने की चेष्टा करेंगे, जो मैं समझता हूं आपने नहीं की, आपका इरादा भी नहीं था। आपकी कोई राष्ट्रव्यापी नीति नहीं है, आप चुनाव में जबर्दस्ती भाग लेते हैं। यदि यह सारी बात आप पर छोड़ दी जाये तो जिस प्रकार की आपकी नीति है, मैं समझता हूं उस प्रकार की प्रक्रिया को लेकर आप इस देश में तानाशाही लागू कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों ने प्रजातन्त्र को बनाये रखा, वे इस को मानते हैं इसीलिए ऐसी शक्तियों और प्रवृत्तियों जो देश में तानाशाही लाना चाहती हैं को ठुकराया। उन की यहां दाल नहीं गलने दीं। एक बार भूल से जनता ने आपको सत्ता में बिठाया। आपको कांग्रेस को हटाना था इसीलिये आप सब दल एक हो गये और

(श्री शिवचरण माथुर)

सत्ता में आये। जो एक पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उसको हटाकर आपने सत्ता ली, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार बनने के बाद आप सब आपस में लड़ने लगे पांच साल का निर्धारित समय होता है लेकिन जनता ने आपको केवल ढाई साल में ही सत्ता से हटा दिया, ऐसा हिन्दुस्तान के इतिहास में तो क्या, दुनिया के इतिहास में भी उदाहरण नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका प्रजातन्त्र में विश्वास है तो मेहरबानी करके उसका दिग्दर्शन भी कीजिये उसको अपने जीवन में लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये बातें किसी मीटिंग में बोलने के लिये रिजर्व रखें।

श्री शिवचरण माथुर : आप थक जाएंगे आप मत बोलें।

20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं 20 सूत्री संकल्प की बात ज्यादा नहीं करूंगा। इसके बारे में किताबों में बहुत लिखा गया है। आप देख लीजिये। इसका जिक्र करके सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। यदि आपको कोई शंका हो तो मुझसे मिल लीजिये मैं आपको बताने को तैयार हूं। अब मैं, जो आपने खास मुद्दे उठाये, जो विपक्ष के माननीय नेता ने कहे उन पर आना चाहूंगा। आपने कहा कि मैंने राजस्थान का मुख्य मंत्री बनने के बाद राजस्थान के हितों का बलिदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया। आपने रावी-व्यास समझौते की खास तौर से चर्चा की। रावी-व्यास समझौते की पूर्व भूमिका और उसके इतिहास को जानते हुए भी आपने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सदन में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। यह आपकी बहुत पुरानी आदत है, इसमें कितना सुधार हो सकता है, यह मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप उसके मूल तथ्यों को स्वीकार करके कुछ बोलते और बताते कि ये खामियां रह गई हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके तथ्यों को स्वीकार करता। मैं भी व्यक्ति हूं और हो सकता है कि मुझ में खामी रह गई हों। उस खामी को मैं सुधारता लेकिन आपने उसके मूल कारणों को तोड़ा-मरोड़ा है मुझे खेद है कि आप पुराने व्यक्ति हैं, सांसद भी रहे हैं, विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और मुख्य मन्त्री भी थे, वैसे आप यह काम कर सकते हैं, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपनी-अपनी योग्यता है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आपने कहा कि रावी-व्यास के पानी के बटवारे के संबंध में 1955 का जो समझौता हुआ था उसमें ये बातें स्पष्ट थीं फिर नये सिरे से क्या आवश्यकता पड़ी कि राजस्थान को उसमें हिस्सा नहीं दिया। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं 1955 का समझौता एक प्रकार से किसी मीटिंग का रिकार्ड था, अगर उसको समझौता मान भी लें तो उसमें साफ लिखा हुआ है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान भी लें, यह क्यों कह रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं मानता हूं, उसमें जो खामियां रह गयी थीं उसमें सुधार हुआ है। 3 दिसम्बर 1981 को समझौता हुआ है उससे राजस्थान का पक्ष मजबूत हुआ है और जो राजस्थान के हितों की दृष्टि से कमियां थीं उनको सुधारा है। 1955 के समझौते में प्रो-पार्टीशन यूटिलाइजेशन आफ वाटर, रावी-व्यास को निकालकर वाटर के यूटिलाइजेशन को स्वीकारा है, आप को मालूम होगा कि राजस्थान को भी उस में हिस्सा मिला हुआ है। राजस्थान की जो बीकानेर में कैनाल है उसमें भी प्रो-पार्टिशन यूटिलाइजेशन आफ वाटर, रावी-व्यास के पानी का 1.15 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारा है उस पानी को निकालने के बाद जो रावी और व्यास का पानी बहता है उसको ध्यान में रखते हुए हिसाब लगाया गया कि रावी और व्यास में 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी होगा। जब उस पानी को बांटा गया तो 8 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान के हिस्से में आया 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी अनडिवाइडेड पंजाब के हिस्से में आया और 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जम्मू कश्मीर को दिया गया। यह माना गया कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा, स्थाई रूप से यह पानी जम्मू-कश्मीर को दिया गया। इस प्रकार सबसे अधिक पानी राजस्थान के हिस्से में आया। जो उसके लिये योजनाएं थीं हमने उस में धन भी लगाया। जो 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी रावी-व्यास का था। उसमें राजस्थान और दूसरे प्रांतों का हिस्सा था जब पंजाब हरियाणा बंटे, 1966 में इसके लिए एक्ट बना लेकिन उसको दोनों राज्यों ने नहीं माना तो भारत सरकार ने 24 मार्च, 1976 को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इन दोनों को कितना-कितना हिस्सा मिलेगा। उसके जरिये यह बताया कि 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को बाकी पंजाब का पानी मिलेगा 0.2 दिल्ली के लिए रखा गया है। पंजाब ने इसमें एतराज किया और उसने हमेशा इस विवाद को उठाने की चेष्टा की कि हमें पानी कम मिला है। हरियाणा ने हमेशा यह बात कही कि पानी के बारे में जो फैसला हुआ है, नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाय। हरियाणा ने हमेशा यह दलील दी कि जो पानी का हिस्सा उसको मिला है उस हिस्से का पानी उसको दिलाने की उस नोटिफिकेशन की जो भावना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाय। लगातार उससे बातचीत होती रही। उसके बाद भी जब फैसला नहीं हुआ, कई बार प्रयत्न भी किया। तो बहुत लम्बे अर्से से विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा था, मैं आप से कहना चाहता हूं, राजस्थान उसमें आवश्यक पार्टी इसलिये है कि राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा उस पानी में है। आपने कहा कि जब 1955 के वायदे के अनुसार अपने आप प्रो-रेटा पानी मिल जाता तो फिर क्या आवश्यकता थी कि एग्रीमेंट में पार्टी बनकर गये? माननीय शेखावत साहब, मैं आप को याद दिलाऊं, इस प्रकार की आशंकायें बहुत दिनों से व्यक्त की जाती रही थीं और सोचा जा रहा था कि इस झगड़े को मिटाया जाय, इस विवाद को हल

(82)

(श्री शिवचरण माथुर)

किया जाय, बहुत प्रयत्न चले, आपकी सरकार के वक्त में भी चले होंगे, हमारे सामने भी दुबारा जब सवाल आया, इस समस्या को हल करने की हमने चेष्टा की। मैं तो यही कहूंगा कि यह इंदिरा जी का व्यक्तित्व है कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर, एक बड़े पैमाने पर राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए जितने भी अन्तर्राज्यीय विवाद हैं, वह धीरे-धीरे सुलझते जा रहे हैं, चाहे वह नर्मदा के पानी का सवाल हो, चाहे वह यमुना के पानी का सवाल हो या और किसी नदी के पानी का सवाल हो। जो अब अन्तर्राज्यीय समझौते हुये हैं वह क्यों नहीं आपके प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई कर सके? आज हमारी प्रधान मंत्री का व्यक्तित्व है, दो राज्यों या तीन राज्यों को बिठाकर हर एक राज्य का जो भी हित हो उसको सुरक्षित करते हुये जो भी उसका वाजिब हक है उसको दिलाने और एक वातावरण पैदा करने और लम्बे समय से चल रहे नेशनल विवादों को एकास दो टेबल बैठ कर सुलझाने की अभी शक्ति है, ताकत है। मैं समझता हूं कि आप उनको बधाई देते, धन्यवाद देते कि देश की नेता ने एक अन्तर्राज्यीय विवाद, जो गत कई वर्षों से चल रहा था, को निपटाने का प्रयत्न किया और हरेक संबंधित पार्टी को बिठा कर हरेक के हित को ध्यान में रख कर उस पानी का बंटवारा करने की चेष्टा की उसके विपरीत आपने यह कहा कि राजस्थान को पार्टी क्यों बना लिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रावी और व्यास का पानी पहले 15.85 मिलियन एकड़ फीट आंका गया था, उसके बाद में हिसाब लगाया गया 21 मिलियन एकड़ फीट का। 1960 की जो फ्लो सीरीज है उसके मुकाबला प्री-पार्टीशन यूटिलाइजेशन है उसको निकाल कर सारा हिसाब लगा कर कितना पानी रावी-व्यास का बचता है, उसका हमारे इंजीनियर्स ने हिसाब लगाया तो मालूम पड़ा कि 1921 से 1960 तक जो 21 मिलियन एकड़ फीट फ्लो सीरिज है, उस के आधार पर रावी व्यास का पानी 17.17 मिलियन एकड़ फीट बनता है, उसमें प्रो-रेटा डिस्ट्रिब्यूशन के हिसाब से हरेक राज्य का बाकायदा जो हिस्सा है उसको बांटने की चेष्टा कीगई। मैं आपको कह सकता हूं, आपने कहा पानी नया कौन सा लायेंगे? मैं इसलिये नया पानी लाने की बात करता हूं कि पहले राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट पानी 15.85 में से मिल रहा था, उसके बाद में 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी हमको समझौते के बाद मिला है। यह राजस्थान को और अधिक पानी मिलने की बात सामने आयी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तालियां किस बात की बजा रहे हैं, यदि फ्लो सीरिज के हिसाब से पानी बंटता और डिस्बर्स में मिलता है तो आप क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? 1955 के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उतनी बात है....

श्री शिवचरण माथुर : अगर पूरी बात सुन लें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दम नहीं दिखता है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा था, 15.85 मिलियन एकड़ फीट का हिसाब लगाया गया। फ्लो सीरीज के हिसाब से उसमें जो हमारा हिस्सा बनता था, उस समय कहा गया था 8 मिलियन एकड़ फीट पानी के लिये योजना हमें दी जाय। जब योजना देने का सवाल आया तो जो राजस्थान कैनाल का जितना हिस्सा आता है 7.5 मिलियन एकड़ फीट, कुछ हिस्सा गंग कैनाल में भी था उससे पानी मिलता है, कुछ भाखरा से कोलोनाइजेशन का पानी देने वाली बात आती है, इस प्रकार पूरे-पूरे 8 मिलियन एकड़ फीट पानी की योजना बनी। बहुत अच्छा इलाका है सिद्धमुख नोहर का, उसको केवल राजस्थान कैनाल के माध्यम से अगर लाने वाली बात होती तो हमें तकनीकी आधार पर लिफ्ट करके लाना पड़ता। उस पानी को लाने के लिये, नोहर सिद्धमुख के पानी का उपयोग करने के लिये नई योजना बनाने का राजस्थान को नया आधार मिला है। मैं समझता हूं, राजस्थान के लिये यह बहुत बड़ी उपलब्धि है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरियाणा इसी बात के लिये लड़ रहा था। यह फैसला हरियाणा के पक्ष में था तो उसके फीडर के लिये अपने आप पानी मिलता....

श्री शिवचरण माथुर : यह आप कर लेते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल हो नहीं है। यह झगड़ा पंजाब और हरियाणा के बीच में था। अध्यक्ष महोदय, मैटर बहुत इम्पार्टेंट है। मैं मुख्य मंत्री से माफी चाहूंगा, इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण आपको करना पड़ेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बोल लूं उसके बाद में स्पष्टीकरण मांग लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बीच-बीच में पाइंट क्लीयर होते जायं।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं नहीं।

मैं कह रहा था, वह पानी अगर राजस्थान कैनाल के माध्यम से आपको मिलता तो शायद सिद्धमुख और नोहर कैनाल से पानी लेने में दिक्कत होती। आज समझौते के बाद यह संभव हो सकता है कि जो पानी भाखरा के कॉम्पलेक्स से आज तक नहीं मिल रहा था रावी-व्यास के अलावा वहां व्यास-सतलज के मार्फत जो पानी आने वाला है, व्यास के लिये आप कह रहे हैं, आपने कल मेरी पी.यू.सी. की रिपोर्ट का उद्धरण पढ़ा था, मैं दूसरा उद्धरण पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं समझता हूं आशंका आज मिट गई है, समझौते के बाद में हमको कहते हैं व्यास सतलज का पानी, व्यास और भाखरा का पानी आता है नहर को चलाने के लिये क्योंकि वह पीकिंग लोड स्टेशन है, उसमें सारे पावर हाउसेज नहीं चलते हैं तो जितना पानी आवश्यक होता है उसके बाद में जो पानी होता है वहां एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके मार्फत भाखरा में आज जाता है। हमने उस समय पी. यू. सी. में कहा था कि यह पानी हमारा है, रावी-व्यास का पानी है, उसका पानी हमको क्यों नहीं देते?

(श्री शिवचरण माथुर)

उसका कोई आज तक जिक्र नहीं। इस समझौते के आधार पर जो पानी व्यास सतलज लिंक से भाखरा में आता है उसका रोपड़ के हैडवर्क्स पर अच्छा फ्लो बनता है और नीचे के इलाके में सिद्धमुख और नोहर को आसानी से पानी मिल जायेगा। यह समझौता नहीं होता तो सिद्धमुख और नोहर के लिये राजस्थान कैनाल के पानी को लिफ्ट करके पानी पहुंचाना पड़ता। अब इस समझौते के बाद से रोपड़ हैडवर्क्स, जहां फ्लो अच्छा हो सकता है, से सिद्धमुख नोहर तक पहुंच सकता है, उसको प्राप्त करने की सुविधा इस समझौते के बाद हो गई है। मैं समझता हूं यह आशंका आप को नहीं होनी चाहिये। उस फैसले के बाद हमको सिद्धमुख नोहर, के लिये लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वह फ्लो से हमको मिल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले भी लिफ्ट ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : हरियाणा की बात आप कह रहे हैं। हरियाणा अपने हिस्से का पानी आज तक भाखरा लिफ्ट कैनाल से लेता था, वह हमेशा कहता था सतलज यमुना का लिंक बनाया जाय, जो पाइंट यमुना के बेसिन पर है उसे सतलज यमुना लिंक कहते थे। वह चाहता था कि पूरी कैपेसिटी अपने हिस्से का पानी अपने बेसिन में लाये, अपनी जमीन में लाये। इस समझौते से जहां हरियाणा को सतलज यमुना लिंक बनने के बाद उसके हिस्से का पानी मिलेगा वहां भाखरा लेफ्ट कैनाल में जो कुछ कैपसिटी अवेलेबल है उसके माध्यम से बहुत अच्छा पानी राजस्थान को मिल सकेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस समझौते की है। मेरी समझ में नहीं आता, यह साधारण सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समझ में आपके नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जैसे-जैसे पानी बढ़ेगा, वैसे-वैसे पानी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : आप सुनिये। रावी-व्यास का 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी था, उससे भी हमें तो और अधिक पानी मिला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्य बार-बार बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। पहले माननीय मुख्य मंत्री जी.

(श्री अध्यक्ष)

का उत्तर आने दीजिये उसके बाद अगर आपको कोई स्पष्टीकरण के नाते एक दो प्रश्न पूछने हों तो आप स्पष्टीकरण के नाते पूछ लें।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप सुनिये आपने मुझे एक पत्र भी लिखा था, आपने उसमें शंका व्यक्त की थी। मैं आपके विषय पर ही आ रहा हूं।

जब मैंने मुख्य मंत्री पद का चार्ज 14 जुलाई को सम्भाला उस वक्त विपक्ष के नेता महोदय ने एक पत्र लिखा था. उसमें आपने लिखा था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मेरे पत्र का नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप कह रहे हैं कि हमें पानी और अधिक मिला। क्या आपने पंजाब को 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी नहीं दिया? आपने दे दिया वह पानी।

श्री शिवचरण माथुर : आप सुनिये, मैं उस पर आ रहा हूं। पहले आप मेरी बात सुन लें।

आपने शंका की थी, जब मैंने चार्ज लिया था उस वक्त आपने अपने पत्र में लिखा था, मैं वह पूरा पत्र पढ़ कर आप का समय नहीं लेना चाहता हूं। आपने उसमें यह शंका व्यक्त की थी कि आज कल अखबारों में यह खबरें सुनने में आ रही हैं कि राजस्थान का 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी चला जायेगा पंजाब को, इस का आप ध्यान रखें। उसके बारे में मैं जागरुक था और राजस्थान की जनता भी जागरुक थी। मैंने उस समय प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे निवेदन भी इस बारे में किया। मैंने जो पत्र लिखा, उसमें मैंने निवेदन किया कि अखबारों के जरिये हमें यह सूचना मिल रही है कि रावी-व्यास के पानी का समझौता होने की बातचीत चल रही है। उस में राजस्थान के हिस्से के पानी का सवाल इन्वाल्व्ड है इसलिये हमें सुनने का मौका दिया जाय। हमारी बात को सुनने के बाद ही इसके बारे में फैसला किया जाय। उस समय प्रधान मंत्री महोदय ने ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री शिवचरण माथुर : उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अनडिवाइडेड पंजाब के पानी के बंटवारे का सवाल है, इसमें आप के पानी का सवाल नहीं है। राजस्थान के हिस्से के पानी का सवाल इसमें इनवाल्व होने का कहीं भी कोई सवाल नहीं आता है। लेकिन कहीं अगर कोई ऐसा मौका आयेगा तो हम आपको निश्चित रूप से सुनेंगे, यह उन्होंने खुद ने कहा है। हमने इस को स्पष्ट रूप से पूछा है। दो बार हमारे हिस्से को उन्होंने एक्सेप्ट किया है फिर क्या बुराई है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने उसको मानकर उसको लीगलाइज कर दिया।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आप थोड़ा धैर्य रखें। मुख्य मंत्री जी, जब अपना जवाब दें, उसके पश्चात अगर कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो एक दो सवाल आप स्पष्टीकरण के नाते पूछ लें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई डिसटर्बेंस नहीं हो रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनें, आप हारे हुए हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बार-बार हारे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। व्यवधान न डालें।

श्री शिवचरण माथुर : इसके मुताबिक आप देखें कि जो बंटवारा हुआ है उसमें कुल 17.17 मिलियन एकड़ फीट वाटर का हुआ उसका बंटवारा इस प्रकार है, पंजाब को 2.2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला, हरियाणा को 3.50 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला, 8.60 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को मिला, .02 मिलियन एकड़ फीट दिल्ली को मिला और 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी जम्मू कश्मीर को मिला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिल्ली को .2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल गया।

श्री शिवचरण माथुर : ठीक है दिल्ली को मिला, हमारा भी गया पंजाब का भी गया।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं अब जानकारी के लिये यह कहना चाहूंगा, जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि पंजाब को राजस्थान का 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी दे दिया। यह पानी हमारे अभी काम भी तो नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहां पर इस पानी को खपाने के लिये इन्फ्रास्टक्चर भी डवलप नहीं है। यह सच है जो आप जानते हैं और सारी दुनिया भी जानती है, हम 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी को काम में नहीं ले सकते हैं। उस पानी को लेने की क्षमता हमारे अन्दर नहीं है। तो उस पानी का क्या किया जाय, सवाल यह है। वह पानी कहीं न कहीं देश में काम आ जाय तो उसमें क्या दिक्कत है ? मैं समझता हूं कि जब आज उस पानी को काम में लेने की हमारी क्षमता नहीं है और उस पानी को अगर पंजाब काम में ले लेता है तो उसमें क्या हर्ज है ? क्या हम उस पानी को पंजाब को नहीं देकर पाकिस्तान को दे दें ? क्या वह वहां चला जाय ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या वह पानी पाकिस्तान में भी जाता है ?

श्री शिवचरण माथुर : हां जाता है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : फ्लड वाटर के अलावा जाता है तो बतावें ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप मेरी बात सुनिये । 21 मई से सितम्बर तक के बीच में फ्लड वाटर आता है, उसके हिसाब से सन् 1979 में 0.79 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को गया ।

(व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुनिये । जब आप में मेरी बात सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं क्या करूं ?

फ्लड का जो पीरियड होता है उसमें एक तो इनटेक वाला पीरियड है, होता दूसरा होता है आफ टेक वाला पीरियड । इसमें इनटेक पीरियड में तो पानी आता है । उसमें से जो हम पानी काम में ले लेते हैं, जो इम्पाउण्डेड वाटर होता है उसके बाद में जो पानी पाकिस्तान को गया वह 0.38 मिलियन एकड़ फीट पानी 80 में गया और 81 में गया 0.004 मिलियन एकड़ फीट पानी । तो क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान....

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह 0.004 मिलियन एकड़ फीट पानी गया तो फिर उसके एवज में क्या दिया ? आप क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें वास्तविकता क्या है, वह बता रहा हूं । आप सुनिये तो सही जब पानी काम नहीं आता तो हम क्या करते ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप चुप रहते ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह कोई तरीका नहीं है, राजस्थान को बेचने का ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : यह कोई तरीका नहीं है बात करने का ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने राजस्थान के हितों को बेच दिया है । हम उसको बेचने नहीं देंगे ।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप ××× रहिये ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। कृपया शान्त रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने राजस्थान के हितों को बेच दिया है। हम इसको बेचने की स्वीकृति नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : आप सुनिये। ऐसा है कि हमने जो सैटलमेन्ट किया है उसमें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है कि आप बीच-बीच में सवाल पैदा करें। यह कोई उपयुक्त तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम इनको राजस्थान के हितों को बेचने नहीं देंगे। इन्होंने राजस्थान के हितों को बेचा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है। पहले आप उनकी बात सुनें। अगर आपको मुख्य मंत्रीजी की बात सही नहीं लगे, कोई बात गलत दिखायी दे तो उनके कहने के बाद आप स्पष्टीकरण के तौर पर एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विपक्ष के नेता महोदय, पहले मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह दें, उसके बाद में आप प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य डिबेट में बीच में व्यवधान डाल रहे हैं, यह क्या तरीका हुआ ? विपक्ष के माननीय सदस्य ऐसे बोल रहे हैं, जैसे पानी का यहां पर बंटवारा हो रहा है या एग्रीमेन्ट की व्याख्या की जा रही है, अपने-अपने तरीके से व्याख्या करेंगे। अगर उसमें कोई गलती हुई है तो आप उनके भाषण के बाद में प्रश्न पूछें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम उस गलती की पुष्टि इस सदन से नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शिवचरण माथुर : कोई गलती नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : कृपया, मुख्य मंत्री जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपने जो पुष्टि की बात कही है, विपक्ष के नेता महोदय, उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जहां तक सवाल पुष्टि का है उसका तो एक ही तरीका है, वह है मतदान। अगर इधर की शक्ति अधिक होगी तो उनकी बात मान ली जायेगी और उधर शक्ति अधिक होगी तो उनकी बात मान ली जायेगी। लेकिन बीच-बीच में बाधा उपस्थित करना, प्रश्न पूछना अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति का वाद-विवाद में भाग लेने का अपना-अपना तरीका होता है उसमें बाधा डालना, मैं समझता हूं, वाजिब नहीं है।

श्री नाथूसिंह : इन्होंने राजस्थान के हितों को बेच दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। यह कोई तरीका नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अब जो कोई माननीय सदस्य वाद-विवाद में बाधा उपस्थित करेंगे, अगर कोई माननीय सदस्य बाधा उपस्थित करेंगे तो मैं उनको नाम से संबोधित करूंगा और उसके आगे की जो कार्यवाही होगी वह करूंगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई इलाज नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेन्ट की धारा है, उसमें जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ कर सुना रहा हूं :

"Until such time as Rajasthanis in a position to utilise its full share Paujab shall be free to utilise..."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें लिखा है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : शेम कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री धनश्याम तिवाड़ी, मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से राजस्थान को नहीं बेच सकते। इन्होंने राजस्थान के पानी को बेचा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने राजस्थान के हितों को बेचा है। इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इन्होंने राजस्थान के हितों को बेचा है, राजस्थान के हितों को सुरक्षित नहीं रखा है। इन्होंने राजस्थान को बेच दिया है।

(90)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री दुलाराम : इनको पता ही नहीं है कि समझौता क्या हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं मंत्री रहे हुए हैं, इस तरह से समझाना नहीं हो सकता है। आप सुनना चाहते हैं तो शांति से तो सुन लीजिए उनकी बात को। यह कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में बाधा उपस्थित करें। पूरक प्रश्न पूछते रहें और मुख्य मंत्री जी उन सब का जवाब दें। सभी माननीय सदस्यों ने विवाद में हिस्सा लिया है, उनका जवाब मुख्य मंत्री जी देंगे, अपने ढंग से देंगे।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह बताना चाहता था :

"Panjab shall be free to utilise the waters surplus to Rajasthan's requirements. As Rajasthan will soon be able to utilise its share, Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously...".

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मुख्य मंत्री जी, आप आसन के माध्यम से कहिये। इनकी तरफ देखिये ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना नाराज क्यों हैं ? देखने तो हमें भी दो।

श्री शिवचरण माथुर : "....Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously for irrigation of its own lands by the time Rajasthan is in a position to utilise its full share."

यह बहुत साफ इसमें लिखा हुआ है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे आप और पढ़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप फिर उधर देख रहे हैं इसलिए।

श्री शिवचरण माथुर : पहले आकर्षक चीज को देखना ही पड़ता है।

मैं इसलिए कह रहा था कि जो पानी आज राजस्थान के यूज आने की स्थिति में नहीं है उसे पंजाब जब तक हम इसे यूज करने की स्थिति में नहीं आयें तब तक यूज करे। यह इस एग्रीमेन्ट में लिखा हुआ है। फिर जब राजस्थान स्थिति में आ जाय, इस कैपेसिटी में आ जाय तो इस बीच में आल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट करने पड़ेंगे पंजाब को। यह इसमें साफ लिखा हुआ है। उसके लिए पंजाब ने कोशिश शुरू कर दी है। पंजाब ने उसके ग्राउण्ड वाटर को यूटिलाइज करने के लिये उसका एक्सटेंडेड एरिया है उसको इरिगेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्कीम बना ली है और वह काफी हद तक आगे

(श्री शिवचरण माथुर)

बढ़ रही है। 200 ट्यूबवैल लगाने वाली बात उन्होंने कही है। तो उन्होंने आल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट करने वाली बात शुरू कर दी है। मैं समझता हूं कि इसमें हमको शंका करनी ही नहीं चाहिए। इस एग्रीमेन्ट में बहुत इनबिल्ट सैफटी है। हमारे लिए खास तौर से बात यह थी कि जो भी पानी हमको मिलता है, जो हमारी क्षमता बन पाई है, उसे सही तौर से दिलाने की व्यवस्था जो आज तक नहीं थी, उसके संबंध में हमने खास तौर से बात की। भाखरा व्यास कन्ट्रोल मैनेजमेन्ट बोर्ड के पास में जो हैड वर्क्स के कन्ट्रोल वाली बात थी वह पहले बिलकुल वेग थी। आज तक पंजाब ने हैड वर्क्स के मार्फत हमको जो पानी देने की प्रक्रिया अपनाई थी, उससे हमें भयंकर असन्तोष था। हमने लगातार भारत सरकार को और पंजाब की सरकार को यह कहा कि हमको हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए। इस एग्रीमेन्ट में बहुत साफ था। मैं इसके क्लाज 3 को पढ़ना चाहता हूं। यह बात बहुत इम्पार्टेंट है हमारी दृष्टि से—

"The Bhakhra and Beas Management Board shall be permited to take all neceessary measures 'for carrying out measurements and for ensuring delivery of supplies to all the concerned States in accordance with their entitlements, such as relating to gauge discharge corrections...".

यह पहले कभी नहीं था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आलरेडी था....

श्री शिवचरण माथुर : " Installation of self-recording guages, taking observations without any hinderance of the discharge measurements. The selection of control points, at which the Bhakhra & Beas Management Board would take appropriate measures, as mentioned above, shall include, but be not limited to, all points at which Bhakra and/or Ravi Beas discharges are being shared by more than one State, all regulation points on the concerned rivers and canals for determining the shareable supplies."

अलग-अलग स्टेट के हिस्से के मुताबिक उसकी जो शेयरेबल सप्लाई है, वह किस पाइन्ट से मिलनी चाहिए, इस बात का डिटरमिनेशन भी इस एग्रीमेन्ट के मुताबिक होगा पहले नहीं होता था, जब उनको खोलना होता था खोल देते थे और जब बन्द करना होता था तो बन्द कर देते थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताइये, उसमें टाइम लिमिट कहां है ? जिस समय चाहिए उस समय उतना पानी मिलेगा, यह बताइये कहां है ?

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है। क्लाज 3, राजस्थान के लिए जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है वह क्लाज 3 है:

(श्री शिवचरण माथुर)

"The decision of the Bhakhra & Beas Management Board would be binding in so far as selection of control points is concerned."

It is not Punjab, but B.B.M.B., who is final.

"...for the purpose of taking discharge measurements to facilitate equitable distribution of the waters.

"But if any State Government contests the decision ..".

मान लीजिए कि बी. बी. एम. बी. के डिसीजन को कोई स्टेट पसन्द नहीं करती है, उससे सन्तुष्ट नहीं है तो,

"...the Central Government shall decide the matter within three months and this decision shall be final and binding."

मैं समझता हूं कि यह पहले नहीं था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : फिजिकल कन्ट्रोल किस का रहेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : "All the concerned States shall co-operate fully and shall promptly carry out day to day directions of the Bhakhra Beas Management Board...".

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप नाराज मत होइये।

श्री अध्यक्ष : नहीं मैं नाराज नहीं हूं। जब आप बोलोगे तो आपकी बात सुन लूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप दोनों तरफ ही देखिये ना।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, आप गेट की बात कह रहे हैं वह बात कहना चाहता हूं।

"...in regard to regulation and control of supplies, operation of gates...".

आपरेशन आफ गेट्स भी इसमें शामिल है।

"...and any other matters in their territories for ensuring delivery of supplies as determined by Bhakhra Beas Management Board in accordance with their entitlements as provided in this agreement."

अब उसमें क्या बाकी रह गया है ? इंक्लूडिंग गेट्स एनी अदर मैटर भी आज बी. बी. एम. बी. के कन्ट्रोल में रहेंगे। यह एग्रीमेन्ट है उसके हिसाब से कन्ट्रोल पाइन्ट बने या नहीं और उसके हिसाब से पानी मिला है या नहीं मिला है। इस एग्रीमेन्ट के बाद मैं अभी का परिणाम आपको बताऊं कि इस सीजन में इस एग्रीमेन्ट के बाद में जितना पानी आज मिल रहा है मैं समझता हू कि पहले कभी नहीं मिला था। आज के

(श्री शिवचरण माथुर)

सीजन में 6500 क्यूसेक्स पानी हमें मिल रहा है, राजस्थान कैनाल से जो 6000 के बजाय 6500 है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री शिवचरण माथुर :...पिछले दिनों में इस सीजन में 5000 और 55,00 क्यूसेक्स पानी मिला था आज राजस्थान कैनाल के माध्यम से 6500 क्यूसेक्स पानी राजस्थान को मिल रहा है। गंग कैनाल से जो हमको पानी मिलता था वह 1500 क्यूसेक्स पानी मिलता था वहां आज के सीजन में गंग कैनाल से 2200 क्यूक्सेस पानी मिल रहा है, जिसमें से 2000 क्यूसेक्स पानी इस एग्रीमेंट के बाद में मिला। उसका तुरन्त प्रभाव यह हुआ। मैं समझता हूं कि इसके सुनने के बाद आपकी शंका दूर हो गई होगी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने तो प्रयास करके 2000 क्यूसेक्स पानी राजस्थान को दिलवाया इस सीजन में लेकिन जनता पार्टी की सरकार....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो इस एग्रीमेंट की बात करो।

श्री शिवचरण माथुर :....जिस समय आप मुख्य मंत्री थे उस समय हैड वर्क्स के कन्ट्रोल को देने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री जी के पास जब आप गये और आपने उनको बताया कि हमको वक्त पर पानी नहीं मिलता है और हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करके कहा कि देना पड़ेगा। मैं तो नहीं था लेकिन मैंने सुना है कि वहां पर प्रधान मंत्री ने यह कहा कि एक हफ्ते के अन्दर अगर पानी नहीं मिला तो देख लेंगे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस समय टेबल के नीचे कौन था ?

श्री दुलाराम : उस समय प्रकाश सिंह बादल ने आप को कहा था कि पंजाब सारे गंगानगर को बहा देगा। यहां तक उन्होंने आपको धमकी दी थी....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : नहीं कहा।

श्री दुलाराम : सही है यह। आप थे ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। शांत रहें।

श्री शिवचरण माथुर : आपको याद होगा, नेता महोदय, यह घटना 3-7-77 की है। प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान के हिस्से का पानी मिलना चाहिए लेकिन उस समय पंजाब की सरकार आपकी भागीदार थी। प्रकाश सिंह बादल की सरकार खतरे में थी और चन्द्रशेखर जी, जो आपके अध्यक्ष थे, आपके पास आये और उन्होंने कहा कि इस पर बहुत ज्यादा जोर

(94)

(श्री शिवचरण माथुर)

मत दो बाद में देख लेंगे, आपस में बातचीत कर लेंगे। अगर ऐसा करोगे तो हमारी पंजाब की सरकार चली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल गलत कह रहे हैं आप। पाइन्ट आफ आर्डर सर अध्यक्ष महोदय, आपने चन्द्रशेखर जी का नाम लिया कि चन्द्रशेखर जी आये थे। मैं इस सदन को विश्वास देकर कहता हूं कि चन्द्रशेखर जी नहीं आये थे और न मैंने उनसे इस विषय पर बात की थी। मुख्य मंत्री जी इस तरह की बात कहें मुझ से पहले पूछ लें, कौन आया, किस तरह की बात हुई क्या हुई....

श्री शिवचरण माथुर : आपने मुझे कहा था, पी. ए. के कमरे में कैद रहा। ताले में बन्द रहा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने भाषण का जवाब देने के लिए कहा है, मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जो बात मैंने की है....

श्री जयकृष्ण शर्मा : जवाब सही दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो अखबारों में छपा। आपको पकड़ कर ले गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी उस समय यदि तत्परता से काम करते और प्रधान मन्त्री के प्रभाव का उपयोग करके राजस्थान को पानी दिलाते तो मैं समझता हूं कि हैड वर्क्स का कन्ट्रोल उस वक्त मिल गया होता। लेकिन उन्होंने यह नहीं किया और केवल....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अब ले लिया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ...

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये। आपने कल मुझे × × × की संज्ञा दी है। उस वक्त यह फैसला कराते लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट आपकी कहीं चली न जाये इसलिए उस फैसले को ताक में रखकर राजस्थान के हितों को आपने बलिदान कर दिया....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बलिदान कहते हैं। आप कहते हैं मोरार जी भाई के समय में हो सकता था। इंदिरा गांधी के तो आप × × थे अब क्यों नहीं करा लिया ?

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : हो गया....

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Where is the physical control

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं कि हैड वर्क्स के बारे में जो कुछ भी हमारे कानूनी हक में हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट के मुताबिक, सेंट्रल एक्ट के मुताबिक दिए हुए हैं उनको हमने कभी सरेन्डर नहीं किया है। Without prejudice to our rights हमने तो केवल यह बात कही है

"without prejudice to the rights"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहां लिखा हुआ है ?

श्री शिवचरण माथुर : वह तो पार्लियामेंट के एक्ट में है। यह कानून वहां का है। आप बतायें पार्लियामेंट का एक्ट है, कोई एग्रीमेंट उसको सुपरसीड कर सकता है क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसा एग्रीमेंट क्यों कर दिया जो एक्ट के विरुद्ध हो ? क्यों किया आप लोगों ने ?

श्री शिवचरण माथुर : कोई एग्रीमेंट नहीं किया। हमारे राइट है। अगर समझौते के आधार पर पानी नहीं मिलता है तो हम....

(व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह : मौका आया था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप समझा दीजिये। कानूनी प्रक्रिया आप बता दीजिये ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं नहीं कह रहा हूं। कानूनी पोजीशन है आप मालूम कर लीजिये। हमने मालूम कराई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून की ए. बी. सी. डी. से काम नहीं चलेगा। जेड तक पहुंचना पड़ेगा। आपकी नालेज ए. बी. सी. डी. तक है। आपने एग्रीमेंट ऐसा क्यों किया ? माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा, मोरारजी भाई के समय कर लेते। आपको याद होगा कि मोरारजी भाई को हमने चिट्ठी लिखी, आपको याद होगा मोरारजी भाई ने पंजाब के मुख्य मन्त्री पर दबाव डाला। यह स्थिति पहुंच रही थी उस समय हम चले....

श्री चन्दन मल बैद : बहुत अच्छा किया आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात सुन लीजिये। जाने के बाद आवश्यकता इस बात की थी कि जब मोरारजी भाई को चिट्ठी लिखी राजस्थान का दबाव पड़ रहा था तो उस दबाव को कन्टीन्यू करते। उस दबाव को कन्टीन्यू नहीं किया। आपने घुटने टेककर मैनेजमेंट की कुछ बातें अपने हाथ में लेकर फिजिकल कन्ट्रोल को सदा के लिये दफना दिया....

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : तत्कालीन सिंचाई मंत्री भारत सरकार बरनाला ने क्या कहा था, पंजाब सरकार ने क्या कहा था, वह आपके ध्यान में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहाड़िया जी ने क्या कहा था वह भी मेरे ध्यान में है।

श्री दुलाराम : आपने क्या कहा था मेरे ध्यान में है। मैं वहां मौजूद था। आप पर दबाव पड़ा। चन्द्रशेखर जी सरिस्का आये थे। आप वहां गये थे। आपको मनाया गया फिर आप माने....

श्री महेन्द्रसिंह : शेरों से डर गये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय शेखावत जी ने कहा कि आपको दबाव रखना चाहिये था। आपकी सरकार आने के बाद ठीक 6 महीने बाद यह मालूम पड़ गया था कि सरकार नहीं चलने वाली है। 3-10-77 को आपकी शुरूआत हुई। 14-2-79 को मीटिंग हुई। मैं पूछना चाहूंगा दो साल तक कहां थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपने क्या कर लिया ?

श्री शिवचरण माथुर : दो साल तक आपने क्या किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने 18 साल तक क्या किया ? 55 में एग्रीमेंट हुआ, सन 66 में एक्ट बना। उसके बाद आप मंत्री थे। आप बता दीजिये। मैंने राजस्थान को लेकर कागज भी लिखे, मोरारजी भाई पर दबाव भी डाला। आप मंत्री थे, आपने क्या किया ? जिस समय आप मंत्री थे, आपने क्या किया ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं विभाग का मंत्री नहीं था।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी फाइलें देखी हैं। एक पत्र बता दीजिये पुरानी सरकार ने जो भारत सरकार को लिखा हो। हैड वर्क्स को ट्रांसफर किया जाये। शुरूआत मैंने की और डुबोया शिवचरण जी माथुर ने....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं मैंने मोरारजी पर दबाव डाला। आप तो डरते थे उनसे। स्थिति तो यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मोरारजी से डरता था या नहीं डरता था....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस सदन ने माना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं किस से डरता था किस से नहीं डरता था लेकिन आप तो हमेशा हर आदमी से डरते हैं। पहले पहाड़िया जी से डरते थे अब माथुर साहब से डरते हैं। आपका तो डरने का इतिहास हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपको मौका मिला था लेकिन आपने कुछ नहीं किया हमने आज हमारे पानी की सबसे पहले व्यवस्था की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पानी बेच दिया।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं इतनी बात कहना चाहता हूं राजस्थान के पानी को सुरक्षित रखा है। हमारे राइट्स को एब्रोगेट नहीं किया है जिस दिन हम क्षमता डेवलप कर लेते हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब आपकी क्षमता डेवलप नहीं होगी, तब तक पानी नहीं मिलेगा।

श्री दुलाराम : सुनने की क्षमता रखो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस क्लाज को इन्होंने पढ़ कर सुनाया है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप चाहेंगे तो कभी डिस्कशन रख लेंगे। अभी वाद विवाद का उत्तर आने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आपने ईजमेंट का जिक्र किया। मैं समझता हूं, ईजमेंट का राइट बनता नहीं है। इसको बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। यह पानी का उपयोग....

(व्यवधान)

इस पानी का उपयोग पंजाब तब तक करेगा....ईजमेंट का राइट कहां आता है....?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ईजमेंट के राइट की बात ही नहीं रही। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट करना चाहूंगा....

श्री शिवचरण माथुर : बाद में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी। इन्होंने पढ़कर सुनाया "Until such time as Rajasthan is in position to utilise its full share...."

फुल शेयर की जानकारी चाहता हूं। दूसरा "Punjab shall be free"....

वहां शैल प्रयोग किया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : क्या हो गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लिये कुछ नहीं हुआ। राजस्थान रोयेगा इसके लिये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"Punjab shall be free to utilise waters surplus to Rajasthan's share..."

तीसरी बात—मैं आपसे यह जानना चाहूंगा यह जो आपने कहा

"As a result, it is expected that during this transitional period, when Rajasthan's requirements would not exceed 8.5 million acre ft. of water, 4.82 m. a. f. of water should be made available to Punjab."

यह अध्यक्ष महोदय, पंजाब को दिया है 4.22 । इसमें राजस्थान का जो कह रहे हैं 60 लाख फीट पानी लाये हैं । इस एग्रीमेंट के हिसाब से दे दिया । मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था पंजाब से आगे भी नहीं मिलेगा । 3.5 का एग्रीमेंट उसके लिए झगड़ा चल रहा है । पंजाब को पानी मिल रहा है 6.69 मिलियन एकड़, आज के दिन मिल रहा है । उसके लिए अब हमारे ऊपर एग्रीमेंट लेकर आये हैं जिसके आधार पर राजस्थान को 4.62 मिलियन एकड़ पानी 82 तक मिलता रहेगा । आप उनके हाथ मजबूत करके आये हैं । पानी मिलने का सवाल ही कहां पैदा होता है ? आप मुझे इसका अर्थ बता दीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : क्लाज दो को समझाने की चेष्टा की । इसके साथ ही क्लाज (3) स्पष्ट रूप से है । अब आप समझने की चेष्टा नहीं करते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चेष्टा नहीं । राजस्थान का पानी जा रहा है यह हमारे लिये दुर्भाग्य है....

श्री अध्यक्ष : यह आप कल कह चुके हैं । यही बात जो आज आप कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन समझ में नहीं आता तो क्या करें ? मैंने दुबारा कह दिया कोई गलती नहीं की ।

श्री अध्यक्ष : रिपीटिशन अलाऊड नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये कि इनकी समझ में आ जाय ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी समझ में खूब आ रहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई समझ में नहीं आ रहा है । आप जवाब दीजिये । फुल शेयर का मतलब बता दीजिये । राजस्थान के फुल शेयर का मतलब क्या है यह बता दीजिये ?

श्री शिवचरण माथुर : अब आगे सुनिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे क्या, यही बता दीजिये । फुल शेयर का मतलब क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : 8.62 ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय । राजस्थान को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बेच रहे हैं। जब तक 8.60 मिलियन एकड़ की फुल केपेसिटी नहीं होती, राजस्थान का जब तक वह पानी उनको मिलता रहेगा....

व्यवधान

आप समझते नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह शेरगढ़ की पंचायत का मामला नहीं है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : एलएल. बी. पास हूं। मैट्रिक पास नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एलएल. बी. से काम नहीं चलेगा।

आप यह बतायें कल जो मैंने आरोप लगाया था कि 6.8 मिलियन केपेसिटी तैयार नहीं होगी। मान लीजिये 10-20 मिलियन केपेसिटी की क्षमता हो जाती है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह आपका सोचना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पानी को बेचने का एक षड़यन्त्र मुख्य मंत्री ने किया है....

(व्यवधान)

और सुनना नहीं चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी नहीं चाहते हैं। हम इस सदन से बहिष्कार करते है और मुख्य मंत्री जी को आगाह करते हैं....

(व्यवधान)

आप बीच में क्यों बोल रहे हो....

(व्यवधान)

You are not discharging the duties of Chief Whip. You are discharging the duties of a XXX You are not Chief whip. You are a XXX

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप की ड्यूटी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो ऐसी ××× कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ : हर बात में ××× आप समझते नहीं हैं। क्या आप कहते हैं वही सही है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो श्रीमान जी इन्दिरा गान्धी की आज जय बोलने लगे हैं। 77 में जब धक्का लगा था उस समय छोड़कर भाग गये थे।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कौन छोड़कर भाग गये थे ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आज इन्दिरा गान्धी की जय बोल रहे हो। कल इन्दिरा गान्धी हार जाय तो पहले व्यक्ति होंगे खेतसिंह जी जो छोड़कर चले जायेंगे। वह तो आपको अच्छी तरह से जानती हैं...।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। अपने पास में रखिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बता दीजिये 8.6 मिलियन एकड़ की केपेसिटी....

श्री अध्यक्ष : आपने जो समस्या रखी, उसको बता दिया। अब उनका उत्तर सुन लीजियें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है राजस्थान को किस प्रकार उसकी केपेसिटी को रखा जायगा....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कहां लिखा है यह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है कहां इससे ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री दुलाराम : ××× आप क्यों बोल रहे हो ? आप समझते नहीं हैं एग्रीमेंट क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दुलाराम : कौनसा एग्रीमेंट है ? कौनसी बहस चल रही है ? आपको पता ही नहीं है। है क्या एग्रीमेंट ?

श्री महेन्द्र सिंह : आपको यह भी पता नहीं है कि रात को नहर चलती है या दिन में नहर चलती है। आपको पता है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा....

श्री महेन्द्र सिंह : अरे आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य।

ऐसा है, विपक्ष के माननीय सदस्य और नेता महोदय इस सदन के वाद विवाद के नियमों से अच्छी तरह परिचित हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डिबेट के अन्दर बाधा पैदा की जा रही है, उनको यह नहीं करना चाहिये। ठीक है, उनका इस एग्रीमेंट के बारे में अपना एक मत हो सकता है,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

किसी का दूसरा हो सकता है तो आपने ध्यान आकर्षित कर दिया अब इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टीकरण कर दिया और मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण दे देंगे। आप सन्तुष्ट हैं या नहीं हैं इसका यहां फैसला नहीं हो सकता है। विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, मैं अन्तिम पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैंने उसकी भी इजाजत दे दी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द आप कहना चाहते हैं, मुझे कहना है। मैं कहूंगा हमारे पक्ष को सुनने की क्षमता नहीं है। जो परम्परायें आप डाल रहे हो, आपको मालूम है वह परम्परा कैसी रहेगी ? आप मेरी बात को सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : लगातार व्यवधान कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवधान तो आप करके आये हैं वहां।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बिलकुल स्पष्ट कहना चाहता हूं जो इन्टरप्रिटेशन विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने किया है वह नहीं है। राजस्थान को उसके हिस्से का पानी निश्चित रूप से मिलेगा। यह मैं बता देना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिल गया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इसका मतलब तो यह नहीं है। इसमें लिखा है शैल हैव....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मध्य प्रदेश में चम्बल के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां हरियाणा से मध्य प्रदेश चले गये।

श्री अध्यक्ष : यह तो उनका अपना मसला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो क्रम की बात बता रहा हूं, क्रम तो बता दें, किस क्रम से बोल रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आप मानते नहीं हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मानने का सवाल ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्पष्टीकरण देवें। अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण दे दिया, पचास दफा दे चुके हैं। फिर कहते हैं, अब कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार स्पष्टीकरण देते रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई बाजार नहीं है जिसमें मदिरा लेकर चुपचाप चले जायेंगे। यह राजस्थान की विधान सभा है जवाब देना पड़ेगा। शेरगढ़ की पंचायत नहीं है। यहां जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान के हितों को बेचकर आये हैं उसका जवाब यहां देना पड़ेगा।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान के हितों को आपने बेचा है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : राजस्थान के हितों को आपने बेच दिया है....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 8.6 का मतलब क्या है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। सदन की कार्यवाही में बाधा न पहुंचाये, मानीनय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह, श्री गुलाब चन्द कटारिया को नाम से सम्बोधित करने के लिये बाध्य न करें....।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : फुल शेयर का मतलब क्या है ? हमारे हितों की रक्षा नहीं की गई है....।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से....। कृपया सदन से बाहर पधार जांय,

(व्यवधान)

बाहर पधार जायं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया सदन से बाहर पधार गये)

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान जले, राजस्थान तरसे, राजस्थान के लोग पानी के लिए बेघर हो जायं, राजस्थान में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बाहर पधार जायं और जो माननीय सदस्य खड़े होंगे, बाधा उपस्थित करेंगे उनको मैं कहूंगा कि बाहर पधार जायं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, बाहर पधार जायं।

श्री मेघराज तावड़ : उसका पूरा पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा....

(व्यवधान)

आप कहते हैं कि हम बोलें नहीं और बाहर पधार जायं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाहर पधार जाइये आप।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : ये राजस्थान का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आप कहें कि सदन छोड़कर चले जायं तो....

श्री अध्यक्ष : मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य को 15 दिन सदन की सदस्यता से सस्पेन्ड किया जावे।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जोर आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कर दूं ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : हम तैयार हैं।

(व्यवधान)

आप × × × कर रहे हैं, विरोध की आवाज को दबा रहे हैं। ये....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शान्ति से सुनिये।

श्री मेघराज तावड़ : शान्ति से सुन रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और मुख्य मंत्री जी ने उनका उत्तर दिया....

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : प्रश्न पूछे या शोर मचाया ?

कई माननीय सदस्य : हम नहीं सुनेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : ये × × × हैं, जो बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रस्ताव के जो पक्ष में हों, हां कहें ...

श्री जगतार सिंह : हम तो × × × हैं, आप क्या हो ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब हमारे लीडर को आपने नहीं बोलने दिया तो हम भी विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे। आपकी बात हमने कल डेढ़ घण्टे तक सुनी, लगातार हमने आपको शान्ति से सुना, डेढ़ घण्टे तक जो कुछ आपने कहा लेकिन आज आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। ये कोई तरीका है ? आखिर दूसरे की बात को भी सुनना चाहिए। ये पहले पहाड़िया जी के वक्त में भी यही करते थे, सदन को छोड़कर चले जाते थे। ये सुनना नही चाहते हैं, अनर्गल करते हैं। क्या करना चाहते हैं ? इन्ट्रप्ट रते हैं।

× × × अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किया गया।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : हम भी देखते हैं, विपक्ष के नेता कैसे बोलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्होंने पहाड़ियाजी के वक्त में भी भाषण नहीं सुना और अब भी नही सुनना चाहते·········

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : मुख्यमंत्रीजी स्पष्टीकरण दे चुके हैं, हम कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता को हमेशा सुनते हैं लेकिन ये हमें नहीं सुनते ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : ये चाहते हैं कि अपनी बात कह जायें और दूसरे की बात नहीं सुनें और परसों से·········

(व्यवधान)

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : × × नहीं बोलने दिया जायेगा, पहले मुख्यमंत्रीजी का भाषण सुनो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। विपक्ष के नेता महोदय।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बोलिये, पहले कौन बोलता है।

श्री रामनारायण डूंडी : पहले नेता महोदय का भाषण पूरा हो, फिर बोलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं आपका ध्यान नियम 290 की तरफ दिलाना चाह रहा हूं। "किसी मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य-लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाये कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।" मैं आपको इसकी व्यवस्था करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पाइन्ट आफ आर्डर की तरफ कि जब से मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो उस वक्त कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है इसलिए आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : अगर हो हुल्लड़ से ही चलाना है तो प्रस्ताव हमारा पास होगा ही होगा।

(व्यवधान)

श्री अहमदबक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, ये गलतफहमी और ये मिस अन्डरस्टेन्डिग इसलिए पैदा हो रही है, जो पैराग्राफ एग्रीमेंन्ट का है, पूरा नहीं पढ़ा जाता। अगर पूरा पढ़ा जाय तो ये मामला बिलकुल साफ हो जाता है······

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ हम कोई शिक्षा नहीं ले रहे, यहां नेता जी के भाषण सुनने के बाद ही कोई बोल सकेगा। मेरा एक ही निवेदन है, आप पैरा को पढ़िये, हमें पैरा नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, इन्टरप्रिटेशन या उसके मायने क्या है यह मामला यहां पर विचाराधीन नहीं है। सवाल यह है, प्रश्न यह है कि आप एक इन्टरप्रिटेशन दे रहे हैं, आपने एक इन्टरप्रिटेशन दिया, मुख्य मंत्रीजी ने उसका उत्तर दिया। अब क्योंकि विवाद है इसलिए उस विवाद को पहले यहां आप तय करवाना चाहते हैं। ये नियमों के अनुसार उचित नहीं है। यहां बाधा उपस्थित की जा रही है, आप सुनने को तैयार नहीं हैं। उसके पश्चात् ये नहीं कि दुबारा चर्चा होनी चाहिए। एक दो प्रश्न स्पष्टीकरण के तौर पर पूछना चाहें तो इजाजत दी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूंडी : नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

ये कोई तरीका हुआ, अध्यक्ष महोदय. विपक्ष के नेता महोदय अपनी बात तो हमें सुना दें, कल········

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शायद कुछ····

(106)

श्री दुलाराम : पहले सदन के नेता का भाषण हो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, × × ×
हम चुपचाप सुनते रहे इनकी बात लेकिन आज ये क्या बात करते हैं । आप अपने दामन में देखें, बाद में । राजस्थान के हितों को आपने मोरारजी भाई के कहने से बेच दिया । 77 से 80 तक क्या किया आपने ? अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है, पंजाब में भी इन्होंने यही किया, इस एग्रीमेंन्ट को लेकर हरियाणा में भी यही किया । वहां पर कुछ कहते हैं, पंजाब हरियाणा में कुछ कहते हैं राजस्थान में कुछ कहते हैं । इनकी पार्टी की नीति है जैसे भी हो सरकार को मैलाइन करो । ये बोलने नहीं देना चाहते हैं । पहाड़िया जी को भी इन्होंने बोलने नहीं दिया । ये किसी की बात को नहीं सुनते । आपके विपक्ष के नेता बोलते हैं तो हम लोग इज्जत देते हैं, इनकी बात को शान्तिपूर्वक सुनते हैं, कल आप बतायें एकआध कहीं इन्ट्रप्ट किया हो, एकआध कोई मजाक हो गई हो, वह दूसरी बात है । आज आप सदन की गरिमा को नष्ट करके, मुझे उम्मीद नहीं थी विपक्ष के नेता से जो बड़े लिनिएन्ट आदमी हैं लेकिन आज सदन की गरिमा को नष्ट करने में लगे हुए हैं, सदन के नेता को बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये कहां तक इनका व्यवहार उचित है, मैं आप से पूछना चाहता हूं ?

(व्यवधान)

श्री दुलाराम एवं अनेक माननीय सदस्य : एक मिनट नहीं बोलने देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर····

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : No.No.

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, जब ये तत्कालीन सरकार के मुख्य मंत्री थे तब कहा करते थे कि मैं विपक्ष को इस तरह से नहीं बोलने दूंगा । उन्होंने कहा था कि मैं इस सदन को नहीं चलने दूंगा । आज वही विपक्ष के नेता सदन में हल्ला कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है । आप रिकार्ड को देख लीजिए । ये सदन के नेता को नहीं बोलने देंगे तो हम भी इनको नहीं बोलने देंगे····

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान····

श्री दुलाराम : जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आज ये व्यवधान डालना चाहते हैं और इशारे कर कर के व्यवधान डालना चाहते हैं। ये वरिष्ठ सदस्य हैं और इसके साथ साथ विपक्ष के नेता भी हैं । मुझे शर्म आती है कि इस तरह से इशारे कर करके माननीय सदस्यों को खड़ा किया जाता है । चतुर्वेदीजी क्या बात कर रहे हो पंजाब सरकार की ? आप तो मुंह तक नहीं कर सके पंजाब की तरफ । आपको डर लगता था अगर चले जाते तो × × × और बात कर रहे हो जरनैलसिंह भिण्डरवाला की····

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या करें ? जो भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहे गए हैं उनको एक्सपंज कर दिया जावे।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : यह इनकी बोलने की शालीनता है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम व अनेक माननीय सदस्य : नो नो ...गलत ढंग का व्यवधान नहीं डालने दिया जाएगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जब नेता महोदय बोल रहे हैं तो आप क्यों खड़े होते हैं ?

श्री दुलाराम : बैठिये, आप ज्यादा गुस्सा मत दिखाइए।

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मंत्री परिषद के सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, पुनर्वास) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। विपक्ष के नेता जब चाहें × × × फट फट बजा कर कभी इशारा करते हैं, कितने शर्म की बात है कि आप इस तरह से इशारे करते हैं। क्या यही सदन की गरिमा है ? विपक्ष के नेता होकर आप × × × मजाक करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जब सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप यहां बोल रहे थे तो विपक्ष के माननीय नेता ने उनको × × × कहा है। यह अनपार्लियामेंट्री शब्द है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा....

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : ....कि हाउस कि प्रोसिडिंग्स से इसको एक्सपंज किया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो दे दिया समय आपको। आप बोलिये, कहिये।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय....

अनेक माननीय सदस्य : No No No No....नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप यदि व्यवस्था हम पर लागू करना चाहते है तो इन पर भी लागू करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। शांति से सुनिये।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूंडी : अध्यक्ष महोदय, जब तक मुख्य मन्त्री अपना भाषण पूरा नहीं कर लेवे तब तक विपक्ष के नेता का एक वर्ड भी हम सुनने को तैयार नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : बैठ जाओ, बैठ जाओ, ××× ।

श्री दुलाराम : विपक्ष के नेता इशारे करके हमारे नेता को नहीं बोलने दें और खुद बोलना चाहें, यह नहीं हो सकता। इसको सत्ता पक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री भैरोंसिंह गूर्जर : नहीं बोलने दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जब विपक्ष के माननीय नेता मुख्य मंत्री थे और हम विपक्ष में बैठते थे। हमने जब ये भाषण दे रहे थे तो इनसे एक दो सवाल कर लिए तो ये इतने आवेश में आ गए कि मैं हाउस को चलने नहीं दूंगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे। तो वही बात इधर मुख्य मंत्री की हैसियत में बैठ कर कह सकते थे वही बात विपक्ष में बैठ कर पीछे से यों हाथ के इशारे जो पहले करते रहते थे, यों इशारे करते रहते हैं, आगे से कुछ करते रहते हैं और हाथ को पीछे ले जाकर यों इशारे करते रहते हैं। यहां बैठ करके इनको कम से कम विपक्ष के नेता होने के नाते इनका परम कर्त्तव्य है कि हाउस में जो भी प्रोसिडिंग्स हो उसको सुचारु रूप से चलने दें। हमने इनको दो दो घण्टे तक सुना है और अनर्गल प्रचार इन्होंने किया, जो जो मिथ्या बोले, जो अपशब्द बोले हैं, जो असत्य बोले हैं, उनको हमने शांतिपूर्वक सुना है। हम न सुनने वाले थे न इनको बोलने देते लेकिन हमने कल शांति से सुना है और इसीलिए सुना कि विपक्ष के नेता हैं इसलिए विपक्ष के नेता का सम्मान करना चाहिये।

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई

सुश्री पुष्पा जैन : आप क्या सुनते रहे है....

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्योंकि जैसा आदमी होगा वैसा ही बोलेगा।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : हमने इनको × × × नहीं कहा। कल इन्होंने × × कह दिया, हमने सुनी उनकी बात लेकिन हमने उनको × × × नहीं कहा। ये × × × है। नहीं बोलने देंगे इनको भी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप व्यवस्था करिये अध्यक्ष महोदय। आप हमें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी।

अनेक माननीय सदस्य : No No No

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 3.25 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक म. प. 3-55 बजे पुनः प्रारंभ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था विरोधी पक्ष ने मेरे पर यह चार्ज लगाया कि हम लोग हरिजन विरोधी हैं और 14 जुलाई, 1981 के बाद में हरिजनो के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार ने किया है, उनकी सुविधाओं को वापस लिया है। इसके बारे विगत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

14 जुलाई, 1981 को इस सरकार ने चार्ज लिया और उसके बाद में शिड्यूल्ड कास्ट के वेलफेयर के लिये जो कार्यक्रम बनाया गया उनके सम्बन्ध में जानकारी आपको देना चाहता हूं। शिड्यूल्ड कास्ट के वेलफेयर के लिये 1978-79 में 2 करोड़ 71 लाख रुपया खर्च किया गया जबकि 1981-82 में जो हमारा समय है उसमें 11 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च किया गया है शिड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेन्ट प्लान जो बिलकुल कांग्रेस की नई सरकार आई 1980 में उसने यह विशेष रूप से चलाया। जनता पार्टी की सरकार के वक्त इस पर कोई प्लान नहीं था। 1980-81 में हमारे इस कम्पोनेन्ट प्लान में 30 करोड़ 41 लाख 81 रुपये का प्रावधान रखा गया और इस साल 37 करोड़ 98 लाख का प्रावधान रखा है। अन्त्योदय जो जनता पार्टी की सरकार की स्कीम थी उसमें बहुत-सी खामियां थीं और

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

उसके कारण लाभ गरीबों को नहीं मिल करके ऐसे समाज को मिलता था जिनको कि गरीब नहीं कहा जा सकता था, लेकिन एक राजनैतिक आधार पर ग्रामीन इलाके में जनता पार्टी का बेस बनाने के लिए इस योजना को प्रारम्भ किया गया और उसमें सरकारी धन का अपव्यय किया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करूं कि इस सारी स्कीम में उस समय 28 हजार लोगों को बेनीफिट मिला, उसके मुकाबले 1981-82 में कांग्रेस की हमारी सरकार ने 78 हजार लोगों को बेनीफिट देने वाली बात की है। फेमिली ओरियेन्टेड प्रोग्राम में इनके वक्त में यह कार्यक्रम नहीं था। इस साल इस नयी सरकार के आने के बाद निश्चय किया कि हम एक लाख व्यक्तियों को इसका लाभ देंगे और मेरे पास दिसम्बर, 1981 तक के फिगर्स हैं, दो महीने के फिगर्स आने बाकी हैं। दिसम्बर 1981 तक 1 लाख के टार्गेट में से 62 हजार 14 व्यक्तियों को लाभान्वित कर चुके थे।

इसी तरह से शिडयूल्ड कास्ट के खेतों पर कुओं को जेनरेट करने का प्रोग्राम हमने हाथ में लिया। इसमें आज तक जितने टार्गेट रखे थे, इसमें सबसे अधिक टार्गेट शिडयूल्ड कास्ट के कुओं पर बिजली पहुंचाने का रखा गया। 1980-81 में 1857 कुओं पर शिड्यूल्ड कास्ट को बिजली दी गई, उसके मुकाबले साढ़े तीन हजार का लक्ष्य निर्धारित किया गया और दिसम्बर तक 2268 कुओं पर शिड्यूल्ड कास्ट को बिजली पहुंचाई गई, जो 1980-81 के कार्यक्रम में टोटल आउटे ले का 8% था, इस साल हमारे टोटल आउट ले का वह 15% हिस्सा बनता है। वो इसी प्रकार से इस सरकार ने खास तौर से 14 जुलाई के बाद एक नया कार्यक्रम अपने हाथ में लिया सैकन्डर स्कूल में होस्टल की बात। यह देश में पहली बार किसी प्रदेश में हुआ है जबकि हमने विशेष रूप हरिजनों के लिये होस्टल चलाने वाली बात सोची। हम 37 होस्टल्स आज तक खोल चुके हैं। हमारा लक्ष्य 40 होस्टल का था उसमें से 37 होस्टल हम खोल चुके हैं और 15 लाख में से 12 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि साल के अन्त तक हमारा लक्ष्य पूरा होने की पूरी आशा है। सारे मुल्क में यह फिगर सबसे ऊंचा है और मैं यह मानता हूं कि इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार हरिजन विरोधी है या हरिजनों को सबसे अधिक लाभ देने वाली सरकार है।

प्रिमैट्रिक स्कॉलरशिप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 78-79 में 173 लाख का प्रावधान किया गया था और आज इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया प्लान के अलावा यह पहली बार नान प्लान एक्सपेंडीचर में रखा गया है। यह सरकार हरिजनों को लाभ देना चाहती है या नहीं आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को पहले 25 रुपये प्रतिमाह थी उसको बढ़ाकर 60 रुपया प्रतिमाह किया है मैं समझता हूं कि

(श्री शिवचरण माथुर)

यह भी अपने आप में राजस्थान एक कीर्तिमान है।

दूसरा, महत्वपूर्ण प्रोग्राम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हाउसेज लोन के आधार पर बनाने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट के लिये जिसकी कीमत 750 रुपया है, पूरी तौर पर स्थापित करने का प्रोग्राम इस सरकार ने हाथ में लिया। उसका लक्ष्य था 17 हजार मकान बनाने का और हम 10 हजार मकान बना चुके हैं कोई भी विपक्ष का माननीय सदस्य या और कोई जाकर देख सकता है कि जमीन पर ये मकान बन चुके हैं। ये फिगर अप टू डेट नहीं हैं, अप टू डेट होने पर यह 10 हजार से और अधिक ही होंगे। रिकार्ड टाइम में इतने मकानों का कार्यक्रम कभी भी हाथ में नहीं लिया गया है और अगर लिया भी गया तो इम्प्लीमेंट करने की बात, जो मैं समझता हूं कि विशेष रूप से कही गयी है बीस संकल्प में उसको पूरा करने की इससे पहले नहीं हुई।

इसी प्रकार से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, मेघवाल ने कहा जो कर्ज शिड्यूल्ड कास्ट को दिया जाता था उस पर जो ब्याज दिया जाता था पहले सरकार दिया करती थी उसको अब खतम कर दिया है। तो, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि पहले के वक्त में स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को 25 से 33 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती थी उसके बाद ब्याज और दिया जाता था लेकिन हमने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की सब्सिडी बढ़ाकर एक साथ 50 प्रतिशत की और ब्याज नहीं दिया। जो पैसा उन लोगों को आज मिलना है उसमें ब्याज मिलाकर भी बहुत लाभ मिल सकता है उससे अधिक लाभ देने वाली लाभदायक बात यह मेरी सरकार ने की है। यह लाभदायक है या नहीं है अब यह उनके विवेक की बात है। यह उनके विवेक पर छोड़ता हूं।

इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम हाथ में लिया गया है और यह पहली बार राजस्थान में लिया गया जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। शिड्यूल्ड कास्ट के यूथ्स हैं उनके शिक्षण-प्रशिक्षण के लिये ट्रेनिंग देने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें करीब 2000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने की बात सोची है और इसमें उन सब कामों की ट्रेनिंग दी गयी जो आज तक शिड्यूल्डकास्ट को नहीं दी गई थी। उस ट्रेनिंग में हैंडलूम टेक्नालाजी के सेंटर बांसखोह, बयाना और भीलवाड़ा में खोले गये। स्टेनोग्राफर को ट्रेनिंग पहली बार देने की बात की गई और फूड क्राफ्टस की ट्रेनिंग देने की बात कही। यह इस प्रकार के काम हैं जिनको शिड्यूल्ड कास्ट के लिये बैन माना जाता था, इस प्रकार की ट्रेनिंग देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। मैं समझता हूं, इस ट्रेनिंग के आधार पर इन लोगों को काम करने में सुविधा होगी।

आई. टी. आई. में 500 शिड्यूल्ड कास्ट के युवकों को 10 लाख की लागत से भर्ती करने का कार्यक्रम बनाया गया। 500 में

(श्री शिवचरण माथुर)

से जनवरी, 82 तक 488 युवकों को यह सुविधा प्राप्त हुई।

एक नई बात यह की गयी कि जो बी. एड. की ट्रेनिंग शिड्यूल्ड कास्ट के लिये स्पेशल कोर्स में 300 लोगों के लिये प्रावधान रखा उसमें 11.20 लाख का प्रावधान रखा और 300 के मुकाबले में 302 व्यक्तियों को यह सुविधा दी जा चुकी है।

इसी प्रकार से फूड क्राफ्ट में 100 लोगों का इसमें प्रावधान रखा, जिसमें से 64 को लाभान्वित किया जा चुका है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल नई योजना ट्रेनिंग की है जो इस सरकार ने लागू की है। अब आप लोग अन्दाजा लगा लें कि यह हरिजन विरोधी सरकार है या हरिजन पक्ष में काम करने वाली सरकार है। हरिजन मुख्य मंत्री बने यह जरूरी नहीं कि उससे ही हरिजनों का लाभ हो। सवाल भावना का है, सवाल पार्टी की नीति का है। कोई भी मुख्य मंत्री हो वह हमारी पार्टी की नीति से चलता है। मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस की नीति है जिसमें हरिजनों, शिड्यूल्ड कास्ट और माइनोरिटी के और खासतौर से गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों को लाभ पहुंचाने की कोई नीति अपनायी गयी है। तो वह कांग्रेस की नीति है। हमारी नेता, श्रीमती गांधी ने इसलिये ही बीस सूत्री कार्यक्रम में इसको महत्व देकर लागू करने की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल की बात यहां पर की वह होते तो बात कहता। लेकिन इस सदन के रिकार्ड के लिये कहना चाहता हूं कि चम्बल में हम लोगों ने मध्यप्रदेश के इलाके में जो इन्टरसैप्शन कैचमेंट एरिया में होता था उसकी ओर वहां की सरकार का ध्यान दिलाया। 18 अगस्त को मैं और सिंचाई मंत्रीजी भोपाल गये और वहां के मुख्य मंत्रीजी से कहा कि इन्टरसैप्शन्स बंद करें और उसके बाद में वह यहां आये थे। अक्टूबर में तो उस मीटिंग में यह बात कही कि इसको बंद करने का काम आपको करना चाहिए। पहले कभी मध्य प्रदेश ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है लेकिन हमारे कहने पर और हमारे जवाब देने के बाद इस बात को स्वीकार किया कि दोनों स्टेट्स की, दोनों प्रदेशों की जोइन्ट टीम जाकर इन्टरसैप्शन्स का कितना क्वान्टम है उसकी जांच करे, उसके बाद फैसला करके निर्णय लिया जायेगा। उस निर्णय के आधार पर ही हमारी टीम गयी और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में जाकर उन्होंने जो कुछ इन्टरसैप्शन्स हुआ है, उसका अंदाजा लगाया है और कहीं पर भी हमने चम्बल के पानी के लिये जोइंट कंट्रोल बोर्ड को स्वीकार नहीं किया है। कल विरोध दल के नेता कह रहे थे कि जोइंट कंट्रोल बोर्ड को स्वीकार कर लिया है, हमने स्वीकार नहीं किया है, पानी के कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो पहले समिति का लेवल था, उसको बढ़ाकर सैक्रेटरी लेवल पर करने की बात कही है, जिससे कि प्रभावी ढंग से उस काम को किया जा सके, लेकिन कहीं पर भी हमने जोइंट कंट्रोल की बात स्वीकार नहीं की है।

(श्री शिवचरण माथुर)

यहां पर बिजली के बारे में कहा गया कि राजस्थान में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। यह बात सही है कि बिजली की दिक्कत राजस्थान में है लेकिन बिजली की दिक्कत क्यों है, इस बात को समझना पड़ेगा। बिजली की दिक्कत सही मायने में इसलिये है कि बिजली पैदा करने के स्रोत राजस्थान के नहीं हैं, सबसे बड़ा स्रोत है यहां पर राजस्थान एटमिक पावर की जो दोनों इकाइयां हैं, एक प्रकार से बीमारी चलती हैं। कभी दोनों साथ नहीं चलती हैं। एक चलती है तो दूसरी बंद हो जाती है और दूसरी बंद होती है तो एक चालू हो जाती हैं, पिछले पांच महीने से तो लंगड़ी स्थिति चल रही है। हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का करीब करीब आधा हिस्सा इससे मिलता है, इसके अलावा हमें जो बिजली मिलती है राजस्थान के बाहर से मिलती है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से बिजली मिलती है, चम्बल काम्पलैक्स से मिलती है या भाखरा से मिलती है। मैं मानता हूं कि राजस्थान के भविष्य को ध्यान में रखते हुये यह बहुत जरूरी है कि राजस्थान में अपने बिजली के स्रोत हों। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार सोचती है पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में जो लिग्नाइट का भण्डार है, लिग्नाइट के जो डिपोजिट्स हैं, जो अभी मिले हैं उनका खनन एक्सप्लोरेट करे और कम से कम समय में उनके लिये वहां पर पावर हाउस लगाने की बात करे।

जी. डी. आर. जो लिग्नाइट के आधार पर बिजली पैदा करने की क्षमता रखने वाला देश है उससे बहुत पहले से लिखा-पढ़ी चल रही है। उसकी टीम यहां आयी और हमारी टीम जी. डी आर. गयी। बहुत जल्दी अंतिम समझौते के बाद पलाना में 120 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाला पावर हाउस लगाने की बात हम करना चाहते हैं। इसी प्रकार से मेड़ता और बाड़मेर के इलाके में अच्छे भण्डार मिले हैं। इसलिए जो आज प्रारम्भिक अनुमान हैं उनसे ऐसा लगता है कि तीनों हिस्सों में 400-500 मेगावाट या इससे अधिक डिपोजिट निकलें तो इससे अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि आज तो हमारे पास साधन नहीं है लेकिन आने वाले 10-15 सालों में या शताब्दी के अन्त तक यह बिजली की योजनायें नहीं बनेंगी, आज जो उपलब्धि है उससे ही संतोष कर लेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि तो राजस्थान का औद्योगिक विकास नहीं होगा, खेती के लिए बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए सब योजनाओं पर आज सोचना जरूरी है और उसके लिए हमने सोचना प्रारम्भ कर दिया है। तकनीकी दृष्टि से योजनायें बनायी जा रही हैं। उसका प्रोस्पेक्टिंग बहुत तेजी से किया जा रहा है। उसके बाद में जो और मिल रहा है उसके एनेलेसिस की बात की जा रही है। विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस आधार पर राजस्थान में अधिक बिजली पैदा हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देना चाहता हूं आपको। राजस्थान की उपलब्धि और राजस्थान की बिजली की आवश्यकता

(114)

(श्री शिवचरण माथुर)

में कितना अंतर आयेगा आगे आने वाले सालो में, उसको देखते हुए आप यह महसूस करेंगे। 81-82 में जो बिजली पैदा करने की क्षमता है और जितनी आवश्यकता है उसमें 138 मेगावाट का गैप रहेगा। 82-83 में 259 मेगावाट का गैप रहेगा। 83-84 में 233 क्योंकि बीच में कोटा का अणुघर हमारे बीच में आ जायेगा इसलिए वहां गैप कम होगा। 84-85 में एंटिसिपेटेड रिक्वायरमेण्ट है उसको देखते हुए जो बिजली पैदा करने की क्षमता बनेगी उसमें 421 मेगावाट का गैप रहेगा। इस तरह से शताब्दी के अन्त तक 2 हजार मेगावाट का गैप रहेगा। इसके लिए अग्रिम योजनायें सोचनी पड़ेंगी, विचारना पड़ेगा, योजनाओं में उसका प्रावधान करना पड़ेगा। हमने प्लानिंग कमीशन से भी यह बात कही है कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बनने वाली इन योजनाओं के लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए और मैं ऐसा मानता हूं कि इस आधार पर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें योजनाओं की स्वीकृति मिलेगी। पलाना का काम तो बहुत अग्रिम स्टेज पर है और उसके बनने के बाद 120 मेगावाट बिजली 3-4 साल में मिलने लगेगी। कोटा थर्मल की पहली यूनिट, जिसकी क्षमता 110 मेगावाट है, के बायलर एक प्रकार से का काम हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि अप्रेल, मई तक उसमें कार्मशियल प्रोडक्शन होना शुरू हो जायेगा। हमारा ऐसा अन्दाज है कि दूसरी यूनिट, जिसकी क्षमता 110 मेगावाट की है, की भी बिजली दिसम्बर के अन्त तक हमको मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब योजनाओं के आधार पर कह सकते हैं कि राजस्थान में कोई निराशा का वातावरण नहीं लगता है। फिर भी निराशा का वातावरण हो या न हो हमें आगे की योजनाओं के लिए विचार करना पड़ेगा। उन सबके लिए यह सरकार बहुत तेजी से, बहुत त्वरित गति से, बहुत सावधानी से निर्माण में लगी हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में राजस्थान को इसका लाभ मिलने वाला है। हमारी विकास की गति में बहुत तेजी आने वाली है।

उद्योगों की चर्चा यहां की गयी। मैं उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इस सरकार ने यह फिगर्स आपको बता दिए कि 77-78 में जब जनता पार्टी का राज था उस समय छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों का जो रजिस्ट्रेशन किया उनकी संख्या 3396 थी। वहीं 81-82 में वह संख्या 19,534 हो गयी। रोजगार उपलब्धि की बात है, 77-78 में जनता पार्टी के राज में 22,251 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार दिलाया गया। अब वह बढ़ कर 58 हजार हो गयी। पूंजी विनियोजन उस समय 77-78 में 10.91 करोड़ का था, वह बढ़ कर 70.13 करोड़ का हो गया है, ये सारे आंकड़े इस बात को बताते हैं। राजस्थान वित्त निगम ने जो लोन दिये उनको स्वीकृत और वितरित, इन दो भागों में बांटना पड़ेगा। 79-80 में जो आधा जनता पार्टी का पीरियड था उस समय 31,06 करोड़ के लोन सैंक्शन किये उसके

(श्री शिवचरण माथुर)

मुकाबले में 17.9 करोड़ का डिस्वर्स किया। हमारी सरकार जब आयी 36.5 करोड़, जो साढ़े पांच करोड़ अधिक थे, के लोन पहाड़िया जी की सरकार में स्वीकृत किये गये। जनता पार्टी के 17.9 के मुकाबले में 80-81 में 26.10 का डिस्वर्समेण्ट हुआ। 81-82 में इसके लिए 41 करोड़ का प्रावधान रखा गया बांटने का और दिसम्बर, 81 तक उसमें से करीब 24 करोड़ डिस्वर्स हो चुके हैं और 3 महीने के फिगर्स आने बाकी हैं। बड़े उद्योगों को 78 के वर्ष में कुल मिलाकर 11 लाइसेंस देने वाली बात उन्होंने की थी। 81 के साल में वही लाइसेंस, लैटर ऑफ इन्टेंट की बात नहीं करता हूं, वह बहुत हो सकते हैं लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद उद्योगों के लगने की प्रक्रिया चालू होती है। 11 के मुकाबले 25 उद्योगों को लाइसेंस दिये गये और कुछ पर्टीकुलर एरियाज में एक बड़ा उद्योग लगे और उसके चारों तरफ एनसीलियरीज इण्डस्ट्रीज का विकास हो, छोटे उद्योग चारों तरफ लगें इसके लिए कुछ मदर इण्डस्ट्रीज को चुना गया। चार जिले इसमें छांटे गये हैं, नागौर, चूरू, जोधपुर और भीलवाड़ा। उसमें वहां पर एनसिलियरी इण्डस्ट्री लगेंगी। रॉ मैटीरियल के आधार पर उनके जरिये से एनसिलाइजरेशन होगा। चारों तरफ एनसिलियरी इण्डस्ट्रीज लगेंगी उससे बहुत जबर्दस्त इण्डस्ट्रीज डवलप होंगी। ये केवल योजनायें ही नहीं हैं, भारत सरकार का टास्क फोर्स भी बन चुका है। जोधपुर के टास्क फोर्स की रिपोर्ट सरकार को अवेलेबल हो चुकी है। सबसे पहले जोधपुर की रिपोर्ट हुई, कौन-कौन सी इण्डस्ट्रीज लगेंगी उसके चारों तरफ, यह सारी रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरे जो तीन जिले हैं उनकी रिपोर्ट के लिए टास्क फोर्स काम कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि चारों जगह की रिपोर्ट के आने के बाद इन्डस्ट्री लगाने का लाइसेंस और लैटर ऑफ इन्टेट की प्रक्रिया चालू की जायेगी, वहां पर इण्डस्ट्रीज लगाने की बात की जायेगी। हमने भारत सरकार से यह भी कहा था कि राजस्थान में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले सैन्ट्रल इन्वेस्टमेण्ट बहुत कम है। इस बात का मैंने प्रधान मंत्री से निवेदन किया और औरों से भी किया उनको चिट्ठी भी लिखी। मुझे कहते हुए खुशी है कि अगले आने वाले वर्षों में राजस्थान में सैन्ट्रल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट लगने वाला है। सबसे बड़ा आगूचा में जिंक के आधार पर लगने वाला माइनिंग का प्रोजेक्ट है। वहां जिंक, लैड और सिल्वर के ऐसे भण्डार निकले हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक अच्छा है। जितना प्रोस्पेक्टिंग हुआ उसके आधार पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस की लागत 300-400 करोड़ होगी। छोटे एरिया का प्रोस्पेक्टेशन किया है, बहुत बड़े एरिया का करना बाकी है। इसी प्रकार से गैस पर आधारित फर्टिलाइजर फैक्ट्री राजस्थान को मिलनी करीब निश्चित हो गयी है। लोकेशन का फाइनल अनाउन्समेण्ट होने के बाद में कहा जा सकता है कि कहां लगेगी? लेकिन यह निश्चित है कि राजस्थान को गैस पर आधारित एक फैक्ट्री निश्चित रूप से मिलेगी। गैस की फैक्ट्री को लगाने का आधार अलग-अलग स्टेट्स में फर्टिलाइजर्स का उपयोग और उपयुक्तता

116

(श्री शिव चरण माथुर)

है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में फर्टीलाइजर का जितना कंजम्पशन है उसको देखते हुए भारत सरकार ने निश्चय किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। राक फास्फेट पर बेस्ड एक दूसरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए भारत सरकार की टीम आ चुकी है और अलग-अलग साइट्स भी देख चुकी हैं। उसका क्या प्रोस्पेक्ट बन सकता है, इसकी प्रेक्टिकली जांच हो जायगी। लेकिन इसके लिए जो आरम्भिक आवश्यकतायें हैं उनकी छानबीन कर ली गई है और रॉक फास्फेट बेसिस पर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री राजस्थान में लगा सकेंगे। सलादीपुरा में फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात है, और मैं यह मानता हूं कि इन सब योजनाओं के बाद राजस्थान में औद्योगिक बेसिस पर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने से बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। कोटा और नीमच की रेलवे लाइन स्वीकृत हो जाने से, रेलवे मन्त्रीजी से मिले थे, उस पर काम चालू हो गया और वह हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट लाइन होगी। इतने बड़े पैमाने पर सीमेन्ट का उत्पादन होगा, सात बड़ी सीमेन्ट की फैक्ट्रियों में बड़ी से बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री की क्षमता सवा दो लाख मैट्रिक टन, 2.25 लाख मैट्रिक टन की क्षमता रखने वाली है। यह सीमेन्ट फैक्ट्री बून्दी में सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लगा रही है। इसी प्रकार से शम्भुपुरा में एक्सटेन्शन, नीमच का एक्सटेन्शन, पारसोली की सीमेन्ट फैक्ट्री और इस तरह से सात सीमेन्ट फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स हम लोग दे रहे हैं और जब यह लाइन पूरी हो जायगी और जब सीमेन्ट की फैक्ट्रियां लग जायंगी तो राजस्थान आज भी सबसे अधिक सीमेन्ट पैदा करने वाला प्रदेश बन जायगा। अब इनको भी बिजली की आवश्यकता होगी। मैंने बिजली के सम्बन्ध में लोंग टर्म वाली बात कही। लेकिन यह सीमेन्ट के कारखाने आयें इसके पहले पावर अवेलेबल हो जाय, इसके बारे में भी हमने सोचा है। हमने निश्चित किया है यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट सैक्टर में पावर लगाने वाली बात सोचता है, वह किसी एक पर्टिकुलर इण्डस्ट्री के लिये या ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज के लिये बात करे तो उसको भी स्वीकार करने में सरकार को एतराज नहीं होगा। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में बातचीत जारी है। सीमेन्ट फैक्ट्रीज आवें उनको पूरी पावर देने की व्यवस्था हो, इसके बारे में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि इन योजनाओं पर हमने सोचा है और इन पर तेजी से काम चालू किया जाय उसके सम्बन्ध में एक ऐसी स्थिति जल्दी से जल्दी राजस्थान में आयेगी जब कि बड़े बड़े कारखाने लगकर फन्कशनिंग स्टेज में आवें, इनके प्रोस्पेक्ट पूरे सामने आयें उस समय पावर की उपलब्धि भी उनको बिजली देने के लिए बन जाय। मैं यह मानता हूं कि यह जो इण्डस्ट्रियल एक्सटेन्शन, औद्योगिक विकास, बिजली की योजनायें हैं, इन सबके जरिये से राजस्थान

(श्री शिव चरण माथुर)

एक ऐसे प्रगतिशील और विकासशील प्रदेश के रास्ते की ओर अग्रसर होगा जिस पर कि कांग्रेस की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम करना प्रारम्भ किया है, जिसके परिणाम आने शुरू हुए हैं और आगे के वक्त में इन सब चीजों का लाभ राजस्थान की सरकार को मिलेगा। राजस्थान में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इन्कम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की तरक्की आम तौर से होगी।

यहां यह भी कहा गया कि राजस्थान को असेन्शियल कमोडिटीज का पूरा कोटा नहीं मिलता है। यह ठीक बात है, आवश्यकता के अनुकूल हमको नहीं मिलता और देश में आम तौर से जिन चीजों की कमी होती है वह चीजें पूरी नहीं मिलती हैं। लेकिन सरकार के प्रयत्नों की कमी की वजह से असेन्शियल कमोडिटीज का कोटा राजस्थान को कम मिला हो या ऐसी चीजों की कमी रही हो, ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से कुछ चीजों के बारे में आपसे निवेदन करूं, हाई स्पीड डीजल किसानों के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, हाई स्पीड डीजल 78 में 454992 किलो लीटर उपलब्ध हुआ था, 81 में वह 655400 किलो लीटर उपलब्ध हुआ। इसी प्रकार से आयातीत खाद्य तेल 1979 में 170 मैट्रिक टन था और 81 में 2622 मैट्रिक टन मिला। कहां 170 मैट्रिक टन और कहां 2622 मैट्रिक टन। केरोसिन आइल 1979 में 14:936 किलो लीटर मिला उसके मुकाबले में 1981 में 168073 किलो लीटर राजस्थान को मिला। मैं यह समझता हूं सरकार के प्रयत्नों की वजह से असेन्शियल कमोडिटीज की सप्लाई जो है उसमें भी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन आवश्यकतायें बढ़ती जाती हैं और आवश्कताओं के अनुकूल वो चीजें नहीं मिलती हैं यह दूसरी बात है। लेकिन कहा यह कल भाषणों में लोगों ने कि राजस्थान को असेन्शियल कमोडिटीज नहीं मिलती हैं, सरकार प्रयत्न नहीं करती है, लोगों को परेशानियां होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि अब की बार डीजल इतना आया, डीजल की वजह से लोगों को बिलकुल दिक्कत नहीं रही और मैं समझता हूं, कुछ अच्छी बरसात हो गई बीच में और डीजल उपलब्धि के कारण आज किसानों को उसका काफी लाभ मिला है।

एक और उपलब्धि हमारी सरकार की रही। स्वतन्त्रता सैनानियों को सहायता देने की। आज तक स्वतन्त्रता सैनानियों के सम्बन्ध में जो नियम बनाये, मैं समझता हूं, उस पर आपको गर्व होना चाहिये। हमने यह माना कि स्वतन्त्रता सैनानियों को हम केवल पेन्शन ही नहीं दें, उनको एक सम्मान देने वाली बात सोची। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्होंने कुर्बानियां दीं, तकलीफें उठायीं। इसलिए हम उन्हें पेन्शन देकर उपकार वाली बात नहीं करें, सम्मान की दृष्टि से जो कुछ भी कृतज्ञता सरकार प्रगट कर सकती है उस भावना से निश्चय किया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पहले के वक्त में जो केन्द्र से कुछ

(118)

(श्री शिव चरण माथुर)

पेन्शन मिलती है उसके बाद में हम यह देखते थे कि किसी स्वतन्त्रता सैनानी की हैसियत अच्छी है तो उसको हम पेन्शन नहीं दें। हमने यह माना किसी की हैसियत अच्छी है या नहीं लेकिन उनको हम भुला नहीं सकते और उनको कृतज्ञता स्वरूप जो भेंट दे सकते हैं वह देनी चाहिये। इसलिए हमने आर्थिक स्थिति के भेदभाव को भी हटा दिया और यह निश्चय किया। जो व्यक्ति एक से तीन महीने तक जेल में रहा हो तो उसको सौ रुपया, तीन से छः महीने तक रहा हो तो डेढ़ सौ रुपया, 6 माह या इससे अधिक रहा हो तो उसको भारत सरकार के बराबर दो सौ रुपये की सम्मान पेन्शन स्वीकार करने का फैसला किया। पहले स्वतन्त्रता सैनानियों को उनके इलाज के लिये एक हजार रुपये की चिकित्सा राशि स्वीकृत थी उसको बढ़ाया है और उसको दो हजार किया। इसी प्रकार उनकी पुत्रियों के विवाह पर एक हजार रुपये का प्रावधान रखा, उसको बढ़ाकर दो हजार रुपये किया। इसी प्रकार से चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं आपको जानकारी दूं, हमने निश्चय किया जैसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बारे में एक योजना स्वीकार की, उनको निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी, उसी प्रकार की सुविधा स्वतन्त्रता सैनानियों को देना हमने निश्चय किया और जो भी अंशदान इस योजना के चलने से जैसे सरकारी कर्मचारी देते हैं लेकिन हम वह अंशदान राज्य सरकार की तरफ से उनको देंगे ताकि पूरी चिकित्सा सुविधा उन स्वतन्त्रता सैनानियों को मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में यहां पर बहुत चर्चा की जाती है-- एक स्वतन्त्रता सैनानियों के बारे में और निश्चय किया। पहले यह नियम था कि अगर स्वतन्त्रता सैनानी एम. एल ए. रहा हो या उसको पेन्शन मिलती हो तो उसके बाद में उसको स्वतन्त्रता सैनानियों की पेन्शन नहीं मिलेगी। इसलिए हमने उसको भी हटा दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा इस प्रकार की आर्थिक स्थिति का भेदभाव नहीं रखना चाहिये। अच्छी स्थिति हो और वह लेना चाहता है तो राज्य सरकार देगी। नहीं लेना चाहता है, यह उसकी मर्जी है। हम देना चाहते हैं यह एक नई बात हमने की।

अपराधों की स्थिति के सम्बन्ध में बहुत जोरों से बात की गई है कि अपराध बढ़े। दावा नहीं करता हूं, अपराधों, की आंकड़ों की दृष्टि से तुलना नहीं करना चाहता, अपराध जितने कम हों, अच्छा है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के बाहर किसी भी प्रदेश में आप जायें, उत्तर प्रदेश में आप जायें, वहां की कानून और व्यवस्था को देखते हुए लोग आते हैं वह कहते हैं राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति है। सिवाय कुछ इलाकों के जो उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं और बैकवर्ड इलाके हैं आम तौर से राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है। उन सबके हिसाब से सारे देश में एक लाख पर 202.3 अपराध अंकित किये गये उसमें राजस्थान में 196.6 अपराध एक लाख की आबादी पर हैं, मैं समझता हूं

(श्री शिव चरण माथुर)

देश में हमारी स्थिति ठीक है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज अत्याचारों की बात की जाती है, रेप की बात की जाती है और बहुत सी बातें कही जाती हैं। अपराध न हों, यह तो एकदम से संभव नहीं है। प्रश्न यह है कि आज कोई भी अपराध किया जाये, उस अपराध को करने वाले व्यक्ति को हम दण्ड देने की किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी रेप केस हुए हैं उन सब के बारे में सरकार ने सख्त कार्यवाही की है। फौरन दोषी व्यक्तियों का पता लगाकर के उन्हें सख्त दण्ड देने की व्यवस्था की गई है और जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिये जो भी सरकार से सम्भव हो सकता था हमने किया है, उनकी मदद की है। हमारा यह ख्याल है कि इन अपराधों को रोकने के लिये पुलिस की सहायता काफी नहीं है, इसके लिये गांव-गांव में लोगों को तैयार करना चाहिये। उसके लिये देहात के लोगों को संगठित किया जा रहा है। यह योजना अभी सरकार के विचाराधीन है। उसमें गांव के लोग वहां के कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिये तैयार होंगे और सरकार उनकी मदद करेगी। मैं समझता हूं कि यह जागरुकता गांव में उपलब्ध हो। पुलिस की सहायता घटना हो जाने के बाद में मिलती है, लेकिन गांव में इस प्रकार का वातावरण पैदा हो कि कोई भी घटना हो, जब तक पुलिस आये गांव के लोग उसको संभाल सकें, इस प्रकार आपस में मदद मिले। इस योजना पर भी हम विचार कर रहे हैं। हमने निश्चित रूप से हमारे पुलिस अफसरों से कह दिया कि कई बार ऐसा होता है कि थाने में जो रिपोर्ट करने जाते हैं, एफ. आई. आर. लिखवाने जाते हैं, लोग उसको दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसका पंजीकरण नहीं करते, रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जो भी शिकायत आपके पास आयें उनका रजिस्ट्रेशन किया जाये और उसके साथ में उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इससे रजिस्ट्रेशन के केसेज बढ़े उसके साथ-साथ उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के नम्बर भी बढ़े हैं और लोगों को सजा देने की कार्यवाही भी की गई है। मेरा विश्वास है कि इसके जरिये से एक सुरक्षा की भावना राजस्थान में पैदा होगी हमारा कर्तव्य है, इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं भी इस प्रकार के अपराध सामने आयेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जायेगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। यहां पर साम्प्रदायिक घटनाओं की बात भी कही गई। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह तो कौन सोचे। सही मायनों में वही लोग इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जिम्मेदार हैं, जो उसकी बात उठाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के अन्तर्गत सरकार के मन्तव्य की दृष्टि से कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक तनाव को पैदा करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जायेगा और अल्पसंख्यकों को पूरे तौर से सुरक्षा मिले, इसके लिये सरकार तैयारी रखती है और जहां पर भी ऐसे साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, ऐसे मौके उपस्थित हुए हैं अल्प-

120

(श्री शिव चरण माथुर)

संख्यकों को इस संबंध में आश्वस्त किया है और मैं कहता हूं कि जहां पर भी इस प्रकार के पाइंट्स हों, मैं समझता हूं ऐसे लोग जो धर्म-निरपेक्षता की भावना रखते हों वहां यदि ऐसे पाइंट्स आते हैं गांव में हैं या शहर में हैं उनको मिटाने का प्रयत्न हम और जनता करे। इसकी चेष्टा भी हम करना चाहते हैं हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि आने वाले समय में साम्प्रदायिक प्रभाव अच्छा हो और हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी सब भारत माता के बेटे-बेटियों के नाते और सब भारत के एक समान नागरिक की तरह अपना जीवन बिता सकें। और सब लोग अवसरों का फायदा उठायें जिससे उनको अपना जीवन अच्छी तरह से बिताने का मौका मिल सके।

मैं, अध्यक्ष महोदय, और बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन समय कम है, फिर भी मैं समझता हूं कि मैंने काफी निवेदन कर दिया। अकाल राहत कार्य के संबंध में हमारे अकाल राहत मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। ओवर ड्राफ्ट के संबंध में बजट में आपके सामने स्थिति आ जायेगी। मैं समझता हूं जितने मुद्दे उठाये गये थे उनका मैंने उत्तर देने की चेष्टा की है। मैं निवेदन करूंगा कि आप, राज्यपाल महोदय ने जो 20 फरवरी को अभिभाषण सदन में दिया और उसका धन्यवाद प्रस्ताव हमारे सदस्य श्री देवपुरा जी ने रखा उस प्रस्ताव को स्वीकार करें। यह निवेदन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसे स्वीकार किया जायं ?

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अभि स्वीकृत किया जाय।

(ध्वनिमतदान)

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अभि-स्वीकृत किया जाय।

(ध्वनिमतदान)

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

श्री अध्यक्ष । कक्ष खाली करवा दिये जायं । जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वे हां पक्ष लोबी में और जो प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे ना पक्ष लोबी में जायं ।

(मत विभाजन)

(मत विवाजन के पश्चात्)

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची के पूर्ण होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा प्रस्ताव रखें ।

श्री खेतसिह राठौड़ :अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिय सदन का समय बढ़ाया गया ।

इस प्रस्ताव के पक्ष में 66 मत आये हैं और विपक्ष में 26 मत आये हैं ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हां पक्ष

1. श्री अमराराम
2. श्री अमीन खां
3. श्री अलदाराम
4. श्री असलम खां
5. श्री अहमद बक्श सिन्धी
6. श्री ईश्वरलाल सैनी
7. श्री कनकराज मेहता
8. श्री खेतसिह राठौड़
9. श्री गोविन्द आमलिया
10. श्री गोविन्द सिह गुर्जर
11. श्री घासीराम यादव
12. श्री चतुर्भुज
13. श्री चेतराम
14. श्री सी. एल. कंवरिया
15. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
16. श्री जयकृष्ण शर्मा
17. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
18. श्री जेठमल बरबड़
19. श्री तकीउद्दीन अहमद
20. श्री तेजपाल यादव
21. श्री दिनेश डांगी
22. श्री दीन मोहम्मद
23. श्री दुलाराम
24. श्री देवदत्त तिवाड़ी

122

25. श्री देवीलाल
26. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
27. श्री नरपतराम बरबड़
28. श्री नरेन्द्रसिंह भाटी
29. श्री नारायणसिंह
30. श्री परसराम मदेरणा
31. श्री पोरूराम
32. श्री पृथ्वीसिंह
33. श्री प्रद्युम्नसिंह
34. श्री बनवारीलाल
35. श्री बुलाकीदास कल्ला
36. श्री बृजसुन्दर शर्मा
37. श्री भगवानदास डोसी
38. श्री भालू खां
39. श्री भैरूंलाल भारद्वाज
40. श्री भैरूंसिंह गुर्जर
41. श्री महेन्द्र कुमार
42. श्री महेन्द्रसिंह
43. श्री मांगीलाल आर्य
44. श्री माधवसिंह दीवान
45. श्री मानसिंह देवड़ा
46. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना)
47. श्री रामनारायण डूडी
48. श्री रामपाल उपाध्याय
49. श्री रामलाल (उनियारा)
50. श्री रामसहाय सोनड़
51. श्री रामसिंह विश्नोई
52. श्री रूपलाल परमार
53. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
54. श्री शिवचरण माथुर
55. श्री शिवसिंह रावत
56. श्री सुजानसिंह यादव
57. श्री सुशीलकुमार विश्नोई
58. श्री सुरेन्द्र व्यास
59. श्रीमती सूरज देवी
60. श्री सूरजपालसिंह
61. श्री सूर्यकुमार
62. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
63. श्री हरसहाय मीणा
64. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
65. श्री हीरालाल देवपुरा
66. श्री हेमाराम चौधरी

ना पक्ष

1. श्री अनंग कुमार जैन
2. डा. उजला अरोड़ा
3. श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल
4. श्री गुलाबचन्द कटारिया
5. श्री गोपाल पचेरवाल
6. श्री घनश्याम तिवाड़ी
7. श्री छीतरलाल आर्य
8. श्री त्रिलोकसिंह
9. श्री दाऊदयाल जोशी
10. श्री नन्दलाल मीणा
11. श्री नाथूसिंह
12. सुश्री पुष्पा जैन
13. श्री बंसीलाल पटवा
14. श्री बहादुरसिंह
15. श्री बालचन्द्र आर्यवीर
16. श्री भैरोंसिंह शेखावत
17. श्री महावीर प्रसाद
18. श्री मेघराज तावड़
19. श्री यदुनाथसिंह
20. श्री रघुवीरसिंह कौशल
21. श्री रामकंवार बैरवा
22. श्री रामकिशोर मीणा
23. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
24. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
25. श्री समर्थलाल
26. श्री हरीश शर्मा

शासकीय वक्तव्य

श्री चेतराम मीणा, राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण द्वारा बस नं. आर. एस. जी. 40 के ड्राइवर का अपहरण

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण चल रहा था उस वक्त उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने के बाद मंत्री महोदय का वक्तव्य होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर विराजमान थे उस समय मैंने उनसे यह निवेदन किया था, जब उन्होंने यह व्यवस्था दी तब कहा कि मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद सरकार की तरफसे वक्तव्य दिया जायेगा। लेकिन उस वक्त भी माननीय सदस्य, जो विरोधी पक्ष के हैं, ने उसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि चूंकि चेतराम जी यहां पर बैठे हुए हैं, आप उनसे फैक्ट्स लेकर बता दें। उसके ऊपर मैंने सदन में जो मेरे पास जानकारी थी वह दी थी, उसके उपरान्त उपाध्यक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय ने कहा कि पुलिस का वर्सन कब आयेगा। तब मैंने कहा कि पुलिस का वर्सन अभी तक नहीं आया है, आने पर मैं आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व वक्तव्य दे दूंगा। तो मेरा निवेदन यह है कि पहले इस बिल को पारित कर लिया जाय उसके बाद जानकारी आते ही मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर दूंगा,। अभी तक मेरे पास फैक्ट्स आये नहीं हैं, लेकिन अगर बीच में आ गये तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : जैसे ही सूचना आप की आवे, उस वक्त बीच में ही वक्तव्य दिलाया जावे।

(4.48 म. प.)

(श्री अहमद बक्श, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : इसके ऊपर तो परिनियत संकल्प है मेरा।

श्री नाथूसिंह : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, पहले परिनियत संकल्प आया है, उस पर बहस होगी।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में जो आइटम है उसके अनुसार लिया जावेगा।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय ने उसे काल आफ कर दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें पहले कार्य सूची में जो है वह लिया जायेगा, नहीं तो आपको इसको करेक्ट करना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा कोई डेवियेशन नहीं है हमने तो विचारार्थ के लिये विधेयक को रख दिया है। आपको मन्जूर नहीं हो तो आप रिजोल्यूशन लावें। हम तो मोशन रखेंगे।

श्री नाथूसिंह : उसके पहले परिनियत संकल्प आवेगा।

श्री परसराम मदेरणा : पहले-पहले कुछ नहीं। हमने तो मोशन रख दिया है। आपको लाना है तो रिजोल्यूशन लावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प है, पहले वह अस्वीकार किया जायेगा फिर दूसरा आइटम लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह जनमत जानने हेतु....

श्री कैलाश मेघवाल : उसके ऊपर है। ऊपर आइटम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेज तीन पर है श्री कैलाश मेघवाल, श्री यदुनाथसिंह, श्री नाथूसिंह, डाक्टर उजला अरोड़ा, श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : हां ठीक है। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। श्री कैलाश मेघवाल।

परिनियत संकल्प

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

उपादयक्ष महोदय, मैंने यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है। राज्यपाल महोदय ने एक अध्यादेश जारी किया है उसके विरुद्ध मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व यहां पर यह कहा गया कि दुनिया की नेता श्रीमती गन्दिरा गान्धी हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका विरोध कर रहा हूं, उसके माकूल कारण हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आज स्थिति क्या है। सारी दुनिया में 144-145 देश हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उन देशों में सबसे नीचे दस गरीब देश आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उन दस देशों में हिन्दुस्तान का नाम है। दस देश जो कि सबसे ज्यादा गरीब हैं, 145-146 देशों में, यह मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिन्दुस्तान दुनिया के दस गरीब देशों में है। जो देश है उनमें सबसे ज्यादा गरीब भूटान देश है, दूसरा बंगला देश है, तीसरा यूगांडा, चौथा इथोपिया, फिर नेपाल और बाद में बाली और इस प्रकार से दसवां देश हमारा हिन्दुस्तान देश है। यह बात मैंने आपके सामने क्यों रखी इसका कारण यह है कि जो यह अध्यादेश लाया गया है, यह वह अध्यादेश है, जो कि कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करता है। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारी जो अपनी आवाज अपने हितों के लिये उठाते हैं उसमें यह कहते हैं कि हमारी मांग है अपनी रोटी की, अपने कपड़े की और अपने मकान। की कर्मचारी की अपनी स्वायत्ता के लिए जो कि उनका अधिकार है उस पर प्रतिबन्ध किस तरह से लगाया जाय, उन पर किस तरह से नियन्त्रण किया जाय, उसके लिये यह अध्यादेश लाया गया है। दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा वह यह है कि इन्टरनैशनल

(श्री कैलाश मेघवाल)

लेबर आर्गनाइजेशन ने जो हमारे सारे विश्व के यह 144-145 देश हैं उनमें सात देशों को ब्लैक लिस्ट कर रखा है किस बात के लिये उनको ब्लैक लिस्ट कर रखा है वह आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लेबर वैलफेयर के लिए, लेबर के हितों के लिये, मजदूरों की खुशहाली के लिए, मजदूरों के जीवन यापन के लिए ठीक तरीके नहीं हैं उनमें सात देशों में हिन्दुस्तान है। इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन में जो ब्लेक लिस्ट किये गये देश हैं उनमें हिन्दुस्तान का नाम है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश लाया गया है अभी माथुर साहब, जो कि हमारे मुख्य मंत्री हैं कुछ समय पहले यह कहा कि हम उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस संगठन ने देश को आजादी दिलाई मुझे इसके लिए तो कुछ नहीं कहना लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी ने संविधान बनाया और उस संविधान में जो प्रिएम्बल है उसमें लिखा है

We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure to all its citizens..."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 9 सदस्य बोलने वाले हैं आप दो दो तीन मिनिट बोल लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय स्टेट्यूटरी रिकागनिशन है। यह मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने विचार रखूं। मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है बाकी यह दो दो तीन तीन मिनिट बोलने की व्यवस्था आपकी नहीं चल सकती। यह नहीं चलेगा। क्योंकि यह जो बिल आप पारित करने जा रहे हैं यह एक ऐसा बिल है जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह सन् 1970 में बिल आया था उसमें सबसे पहला शिकार मैं हुआ था। उसी से मेरी पहली सक्रिय जेल यात्रा शुरू हुई। यों तो मैं कई बार जेल गया हूं लेकिन जिस अध्यादेश के द्वारा मेरे जीवन की जेल यात्रा शुरू हुई मुझे बहुत अधिक चिंता है और आप कहते हैं कि मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं यह कैसे हो सकता है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो प्रिएम्बल है

"JUSTICE, social, economic and political ; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity: and to promot among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;"

यह एक घोषणा उस प्रिएम्बल में की गई

(श्री कैलाश मेघवाल)

है। मैं इसी पर विचार रखना चाहता हूं। आप इस आर्डिनेन्स को लाए, तीन संशोधन किये हैं और वह तीन संशोधन भी आप नहीं करते, और कोई होता, माननीय वैद साहब होते, जो आपके वित्त मन्त्री हैं वह लाते तो कोई एतराज नहीं था। और कोई उस क्लास का आदमी होता मुख्य मन्त्री की जगह कि जो इस पूंजीवादी व्यवस्था के हितों को सुरक्षित करने वाला होता तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज नहीं होता। मुझे अफसोस है कि प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करने वाले, मुझे अफसोस है कि इस समाजवादी नारों को लगाने वाले, मुझे अफसोस है कि 90 साल के इतिहास की दुहाई देने वाले आज माननीय माथुर साहब इस अध्यादेश को लाए हैं। इसीलिए निवेदन कर रहा हूं। सोशलिस्ट सोशलिस्ट का क्या नाम रखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी इस शब्द को जमहूरियत या जनतंत्र कहते हैं। आखिर जनतन्त्र का एक तरीका है और वह तरीका यह है कि कन्सेसन के आधार पर हुकूमत चलाई जाये आज किस स्थिति में ला रहे हैं यह अध्यादेश, किसके लए लाया जा रहा है? आदमी का जीवन अधिक से अधिक नियन्त्रित किया जाये, आदमी को सत्ताके समीप लाया जाए आदमी को हमेशा के लिए उसमें शरीक किया जाये और संशोधन किस तरहका है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहलासंशोधन तो यह है कि आप कुछ वर्ग के लोगों को इस अध्यादेश के द्वारा उस एक्ट के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। पहले तो परिभाषा यह है कि किन किन के ऊपर लागू होगा पब्लिक इन्ट्रेस्ट के राजकीय कर्मचारी, एजूकेशनल इन्सटीट्यूशन्स के कर्मचारी, लोकल बाडीज के कर्मचारी। अब आप उस पर लफड़ा और जोड़ रहे हैं इस अध्यादेश के द्वारा और वह लफड़ा यह जोड़ रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इन तीन के अलावा भी लोकहित के, सार्वजनिक हित के और भी दूसरे तरीके के जो कर्मचारी हैं राजकीय या दूसरे कर्मचारी हैं, यूनीवर्सिटीज के कर्मचारी है और जो कारखानों के कर्मचारी हैं उन सारे कर्मचारियों के ऊपर आप अपना शिकंजा कसने के लिये एक संशोधन इस अध्यादेश के द्वारा यहां लाये हैं। दूसरा संशोधन क्या लाया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? दूसरा संशोधन लाये हैं, पहले भी था, भाषा वही है लेकिन इसमें तो कह रहे हैं कि इस पर क्रिमीनल प्रोसीजर कोड के जो प्रावधान हैं वह लागू नहीं होंगे। वह प्रावधान किस बारे में है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार करने की व्यवस्था है इस कानून के द्वारा यह सब गिरफ्तारियां होंगी अन्ततोगत्वा वह कानून लागू होता था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो वकालत की है। वह कानून देश की पार्लियामेंट ने बनाया है। 1974 में या 1973 में सी.आर.पी. सी सारा रिवाइज करके एक्ट नम्बर 2 आफ 1974 के रूप में नया क्रिमीनल प्रोसीजर कोड देश की पार्लियामेंट ने बनाया था। उस क्रिमीनल प्रोसीजर कोड से, उसके कानूनी प्रोटेक्शन से उसके कानूनी मुद्दों से आप राजस्थान के कर्मचारियों को वंचित करना चाहते हैं। और तीसरा संशोधन क्या करना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री कैलाश मेघवाल)

तीसरा संशोधन इसमें यह है कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। आखिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का गरीब कर्मचारी, राजस्थान का मेहनतकश कर्मचारी, राजस्थान का वह कर्मचारी जो खेतों में या दूसरी जगह कारखानों में या छोटे छोटे दफ्तरों में पसीना बहाकर अपनी पगार मांगता है तो उस पसीने की कमाई खाने वाले कर्मचारी के ऊपर कुठाराघात करने के लिये, उसके जीवन को नियन्त्रित करने के लिए यह कौनसा डेमोक्रेटिक तरीका है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आज मुझे खुशी होती, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरह का कानून लाते कि जो काम नहीं करते कई दफ्तरों में, बड़े बड़े आफिसर्स काम नहीं करते और इस तरह की कार्य प्रणाली है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे चलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : I have to be fair to all.

श्री कैलाश मेघवाल : No you are to be fair to all, there I agree with you Hon'ble Deputy Speaker,

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का मौका दिया जा रहा है....

श्री यदुनाथ सिंह : First of all, we have to be fair to the nation. ऐसा कानून है उपाध्यक्ष महोदय इसमें जल्दी नहीं हो सकती।

श्री कैलाश मेघवाल : This a legislation which specially affects the Sections and as I come from the weaker section, if I do not plead their cause then who wil plead their cause ? यह सारे कानून जिस तरह बनाते जा रहे हैं, इस देश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, जिस तरह के घोटाले, जिस तरह का शिकंजा और जिस तरह की गिरफ्तारियों के तरीके और बहुत सारे तरीके अपने हाथ में लेती जा रही है सरकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें असन्तोष के बीज बोये जायेंगे। आखिर इन्हीं तौर तरीकों से शासन चलाना चाहते हैं ? सीधे सीधे आइये, सीधे सीधे कहिये कि यह हैं हमारे तौर तरीके। यह सोशलिस्ट शब्द है यह तो आपके इमर्जेंसी में सविधान में संशोधन करके लाया गया था। JUSTICE social economic and political, एक आदमी पसीने की कमाई खाता है उसको जेल भेजो, क्या यह संविधान की पालना है ? यह प्रिएम्बल की परिपालना है ? जिसको आप कहते हैं कि सोशल आर्डर लाना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा रूप नहीं निकलता यह जो आपकी केटेगरी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि मुझे बताया तो जाय कि यह पसीने की

(श्री कैलाश मेघवाल)

कमाई करनें वाले लोग हैं इसमें आनें वाले या हराम की कमाई करने वाले लोग हैं या ब्याज की कमाई खाने लाले लोग हैं या काला धन रखने वाले लोग हैं या साझेदार लोग हैं इसमें ? देश के गरीब आदमी पर शासन का शिकंजा बढ़ता चला है। यदि अधिनायक वादी तौर तरीके लाये जाते रहें और हमसे आप कहें हैं कि सीमा में बंध जाओ मान-नीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग भले ही हों और अभी में आपके चेम्बर में बैठकर माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रजी का भाषण सुन रहा था। वह कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए जो लोग सब से ज्यादा बोले हैं, वह क्या कहते हैं; माननीय माथुर साहब, मुसलमानों के धर्म को सियासत में घसीट कर आज मुसलमानों को गरीब रखा गया है। आज मुसलमानों के हाथ से यह अधिकार ले लीजिए, आज माननीय अहमद बक्श जी को बोलने का मौका दिया जाये तो वह बतायेंगे कि मुसलमानों की हालत राज-स्थान में या सारे देश में कैसी है। वह भी आज रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़े के लिए तरस रहे हैं, मकानों के लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वीकर सेक्शन है, यह अध्यादेश देश के गरीब मेहनतकश के ऊपर एक चोट है। यह अध्यादेश सैंकड़ों साल तक एक लड़ाई लड़ कर, एक फौलादी लड़ाई लड़कर, एक वह लड़ाई जिसमें हजारों आदमियों ने कुर्बानी दी, जेल गये, बलिदान दिये और उसके बाद राइट आफ स्ट्राइक हासिल किय है, वह राइट आफ स्ट्राइक के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात है। मुझे अफसोस है कि यह लेजिस्लेशन आज माननीय मुख्यमंत्री माथुर साहब रख रहे हैं। आखिर मुझे बतायें कि क्या आवश्यकता है ? आपने 1970 में ही सारा प्रावधान कर दिया लेकिन यह किस तरह का शिकंजा है, किस तरह टेरेराइज हैं आप, किस तरह से दबे हैं अपनी आवाज नहीं उठा सके। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज संगठित तबका अगर बोलता है, तो देश की अर्थ व्यवस्था सामने आती है। मैं इसी प्रसंग में कह रहा था कि दुनियां में हिन्दुस्तान सब से गरीब दसवां देश है उसका कारण यह है कि गरीबों की नहीं सुनी जाती। आज गरीबों को विश्वास में नहीं लिया जाता, गरीबों का सहयोग नहीं लिया जाता और गरीबों के जजबात को जागृत करके उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता। यह मेरा आरोप है और इसीलिए गरीबी आज बढ़ती चली जा रही है। आप पर आक्षेप नही लगाना चाहता, हिन्दुस्तान में 80 या 85 फेमिलीज् ऐसी रहती हैं, उपा-ध्यक्ष महोदय, जिनके पास देश की 4 हजार करोड़ पूंजी है और गरीब के घर में रोटी नहीं। गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता। हुकूमत वाले जानते हैं आज इस देश में दो टाइम भर पेट भोजन नही मिलता। जिनको भोजन नहीं मिलता उनमें से एक वर्ग संग-ठित है परन्तु सवेरे दस बजे नही आये तो आप रेड मार्क करते हैं। आपका आफिसर सारा दिन नही आता है उसके लिए आपने क्या कर रखा है। कौन सी प्रक्रिया है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लेजिस्लेशन लाइये जिससे ढांचा ठीक करें....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य, इतना समय ले लिया आपने ।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कोई ऐसी बात नहीं कही है....

श्री उपाध्यक्ष : आप तय कर लीजिये। आप जो बोल रहे हैं आप अपनी पार्टी का टाइम ले रहे हैं। आप आपस में तय कर लें....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें समय का विभाजन तो हुआ नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुल्क में फ्रीडम पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, जिस कानून से देश में जनता पर कुठाराघात हो, जिस देश में परम्पराओं पर कुठाराघात हो....

श्री उपाध्यक्ष : इतना समय नहीं दिया जा सकता।

श्री कैलाश मेघवाल : जिस देश में इस तरह का इनेक्टमेंट हो, जिस देश में अपना बात कहने की लिबर्टी नहीं हो, ऐसा कानून लाया जाये और यह कहने पर कि बोलने पर जेल भेजेंगे वहां आप आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि मैं कोई आपकी फ्रीडम आफ स्पीच में दखल नहीं दे रहा, टाइम फिक्स करना चाहता हूं ताकि तमाम माननीय सदस्यों को मौका मिल सके। वरना आप सारा टाइम ले लेंगे तो आप अपनी पार्टी से पूछ लें....

(व्यवधान)

आप अकेले को टाइम दे दिया जाये तो मैं उनके नाम काट दूंगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सारी रात बैठेंगे....

एक माननीय सदस्य : यह कुठाराघात है....

श्री दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान के इतिहास में बोलने वालों को सींखचों में लिया जायेगा हमें याद है इस सरकार के नुमाईदों ने क्या गजब नहीं ढाये थे....

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आज फिर इस कानून को लाकर इमर्जेन्सी लगाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिये निवेदन कर रहा था, मैं संविधान की भावनाओं का प्रतिपादन कर रहा था। मैने संविधान को प्रिएम्बल की भाषा को यहां पर बोल कर इसलिये कहा कि शायद आपकी आत्मा

(श्री कैलाश मेघवाल)

जागृत होगी। इसलिये आपको महसूस हुआ, मैं आपके बोलने के अधिकारों पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं। यह बोलने की स्प्रिट है। लेकिन यह जो सरकार है जो उधर बैठी है ट्रेजरी बेंचेज पर यह सरकार बोलने के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। बोलने वालों को जेलों के सींखचों में बन्द करने का इन्तजाम कर रही है और इसको माननीय माथुर साहब कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दर्द होता है दिल में। भावनायें जो इस दिल में हैं, भावनायें आज हमारी ऐसी हैं जो लैजिस्लेशन जनता के हितों को समाप्त करे तो डैमोक्रेसी में फर्क क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो पोलिटिकल साइंस के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक घंटे में जो बात की जा सकती है, वह पांच मिनट में भी संक्षेप में कही जा सकती है। यह तो काबलियत की बात है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उस स्कूल में पढ़ने नहीं गये जहां प्रेसी करना अच्छा सिखाया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे किसी पब्लिक स्कूल में एजूकेशन प्राप्त नहीं हुई जैसे कि आप कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : You have had good education.

श्री कैलाश मेघवाल : प्रेसी करना, जनता पब्लिक स्कूल में अच्छी एजूकेशन लेकर, तो उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं उधर बैठा होता। सब प्रेसी करने में माहिर है। लेकिन मैं तो सड़क स्कूल से आया हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं मैं वीकर सैक्शन से आया हूं। इस लैजिस्लेशन से सब से ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा कुठाराघात होगा मुझे। इसलिए मै कहना चाहता हूं राजस्थान के कर्मचारी वर्ग के ऊपर यह तलवार मत लटकाइये। यह कर्मचारी आपको, आप के ऊपर वाले लोगों को देख कर भयभीत होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लास करेक्टर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लास करेक्टर इसलिये कहना चाहता हूं, कुछ क्लासेज को नियंत्रित करने की शक्ति यहां के ट्रेजूरी बैंचेज में बैठने वाले माननीय मंत्रि मण्डल में नहीं है। यह बात बार बार कही जाती है भ्रष्टाचार है तो वे चुप। आप उस क्लास के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। यह एक चपरासी को छेड़ना चाहते हैं। यह एक मजदूर को छेड़ना चाहते है, यह एक कारखाने में काम करने वाले श्रमिक को छेड़ना चाहते हैं। आपको आज अफसोस हो रहा होगा। आप आज इस कुर्सी पर बिराजमान है। आज इस प्रकार का कानून पास होगा। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आपका लैजिस्लेशन था आप अपनी ईमानदारी से कर्मचारियों में, राजस्थान के मजदूरों में विश्वास पैदा करना चाहते है, इस लैजिस्लेशन को समाप्त कर दें। हम देश की जनता के वोटों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आप कुठाराघात करना चाहते हैं, मैंने कहा, यह एक संगठित इकाई है। संगठन की इकाई जब

(132)

(श्री कैलाश मेघवाल)

बोलती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है उस से बचो। जूता पालिश करने वाला नहीं बोल सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठेला चलाने वाला नहीं बोल सकता इसी तरह से दस्तकारी का काम करने वाला नहीं बोल सकता उसकी आवाज को कोई पहुंचाता है तो वह है एक संगठित कर्मचारी वर्ग, संगठित मजदूर वर्ग। उसकी आवाज को कुचलने के लिए जो लेजिस्लेशन लाया जा रहा है मैं आपको विश्वास दिलाता हू इससे आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इस तरह से आप यह खाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। कुछ प्रिविलेज क्लास के लोग शासन करते रहे, नीचे के आदमी पिटते रहे, भूखे मरते रहे, नंगे फिरते रहे। इस खाई को बढाने का इस लेजिस्लेशन के द्वारा जो काम कर रहे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विवेक के साथ, संजीदगी से काम लें, शांति से काम लें और इस अध्यादेश पर पुनः विचार करे। और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मत पनपने दो सरमायेदारों को, मत पनपने दो देश के एक वर्ग विशेष के हितों का सरक्षण करने वालों को इस सदन में आवाज दो, देश के कामदार, देश के कर्मचारी, देश के पसीना बहाने वालों की भावना को लो। इस प्रकार की भावना पैदा की जाये, यही माननीय माथुर साहब को निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

जरा टाइम थोड़ा लीजिये। I have to regulate the proceedings.

श्री यदुनाथ सिंह : Regulate the Country also

अध्यक्ष महोदय, यह देश का सवाल है। इसमें रेगुलेशन की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस चालाकी से इन्दिरा गांधी और उसकी पार्टी देश में इमर्जेन्सी जैसा शिकंजा लाने की कोशिश कर रही है और अपने लड़के की ताजपोशी का जो प्रयास हुआ है उसकी तैयारी में यह अध्यादेश लाया गया है। उसके बाद कानून में परिणत करने का सरकार ने मानस बना रखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जबरदस्ती ?

श्री यदुनाथ सिंह : आपको तो केवल इन्दिरा गांधी की हां में हां मिलानी है। आपकी आत्मा कुछ बोल नही सकती। बोलना चाहे तो बोल नहीं सकती। आपका हां कहना न कहना कोई मायने नहीं रखता इसलिये आपका हां कहना, नहीं कहने बराबर है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी यह कहती है कि देश में उत्पादन बढ़ रहा है। कारखानों की हालत अच्छी है। मजदूर संगठनों में शांति है। एक तरफ उनका यह बयान है। दूसरी तरफ इस प्रकार के कानून अपनी केन्द्रीय सरकार से बनाना और अपनी ××× सरकारों से, राज्य सरकार से पास करवाना, यह दोनों तरह की बात इन्दिरा

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

गांधी क्यों करती है ? इसको आप समझ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जनता इस कानून का हर स्तर पर विरोध कर रही है। यह इंदिरा सरकार का पतन जो 19 जनवरी की हड़ताल से शुरू हो गया और इस कानून की धज्जियां उड़ाई गई। उससे साफ ज़ाहिर होता है, इस कानून का विरोध होगा।

यह देश बड़ी कुर्बानी से आजाद कराया गया है। अगर भगत सिंह आज जिन्दा होता तो वह इस देश को स्वतन्त्र रखने के लिये सबसे पहले इन्दिरा गांधी और उनके × ×को गोली मारने का काम करता और वह कहता कि इस तरह का काला कानून बनाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। वह कहता कि ऐसे लोगों को महात्मा गान्धी का नाम लेने का भी हक नहीं है। महात्मा गान्धी का नाम वह ले, जिसने पूरी कुर्बानी देकर आम आदमी को स्वतन्त्र कराया है, विकास का फल उन्हीं लोगों को मिले जिन्होंने कुर्बानी दी है। इस तरह की कल्पना करके उसने देश को आजाद कराया था और तन मन, धन से उसने इसमें सहयोग किया था। अब वह विडम्बना है इस देश की, उपाध्यक्ष महोदय, जो कठोर श्रम करता है, जो देश का उत्पादन करता है उसके लिए काला कानून बनाया जाता है। उसके लिए गोलियां तैयार की जाती हैं। जो परिश्रम करता है, देश का भागीदार है उसके लिये तो आप ऐसा कानून बनाते है। एक टाटा और बिड़ला हैं उन पर सरकार कोई कानून नहीं लगाती है। इन्दिरा गान्धी तरह तरह के कानून बना कर तरह तरह से उन पूंजीपतियों पर गुर्राती है लेकिन एक तरफ उनके लिये रास्ता बनाती है जिससे पूंजीपतियों का शिकंजा सरकार पर और तेज होता चला जाता है।

महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। मजदूरों के बच्चों को पढ़ना है, किसान के बच्चों को पढ़ना है और इस कानून को लाने का असली कारण है जितने जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके और मजदूरों संगठनों के बीच में सन् 82 में जो समझौता समाप्त होने वाला है, उसके लिये यह आवश्यक है कि मजदूर संगठन उससे पूर्व अपने समझौते की मांग को लेकर हड़ताल न करें। हड़ताल का संविधान में अधिकार दिया गया है और जो कानून बना हुआ है लेबर एक्ट उसके मुताबिक अगर कोई गैर कानूनी हड़ताल करता है तो पर्याप्त कानूनी शक्तियां सरकार के पास मौजूद हैं। उन शक्तियों के रहते उनके खिलाफ काम करें लेकिन यहां मेहनत कश लोगों को देखने वाली बात नहीं है। इन्दिरा गान्धी ने हुक्म दिया और ये तो ताली बजाने वालों में से हैं। वह कहेंगी राजीव, आयेगा, आयेगा। संजय आयेगा। आयेगा। और तुम × × × हो, × × × हो। इस तरह की बातें इन्दिरा गान्धी के चारों तरफ फैली हुई हैं। एक बहुत बड़ी × × × के समूह की भीड़ इकट्ठी हो रही है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

आज आप कानून बनाते हैं तो टाटा और बिड़ला की पूंजी को इकट्ठा करें जो पूरे देश में पैदा कर रहे हैं। 20 घरानों के पास 77 अरब रुपया मौजूद है। ब्लेक का पैसा रखते है। उस पूंजी को उनसे निकालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि उनसे आपकी साठ गांठ हैं। उनसे आप पैसा लेते हैं, आपके वे × × ×हैं और × × × एक तरह का चैक होता है और यह जरूरी भी है जो पैसा देने वाला है जैसे नाच गाने वाली को कहे कि तुम इस प्रकार नाचोगी और गाना गाओगी तो वह वैसे ही करती है। उसी प्रकार की इस सरकार की हालत है। पूंजीपति जो आपको पैसा देते हैं, उनके पूरे शिकंजे में हैं। जो पैसा देते हैं, उनकी अंगुलियों पर आप नाच रहे हैं।

मैंने एक बार पूर्व में भी कहा था कि हिन्दुस्तान को आपने अमेरिका और पूंजीपति कन्ट्रीज के पास गिरवी रख दिया है और आप उसी तरह की एक पूंजीवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। उन्होंने पैसा दिया क्योंकि हमने मांग की और उनके × × × 5800 सौ करोड़ रुपया लेने की कोशिश की जा रही है। उसमें से कुछ इनको आता है और कुछ का क्या होता है यह भी पता नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, ये पूंजीपति और बड़ी बड़ी कम्पनियाँ उससे कहीं अधिक पैसे को, दुगुने और तिगुने पैसों को बाहर ले जाते हैं तो क्यों नहीं आपकी इन्दिरा गान्धी रोक लगाती है कि बाहर नहीं ले जायेंगे किन्तु यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी साठ गांठ है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मेघवाल साहब ने कहा यह वर्ग संघर्ष है और जितना इन्दिरा गान्धी इन मेहनत कश लोगों को और मजदूरी करने वाले लोगों को छेड़ेंगी, यह वर्ग संघर्ष और तेज होगा। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें और जिस कुर्बानी से देश आजाद कराया गया है उसमें ऐसे वाले कानून को कभी स्वीकृत नहीं किया जाय। आदमी जो अपनी मेहनत का फल मांगे, मजदूर जो अपनी मजदूरी मांगे, अपने भविष्य की कामना करे, अपने बच्चों के लिये सुखद जीवन बनाये, इस तरह की मांग करने वालों के लिये, उनकी मांग को समाप्त करने के लिये यह एक संवैधानिक तरीका बनाया जा रहा है और इस तरह बनाकर यह सरकार उनको × × × बनाने की कोशिश कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पीढ़ी तो क्या, आने वाली पीढ़ी भी कभी इस तरह का सर्वनाश नहीं कर सकेगी।

इतनी कुर्बानी के बाद एक गोरा अंग्रेज तो इस हिन्दुस्तान से चला गया और ये काले अंग्रेज हिन्दुस्तान के मेहनत कश लोगों के साथ यह व्यवहार करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेतावनी देता हूं कि हिन्दुस्तान के हर स्थान पर, हर कोने पर इस तरह के कानून का सख्त विरोध किया

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

जायगा और चाहे दुबारा से एक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिये भी हम तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1982) को अस्वीकार करता है। राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लाया गया है। जैसा कि आपको विदित है, इस बिल को बेरहमी और बेतरीके से रखा गया है। असेन्शियल सर्विसेज के स्कोप को बढ़ाने के लिये इस बिल को लाया गया है और गृह मंत्री जी ने इसे सदन में रखा है न कि कानून मंत्री जी ने और विधि मंत्री जी ने। इससे स्पष्ट है कि यह बिल न्याय पर आधारित नहीं है बल्कि डण्डे के आधार पर लाया गया है, डण्डे पर आधारित है। न्याय के आधार पर होता तो कानून मंत्री जी इसकी स्टडी करते, इसको पढ़ते।

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसी लोजिक है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कानून के बहुत पारंगत और विद्वान हैं और यह लोजिक है। इसके समर्थन में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके सामने पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो विषय पर आ जाइये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का बिल तब लाया जाता है जब कि शासन की क्षमता और प्रमाणिकता का स्तर घटता चला जाय। शासन की पकड़ आम जनता पर ढीली होती है वे इस तरह का अत्याचारी कानून लाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेन्स को पढ़ने से आपको ज्ञात होगा, इस आर्डिनेन्स में जो कारण दिये गये हैं उनको देखने से मालूम होगा....

"Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not in session and the Governer is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action in this behalf......"

श्री उपाध्यक्ष : आप आर्डिनेन्स वाला पढ़ रहे होंगे।

श्री नाथूसिंह : उसका बिल बन कर आया है, आर्डिनेन्स को निरस्त करने के लिये और उसी से रिलेटेड है। उपाध्यक्ष महोदय, कौनसी आवश्यकता पड़ गई थी

(श्री नाथूसिंह)

कौनसी इतनी बड़ी हड़ताल चल रही थी, कौनसी आपत्ति आ गई थी कि तुरन्त विधान सभा के पहले आर्डिनेन्स निकाला गया, ऐसी क्या आफत आ गई थी ? आपने कोई रीजन नहीं दिया। विदाउट रीजन जो आर्डिनेन्स निकाला गया है इससे स्पष्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : वह रीजन पढ़ते-पढ़ते क्यों रह गये आप। पढ़िये।

श्री नाथूसिंह : मैंने बता दिया, रीजन कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रीजन कोई नहीं है ?

श्री नाथूसिंह : It is baseless. It is useless. उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन्होंने असीमित अधिकारों का प्रयोग किया है। आज भी आपके पास बिल है, आपने पढ़ा होगा, इसमें दे रखा है असेन्शियल सर्विसेज क्या होंगी। यह कवर करता है, आप इसको देखेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय ...

"Essential sarvices" means-
(i) any public service in connection with the affairs of the State of Rajasthan;"

सब चीज कवर होती है।

"(ii) any service under the educational institutions recognised by the Director of Education. Rajasthan;

(iii) any service under a local authority;"

क्या बात रह जाती है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो सारी चीजें ले लीं, जिन पर विधान सभा कानून बना सकती है। उन सब चीजों को इन्होंने इसमें कवर करने की कोशिश की है—

"...and which theState Government, being of opinion that strikes therein would prejudicially affect the maintenance of any public utility service..."

कारण बताया गया है। अब क्या इससे सरकार का समाधान हो जायगा ? क्या इम्पोर्टेन्स पब्लिक यूटिलिटी की है ? विधान सभा तय करेगी, सरकार तय करेगी या मुख्य मंत्री जी सोच लेंगे कि ये असेन्शियल सर्विसेज हैं और उनको घोषित कर देंगे एक नोटिफिकेशन के द्वारा। ये सोच लेंगे। किसी दिन मन में आ गया इसलिये कवर-अप करने के लिये शिड्यूल (7) में जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट को कवर करने के लिये इन्होने कहा है। शिड्यूल में जितनी चीजें दी गई हैं, क्योंकि विधान सभा जितने कानून बना सकती है उनके स्कोप में लेना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल (7) को आप देखना चाहेंगे, बड़ी अजीब स्थिति है। आप इस बारे में बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुख्य मंत्री जी, आप ध्यानपूर्वक सुनिये, विधि मंत्री जी

(श्री नाथू सिंह)

और मुख्य मंत्री जी आप भी ध्यान से सुनिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं। आप देखिये शिडयूल (7) में जो चीजें ली हैं। वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सारी चीजें जो कवर हो रही हैं वे हैं 67। उसमें से कुछ उदाहरण देना चाहता हू जिनको इन्होंने इसमें लेना चाहा है :—

"Public Health & Sanitation, Hospitals and Dispensaris,"

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक केस नहीं, सैकड़ों केस ऐसे हुए हैं, जिसमें सुप्रिम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा है कि होस्पिटल इण्डस्ट्री। विधि मंत्री जी जानते हैं, इस बात को माना गया है, होस्पिटल को इण्डस्ट्री माना गया है लेकिन आपने कहा कि इस पर भी इंण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपका बेकार है, उसको आपने महत्वहीन बनाया है। आगे देखिये शेड्यूल–8 :

Intoxicating liquors, that is to say, the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors.

शराब का उत्पादन यदि बन्द हो जाय, स्ट्राइक हो जाय, शराब के उत्पादन में तो ये उसको असेंशियल सर्विसेज में लेना चाहते हैं क्योंकि शराब पिलाना जरूरी है। दुला राम जी चले गये शायद, उन्होंने समर्थन किया इसका ...

श्री दुला राम : किसका ?

श्री नाथू सिंह : आपने तो शायद पढ़ा ही नहीं होगा। आप तो कुछ समझते ही नहीं होंगे कि क्या है ये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन को सम्बोधित करें, किसी सदस्य को नहीं।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सैकिन्ड स्टेज पर आ रहा है कि यदि शराब की फैक्ट्री में जाकर मजदूर हड़ताल करता है तो उसको असेंशियल सर्विसेज से गवर्न करेंगे क्योंकि शराब का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। शराब पीने को नहीं मिली। ये असेंशियल सर्विसेज हैं। इससे आम जनता इफैक्ट होती है, ये देखिये आप इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं आप बिना सोचे। सारे उदाहरण हैं मेरे पास ;—

"21. Fisheries.

24 में देखिये; — Industries, subject to provisions of entries 7 and 62 of List I."

अब इसमें क्या है, इण्डस्ट्री को भी इन्होंने लिया है और फिर आगे देखिये

"28. Markets and Fairs."

क्या करना चाहते हैं आप ?

एक माननीय सदस्य : शराब के बारे में बोलिये....

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : और शराब के बारे में भी मैं पहले बोल चुका हूं, आप दूर से आये हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आगे देखें आप....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथू सिंह : 33 पर देखिये

"Theaters and dramatic perfor mances, cinemas subject to the provisions of entry 60 of List I, sports. entertainments and amusements."

यानि ड्रामा करने वाले, नाटक करने वाले भी, सिनेमा करने वाले भी यदि हड़ताल कर दें तो इनको तकलीफ होती है, उनको भी असेंशियल सर्विसेज में लेते हैं, क्योंकि सरकारी ड्रामा की पार्टी में भर्ती है ...

एक माननीय सदस्य : ड्रामा तो आप करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथू सिंह : स्टेज पर तो आप लोग हैं, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, ये तो देखने वालों में हैं। इस ड्रामा को भी असेंशियल सर्विसेज में लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करने की चेष्टा करें, माननीय सदस्य ।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तो यह शुरू किया है, उसमें पाबन्दी लगा दी है।

श्री उपाध्यक्ष : ये तो आपने शुरू किया है, उसमें आपने 15 मिनट लगा दिये ।

श्री नाथू सिंह : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है, उपाध्यक्ष महोदय, आप कानून के बारे में समझते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 66 के विषय में कुछ नहीं कहा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कानून के बारे में समझते नहीं हैं, ये कह रहे हैं, माननीय सदस्य, यह आसन की तौहीन है।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये नाटक में इतने व्यस्त हैं कि इनको सुनने को भी नहीं मिलता ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और कोट करना चाहता हूं–34

"Pertinent gambling"

इसको भी असेंशियल सर्विस मानते हैं। मुख्य मंत्री जी pertinant gambling को भी असेंशियल सर्विस में लेना चाहते हैं। इसको स्कोप में लेना चाहते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि इस बिल को, इस विधेयक को, इस आर्डिनेंस को निकालते समय और इस विधेयक को लाते समय बिना सोचे समझे, बिना विचार किये इसको रखा है, इसको लाया गया हैं। इनको मालूम नहीं है, यह है क्या?

(श्री नाथू सिंह)

बिना सोचे समझे इसको लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा, इसके बारे में असेंशियल सर्विस क्या होंगी, कब होंगी, अच्छा तो यह होता कि इसकी परिभाषा देते, प्रिंसीपल देते, इसका कोई एक स्कोप बना देते, जिसमें इसको बांधते। उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर असेंशियल सर्विसेज क्या होंगी? जो सरकार समझेगी? पाबन्दी किस पर होगी? जो सरकार समझेगी? एक्शन क्या होगा? जो सरकार समझेगी। उपाध्यक्ष महोदय आप इस पर मोहर लगवाना चाहते हैं, विधान सभा में। इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, सुप्रिम कोर्ट एक केस 1979, वोल्यूम थर्ड, पेज 481 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय :—

"It is a rule of administrative law which has been judicially evolved as a check against the exercise of arbitrary power by the executive authority. It is indeed unthinkable in a democracy governed by the rule of law the executive Government or any of its officers should possess arbitrary power over the interests of the individual..."

आगे कहा है, उपाध्यक्ष महोदय—

"Every action of the executive government must be informed with reason and should be free from arbitrariness. That is the very essence of the rule of law and its bare minimal requirement. And to the application of this principle it makes no difference whether the exercise of the power involves affectation of some right or denial of some privilege."

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्पष्ट किया है, इस मसले में कि जहां डैमोक्रेसी होगी, वहां रूल आफ ला होगा। वह रूल आफ लॉ क्या होगा? तीन चीजें होनी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्बीट्रेरी एक्शन नहीं होना चाहिए, आर्बीट्रेरी पावर एक्सीक्यूटिव को नहीं देनी चाहिए। और तीसरे इन्होंने कहा कि विदाउट फेवर होना चाहिए और चौथी बात जो इन्होंने कही, इन्ट्रेस्ट आफ इन्डीविजुअल, इसको कवर करना चाहिए। तब जाकर के, उपाध्यक्ष महोदय, ये रिक्वायरमेन्ट्स हैं, जो कि पावर एग्जीक्यूटिव को दी जा रही हैं उसकी तीन रिक्वायरमेन्ट्स बतायी हैं। अनलिमिटेड पावर नहीं दी जानी चाहिए। आर्बीट्रेरी एक्शन नहीं होना चाहिए और free from arbitrariness अब ये तीसरी चीज, इसमें स्पष्ट की है। ये तीनों चीजें हैं। क्या इनको इस तरह का अधिकार दे दें कि जिसको चाहे असेंशियल सर्विस घोषित कर दें, जिसको चाहे बन्द कर दें, जिसको चाहें जो कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने को इस विधेयक को, आर्डिनेन्स को लाकर सारे कानूनों को ताक में रख दिया और स्ट्राइक के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह रूलिंग सुप्रिम कोर्ट की आपके ध्यान में है कि नहीं जिसमें ऐसे कानून को जायज करार दिया गया है।

श्री नाथूसिंह : यह किस में दिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट रूप से आप फरमायें।

श्री उपाध्यक्ष : चैम्बर में आइये, मैं बताऊंगा, कौनसी रूलिंग है ?

श्री नाथू सिंह : यह लेटेस्ट रूलिंग है, उपाध्यक्ष महोदय, 79 की जो मैंने दी। अभी मैं मिलूंगा, आप दे दीजिए। मैं संतुष्ट हूं, यह लेटेस्ट रूलिंग है जो मैं लाया हूं, आर्बीट्रेरी पावर अगर दे देंगे एक्जीक्यूटिव को तो उसका परिणाम क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय ? इतना ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन इस इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्दर दी गयी है और उसमें पहले ही इन्होंने स्ट्राइक पर इतनी पाबन्दियां लगा दी हैं। ये कहते हैं कि स्ट्राइक करेंगे तो हम क्या करेंगे ? इस कानून के अन्दर पहले ही जो कानून निर्माता थे उन्होंने सोच समझकर इन पर रिस्ट्रिक्शन लगायीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं

"A. I. R. 58 page 81"

इसमें एक फैसला दिया गया है और इसी के ऊपर और दूसरा क्रिमिनल लॉ भी है पेज 81 पर, दोनों की मैं भावना पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"The intention of the Legislature in enacting sec. 22 i. e. definition of striks and lockouts—"

ये इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में दी गयी हैं

"The intention of the legislature in enacting sec. 22 is to provide the safeguards in matters of public utility services."

मुख्य मंत्री महोदय और विधि मन्त्री महोदय इसे ध्यान से सुनें, आप ध्यान से सुनिये, बात बाद में कर लें...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : इसका बहुत लिमिटेड स्कोप है, नाथू सिंह जी।

श्री नाथू सिंह : as otherwise great inconvenience to the society and general public would result. The section does not restrain from going on strike but only requires to fulfill certain conditions before doing so.

ये सर्टेन कन्डीशन रखी हैं, स्ट्राइक पर जा सकते हैं और कन्डीशन रखी है, ए. बी. सी. डी. चार कन्डीशन दे रखी हैं। आप जानते हैं इस बात को, इतने दिन बाद नोटिस देंगे, कितने दिन बाद स्ट्राइक करेंगे। इस तरह से स्ट्राइक कर सकेंगे। ये सारी रिक्वायरमेन्ट्स दी

(श्री नाथू सिंह)

गयी हैं और असेंशियल यूटिलिटी की पब्लिक यूटिलिटी की बात इसमें कही गयी है। ये असेंशियल सर्विसेज क्या होंगी, पब्लिक यूटिलिटी क्या होगी ?

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 22 को आप पढ़िये। मैंने कोट किया इसको, मुख्य मंत्री जी और विधि मंत्री जी, आप दोनों देखिये। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है। इसी तरह से इन्होंने किसी भी चीज को नहीं देखा। उन्होंने आर्बीट्रेरिली कह दिया कि सारी शक्तियां, सारे अधिकार हमें दे दें। स्ट्राइक नहीं करने दी जाएगी। उनकी डिमाण्ड नहीं सुनेंगे, सारे अधिकार हम लेंगे। इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इतना ही नहीं किया, इसके आगे और अमेंडमेंट किया। इन्होंने कह दिया कि पुलिस आफिसर विदाउट वारण्ट अरेस्ट कर लेगा। क्या यह डेमोक्रेसी के अन्दर जस्टीफाइड है ? उपाध्यक्ष महोदय, किसी पुलिस आफिसर की और मेरी अनबन हो गई, मैं जा रहा हूं, मुझे अरेस्ट करके कहेगा, कि मैं ऐसा समझता हूं कि रीजनेबल ग्राउण्ड था इसलिए मैंने उठा कर अरेस्ट करके डाल दिया। क्या कर लेंगे आप ? यह किसी पर भी आपत्ति आ सकती है। इस तरह से आप देखिये कानून की, इस परिभाषा को देखिये। उन्होंने कह दिया कि विदाउट वारण्ट के अरेस्ट करके मुकदमा चला देंगे। Police Officer can arrest without warrant. Can arrest without warrant. इसका मतलब क्या है, उपाध्यक्ष महोदय। आप तो लॉ पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि यह विदाउट वारण्ट कोई भी पुलिस आफिसर तभी अरेस्ट कर सकता है जब वह काग्नीजेबल आफेंस हो। और काग्नीजेबल आफेंस की डेफिनेशन क्या है यह सी आर. पी. सी. में दी हुई है :—

"Cognizable offence means an offence for which and 'cognizable case' means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under and other law for the time being in force, arrest without warrant;"

तो आपने स्ट्राइक को काग्नीजेबल आफेंस मान लिया। यह जितने 66 में दे रखे हैं इस सेकण्ड लिस्ट में, सेकण्ड शिड्यूल में, ये सारी चीजें काग्नीजेबल आफेंस हो गई। सारी चीजें काग्नीजेबल आफेंस हो गई तो बचा क्या ? काग्नीजेबल आफेंस, इसका मतलब यह है कि सी आर. पी. सी को भी ध्यान में नहीं रखा। आपने सारे कानूनों को ताक में रख दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूस एक्ट को ताक में रख दिया, सी आर. पी. सी. को ताक में रख दिया। ट्रेड यूनियन एक्ट को ताक में रख दिया। इसका स्कोप नहीं बढ़ाया। डेमोक्रेसी को ताक में रख दिया। सुप्रिम कोर्ट ने जो डिसिजन्स दिये उनको ताक में रख दिया। कांस्टीट्यूशन को ताक में रख दिया और ये सारी चीजें लेना चाहते हैं। एक्जीक्यूटिव को पावर दे दें इसका मतलब यह है कि इनको भय है कि आम जनता, मजदूर, गरीब तबका इनके खिलाफ हो रहा है इनके विरुद्ध जा रहा

142

(श्री नाथू सिंह)

है। उनके लिए कल्याणकारी योजना नहीं बना रहे हैं। उनके हित में कोई कानून नहीं बना रहे हैं इसलिए इनको भय है....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : चुनावों में बता दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं, इनको ताड़ना दीजिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जो हुकुम।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए।

श्री नाथू सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मैं जो पोइन्ट रख रहा हूं यह बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह इतना महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कहेंगी कि पढ़े-लिखे नहीं थे क्या ? किस तरह से उन्होंने इस कानून को बना दिया।....

श्री उपाध्यक्ष : You can consider this to challenge through Writ Petition in the High Court.

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह तो बाद की बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां पर क्यों नहीं रोकें ?

श्री नाथू सिंह : वह तो, उपाध्यक्ष महोदय, बाद का सवाल है।

श्री यदुनाथ सिंह : सड़कों पर धज्जियां उड़ायेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सबसे पहले गृह मंत्री जी की उड़ायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बाद का सवाल है। लेकिन इससे पहले की क्या स्थिति है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के विरुद्ध जो यह कानून लाया गया है, अच्छा होता इसके बजाय इन कर्मचारियों के हितों के लिए दूसरी तरह का विधेयक लाते। यहां फ्रेश रिक्रूटमेंट का विधेयक लाते, इसके लिए कण्डीशन आफ सर्विसेज के लिए विधेयक लाते जिससे कर्मचारियों की दशा सुधारी जाती तो हम इसको सर्वसम्मति से पास करते, हम इसका समर्थन करते। बेरी कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है। कर्मचारियों के हित की उस बेरी कमीशन की रिपोर्ट को डाल रखा है। उस पर विचार नहीं हो रहा है, विचार भी किया जा रहा है तो पोस्टपोन किया जा रहा है। उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कर्मचारियों के हित की बात नहीं की जा रही है, कर्मचारियों के कल्याण की बात नहीं सोची जा रही है। उन पर तलवार लटकाई जा रही है, भयभीत किया

(श्री नाथूसिंह)

जा रहा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यदि ये कर्मचारी संतुष्ट हैं, यदि अनरेस्ट है कर्मचारियों में भले ही असेंशियल सर्विसेज में ही क्यों नहीं काम करते हों, अगर आप उनकी स्ट्राइक को रोकना चाहते हैं, उनके अनरेस्ट को रोकना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतिहास आप जानते होंगे, इतिहास पढ़ा होगा आपने मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण मिलता है कि डण्डे के बल पर किसी अनरेस्ट को रोक दिया गया हो ? कदापि नहीं। उस अनरेस्ट को रोकना है कर्मचारियों के तो आप उनके बारे में सोचिये। उनके हित की बात सोचिये। प्रदेश की स्थिति से अवगत करायें कि यह सर कमस्टांसेज हैं, या हमारे पास पैसा नहीं है, यह हमारी कण्डीशन है, इसको कैसे सुधारें ? लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। आप तो सीधे डण्डे की ताकत पर उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा होता कि कर्मचारियों के हित की बात करके उनका समर्थन लेकर स्ट्राइक रोकते तो यह करने की नौबत ही नहीं आती। हमारे शासन के अन्दर भी ऐसा था लेकिन कर्मचारियों ने कभी स्ट्राइक नहीं की। स्ट्राइक की भी तो बातचीत की और उससे वे संतुष्ट हुए। उपाध्यक्ष महोदय, इतना नहीं ही ये लोग चाहते हैं कि इनको अन-ब्रिडेल्ट, अनफेडर्ट, अन-रेगुलेटिगपावर मिल जाय। विधान सभा से चाहते हैं। क्या विधान सभा इस तरह के पावर इनको दे दे। It is against the rule of law.It is against thescope of this constitution.

श्री प्रद्युम्न सिंह : Within the scope.

श्री नाथूसिंह : यह आपकी भावना है जो डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। कांस्टीट्यूएशन डेमोक्रेसी के आधार पर बना हुआ है। गृह मंत्रीजी, आप तो डण्डा हाथ में लिए हुए हैं इसीलिए आपको कानून के बारे में कलम के बारे में जानकारी नहीं है। कलम के बारे में तो उपाध्यक्ष महोदय ज्यादा समझते हैं कि कलम कैसे चलाई जाती है आपके हाथ में तो मुख्य मन्त्री जी ने डण्डा पकड़ा रखा है जो चलाए जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : No talks please.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस लिए मैं चाहता हूं कि आप बेरी कमीशन की रिपोर्ट को यहां पर रखते, उस पर विचार करते, कर्मचारियों की सहायता लेते कर्मचारियों के कल्याण की बात सोचते। मुझे स्पष्ट रूप से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान रखिये, रिपीटिशन नहीं करिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने से, इस आर्डिनेंस को लाने से यह आभास होता है कियह सरकार धीरे धीरे 2 समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। यह सरकार चाहती है कि प्राइवेट

(श्री नाथू सिंह)

इण्डस्ट्रीज हैं, मैं बताना चाहता हूं, जयपुर मैटल का उदाहरण देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उस उद्योग को ले लिया था लेकिन उसके बाद वहां कर्मचारियों ने हड़ताल की है कि सरकार उस को रखे। उस प्राइवेट सेठ को नहीं दे क्योंकि उस सेठ ने उसका बंटाधार कर दिया था, उसको घाटे में ले गया। कर्मचारियों ने मेहनत की, उसको फायदे में लाए और उसके बाद सरकार से लड़ाई कर रहे हैं कि सरकार उसको रखे। लेकिन सरकार षडयंत्र कर रही है कि प्राइवेट सेठ को दे दी जाय। तो क्या इसके लिए अगर कर्मचारी स्ट्राइक करेंगे, आन्दोलन करेंगे तो यह एसेंशियल सर्विसेज एक्ट यहां बना रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं, इस विधेयक के हतर आप उनको उठा करके बिना उनसे बातचीत किये उनको जेल में डाल देंगे। वे कर्मचारी किसके लिए लड़ रहे हैं? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है। पीछे के दरवाजे से आपा तत्काल लाया जा रहा है। यह भयभीत हो रहे हैं और भयभीत की स्थिति में बिना सोचे समझे, बिना विचार किये, बिना परिणाम देखे हुए यह सरकार विधेयक ला रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और मेरी तरफ से ही नहीं राजस्थान के सारे कर्मचारियों की ओर से, राजस्थान के सारे विद्यार्थियों की ओर से, राजस्थान की सारे जनता की ओर से,ये पांच प्रतिशत × × ×

उधर बैठे हुए हैं, आम जनता की ओर से इस विधेयक का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यह सरकार, इस विधेयक को विदाड़ू करेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय, द्वारा प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1982) को अस्वीकार करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काला कानून यहां लाया जा रहा है। एक ओर वे लोग जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय काम करते हैं उनके लिए इस सरकार को और सोचना चाहिए था। दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, देखा जाय तो ये लोग ही राज चलाते हैं। ये कुछ चन्द लोग राज नहीं चलाते हैं। राज्य की सारी शक्तियां उनके हाथ में हैं। वे बैठ जावें कलम हाथ से नीचे रख दें तो आप क्या कर लेंगे? उनके लिए चाहिए तो यह था कि काम बांटा जाता एक दिन में उनको कितना काम करके देना है। वे इनकी सुख सुविधाओं के लिए अच्छा काम करते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था तो वह काम में और दिल लगाते। उनको हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह पांच तारीख की हड़ताल से डर कर इस कमजोर सरकार ने जिस तरह से यह कानून लाने की कोशिश की, 19 तारीख को इन्होंने देख लिया कि उनके दमन के बावजूद भी श्रमिकों ने सड़कों पर आकर इनके इस काले कानून की

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

धज्जियां उड़ा दी। अभी श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेकर यहां कुछ बात कर रहे थे कि तीनों तरह की वे नेता हैं, जैसे कोई आकाश की, पाताल की और इस देश की, इस धरती की नेता हैं वे। उनके अन्दर अगर मातृत्व के गुण होते तो उन कर्मचारियों के लिए उनके सुख के लिए सोचतीं। जो वे यह कहती हैं कि ये विरोध दल के लोग यह कह रहे हैं कि मेरा राज अच्छा नहीं चल रहा है, मंहगाई बढ़ रही है, वह चीज बढ़ रही है, ये नेता लोग गलत सोचते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूं, यथार्थ क्या है, सब लोग जानते हैं। यह थोथी आवाज, यह गलत नारे इन स्लोगन्स से सरकार नहीं चलायी जाती है। सरकार चलायी जाती है प्रेम की भावना से, कर्त्तव्य की भावना से, संविधान की भावना से। जो आप बिल लाये हैं, यह जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का काम था। उसको आप तोड़ मरोड़ कर इस तरह से गलत कानून लेकर आये है। यह मातृभक्ति की भावना नहीं है, यह संविधान की भावना नहीं है। मैं कहना चाहूंगी इन्दिरा गांधी में वह गुण ही नहीं हैं, जो इस देश की मातृत्व बनाकर वह संरक्षण दे सकती हों। ऐसे मजदूर, ऐसे कर्मचारी, ऐसे लोग जो निस्वार्थ देश की सेवा करते हैं उनके खिलाफ यह कानून लाये हैं। मैं समझती हूं इस तरह का कानून नहीं लाया जाना चाहिये। विधान सभा में इस तरह का कानून लाना, लोकसभा में इस तरह का कानन लाना बहुत गलत है। कहा यह है न त्वहं कामये राज्यं न सुखम् न पुनर्भवम् कामये दुख तप्तानाम् प्राणिनाम् आर्ति नाशनम्। जिस देश के यह स्लोगन हों, यह प्राणियों की पीड़ा को क्या हरेंगे? इन्होंने पीड़ित करके उनके सर पर मंडराने की तैयारी की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, इस बिल को वापस लेवें समय रहते वापस ले। यहां बहुमत के बल पर एक बार इन्होंने देखा था, प्रबल बहुमत आया था सन् 1975 में, प्रबल बहुमत के कारण × × × यह मीसा का कानून लाये थे, उससे भी बढ़कर मैं इसको काला कानून मानती हूं। जो बिना कारण बताये इन्होंने मीसा में लोगों को पकड़ा था अब यहां पर आम कर्मचारी, वह राजनैतिक बंदी नहीं है वह राज्य कर्मचारी हैं, उसको गिरफ्तार करने की योजना है। अगर वह कहे रोटी चाहिये तो गिरफ्तार करो, अगर वह यह कहे पानी चाहिये तो गिरफ्तार करो, अगर वह यह कहे मेरा वेतन बढ़ाओ तो गिरफ्तार करो। ऐसी सरकार किस काम की है? मैं कहना चाहती हूं, ऐसी × × × सरकार पता नहीं किसके द्वारा किसके कृत्य से यहां पर चुनकर ला दी गई है। मैं फिर कहना चाहूंगी, आपको प्रबल बहुमत मिला है। जिसके हाथ में डंडा होता है, उसको संरक्षण की जरूरत का होनी चाहिये। जिसके हाथ में डंडा है, उसका मन मस्तिष्क फिर नहीं जाना चाहिये। वह डंडा किसी दिन भस्मासुर की तरह तुमको निगल जायेगा। प्रद्युम्न सिंह जी, आपकी आत्मा मर गई है जो ऐसी बात सोच रहे हैं। खाने को देते नहीं, पह-

---

× × × अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नने को देते नहीं, टाइम पर बिजली देते नहीं, टाइम पर पानी देते नहीं, टाइम पर सुविधा उपलब्ध होती नहीं है, यहां हमेशा पीछे से हंसते हो। मैं कहना चाहूंगी यह निन्दनीय है। मैं विधान सभा में शोर और हरकतों की निन्दा करती हूं। आप यहां पर कानून लाये शराब खोल दी जायेगी। शराब इसीलिये खोल दी जायेगी सरकार में सामर्थ्य नहीं है उसकी अनुपालना कराने में। वह तो आपने खोल दी। जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कानून लाये थे उसको तोड़ कर रख दिया। जो काला कानून है उसको विधान सभा में लाते हैं। पिछले दिनों बड़ी दबंगता से कानून लाये। तीनों यूनिवर्सिटी में बड़ी बुरी हालत है, बड़ी अराजकता है; टाइम पर परीक्षा नहीं होती है। केवल 14-15 सदस्य बनाये जा रहे थे उसके लिये बिल लाये। उस बिल ने क्या किया, अब भी परीक्षाएं नहीं हुई, परीक्षा परिणाम नहीं निकले और कोई काम नहीं हुआ। गलत गलत कानून लाते हैं, गलत गलत नतीजे यहां पेश होते हैं। मैं कहना चाहूंगी, मैं बाध्य करना चाहूंगी सरकार को, इस कानून को वापस ले ले नहीं तो सड़कों पर यही कर्मचारी जो आपकी इज्जत करता है, आपको दफ्तर में घुसते ही सलाम बजाता है, आपकी वह××× वह ××× कि जिन्दगी भर याद रखोगे। मैं यही बात कह मेरी बात समाप्त करती हूं। यह तर्क देती हूं, वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) (अध्यादेश सं. 1 सन 1982) को अस्वीकार करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माथुर सरकार यह काला कानून जनता के ऊपर थोपने जा रहीहै, । माननीय उपाध्यक्ष निवेदन महोदय, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, कि इमर्जेन्सी में भी मैं जेल गया था और इसी प्रकार यह एक इमर्जेन्सी काल आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरू गोविंद सिंह, राम की धरती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हुं, यहां की जनता यहां के श्रमिक, यहां के छोटे कर्मचारी कहते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नो टाक्स।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवचरण माथुर साहब में बिलकुल आत्मा नहीं है, बिलकुल भी विवेक नहीं है। यह दिल्ली के हाव भाव से डोलते हैं। मैं माननीय

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

माथुर साहब से कहना चाहता हूं, यदि आपमें आत्मा है, आपके दिल में लोकतंत्र की कुछ विश है, जनतन्त्र में आपका विश्वास है, तो इस काले कानून को आप वापस लें।

इसी प्रकार विधि मन्त्री को कहना चाहता हूं, विधि मन्त्री में बिलकुल भी स्वाभिमान नहीं है। पहले जब वह स्वास्थ्य मन्त्री थे, मैं उनके स्वाभिमान का एक उदाहरण देना चाहता हूं। नटराज होटल के सामने डाक्टरों से उन्होंने पहले ××× और जब बाद में उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने पान खाकर के नटराज होटल के सामने ××× इस प्रकार के आपकी सरकार के विधि मन्त्री हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : यह सत्य है माथुर साहब....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं खुला आरोप लगाता हूं आपकी सरकार के विधि मन्त्री के ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आप रेलेवेन्ट बात कहिये। माननीय सदस्य, मैं अंकित नहीं कराने दूंगा।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो असंसदीय वर्ड्स यूज किये गये हैं, पर्सनल इल्लीगेशन विदाउट नोटिस लगा नही सकते हैं, इनको एक्सपंज कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : उपाध्यक्ष महोदय, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। यह काला कानून है। यह खुली तलवार जनता के ऊपर लोकतन्त्र के ऊपर लटकाई गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : विधान सभा के नियमों के अनुसार....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

जब आप प्रबंध करते हैं तब हम बोलते हैं। अगर वह कहेंगे तो हम नाम लेकर के विधान सभा के नियमों के तहत नाम भी रख देंगे, ऐसी क्या बात है? अगर इस तरह शोर करोगे तो दूसरा बोलेगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या। अब समाप्त कीजिये।

(148)

श्री नाथूसिंह : पाइंट आफ आर्डर। माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न उठाया कि भ्रष्ट अन-पार्लियामेंट्री है। भ्रष्ट अन-पार्लियामेंट्री है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था कि यह राम की धरती है, यह कृष्ण की धरती है। यहां पर इस प्रकार का काला कानून पास करके आप जनता के ऊपर लोकतन्त्र के ऊपर खुली तलवार लटकाने जा रहे हैं। मैं पूरे देश की और राज्य की जनता की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, इस काले कानून का विरोध करता हूं। इस कानून को पास करने के बाद यदि आप अपने चेम्बरों से निकल जायें तो मेरा नाम बदल कर रख देना। मैं इस कानून का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश से 1 सन् 1982 को अस्वीकार करता है।)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अत्यावश्य सेवाएं अनुरक्षण संशोधन विधेयक का मैं घोर विरोध कर रहा हूं। मैं तो पूरा पूरा विश्वास मान कर चलता था, मैंने लगातार माथुर साहब के साथ बैठकर दो साल तक उनके विचार सुने हैं पी. यू. सी. के माध्यम से। मैं इनको प्रगतिशील मानता था, प्रगतिशील ही नहीं बल्कि उससे एक कदम आगे चलकर साम्यवादी विचारों का प्रतीक मानता था। लेकिन इन्हीं के राज में आज इस प्रकार का कानून आया है। मुझे तो पूरी आशा थी। जो राजस्थान में केपीटलिस्ट हैं, यह जो धन्ना सेठ हैं, यह जो लाला भरतराम, चरतराम और जे. के. सिंघानिया हैं, जब सन् 1972 से लेकर 77 तक सारे देश में इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा गूंज रहा था, जब इमर्जेन्सी लगी हुई थी, उस इमर्जेन्सी के अन्दर जे. के. सिन्थेटिक्स के मालिक सिंघानिया की सम्पदा 120.1 प्रतिशत बढ़ी।

मुझे आशा थी कि महान् प्रगतिशील और साम्यवादी विचारों के मुख्य मंत्रीजी ऐसे धन्ना सेठों के खिलाफ कानून लाकर मजदूरों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है आपके सामने राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आकर उपस्थित हुए थे, डी. एम. एस. के लोग भी आये। लेकिन जब साम्यवादी आये, उनसे आपने बड़े प्यार से बात की और कहा कि दाऊदयाल जी भले ही दो चार लोग रोडवेज की छोटी छोटी बातों की आलोचना करते हों लेकिन जहां नेशन का प्रश्न है राष्ट्रीकरण मस्ट है। राष्ट्रीकरण की जो डींगें हांकने वाले लोग हैं, मुझे याद है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा, इसमें गरीब मजदूर किस दुर्दशा में फंसे हुए हैं उन गरीब मजदूरों पर पुलिस के लोगों के पास जिस प्रकार के अधिकार नहीं है आज इस काले कानून के माध्यम से उनको पूरी छूट दी जा रही है तो वह गरीब मजदूर कहां जायेंगे। मुझे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

याद है जे. के. उद्योग भवन के सामने इस सरकार के समय में गोलियां चली थीं, गरीब मजदूर मारे गये थे। लेकिन आज आश्चर्य है श्रीमान माथुर साहब उन गरीबों को तवज्जोह नहीं दे रहे हैं वे किस प्रकार से नरक की यातनाएं भोग रहे हैं वो किस प्रकार से कीडे मकोड़ों की तरह, गन्दे पानी के नाले की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहां किस प्रकार की इंदिरा गांधी के नाम पर बस्ती बसी है? उन पर विश्वास कर रहे हैं उन गरीब मजदूरों के हित में कोई कानून आया होता तो मुझे बड़ी खुशी होती लेकिन आज उनकी तरफ ध्यान नहीं है। आज तो संपदा बन रही है कांग्रेस के राज में और श्रीमान् माथुर साहब जैसे व्यक्तियों के राज में। सन् 1972 मे जहां हिन्दुस्तान के सात बड़े व्यक्तियों की संपदा केवल मात्र 14 अरब थी, वह 1972 से लेकर 1977 तक जब मजदूरों का मुंह बन्द कर दिया गया था मजदूर बोलते तो उनको मीसा में बन्द कर दिया जाता ऐसे समय में उनकी संपदा में 30 अरब की धनराशि बढ़ गई। आज लोग सड़ रहे हैं गरीब मजदूर मर रहे हैं इसलिए आज इस कानून के पास होने के बाद मुख्य मंत्रीजी मुझे याद है, मेजोरिटी है लेकिन उनकी आत्मा बोलेगी अगर कांग्रेस के लोगों में आत्मा थोडी भी हो तो। मुझे तो लगता नहीं, अगर भगवान करे उनकी आत्मा जाग जाय और इस काले कानून का विरोध करने के लिए खड़े हो जाय। लेकिन मुझे लगता है कानून पास होने के बाद मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे कि मैं पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कानून का दुरुपयोग नहीं करने दिया जायेगा। श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी- ....

श्री उपाध्यक्ष : यही आश्वासन दिया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : जी हां। यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमर्जेन्सी लगाते समय कही थी और कहा था देश के नागरिकों, को लोक सभा के मैंबरों को पूरा विश्वास दिलाती हूं कि इसका, काले कानून का दुरुपयोग नहीं करने दिया जायेगा। क्या हुआ? मुझे उस समय की याद है कोटा नगर में दो बच्चे जिनकी उम्र एक की 13 साल और दूसरे की 16 साल थी उन्होंने जब जूलुस देखा और देखने के बाद उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। उनका पाप केवल इतना था कि भारत माता की जय। उसके बाद पुलिस ने उनको इतना मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गये थाने पर और उसके बाद उन दोनों बच्चों को बेहोशी की हालत में कोटा की सैंट्रल जेल में फेंक गये। उन बच्चों को जब होश आया, हमको जब पता लगा कि दो बच्चे जेल में आये है तो हमने जाकर संभाला। एक नंदकिशोर नाम का बच्चा था उसने कहा कि मुझे मारा है इस प्रकार से मेरी बात सुनो। लेकिन पहले मेरी टट्टी साफ करो। इतना मारा कि उसके टट्टी आ गई और उसके बाद उस गरीब बच्चे को तीन महीने तक हम लोगों के साथ जेल की यातना सहनी पड़ी इसलिए कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया जा सकता। श्रीमान मुख्य मंत्रीजी, पुलिस ऐसी होती है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आज ही की घटना है। आज ही तो इस विधान सभा के अन्दर पुलिस के खिलाफ हमने कहा है जिसने कि बलात्कार किया थाने के अन्दर, देवस्थानों में बैठ कर बलात्कार करने वाले पुलिस वालों के हाथों में पावर देने जा रहे हैं कि जिस किसी को चाहो पकड़ लो, बन्द कर दो, जमानत मत दो, 6 महीने तक बोल नहीं सकते। और आप कहते हैं कि बढ़िया व्यवस्था करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्य मंत्री जी, कि आप इस प्रकार के काले कानून को यहां पर स्वीकृति न देकर पहले ही वापस ले लेंगे। आप इंदिरा गांधी के दबाव में नहीं आयेंगे जिस प्रकार प्रधान मंत्री ने आपको दो घंटे तक कमरे में बन्द रखा इंदिराजी की यूनियन के भूत के द्वारा इस इंटरस्टेट डिस्प्यूट के मामले पर और आप अड़े रहे इसी प्रकार इस कानून को यहां पर नहीं लगाने का कह दीजिये कि राजस्थान में इस गन्दे कानून को हम स्वीकृत नहीं कर सकते। आपका नाम इतिहास में अमर हो जायेगा। श्रीमान मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप श्री माणिक्यलाल वर्मा की तरह, आज माननीय वर्माजी जिन्दा होते उन्होंने इस राजस्थान में बिजोलिया आन्दोलन लड़ा था राजस्थान की जनता को जगाया था अन्याय के खिलाफ प्रतिकार किया था, अन्याय के खिलाफ लड़े थे वे वास्तव में राजस्थान के हीरो थे लेकिन आज उनका जवाई राजस्थान की धरती पर काला कानून लाकर लोगों के गले घोटना चाहता है लोगों को जबर्दस्ती जेल के सींखचों में बन्द कर देना चाहता है। मुझे आशा है ऐसे जंवाई को निश्चित रूप से वेदुआ नहीं दे रहे होंगे और बददुआ दे रहे होंगे और घर में आप जबजायेंगे तो भाभी जी भीनिश्चित रूप से आप से कहेंगी कि क्या काला कानून पास कर आये? इसलिए अभी भी मौका है इस कानून को पास कराने के पहले ही आप सदन में खड़े होकर इस काले कानून को वापस ले लें। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 जनवरी 1982 को प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश (अध्यादेश सं 1 सन् 1982) को अस्वीकार करता है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982 का आदरणीय माथुर साहब की सरकार का यह पहला पुरस्कार राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है। राजस्थान में मेहनत के आधार पर जिन्दा रहने वाले लोगों के हकों के लिए जब अन्धी बहरी और गूंगी सरकार स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहती है तो मजबूर होकर जो कुछ भी रास्ता उनके पास कानून के तहत दिया गया है, वह उन रास्तों का प्रयोग करता है

(6.07सायं)

(श्री तकीउद्दीन खां सभापति पदासीन,

और उनके आधार पर इस सरकार को

151

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अपनी आवाज सुनाने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी छोटी मोटी मांगों को मनाने का संघर्ष करते हैं। किसी राजनैतिक नेता की कुर्सी खींचने के लिये प्रयत्न नहीं करता है। वे कोई जन्मजात आन्दोलनकारी भी नहीं हैं और पैदायशी राजनितिज्ञ भी नहीं है केवल अपने हकों के लिये थोड़ी सी अपनी जुबान से आवाज उठाते है उस आवाज को भी माथुर सरकार का 1982 का यह पहला पुरस्कार दे रहे हैं। अब यह लोकतंत्रीय राज नहीं है अब यह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। अब राजस्थान का राज लोकतंत्रीय राज नहीं कहा जायेगा। पुलिस राज कहा जायेगा। अब पुलिस के हाथों में इस आधार पर अधिकार दे रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिन बातों को कह कर आप यह जो अध्यादेश लाये हैं इसमें राज्यपाल से आपने कहलाया है कि राजस्थान विधान सभा इस समय सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है। किस बात का समाधान हो गया ? क्या राजस्थान कोई रसातल में जाने वाला था, डूबने वाला था ? ऐसी कौनसी परिस्थितियां आपके सामने आ गई, एसे कौन से विकट, विकराल बादल आपके सामने छा गये जिनके कारण आपको अंधियारा दिखाई देता था, जिनके कारण राजस्थान का विकास रुक रहा था और जिनके कारण से लगता था कि राजस्थान डूब जायेगा वे कारण कौन से थे यह स्पष्ट करें, वह कौनसे आधार थे। जब पहली बार 1970 में इस कानून को लाया गया था, पहली बार सुखाड़ियाजी के समय में इस कानून को लाया गया था। उस समय यह कानून इस बात पर, इस आधार पर पास किया गया था। आपके जो प्रिय नेता हैं, जिनका आप बहुत ही सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति के शब्दों को मैं पढ़ कर सुनता हूं। उन्होंने यह 1970 वाला कानून बनाया। क्यों बनाया, किन परिस्थितियों में बनाया कौन सी स्थिति आ गई थी, जिसके कारण से यह बनाना पड़ा। आज क्या वे परिस्थितियां हैं, जिसके कारण से आवश्यक सेवाओं की सीमाएं छोटी लग रही हैं ? उसका दायरा विशाल करके, हर व्यक्ति के गले पर तलवार लटका कर उसकी जुबान बन्द करना चाहते हैं। सभापति महोदय, ये सुखाड़िया जी के शब्द है :

अध्यक्ष महोदय, यह सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में होगा कि जब कर्मचारियों की ओर से स्ट्राइक का नोटिस दिया गया तो हमने कानून नहीं बनाया, 27 अगस्त को भूख हड़ताल की तो कानून नहीं बनाया 30 सितम्बर के दिन पैन डाउन स्ट्राइक की गयी दफ्तर में बैठ कर, तब भी हमने सोचा कि प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर इन्तजार किया फिर यह एलान किया गया उनकी ओर से कि 8-9 तारीख को व्यापक हड़ताल की जायेगी तब 5 तारीख को यह आर्डिनेन्स लागू किया गया।" इस कारण से इन परिस्थितियों के कारण जो उस समय की स्थिति बन गई थी, उस स्थिति को कन्ट्रोल करने के लिये यह लागू किया गया। उनका पूरा भाषण पढ़ेंगे तो आपका स्वयं का मन भी डोल जायेगा। अगर आपमें इन्सानियत है, अगर आपमें इन साधारण कर्मचारियों

(152)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के प्रति थोड़ा सा रहम है, अगर आपके मन में थोड़ी दया है तो उनके शब्दों को, उनके भाषण को पढ़ने के बाद आप स्वयं इस बात को सोचने के लिये मजबूर हो जायेंगे कि इन परिस्थितियों के कारण इनको कन्ट्रोल करने के लिये कुछ आवश्यक सेवाओं पर उन्होंने प्रतिबन्ध लगाया था। आज आवश्यक सेवाओं के नाम से पुलिस को हमने आवश्यक सेवा में रख रखा है। आज उनकी उस मजबूरी का फायदा क्या इन 34 वर्षों में सबसे ज्यादा नहीं उठाया गया है। क्योंकि उनके जुबान नहीं है, वह बोल नहीं सकते। इसके कारण से उनके हकों की रक्षा किसने की? किसने चिन्ता की? किसने उनकी मांग को सोच कर मना किया? इन सारी बातों को एक कोने में रख कर आप आज अपना दायरा विस्तृत करना चाह रहे हैं। आज अपना फैलाव करना चाह रहे हो। कारण क्या था? आपने कभी विचार किया उस निर्दोष व्यक्ति का? क्या वह राजस्थान का दुश्मन है? राजस्थान की प्रगति में बाधक है। आप शायद सारा गुस्सा इसीलिए उतारना चाहते हैं कि केवल उसकी नाकाबलियत के कारण, उसके विरोध के कारण राजस्थान की प्रगति रुक जायेगी। लेकिन कभी आपने यह विचार किया वह भी कम से कम मनुष्य है, जिन्दा रहना चाहता है, अपने छोटे से परिवार के लिये रोटी, दाल, कपड़े की व्यवस्था करना चाहता है। उसके मन में यह तड़प है, आखिर मेरे बच्चों की भी कम से कम व्यवस्था हो। इसके कारण से अगर अपना हक मांगता है, तो आपने कभी विचार किया? यह परिस्थितियां क्यों पैदा होती हैं? किन कारणों से राज्य कर्मचारी आन्दोलित होते हैं? किन कारणों से मेहनतकश मजदूर आंदोलन के लिये प्रेरित होता है? क्या मांगता है? कोई सात मंजिल का भवन नहीं चाहता है, कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं चाहता है, कोई सोना-चांदी नहीं चाहता है। केवल कुछ पैसों को लेकर, अपनी पदोन्नति की मांग को लेकर, अपने छोटे-मोटे हकों के लिये अगर सड़कों पर आता है तो कौनसा जुल्म करता है, कौनसा अपराध करता है? जिसके कारण से क्या राजस्थान रसातल में पहुंच जायेगा, आपकी यह जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के आधार पर आप राज सत्ता में बैठे हैं। प्रश्न चिन्ह आज आपके सामने है। इस मंहगाई के कारण आज राज्य कर्मचारी परेशान है। वह बराबर मांग करता है। वह अपनी पेन्शन को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। उसके लिये आपने क्या प्रयत्न किया? आपने अपनी तरफ से उसको क्या हुक्म दिया जिसके कारण उसके मुंह को बंद करना चाहते हो। कभी आपने विचार किया? इन डेढ़ दो सालों में, आप इंदिरा गांधी का पूजन करते हो, उस देवी इंदिरा के कारण आज जो मंहगाई बढ़ी है, उसके कारण छोटा-सा कर्मचारी चाहे वह चपरासी हो, जिसको 200, 150, 250, 500 रुपया मिलता हो, कैसे गुजर करेगा? उसके लिए यदि अगर वह अपनी कोई किश्त मांगता है, जो ड्यू है, उसके लिए हड़ताल करता है, तो कौनसा जुल्म करता है? जुल्म करता है देश का वह व्यक्ति अगर आपको कानून बनाना था तो कानून बनाये उन××× के लिए, 30-32 साल में, राजनैतिक

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

जीवन में जिनके पास कोड़ियां थीं, फकीर बन कर आये थे, आज वे करोड़ों की संपत्ति वान बन कर राजस्थान की छाती पर बैठे हैं। है हिम्मत तो बनाओ इन बेईमानों के खिलाफ कानून, सजा दो उनको और वह भी मौत की सजा दो लेकिन तुम नहीं करना चाहोगे क्योंकि उनके आधार पर तुम जिन्दा हो, उनकी रोटियों के आधार पर तुम जिंदा हो, उनके राजनीतिक संरक्षण के आधार पर जिन्दा हो। लाओ कानून करोड़पति सेठों के ऊपर, जो ब्लैकमेल करते हैं, कालाबाजारी करते हैं। है आप में दम? नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि उनको छेड़ने का मतलब क्या होता है। उनको छेड़ने का मतलब XXX होता है। हिन्दुस्तान की राजनीति में- लोकजन्त्र की आस्था का आधार-देश का जनतन्त्र चल रहा है, वह किसी नैतिक मूल्य पर चल रहा है। आप चाहे कितना भी अपने मन को समझा लें, आप अपनी काबलियत के कारण जीत कर नहीं आये हैं। यह आपकी गलतफहमी है। इस देश का मानस जागेगा, मैं सोचता हूं 1982 को आपको पहला तोहफा मिलेगा, यह आपकी मौत का पैगम्बर बन आयेगा। आखिर आप क्या करने जा रहे हो। हम कुछ कहते हैं तो आप यह समझ कर कि तुम विरोधी हो, XXX हम भी इन्सान हैं। आप भी इन्सान हैं। आखिर आपके भी भाई हैं। आखिर राज्य कर्मचारी में आपके भी रिश्तेदार हैं।

आखिर आपसे क्या मांगने आये हैं कि जिसके कारण से पुलिस आफिसर के नाम उसको एक तोहफा दिया है कि कोई भी पुलिस आफिसर बिना किसी वारंट के, बिना कोई कारण बताये, उसको ले जाकर जेल में बन्द कर दे। यह कौनसा कानून है? 1971 में आपकी जीत हुई। इन्दिरा गांधी 1971 में जिस बहुमत से जीत कर आई तो उनको यह घमण्ड और अभिमान हो गया कि देश की जनता मेरे साथ है और उसके कारण जिस गलत ढंग से कानून पास करती चली गई उसके कारण से हिन्दुस्तान में इतिहास बना था और 1975 में वह काला कानून लाई, उसीने तुम्हारी कब्र खोद कर रख दी। मेरा यह निश्चित मत है, अगर हिन्दुस्तान में कहीं इन्सानियत है, अगर इस देश में कहीं लोकतन्त्र जिन्दा है, अगर इस देश में लोकतन्त्र के प्रति कहीं तड़पन है, तो यह काला कानून आपके राजस्थान में आगे आने वाले पांच साल में, आप जो कल्पना करके चल रहे हो मेरा यह दावा है, मेरी यह आत्मा कहती है, ये पांच साल नहीं निकलेंगे और आपकी कब्र खुदेगी। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का कानून, इस प्रकार से लोगों के गले पर तलवार वाले कानून पर आप विचार करें। कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं टपकेगा। जब कभी हड़ताल के लिए आते हैं तो हम भी यह प्रयत्न करते हैं कि आप मिल कर बातचीत करके समस्या को हल करें। हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारी पानी की सप्लाई कम हो जाये। हम नहीं चाहेंगे कि अस्पताल में बीमार तड़प कर मर जायें। हम नहीं चाहेंगे कि यह सब अव्यवस्थित रूप से चले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक आधार को लेकर के आप सब लोगों की

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(154)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आजादी को धीरे-धीरे छीनते चले जायें। यह आपकी गलतफहमी है। जब भी हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के लोगों को पैरों तले रौंदने की कोशिश की गई, हिन्दुस्तान का खून उछला है, वह दबा नहीं है, जितना दबाया जाता है उतना वह उछलता है। मेरा यह निश्चित मत है कि आज आप इस काले कानून को पास कर रहे हैं तो राजस्थान में रहने वाला प्रत्येक समझदार नागरिक इस कानून की धज्जियां उड़ाकर छोड़ेगा। यही बात कह कर मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इसको अस्वीकार करें।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी

(अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

(अनुपस्थित)

श्री प्रभारी मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं। श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों को कहना चाहिये था वह कुछ न कह कर, एक राजनैतिक भाषण यहां पर उन्होंने कोरी कल्पना के आधार पर दिया है ऐसा मैं मानकर चलता हूं। सभापति महोदय ...

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका पुलिस से कभी पाला पड़ा है ?....

श्री दुलाराम : जनता राज में पड़ा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आपको 1977 की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा जब जनता पार्टी का राज इस देश के अन्दर आया। उस समय उनको देश का खजाना सौंपा गया, देश का अनाज सौंपा गया, देश का सोना सौंपा गया, और चीजें सौंपी गयी उन्होंने उनकी क्या दुर्दशा की हमको उसको लेकर चलना पड़ेगा। इन बातों की चर्चा इस सदन के अन्दर कितनी ही मर्तब हो चुकी है। यहां पर कहा गया कि आप मंहगाई को रोक नहीं पाये। मंहगाई नहीं रोकने के कारण ही कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। आप उस हड़ताल को रोकने के लिये आर्डिनेन्स लाये हैं, बिल लाये हैं और उस हथियार का इस्तेमाल करना चाहते है ये बातें यहां पर कही गयीं, भावनाओं के अन्दर कही गयीं। श्रीमान् मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश की जो आर्थिक स्थिति है यहां पर मंहगाई प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। मैं अपनी बात शुरू करूं कि देश के अन्दर अधिक उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से मंहगाई रुकेगी। इस मामले के अन्दर कोई दो राय नहीं हो सकती है।

श्री त्रिलोकसिंह : सेठों के कारण से मंहगाई होती है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई यह कहता है कि स्ट्राइक से उत्पादन नहीं रुकता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है, स्ट्राइक करने से उत्पादन में गिरावट नहीं आती है तो मैं इस बात को मानकर नहीं चलता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : बंगाल में इन्दिरा गांधी आव्हान करती है तो उत्पादन बढ़ता है उससे गिरता नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे कहता हूं कि इन्दिरा गांधी ने बंगाल के अन्दर कोई हड़ताल का आव्हान नहीं किया है।

श्री यदुनाथ सिंह : आपको जानकारी नहीं है। श्रीमान् माननीय सदस्य....

श्री त्रिलोकसिंह : आप टाटा,बिड़ला को प्रोत्साहन देना चाहते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान्, यहां पर यह बहुत अहम् महत्पूर्ण मामला है, आर्डिनेंस को निकालकर यहां पर काफी बातें कही गईं आपने कभी सोचा है कि जब कभी स्ट्राइक होती है तो वह किसलिये होती है। वह यूनियनबाजी के कारण होती है। आज कोई यूनियन इंटक से एफिलिएटेड होती है, आज कोई एटक से एफिलिएटेड होती है, आज कोई भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड होती है,आज कोई बी.एम.एस. से होती है, इन सबके कारण से स्ट्राइक होती है। देश और प्रदेश के अन्दर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि कितने मैनडेज का लॉस हुआ इस देश के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर, कभी आपने सोचा है। लेकिन मैं इसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपने आपको सीमित रखना चाहता हूं इस आर्डिनेंस के दायरे के अन्दर। हमने जिन कारणों से इस आर्डिनेंस को निकाला है, यहां पर यह बात कही गयी, श्रीमान् हमने बीस जनवरी को निकाला है अगर हम चाहते तो 19 जनवरी की हड़ताल के पहले निकल सकते थे . लेकिन, सभापति महोदय, हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं थी इस बात की कि हम इस आर्डिनेंस के जरिये 19 जनवरी की हड़ताल को केश करना चाहते हैं। हमारी इस बात की भी कोई इच्छा नहीं है कि हम इस आर्डिनेंस के जरिये श्रमिको के हितों पर, राज्य कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करें। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, श्रीमान्, हमारी ऐसी भावना नहीं है। जहां तक कर्मचारी मांग करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज में इनके साथ क्या सलूक किया गया था ? आपने क्या सलूक किया था इनके साथ में ?

श्री यदुनाथ सिंह : ऐसा तो नहीं किया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह . मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी आपके राज के अन्दर तो आपने क्या सलूक किया था।

एक माननीय सदस्य : बेरी आयोग बैठाया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बेरी वेतन आयोग बैठाकर आपने उस चीज को टालने की कोशिश की थी।

श्री यदुनाथ सिंह : और आप उसको खतम करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम खतम करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, यह आपके सामने आयेगा तो मालूम पड़ेगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, यहां पर इन्दिरा जी को कोसा गया। आपके जयपुर से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि ये आप कहां से राज में आ गये। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि कई कारण थे आपके जाने के उनमें से एक आर्थिक कारण भी था। देश की अर्थ व्यवस्था को चरमरा दिया था, आपने काम के बदले अनाज योजना चालू करके अनाज के भण्डार खाली कर दिये जिसके कारण आज दिक्कत आ रही है हम प्राइसेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपने गेहूं के खजाने को खजाना कहता हूं मैं, लुटा दिया, गेहूं के खजाने को लूटाकर फेंक दिया वर्ना आज जो गेहूं की कीमत बढ़ी हुई है....

श्री त्रिलोकसिंह : आपने देश के खजाने को लूटा है और देश की गरीब जनता को लूटा है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोकसिंह : आपने इस देश की जनता का खून चूसा है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहता हूं कि देश के अन्दर चीनी के भावों में हमने पिछले साल के अन्दर कुछ कंट्रोल किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि चीनी के भाव क्यों बढ़े हुए हैं। अगर प्रदेश की पूर्व सरकार ने जरा भी जिम्मेदारी का परिचय दिया होता तो आज चीनी की यह दुर्दशा नहीं होती। काश्तकारों ने उनकी अदूरदर्शिता के कारण खड़े के खड़े खेतों में आग लगा दी। मैं कहता हूँ कि अगर चीनी का बफर स्टॉक बना लिया होता, चीनी के मिल मालिकों को कम्पैल किया होता इस बात के लिये कि उत्पादन बढ़ाइये, उनको मजबूर किया होता काश्तकार से गन्ना खरीदने के लिये, तो आज यह हालत नहीं होती। यही कारण था इस हालत का। मैं सही कह रहा हूँ।

श्री यदुनाथ सिंह : चंदा खा गये आप लोग।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ही महाराष्ट्र में हड़ताल की थी।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं अनुरोध करूंगा कि बीच-बीच में इन्ट्रप्ट न करें। सदन का वक्त खराब न करें। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : किसानों के हिमायती बन रहे हैं, इसलिये हमें बोलना पड़ेगा

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यहाँ पर तरह-तरह की बातें कही गयीं। पहले चीनी की बात बता दूं। मिल मालिकों को कम्पेल किया होता, श्रीमान्, कि चीनी बनाइये, हम आपसे स्टॉक लेंगे, आप काश्तकार से गन्ना लें तो यह स्थिति नहीं आती एक दफा की बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक करने में समय तो लगता ही है। यह कहा कि देश के अन्दर मंहगाई बढ़ी है। आपने विरासत में छोड़ा क्या था? अगर अच्छे काम किये होते तो यह दुर्दशा नहीं होती। आप उधर नहीं बैठते। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि आप भूल मत जाइये कि आप भविष्य में भी नहीं आने वाले हो यह पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों ने साबित कर दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : चाकू और छूरे दिखाकर चुनाव जीते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : गांधी सागर में दारू की नदी बहायी है तुमने। शांतिलाल से पूछ लो × × × चुनाव जीतकर आये हैं?....

श्री सभापति : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिस प्रकार की हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी करना जानता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। आप × × × की बात करते हैं मैं भी × × की बात करना चाहूं तो कर सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : तो कर लें।

श्री त्रिलोकसिंह : आप क्यों करें हल्की भाषा का प्रयोग, आपके हाथ में तो डंडा है उसका प्रयोग करें। उसका प्रयोग करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं संसदीय परम्परायें जो हैं, इस सदन की गरिमा है उसको समाप्त नहीं करना चाहता हूँ। श्रीमान्, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 77 के अन्दर देश में आलरेडी जो कानून था, एक एक्ट बना हुआ था उसके अन्दर हमने कुछ प्रोविजन और जोड़ा है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, हमारे इरादे बीस जनवरी की हड़ताल को क्रश करने के नहीं थे, 16 जनवरी की हड़ताल को क्रश करने के नहीं थे। स्ट्राइक निकल जाने के बाद 20 तारीख को

× × × अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आर्डिनेंस निकाला था हमने। हमारे सामने ऐसी हालत थी,हमारे सामने ऐसी स्थिति थी और अभी तो हमने उसके बारे में नोटिफिकेशन भी नहीं किया। लेकिन आप कल्पना करिये, सभापति महोदय, क्या हालत हो अगर अस्पतालों में स्ट्राइक हो जाय, क्या होगा यदि आर. एस. ई. बी. के अन्दर स्ट्राइक हो जाय, प्रदेश की हालत क्या होगे? राजस्थान डेयरी डवलपमेंट कॉरपोरेशन के अन्दर स्ट्राइक हो, काश्तकारों का क्या होगा? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इन ऐसेंशियल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने हाथ में एक शक्ति ले रही है। जनता के हित के लिए ले रही है, आम लोगों के हित के लिए ले रही है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आपके माध्यम से सदन को कि सरकार की इसका दुरूपयोग करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। कन्टिन्जेन्सी के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : 75 में भी तो यही विश्वास दिलाया था आप लोगों ने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो मुद्दे यहां पर माननीय सदस्यों ने उठाये उनके अन्दर कभी उन्होंने जब बाहर जाते हैं तो जनता की बात करते हैं, दूध नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोटा को थर्मल पावर स्टेशन के अन्दर जब कॉन्ट्रेक्टर ने स्ट्राइक कर दी थी तो कितने दिन का डिले हुआ था? कभी आपने कल्पना की है राजस्थान को कितनी क्षति हुई? इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जहां जाते हैं जनता को भड़काते हैं। उधर करनी में अंतर है। बाहर जाते हैं तो कुछ कहेंगे, यहां कहेंगे तो कुछ कहेंगे। प्रहरियों की वकालत करते हैं, पुलिस की वकालत करते हैं। पुलिस को यूनियन बनाने का अधिकार दिया? निकाल दिया 155 कर्मचारियों को,हड़ताल में भाग लेने के कारण, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम जो आर्डिनेंस लाये हैं, , राजस्थान की आम अवाम जनता के हित के लिए है। हमारी मजदूर विरोधी या कर्मचारीयों विरोधी नीति नहीं है। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे जवाब देने का अधिकार है। प्रस्ताव इधर से नहीं, है प्रस्ताव इधर से आया है और माननीय गृह राज्य मंत्रीजी ने जो रिप्लाई दिया....

श्री सभापति : मगर खास बातों पर....

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर) : Very precius time माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है. इस जवाब के अलावा मुझे कतई दूसरे और जवाब की आशा नहीं थी। जो आज भी धौलपुर में सेठ की राजनीति चलाते हों, जिनकी सारी राजनीति का केन्द्र सेठाइन हो, तो इनके क्लास करेक्टर से मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि और कोई जवाब आयेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट। आपके अन्दर सेठों साहूकारों के अलावा है ही क्या।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इसका भी जवाब है। माननीय राज्य मंत्री जी गृह अपने दिल पर हाथ रख कर सच्चाई का सामना करें। जिस समय सारे सेठ इमर्जेंसी में परेड की तरह इन्दिरा गान्धी का समर्थन करने के लिए गये थे उस समय इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन था ? और सेठ कहां पर जमा हैं ? कौन सेठों को प्रोत्साहन दे रहा है ? यह अपनी आत्मा से पूछिये तो जवाब मिल जायेगा आपको। आपका 32 साल का नारा आम अवाम को बहकाने के लिए है। आपकी आर्थिक नीतियां सेठों को लाभ देने वाली हैं। मैं इस विषय में इसलिए नहीं जाना चाहता कि लंबा हो जायेगा। आजादी के पहले किसी भी सेठ के पास, बिड़ला की, टाटा की, मफतलाल की कितनी पूंजी थी ? बैंक के आंकड़े ले आइये, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कांग्रेस की नीतियों ने पूंजीवाद पनपाया है। इसलिए सारे सेठ आज इन्दिरा गांधी के साथ हैं। सारा काला धन, नशे का धन, चोर-बाजारी का धन इकट्ठा करके आपको देते हैं और आप उनसे चुनाव लड़ते हैं। काले धन को सफेद करने का अधिकार किस दबाव से दिया है ? क्या थी आपकी विशेष धारक बांड की स्कीम ? लेकिन आप बराबर बात करते हैं राजनीति से प्रेरित····

श्री सभापति : उनग फरमायें।

(6.35 सांय)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति से प्रेरित बार बार कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति की प्रोडक्ट यह है। सारी इन्स्टीट्यूशंस राजनीति के इर्द-गिर्द चलती हैं। डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशंस राजनीति से प्रेरित कह कर बार-बार क्या कहना चाहते थे, समझ में नहीं आया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं माथुर साहब आप से सुनना चाहता था। कलेक्टिव बारगेनिंग का जो सिद्धान्त है सैकड़ों साल से लड़ाई लड़ कर वर्किंग क्लास का अधिकार हासिल किया। लेकिन इसके अन्दर क्या किया ? क्या उस अधिकार को देना चाहते हैं ? यह मैं आप से पूछता हूं। प्रद्युम्न सिंह जी से जिस जवाब की उम्मीद थी वह उन्होंने दिया। आपके दस्तखत थे कॉज पर, रीजन्स पर। वहां हुआ कागजों में, वह आपके नाम से हुआ। लेकिन आप जानते हैं, आप नहीं आना चाहते ऐसी स्थिति में, इसलिए आप स्वयं चुपचाप बैठे हो और सेठ को खड़ा कर दिया। सेठ तो अपने वर्किंग करेक्टर के लिहाज से बोलेगा। कुछ शब्द इधर-उधर कर दिये। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वर्किंग क्लास की बारगेनिंग का एक अधिकार उसको आप मानते हैं ? उसको मान्यता देते हैं कि नहीं ? और यदि आप स्वीकार करते हैं, मान्यता देते हैं तो उस पर कुठाराघात करने वाला यह हथियार है कि नहीं ? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं की बात के लिए इस देश के किसानों

(160)

(श्री कैलाश मेघवाल)

ने 145 रुपया क्विंटल मांगा था। 135 के बजाय 145 दे दो। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कहा था कि हम सारे गोदाम देश के भर देंगे। और आपकी प्रधान मन्त्री ने कहा कि 135 से 136 नहीं दूंगी। गेंहू कहां से आया ? अमेरिका से आपके दलाल लाये। और वह जब बम्बई के डैक पर उतरा तो 207 रुपये क्विंटल पड़ता है। देश के किसान को 145 रुपये नहीं दे सके। अमेरिका के किसान से आपने खरीदा। अन्न ज्यादा पैदा हुआ था, वहां पर कमीशन खाया, आपके सेठों ने कमीशन खाया जिससे गेंहू हिन्दुस्तान में 207 रुपये क्विंटल पड़ा। हरियाणा और पंजाब का गेंहू आपके जैसे सेठों, जो कांग्रेस में बैठे हैं कालाधन कमा रहे है, ने तस्करी से पाकिस्तान, नेपाल और चीन भेज दिया। पैसा बनाया। इधर भी पैसा बना रहे हैं और उधर भी पैसा बना रहे हैं। और उपदेश हमको देना चाहते हैं। यह अजीब बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय. गृह मंत्री जी बहुत चतुर बनते हैं शब्द मायाजाल में। हम कह रहे हैं वर्किंग क्लास का हाथ थाम लो. वर्किंग क्लास का मूवमेण्ट है। आपने अस्पाल के लिए कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना पुराना एक्ट पढ़ लीजिए और बताइये कि उसमें अस्पताल को शामिल किया है या नहीं ? अस्पताल तो पहले भी था कवर आप क्या जवाब देंगे ? पहले कौनसी सर्विसेज सम्मिलित थीं ? आप जवाब नहीं दे सकते इसलिए अस्पताल की बात कर दी। आप दायरा बना रहे हैं ठेठ गरीब आदमी के लिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाली विधायक ने एक उपयुक्त प्रश्न उठाया। हड़ताल क्यों होगी ? क्यों कर्मचारी को काम छोड़ कर, अनुशासन तोड़ कर, सड़क पर आना पड़ता हैं ? पेट भरो, हमारे पसीने की बूंदों का हिसाब दो। महंगाई बढ़ रही है मना कैसे कर सकते हो ? चीनी की राजनीति की बात की। चीनी के चौगुने दाम बढ़े हैं लेकिन किसानों के गन्ने के दाम चौगुने नहीं बढ़े है उस समय भी 16 रुपये क्विंटल मिलता था इस समय भी वही मिल रहा है।

एक माननीय सदस्य : 27 का भाव है।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय भी 24 ही था। अब हुआ है 27 तो। गलत आंकड़े हैं और बिना किसी आधार के हैं। माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी, यदि माथुर साहब कहते कि इन आंकड़ों से राजस्थान के गरीब, मेहनत कश, वर्किंग क्लास के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा तो मैं सोचता कि सरकार कुछ कर रही है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने जजबात दबाने के लिए, सत्ता किस प्रकार से आदमी को भ्रष्ट कर सकती है, जैसा भाई दाऊजी ने कहा था। आपका मेरा पुराना परिचय है, आप जानते हैं। स्वर्गीय माणिक्यलाल वर्मा भी मेरी तरफ के ही थे। जो सम्बन्ध हैं आपको मालूम हैं। वह आदमी जिन्दगी भर लड़ता रहा, यह बात माननीय दाऊजी ने कही। माननीय माथुर साहब, सत्ता की कुर्सी पर पहाड़ियाजी भी बैठे थे। आपकी भी इज्जत चली जायेगी। आपके मुख्य मन्त्री काल में इस तरह का लेजिस्लेशन लाया जाय, उसका आप समर्थन करें यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रारम्भ से ही कर्मचारियों के साथ महत्व पूर्ण बातचीत करते, अपने कर्मचारियों के साझीदारों के साथ समझा बुझा कर बातचीत करते। अभी माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं जिस तरह से सारे देश को आपने जेल बनाया था....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं बता दूं आपको। आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं। मैं भूल गया था।

श्री कैलाश मेघवाल : आप आंकड़े आपके ही पास रखिये। आपके पास सेठों के आंकड़े होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेठों के आंकड़ों से मुझे कोई लेना-देना नहीं। मुझे आंकड़े चाहिये सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट के, इण्डस्ट्रियल सर्वे रिपोर्ट आफ प्लानिंग कमीशन के, इण्डस्ट्रियल एण्ड सैम्पल सर्वे बाई वर्ल्ड बैंक के। उन्होंने एक बात कही, मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, मैंने कहा है, जिस समय सारे देश को जेल बना दिया गया था, सारे देश के लाखों लोगों को मीसा के अन्दर बन्द करके, 19 महीने तक काली-रात्रि इस देश में छा गई थी, उस समय मजदूर के पसीने की कीमत सबसे कम दी गई। यह मैं आज कहना चाहता हूं। आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं। नहीं बढ़ा। एक संतुष्ट मजदूर जो काम करता है, एक विश्वास पर जो काम करता है वह आपके काले कानून से नहीं करेगा, इससे नहीं होगा मैं क्षमा चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कार्ल मार्क्स को पढ़िये। दबाये हुए मजदूर, शोषण की चक्की में पिसे हुए मजदूर संतुष्ट नहीं होते हैं। मन से देश के प्रति कटिबद्धता से, अपनी नीति और आंदोलन के प्रति वफादारी से प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। आप देश को भ्रमित मत कीजिए। मैंने कहा, माननीय माथुर साहब, आप कहते हैं हड़ताल नहीं होगी। होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेरी आयोग हमने नियुक्त किया, आप घोषणा कीजिए। आप सोचते हैं, हड़ताल नहीं होगी। कर्मचारियों को आप उकसा रहे हैं, आप उनको आन्दोलन की चुनौती दे रहे हैं। आप कर्मचारियों को मजबूर बनाकर षड्यन्त्र कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज जो आपकी राजनीतिक नीतियां हैं, यह सब षड्यन्त्र है। जो भी आर्थिक नीतियां हैं, आप लोग सेठों की गोद में बैठे हुए हैं। आज गरीब और वीकर सैक्शन के आदमी को देख रहे हैं। उसका क्या करना चाहते हैं? उसका गुजर नहीं हो रहा है। उसको क्या पगार दे रहे हो? कितनी कीमत दे रहे हो? यह बजट में बताऊंगा। आपने यह भुलावा देने की कोशिश की है बाढ़ और अकाल की वजह से। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, आप ही से निवेदन करूंगा, कभी कभी आप भी अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिये, आज तो आप वीटो कर दीजिए। यह आपके और मेरे, सभी के हितों पर कुठाराघात है। माथुर साहब, यह सेठिये लोग कर रहे हैं। इसको खतम कर दीजिए, जो जड़ है महंगाई के चार साल पहले आपके चौके में क्या था? दो साल पहले क्या खर्च था और आज कितना है? आम गरीब आदमी

162

(श्री कैलाश मेघवाल)

के चौके में आज क्या है ? क्या गरीब आदमी के चौके में शक्कर आई है ? क्या उसके चौके में रोटी का आटा है ? गरीब के चौके की हालत आप जाकर देखिये, आपको मालूम हो जायेगा। इस देश की आर्थिक नीतियां कहां हैं ? अपने बहुत प्रबल बहुमत से, व्हिप के आधार पर कैसा भी कानून हो पास करा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहनत कश के पसीने को खुली हवा की जरूरत है उस हवा के बजाय, आम आदमी के हितों दबाया जा रहा। इसको वापस लें यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथसिंह : मैं इसका रिप्लाई दूंगा। मेरे को इसका रिप्लाई देना है।

(व्यवधान)

मेरा संकल्प है। मेरे को संशोधन से कोई मतलब नहीं है। यह प्रस्ताव मेरा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप बैठिये कृपया। जवाब देने के लिए एक ही आयेगा। उसका पूरा जवाब दिलवा दिया है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री यदुनाथसिंह : मेरे को जवाब देना है। चीनी की बात इन्होंने कही....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। बहस पूरी हो चुकी है।

श्री यदुनाथसिंह : मैं जवाब दूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता,

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा पढ़ देता हूं। प्रश्न यह है कि श्रीमन् राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या । सन् 1982) को अस्वीकार करता हूँ।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

(मत–विभाजक घण्टी)

लाबी खाली कराई जायें।

(मत–विभाजन)

हां पक्ष में 23 मत। ना पक्ष में 60 मत। ना पक्ष जीता।

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विभाजन सूची

हां–पक्ष

1. श्री अनंग कुमार जैन
2. डा. उजला अरोड़ा
3. श्री कैलाश चन्द मेघवाल
4. श्री गुलाबचन्द कटारिया
5. श्री गोपाल पचेरवाल
6. श्री घनश्याम तिवाड़ी
7. श्री छीतरलाल आर्य
8. श्री त्रिलोकसिंह
9. श्री दाऊदयाल जोशी
10. श्री नन्दलाल मीणा
11. श्री नाथूसिंह
12. श्री बंसीलाल पटवा
13. श्री बहादुर सिंह
14. श्री बालचन्द्र आर्यवीर
15. श्री भंवरलाल शर्मा
16. श्री भैरोंसिंह शेखावत
17. श्री मेघराज तावड़
18. श्री यदुनाथसिंह
19. श्री रघुवीरसिंह कौशल
20. श्री रामकिशोर मीणा
21. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी
22. श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह
23. श्री हरीश शर्मा

ना पक्ष

1. श्री अब्दुल रहमान चौधरी
2. श्री अमराराम
3. श्री अमीन खां
4. श्री अलखाराम
5. श्री असलम खां
6. श्री ईश्वरलाल सैनी
7. श्री कनकराज मेहता
8. श्रीमती कमला भील
9. श्रीमती कमला
10. श्री कमला भाई मीणा
11. श्री खेतसिंह
12. श्री गोविंद आमलिया
13. श्री गोविंदसिंह गुर्जर
14. श्री घासीराम यादव
15. श्री चेतराम
16. श्री सी. एल. कंवरिया
17. श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी
18. श्री जयकृष्ण शर्मा
19. श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया
20. श्री जीवराजसिंह राठौड़
21. श्री जेठमल बरबड़
22. श्री तकीउद्दीन अहमद
23. श्री तेजपाल यादव
24. श्री दिनेश डांगी
25. श्री दीन मोहम्मद
26. श्री दुलाराम
27. श्री देवीसहाय गोपालिया
28. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
29. श्री धाराराम फुलवारिया
30. श्री नरपतराम बरबड़
31. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
32. श्री नारायणसिंह
33. श्री परसराम मदेरणा
34. श्री पृथ्वीसिंह
35. श्री प्रद्युम्नसिंह
36. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
37. श्री बनवारी लाल
38. श्री बुलाकीदास कल्ला
39. श्री बृज सुन्दर शर्मा
40. श्री भालू खां
41. वैद्य भेरूंलाल भारद्वाज
42. श्री महेन्द्रसिंह
43. श्री मांगीलाल आर्य
44. श्री मानसिंह देवड़ा
45. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)
46. श्री रामनारायण डूंडी
47. श्री रामपाल उपाध्याय
48. श्री रामसहाय सोनड़
49. श्री रामसिंह बिश्नोई
50. श्री रूपलाल परमार
51. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
52. श्री शिवचरण माथुर
53. श्री सुजानसिंह यादव
54. श्री सुरेन्द्र व्यास
55. श्री सूरजपाल सिंह
56. श्री सूर्य कुमार
57. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
58. श्री हरसहाय मीणा
59. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
60. श्री हेमाराम चौधरी

विधेयक पर विचार

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे बोलने दिया जाय। विचारार्थ लिया गया है।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमें बोलने की इजाजत दी जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी, श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कैसे बोलेंगी ? विचारार्थ लिया गया उस पर पहले बोलेंगे, फिर संशोधन विधेयक।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता था। मुख्य मन्त्री जी, क्या चीफ व्हिप को हटा दिया गया है सरकार द्वारा ? चीफ व्हिप के लिये जो टोपी बनाई गई थी वह पहाड़ियाजी पहने हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री परसराम मदेरणा : चीफ व्हिप का जो स्टेटस सम्मान था सदन में, उसको घटा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी करनी थी। आखिर टोपी का खर्चा हुआ चीफ व्हिप के लिए। अब तक वे पहनते थे। अब वह टोपी वहां कैसे चली गई ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण :) मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल लाया गया है। यह जनता का राज है, जनता द्वारा लाया गया है। मैं चाहूंगी, जनमत जानने के लिए इसको भेजो। तभी इनको मालूम पड़ेगा, यह कितना गलत कानून लाये हैं, जनता इनको बतायेगी, इसे परिचालित तो करें। मैने सुना था, अब तक न्याय के रास्ते पर वीर लोग कभी विचलित नहीं होते हैं, चाहे उनको कितनी कठिन दिक्कतें आयें। श्रीमती गांधी ने इशारा किया और यह डांवाडोल हो गये। इसमें कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है। एक सक्षम मुख्य मन्त्री होने के नाते चाहिए तो यह था कि इस गलत बात को टाल देते, नहीं मानते। जिस तरह बंगाल ने इसको स्वीकार नहीं किया मैंने तो यह सुना था, हमारे नीति शास्त्रों में लिखा है:

निदन्तर नीति निपुणा, यदि वास्तवन्त
लक्ष्मी समाविशतुम
वा गच्छेतु वा यथभ्रष्ठा, अछैव भरण
वादुगानरिवा।

लक्ष्मी आये या चली जाये, कैसी भी स्थिति हो न्याय पक्ष में ये लोग विचलित नहीं होते। मुख्य मन्त्री जी हैं इनसे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस बारे में बड़ी उम्मीदें थीं। यह जिस वन्श से आये, मैं समझती थी कि यह कुछ अच्छे साबित होंगे। पर यह अच्छे साबित नहीं हुए। मैं अभी भी कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने पद से विचलित नहीं हों। इस बिल को न लायें, इस बिल को पास नहीं करायें। यदि फिर भी यह नहीं मानते हैं तो जिन्होंने इनको चुन कर भेजा है, इस बिल को उन्हीं लोगों के पास जनमत जानने हेतु भेज दें। एक ओर तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह शोषण की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं दूसरी ओर लोगों का खून चूसने के लिये यहां पर जो जो विधान इन्होंने पास किया वह आपके सामने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने मुझे इंगित करके कहा था कि मेरी सरकार है क्यों लें। हमारी सरकार है क्यों लें। हमारी सरकार के जो भाव थे उन भावों को और आज के भावों की सस्ताई को देख लो। आपको कौन मना करता है? सरकार तुम्हारे हाथ में है गेंहूं के भाव उस वक्त क्या थे? और आज के भावों को देख लो। और भावों को देख लो। जिन चीजों से पेट भरता है उनके भावों को देख लो और तुलना करके देखलो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप हाउस में अखबार नही पढ़ सकते हैं।

(व्यवधान)

आप अखबार पढ़ कर आया करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज देख लें, किसी भी चीज के भावों की तरफ देख लें। मैं पूछना चाहती हूं आज बच्चों की किताबों की, बच्चों की कापियों की, बच्चों के स्कूलों की फीस की आज स्थिति ऐसी है कि कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होती है। आज चाहे बाजार में आप पैसा ले कर घूम लें। चाहें कहीं से भी व्यवस्था करें, चाहे आपके खानदान के सारे लोग कमायें तो भी आज पेट नहीं भरता है। बाईजी कहती थीं कि चीजों के भाव आसमान छूं रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आसमान उस वक्त नहीं छू रहे थे अब तो उसको भी पार कर गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि यह किस तरह की व्यवस्था है। और यह बाईजी कहती हैं, हमने गेंहू बांट दिया दुनियां याद करेगी। गांवों की जनता याद करेगी कि किस ढंग से हमने काम-के-बदले-अनाज योजना में गांवों की गरीब जनता को गेंहूं बांट दिया था। लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। आज अकाल के नाम पर कुछ नहीं। बाढ़ के नाम पर यह कुछ नहीं करते, किसी के नाम पर कुछ नहीं करते। वहां केन्द्र सरकार कहती है कि तुम काम करो और यश पाओ। मैं बताना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे काम के बदले अनाज योजना में हमने वहां धान दिया जहां धान नहीं मिलता था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपने मुद्दे पर आयें।

श्रीमती उजला अरोड़ा उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रही हूं। मैं कहना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहती हूं कि हमने वह व्यवस्था की कि लोगों ने गेंहू की बोरियों को बोरियां भर के रखीं और आज भी औरतें कहती हैं कि आपके जमाने में हमारे यहां पर गेंहू की बोरियां भरी हुई थीं आपरो कल्याण हो और एक यह है कल्याणकारी सरकार जो इस तरह बिल लाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किन चीजों के भाव नहीं बढ़ाये, गेंहू के दाम बढ़ाये यातायात के भाव बढ़ाये। किस तरह से आदमी जिये? आदमी अपने जीवन यापन की कल्पना तक नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहते हैं कि राजनीति की बात मत करो कानून के प्वोइंट पर आओ। राजनीति गई चूल्हे में खाना प्याज का खिलौना प्याज शराब की कमाई खाना बड़े शर्म की बात है। शर्म खानी चाहिये, राजनीति की बात करते हो। खुद ही राजनीति की बातें करते हैं और हमें कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी अगर एक सामान्य आदमी के हाथ में कानून दे दिया जाय कि अमुक आदमी को पकड़ लो, गिरफ्तार करो तो उस आदमी की क्या दुर्गति होगी इस प्रकार के कानूनों के तहत? मैं यह कहना चाहूंगी कि यह कानून सरासर गलत कानून है। यह निन्दनीय कानून है। सामान्य कानून के तहत भी इन परिस्थितियों में कन्ट्रोल पाया जा सकता है और नियन्त्रण पाया जा सकता है। यह हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि हमने चीनी जला दी, हमने गन्ने के खेत के खेत जला दिये। तुम्ही जला दो, तुम्हें सौगंध है तुम्हारी ××× को गन्ना जला कर दिखाओ। तुम्हारी सरकार है। जला कर दिखाओ, हमने कैसे जलाया। तुम भी जला कर दिखाओ लोगों को। कहते कुछ हो और करते कुछ हो। कोई व्यावहारिक बुद्धि नहीं है तुममें। मैं फिर कहना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो गन्ना नहीं जलाया था। हम तो नये नये आये थे तब भी हमने भावों पर नियन्त्रण किया। हमने नियन्त्रण की शक्तियों सभावों पर कंट्रोल किया और जनता को सुविधाएं दीं, उन्हें सुख दिया। केन्द्रीय सरकार तुम्हारी है। तुम केन्द्र से नहीं ला सकते। किसी भी चीज की व्यवस्था ठीक नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये दिया है। आप उस पर बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उस पर आ रही हूं, उपाध्यक्ष महोदय। जनतन्त्र और लोकतन्त्र की यह परम्परा है सामान्य नियम है उससे भी नियन्त्रण पाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में इसके लिये ऐसा कानून लाना गलत है। अगर फिर भी इसको पास करना हो तो मैं कहना चाहूंगी इसको जनमत जानने हेतु भेजिये तब आप को मालूम पड़ जायेगा। आप जनता के बीच में जाकर आयें। इसलिये मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन), विधेयक, 1982 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को तीन माह के किये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो काला कानून पास करने जा रही है इसको जनमत जानने हेतु जनता में भेजा जाय तो यह उचित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 19 तारीख को जो हड़ताल हुई थी वह कर्मचारियों की हड़तालपूर्ण रूप से सफल हुई थी। आज यहां कहा जाता है कि वह असफल हुई। वह कहां असफल हुई, आप जाकर देखिये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह खुली इमर्जेंसी ला रहे हैं, लोकतन्त्र और जनतन्त्र के ऊपर खुली तलवार लटका रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, सारे माननीय सदस्य और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से अगर आपके अंदर आत्मा हैं, थोड़ी सी भी आत्मा तिलमात्र भी है, आपके अन्दर अगर थोड़ा सा भी विवेक है तो इस काले कानून का विरोध करें। आपको जनता ने चुना है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बात पहले भी कही जा चुकी है। आपने विरोध कर दिया। अब तो आप इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाय, उसके लिए कहे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : उपाध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। इनमें विवेक कहां है। इतना जल्दी विवेक नहीं आ सकता है इनमें। यदि विवेक होता तो यह ऐसा बिल नहीं लाते। यह तो शराब मे डूबे हुए है इनमें विवेक कहां हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अगर इनमें थोड़ा भी विवेक है तो इस काले कानून का विरोध करें। लेकिन आप तो दिल्ली दरबार की ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप जनता से चुन कर आये हैं आपको चाहिये कि इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाय ताकि जनता ही इसका निर्णय करे। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यही निवेदन है कि इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक वर्ष के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अब 13 अप्रेल का दिन आने वाला है। इस दिन अमृतसर के

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरीश शर्मा)

जलियावाला बाग में हजारों लोगों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी क्योंकि वह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यह भी अंग्रेज बन रहे हैं इस कानून को लाकर के। अगर इनमें जरा भी गान्धी जी प्रति श्रद्धा होती तो इस कानून को नहीं लाते। गान्धीजी ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी थी और यह लोग यह कानून पास करेंगे तो इनके हाथ में बन्दर के हाथ में छुरा देने की तरह होगा। हर बार से भगतसिंह और सुभाषचन्द्र बोस जैसे लोग पैदा हो सकते है जो गुलामी देने वालों को गोली से मार देते हैं। इसलिये इस काले कानून को नहीं पास किया जाय और इस बिल को जनमत जानने हेतु भेजा जाना चाहिये। यह कभी सम्भव नहीं है। जहां तक इस कानून का सवाल है यह जनता के हित में नहीं है। आपको विवेक से काम लेना चहिये इनमें तो विवेक है ही नहीं। अतः मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि इसको तो आग लगा दो और जनता की भलाई के काम करो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह बिल सीधे-सीधे अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसके साथ ही जनमत जानने के लिए भी मैंने पेश किया था। उसके पीछे मेरी भावना यही थी, मैं जानता था कि बहुमत के आधार पर इस बिल का जो मैंने विरोध किया है उसको रद्द किया जायेगा। लेकिन आज मुझे खेद है कि माननीय चीफ व्हिप के द्वारा, मुख्य मंत्री जी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी, श्री मोहनलाल जी मोदी के बराबर प्रगतिशील गुट के लोगों को यहीं बैठाये रखने के आग्रह के बावजूद, पार्टी के मेन्डेट के बावजूद प्रद्युम्नसिंह जी की गैलेरी में बराबर लोगों को कहा गया कि यहीं रुके रहो और जब तक बिल पास नहीं हो जाये तब तक यहीं बैठे रहो। इसके बावजूद भी श्री पहाड़ियाजी को घर पर टेलीफोन के द्वारा कहा गया कि आप आ जाओ नहीं तो बिल फेल हो जायेगा। इसके बावजूद यह बिल यहां 137 के सदन में 60 वोटों से पास हो रहा है-इसके अधिक शर्म की बात और हो नहीं सकती। लोगों की आत्मा बोली है, लोगों की आत्मा जागी है, लोगों के मन में एक बात आई है और इसी का परिणाम यह है। आपको तो इसी आधार पर ××× इसी आधार पर अपने आपको हीन भावना में बैठ जाना चाहिए। आपकी मैजोरिटी कहां है ? आपके लोग कहां हैं ? आपका सदन कहां है ? आपके साथी कहां हैं ? आपके लोगों की आत्मा बोली। उसी का परिणाम है कि सदन को लोग छोड़-छोड़ कर यहां से चले गए और बड़ी मुश्किल से 60 हैं। यह एक शर्म की बात है। इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। आपकी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, सेठ साहब, नारा लगाया। सेठ साहब इसलिए कह रहा

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(170)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हूं कि आप गेहूं के व्यापारी हैं। आप एक करोड़ रुपयों का सूद का भी काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सेठ साहब × × × आप क्या जानो श्रम क्या होता है। आप क्या जानो, पसीना क्या होता है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वैद्यजी, आप क्या जानो ?

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीम न प्रद्युम्न सिंहजी, श्रीमान गृह राज्य मंत्री जी, आपको मालूम नहीं कि पसीना क्या होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रेलेवेन्ट रहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : पैसे और पसीने की लड़ाई हो रही है। यह देख रहे हैं, आज पसीना हार रहा है। आज पसीना जीत नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन पर बात कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : पसीना इसलिए जीत रहा है कि श्रमेव जयते का नारा लगाया लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रमेव जयते का नारा नहीं लगाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने समेव जयते का लगाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम की बात तो कही है लेकिन श्रम की बात कौन कहेगा? आप क्यों कहेंगे! आप तो पैसे वालों की बात करेंगे। इसलिए करेंगे कि आपको चाहिए कार। जे0 के0 सिन्थेटिक के मालिक को बृजसुन्दर जी टेलीफोन करेंगे, अरे यार शिव पाल सिंह जी, जरा कार भेज दो ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सदन के समय का ध्यान रखिये, माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिये। रेलेवेन्ट बात कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कैलाश मेघवालजी पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उसी प्रकार से मैं गरीब तबके का प्रतिनिधित्व करता हूं। श्रीमान्, मैं जानता हूं, श्रम क्या होता है। श्रम की कीमत मैं जानता हूं, क्या होती है। यह धन्ना सेठ नहीं जान सकते, जो एक करोड़ के सूद का काम करते हैं। हम जानते है, श्रम क्या होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रमेव जयते का नारा इंदिरा गांधी ने नहीं दिया। अभी-अभी यहां चुनाव थे, जे0 के0 सिन्थेटिक के मालिक से 40 हजार लीटर पैट्रोल लिया है। यह चेलेन्ज है मेरा। श्रीमान्, इस कारण से राज्य मन्त्रीजी आज इस बिल को पेश कर रहे हैं, इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि पिछले चुनावों में, जो जे0 के0 सिन्थेटिक्स के मालिक हैं उनसे 40 हजार लीटर पैट्रोल लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रेलेवेन्सी पर आइये। यह इर्रेलेवेन्ट बातें फिर अंकित नहीं की जायेंगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : काहे के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : रेलेवेन्ट बात कीजिये। संशोधन दिया है उसी पर बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य को अधिकार है। इस बिल को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी इस पर यह अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह कहना चाहिए कि पब्लिक ओपीनियम के लिए भेज जाये।

(व्यवधान)

श्री पचेरवाल

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये। आप बहुमत के आधार पर इसको पास करा लेंगे यहां तो पास करा लेंगे। 60 से लेकिन जनता में जाने से तुम्हारी क्या छवि बनेगी? इसलिए कहता हूं कि इस बिल को कम से कम तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। फिर श्रीमान् प्रद्युम्नसिंह जी के घर पर जब धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के मजदूर आकर मुर्दाबाद करेंगे. तब तुमको याद आयेगा। मैं कहना चाहता हूं, श्रीमान मुख्य मन्त्री जी, आपके ,मिल के मजदूर आकर भीलवाड़ा में जब आपका घेराव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मजदूर क्या होता है। मजदूरों पर इस प्रकार का कुठाराघात करने वाले काले कानून, कर्मचारियों पर इस प्रकार का कुठाराघात करने वाला काला कानून, इन पुलिस कर्मियों पर कुठाराघात करने वाला काला कानून किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाये। इसलिए मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यत सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यह मेरा आसन के द्वारा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर के सेठ-राज्य गृह मंत्री श्री प्रद्युम्नसिंह जी ने जो बिल पेश किया है, इस बिल के लिए में प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो आप बराबर यह निदेश जारी कर रहे थे कि आप इसको जनमत के लिए क्यों भेजना चाहते हैं। श्रीमान, मैं इसलिए निवेदन करूंगा, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये कि इस बिल को हमने पढ़ा है और राजस्थान सरकार का बीस संकल्प का कार्यक्रम भी मैंने पढ़ा है। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बीस सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देकर पुरानी बोतल में नयी शराब पेश करने का जो आह्वान किया, उस सारे कार्यक्रम को पढ़ने के बाद इस बिल को भी हमने पढ़ा है। इस बिल को पढ़ने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गरीब की हिमायत की बात इसमें नहीं है, जिसको माणिक्यलाल जी वर्मा चाहते थे, डाक्टर लोहिया जी चाहते थे। इस बिल में वह बात नहीं है। यह धन्ना

(श्री गोपाल पचरेवाल)

सेठ प्रद्युम्नसिंह जैसे लोग है,उनकी भावना से यह बिल पेश किया गया है । देश में श्रमिकों का विभाजन किया गया है । इस बिल में यह बात है । श्रीमान,इस बिल में यदि यह होता कि देश को गरीबों के खर्च और पूंजीपति के खर्च की सीमा पर पाबदी होगी, अगर देश का सिपाही-कर्मचारी, दो रुपया खर्च करेगा तो देश का मुख्य मंत्री दो रुपया खर्च करेगा, अगर इस खर्च की सीमा पर पाबद होती, श्रीमती कमलाजी हमारी मंत्री हैं इनके टेलीफोन के खर्चे पर पाबंदी होती, यात्रा भत्ते के खर्च पर पाबंदी होती तो इस बिल का हम स्वागत करते । हम समर्थन करते जब राजस्थान का मुख्य मंत्री यात्रा भत्ते के नाम पर पैसा नहीं उठाये । राजस्थान का गृह मंत्री रात दिन पूरा करके दस हजार रुपये नही लेता तो बिल का स्वागत करते । लेकिन इस बिल में यह बात नहीं है । इस बिल में है,मजदूर आवाज नहीं उठा सकता, देश का कलम चलाने वाला पत्रकार अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, देश का जो विद्यार्थी डिग्री लेकर सड़कों पर घूमता है, वह विद्यार्थी रोजगार की मांग नहीं कर सकता-यह इस बिल में लिखा गया है । हिन्दुस्तान का मजदूर अपनी आवाज को बुलन्द नहीं कर सकता, इस बिल में यह लिखा गया है । इसका हम विरोध करेंगे और अन्तिम सीमा तक विरोध करेंगे । श्रीमान, इस बिल का हम समर्थन करते, अगर गरीबों की हिमायत की बात की जाती, जाति तोड़ने की बात की जाती । राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में जाति तोड़कर जो विवाह करेगा उसको पांच हजार का पुरस्कार दिया जायेगा । राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, आपकी सरकार के मंत्रिमण्डल में ऐसे कितने मंत्री बैठे हुए हैं जो जाति तोड़ने की बात करते हैं ? जाति तोड़कर कोई मंत्री अपनी लड़की की शादी क्या किसी भंगी के बेटे के साथ करने के लिए तैयार है ? आप इसके लिए तत्पर हैं ? क्या आप जाति तोड़ने की बात करते हैं ? यह धन्ना सेठ प्रद्युम्नसिंह जी जाति तोड़ेंगे ? क्या राजस्थान का वन मंत्री जाति तोड़ेगा ? डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था,जाति तोड़कर समाज में परिवर्तन लाना होगा। श्री जय प्रकाश नारायण जी ने हरिजन बस्ती में जाकर समाज उत्थान की बात की थी। धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही थी, समाज परिवर्तन की बात कही थी। उन्होंने समाज के उत्थान की बात की थी । लेकिन राजस्थान की सरकार इस बिल को पेश कर यह साबित कर रही है कि हम गरीब के हिमायती नहीं हैं, शोषण करने के हिमायती हैं। हम पूंजीवादी टाटा और डालमिया के हिमायती हैं, गरीब के हिमायती नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये। देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में भुखमरी बढ़रही है, देश में आज 6 महीने मे भूख से आदमी मर गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन मेघवाल जाति के आदमी भूख के मारे मर गये। क्या इस बिल में यह बात है ? इस बिल में भूख से मरते को रोजी-रोटी देने का सवाल नहीं है ? शहर के अन्दर दो मेघवाल जाति के आदमी भूख से मर जायें, क्या आप इस बिल से उनकी रक्षा कर सकेंगे ? क्या आप उनको रोटी दे

(श्री गोपाल पचरेवाल)

सकेंगे ? ऐसा कोई अधिकार इस बिल में नहीं, जिससे भूख से आदमी नहीं मरे, अनाज के अभाव में गरीब नहीं मरे। मैं कहना चाहूंगा कि हरिजन महिलाओं के साथ आये दिन बलात्कार हो रहे हैं। क्या इस कानून में लिखा है कि बलात्कार करने वालों को सजा दी जायेगी ? क्या किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार की सजा दी गई ? आपके मन्त्रिगण अवैधानिक रूप से हजारों रुपयें का भत्ता उठा रहे हैं, इस बिल में क्या प्रावधान है कि उसको रोका जायेगा ? क्या इसमें यह है ?यह नहीं है। इसमें केवल यह है कि पूंजीपतियों की पूंजी की रक्षा कैसे की जायेगी। टाटा-बिड़ला को सुरक्षित कैसे रखा जाय, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाय। गरीब आदमियों का मजदूर नेता, कर्मचारियों का नेता अगर अपनी आवाज बुलंद करता है, उसको आप जेल के सींखचों में जकड़ देंगे। लेकिन टाटा-डालमिया की पूंजी का विस्तार नहीं रुकेगा। मजदूर हड़ताल करेगा तो टाटा-बिड़ला का नुकसान होगा। आप यही चाहते हैं कि मजदूर हड़ताल करके अपने अधिकारों की मांग नहीं करें। आप यही चाहते हैं कि राजस्थान के कर्मचारी बिलकुल नहीं चाहें कि आप हमारा मेडिकल अलाउन्स हमको दीजिए, हमें यात्रा भत्ता स्वीकृत कीजिए, अनुदान दीजिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। माननीय गृह मन्त्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज पंचायत राज कर्मचारी यहां आकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है हमको मेडिकल अलाउन्स दीजिए, हमको गांव तक पहुंचने के लिए साइकिल अनुदान दीजिए। उनकी मांग है हमको मेडिकल अलाउन्स दीजिए। हमारे बच्चे, टी. बी. के मरीज हो जाते हैं, उनके एक्स-रे कराने की फीस दीजिए। क्या इस बिल में यह सब है ? इस बिल में यह सब नहीं है। हां, इस बिल में यह है कि गरीब को कैसे दबाया जायेगा, राज्य कर्मचारी को कैसे दबाया जायेगा, गरीब की हिमायत करने के बजाय गरीब का शोषण कैसे किया जायेगा। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस बिल में यह होता कि गरीब हरिजन बच्चों को, गरीब मजदूर, गरीब काश्तकार के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी तो मैं इसका स्वागत करता। सारे आदमी इसका विरोध नहीं करते। अगर यह बात होती कि ठेला चलाने वाले के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री शिवचरण जी लेंगे, अगर यह बात इसमें कही जाती तो मैं आग्रह करता हूं कि हमको इसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन इस बिल में यह नहीं है। इस बिल में यह है कि काश्तकार जिन्दगी भर भूख-प्यास से मरते हुए, ठेले लेकर, रात-दिन हल चलाते हुए, अपने बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करे। वह राजनैतिक क्षेत्र में नहीं हैं। सरकार क्यों चाहती है कि वह राजनैतिक क्षेत्र में नहीं आयें। आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा की बात की गई, रोजगार की बात की गई, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कही गई, समाज कल्याण की बात कही गई। श्रीमान्, मेरा

(श्री गोपाल पचरेवाल)

विश्वास है कि गरीब के बच्चे को अगर शिक्षा मिले, रोजगार मिले, गरीब के बच्चे को रात-दिन सोचने का आधार मिले तो इन धन्ना सेठों की कुर्सियों को खतरा हो जायेगा। यह सरकार चाहती है कि मजदूर में राजनैतिक चेतना नहीं आये। राजस्थान का मुख्य मन्त्री चाहता है कि गरीब में शिक्षा-की प्रगति नहीं आये। यदि उनमें राजनैतिक चेतना आयी, सामाजिक चेतना आयी, भूख की लड़ाई, जागने की लड़ाई करने की बात उन लोगों में आयी तो इन लोगों की कुर्सियों को खतरा है। इन सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने उन लोगों को दबाने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी, इन बिल में यह बात नहीं है। आपके बच्चे मान्टेसरी स्कूल में पढ़ सकते हैं लेकिन जयपुर के फुटपाथ पर बैठने वाले का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा मान्टेसरी स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। क्या यह बात आपके इस बिल में है? आपकी एजूकेशन की दो सीमायें हैं, आपने दोहरी शिक्षा पद्धति लागू कर रखी है। क्या उस स्कूल को समाप्त करने की आ पहल करेंगे? इस बिल में कहीं नहीं है कि जो मान्टेसरी स्कूल चलायेगा, प्रद्युम्नसिंह जी का लड़का वहां पढ़ेगा, शिवचरण जी का लड़का वहां पढ़ेगा, बृजसुन्दर जी का लड़का वहां पढ़ेगा, उस स्कूल को चलाने वाले संचालक को जेल के सींखचों में जकड़ेंगे। अगर ऐसा किया और गरीब के बच्चे ने अगर शिक्षा प्राप्त कर ली तो आपकी कुर्सी पर बैठ सकता है। आप नहीं चाहते कि हरिजन का बच्चा आपकी कुर्सी पर बैठे। इसका प्रमाण है, राजस्थान के मुख्य मन्त्री पद पर राजस्थान का हरिजन बच्चा बैठा तो सारे लोग एक तरफ हो गये, मदेरणा जी एक तरफ, प्रद्युम्नसिंह जी एक तरफ, बृज सुन्दर जी एक तरफ, सारे एक तरफ हो गये। इसीलिए हो गए कि राजस्थान का मुख्य मन्त्री हरिजन का बेटा था। आप नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान में शिक्षा की दोहरी नीति को तोड़ें। हिन्दुस्तान की शिक्षा पद्धति को भ्रमित कर रखा है, पब्लिक स्कूल चला रखे हैं। इस शिक्षा पद्धति को आप समाप्त नहीं करना चाहते। जिस दिन देश में शिक्षा पद्धति की दोहरी नीति समाप्त हो जायेगी, पब्लिक स्कूल तोड़ दिये जायेंगे तो जिस स्कूल में जयपुर की सड़क पर झाड़ू लगाने वाले का बेटा बैठेगा, प्रद्युम्न सिंह जी, आपका बेटा भी वहीं बैठेगा। प्रद्युम्न सिंह जी, आप नहीं चाहते कि जयपुर की सड़क पर झाड़ू लगाने वाले हरिजन के बेटे या विधान सभा के प्रहरी जो खड़ा हुआ है, इसके बच्चे के साथ आपका बेटा पढ़े। यह आप कभी नहीं चाहेंगे। जब आप यह नहीं चाहेंगे तो आप लोग इसके विरोधी हैं। समानता की बात इसमें नहीं है। केवल संपन्नता की रक्षा करने की बात है। समानता की बात इसमें बिलकुल नहीं है। किस तरह का राज आप चलाना चाहते हैं? देश को आप आगे ले जाना चाहते हैं, देश में आप वातावरण बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र की दुहाई देने वाली श्रीमती इन्दिरा गांधी 77 के चुनाव में, 80 के चुनाव में कहती थीं, मुसलमान खतरे में हैं। यह बात मुख्य मन्त्री अपने भाषण में कह रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर मुसलमानों को देखा होगा, आपके पक्ष की बात करने

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वाले मुसलमानों को भी मारा गया। इसका क्या इलाज है ? आपने तो पांच हजार रुपये देकर उसकी कीमत अदा कर दी। मुख्य मंत्री, प्रद्युम्न सिंह जी के इलाके में पिछली बार जाटों को मौत के घाट उतारा गया। क्या जनता की जान का मूल्य 5 हजार रुपये है ? आप ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं ? क्या यह इस बिल में है ? आज आपके मन्त्री जी ने ड्राइवर का अपमान कर दिया। क्या जरूरत थी ? क्या कानून है आपके पास गरीबों की रक्षा करने का ? क्या कारण है ? तो, मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप में अगर थोड़ा सा भी जमीर है, थोड़ी सी भी अगर आपकी कानून में आस्था है, थोड़ी सी इन्सानियत है, लोकतन्त्र में आस्था रखते हैं तो लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आपसे, आप इसको जनमत जानने के लिए भेजें। अगर जनमत कबूल करने का माद्दा आप में है तो आप इस बिल को वापस लें। मैं कहना चाहूंगा, आपसे लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है, उन गरीब और मजदूरों की जबान पर ताला लगाया जा रहा है। राजस्थान और हिन्दुस्तान के विद्यार्थी डिग्री लेकर सड़कों-फुटपाथों पर घूमते रहते हैं। आप जानते हैं, उसका क्या परिणाम होगा ? प्रद्युम्नसिंह जी, आप मेरी जगह होते, किसी रिक्शा चलाने वाले की जगह होते और अपने खून-पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते तब जाकर आपको पता लगता। वे मुख्य मन्त्री जी के बंगले के चक्कर काटते हैं, मैं बी. ए. पास हूं, मुझे बाबू बनाइये। चार दिन तक चक्कर लगाने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता। उसके पैसे खतम हो जाते हैं, उसकी जेब में पैसा नहीं रहता और उसके बाद जब जयपुर की सड़क नापता है तो आपके कान्सटेबल आपके थानेदार, आपके डालचन्द, आपके डी.आई. जी., सरकार का कोई भी नुमाइन्दा, ड्रेस में आई. जी. से लेकर हैड कान्सटेबल तक, यही लोग आप के बच्चे को जेल के सींखचों में जकड़ते हैं। उसको कहते है कि यह गुण्डा है, लावारिस है, इनको बन्द कर दो, मीसा में बन्द कर दो, यह आपको तब पता नहीं लगता। जिन गरीब लोगों के बच्चे बी. ए. पास करने के बाद आपके बंगलों पर चक्कर काटते हैं, आपसे रोजगार की भीख मांगते हैं, आपसे बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मांगते हैं, उन्हीं लोगों के लिए यह खतरा है, उन लोगों की जिन्दगी के लिए मौत का पैगाम है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सरकार को हमारे ओर से निर्देश दें, सरकार अगर लोकतन्त्र में विश्वास रखती है, अगर गांधीवाद में आस्था रखती है, सरकार अगर समाजवाद की बात करती है, सरकार अगर बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाना चाहती है, सरकार 20 संकल्प की बात करती है, मैं तो नही समझ पाया कि 20 संकल्प में इन्होंने क्या बड़े उत्थान की बात कही, अलबत्ता इनका 21 वां संकल्प है, गरीब का पतन हो। सरकार चाहती है कि गरीबी मिटे इसीलिए सरकार सोचती है कि गरीबों को खतम कर देते हैं तो गरीबी मिट

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जायेगी। यही आपकी धारणा है। यही आपकी मान्यता है कि गरीब रोटी की मांग नहीं करे। गरीबी खतम नहीं हो तो गरीब जयपुर की सड़क पर आंदोलन करता मिलेगा। भूखे गरीब को रोटी दें। यह बात जब अखबारों में आयेगी, रेडियो में आयेगी तो भेद खुलेगा। आप इस काले कानून के माध्यम से गरीब की जबान पर ताला लगाने के बाद, राजस्थान की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी की जबान पर ताला लगाने के बाद, जयपुर में पत्रकारों की जबान पर ताला लगाने के बाद, यह चाहते हैं कि रेडियो में नहीं आये, न अखबारों में आये, न जनता के बीच में आये। आप कहेंगे, हमारा राज बहुत अच्छा चल रहा है। यह आपका राज नहीं है। यह इस काले कानून का राज है। ऐसे काले कानून के आधार पर आप कब तक जिन्दा रहना चाहेंगे? इसीलिए अगर आपमें थोड़ी सी भी नैतिकता है, आपको विश्वास हो रहा है कि आप गलत काम करने जा रहे हैं, आपकी मंशा अगर सही काम करने की है, आपमें अगर यह विश्वास हो रहा है कि आप सेवा करना चाहते हैं तो फिर इस कानून पर जनता की राय लीजिये। अगर लोकतन्त्र के आधार पर राज करने की बात करते हो, अगर आप सही मायने में जनमत के आधार पर राज चलाना चाहते हैं, आपकी लोकतन्त्र में आस्था है, तो मैं मांग करता हूं आपसे कि इस काले कानून को जनमत जानने के लिए जनता के सामने परिचालित करें। जनता की सहमति इसमें आ जाय उसके बाद में आप करेंगे तो हमको कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जनता की पीठ में छुरा भोंक कर अगर आपने इस कानून को पास किया तो भारत की सीमा तक लड़ेंगे, इसका विरोध करेंगे। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस कानून को बनाने से पहले जनता की राय ली जाना बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान बन्द का आह्वान होने पर 19 तारीख को - ठीक एक दिन के बाद आप यह काला कानून लाये हैं। इससे यह सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इसके पहले ही आप आवश्यक सेवा कानून लोकसभा में ला चुके थे। उसके बाद भी सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में जो 19 तारीख को मजदूरों ने सामुहिक हड़ताल की, उसका आह्वान कोई बन्द का नहीं था। सम्पूर्ण राजस्थान में बड़े-बड़े नगर जो बन्द हुए— वे किसी दबाव के कारण नहीं हुए, किसी धौंस के कारण नहीं हुए, कोई अप्रिय घटना के कारण नहीं हुए। जनता का मूक समर्थन था। कांग्रेस जिस ढंग का कानून बनाकर इस देश के लोगों के मुंह पर फिर से एक ताला लगाने का प्रयत्न कर रही है, उसकी एक मौन अस्वीकृति थी अन्यथा कहीं न कहीं झगड़ा होना चाहिए था, कहीं न कहीं कोई फसाद होना चाहिये था, कहीं न कहीं कोई जबरदस्ती होनी चाहिए थी। केवल इस देश

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

के मजदूरों ने सड़कों पर निकल कर काले कानून को वापस लो, इस बात का नारा लगाया था और उसके पक्ष में, उसके समर्थन में सभी जगह हड़तालें हुईं। लेकिन उसके पश्चात अब आप कह रहे हैं कि हम इतने दयालु हैं। आप दयालु नहीं हैं, आपके नीचे की धरती खिसक रही है क्योंकि सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का मजदूर, गरीब कर्मचारी उस बात को समझने में लग रहा था कि इस सरकार ने, फिर उसी जोश में, उस मद-मस्त भरी बहुमत के नशे में गलत रास्ते पर जाना शुरू कर दिया इसीलिए यह स्थिति पैदा हुई।

आप चाहते हैं एक-एक व्यक्ति को काट कर पंगु बनाया जाय। आप चाहते हैं, एक एक मजदूर को उसके हकों से दूर हटाया जाय, राज्य कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जाय, फिर व्यापारियों पर लगाया जाय और अखबारों पर सेन्सरशिप लगाई जाय ताकि वे एक शब्द भी नहीं बोल सकें। उसके बाद आप बड़ी अहम से, बड़े घमण्ड से, बड़े अभिमान से इस हिन्दुस्तान पर राज्य करें। आखिर राजस्थान में ऐसी कौनसी स्थिति बन गयी थी? यहां तक कि इस राजस्थान के राज्य कर्मचारियों ने तो केवल मौन समर्थन ही दिया था। 19 तारीख को हड़ताल हुई, राजस्थान के कर्मचारी उस हड़ताल में सम्मिलित नहीं हुए थे। राजस्थान के कर्मचारियों ने केवल टोकन के रूप में यह बताया था कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। वे हड़ताल पर नहीं रहे। आपको याद होगा, सन् 1973 की हड़ताल का आपको स्मरण होगा। 1973 में राजस्थान के राज्य कर्मचारियों की हड़ताल एशिया में सबसे बड़ी हड़ताल मानी गई थी। आपको स्मरण होगा, बी. बी. सी. ने इसको ब्राडकास्ट किया था। इस तरह की सफल हड़ताल के बाद भी 1970 का आपके पास कानून था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस हड़ताल के अन्दर जितने भी कम्पाउन्डर थे वे भी शरीक हुए थे लेकिन उस समय भी उस समय की सरकार ने जुल्म नहीं ढाये थे लेकिन आप तो उससे भी आगे बढ़ कर इस कानून को ला रहे हैं।

मैं समझता हूं, यह आपकी इच्छा भी नहीं है, यह आपकी मंशा भी नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, यह हिन्दुस्तान के अन्दर सेठों की योजना है, उन करोड़पतियों की योजना है जो इस देश की सबसे बड़ी नेता, जिसको हम आज मानकर चलते हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी के इशारे पर, उनकी ××× के आधार पर इन करोड़पतियों ने यह कह कर कि कहीं कारखानों में हड़ताल न हो जायं, मजदूर अपना हक न मांगने लग जायं और शासन पर बैठने वाले लोग और ये करोड़पति सेठ इनका शोषण करके इनके खून के आधार पर जो पैसा बनाते हैं उसको मस्ती से खाकर जिन्दा रहें। उसके लिए यह अध्यादेश है।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(178)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(7.43 सायं)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

उसी का प्रयोग ये राजस्थान में कर रहे हैं अन्यथा मैं यह नहीं मान सकता हूं कि आपका मन इसके पक्ष में होगा। मैं स्वयं जानता हूं, आप में से अधिकांश से जब मेरी व्यक्तिगत बात होती है तो वे भी यह महसूस करते हैं कि यह एक बहुत बड़ा हथियार दे रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आपसे आकर बार बार मांग करता है, सुनाता है, और जब आप नहीं सुनते हैं तो यह कानून लाकर शायद प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। या तो फिर इसमें आपके आंकड़े × × × हैं या फिर ये × × × हैं क्योंकि आपके आंकड़े बताते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है। जब प्रोडक्शन बढ़ा, जब आपके हड़तालों के दिन कम हुये या सब कुछ हुआ, उसके पश्चात् इस काले कानून को लाने की आवश्यकता क्या थी ? कहां गये, आपके वे आंकड़े? राजस्थान में ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जहां पर हड़तालें हुई और कितने समय तक हुई ? इसके पहले के आंकड़े भी आप उठा कर देख लें। तो हड़तालें तो होती हैं। जब मजदूर अपने हकों की मांग करता है और मालिक उसको कुचल देना चाहता है, पीस देना चाहता है तब वह हड़ताल करता है।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

उसके इन तमाम हकों को छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : बिजली का उत्पादन गिरा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल बिजली का उत्पादन, और वह भी मजदूरों के कारण नहीं गिरा है। आपकी एफिशियेन्सी न होने के कारण गिरा है। आप गलतियों को तो छिपाना चाहते हैं और बड़े बड़े करोड़पति सेठों के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं जो इस देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। आप चाहते हैं उनके बलबूते पर हमेशा हमेशा आपका राज्य कायम रहे। आज देश का मानस टूट रहा है, आज देश का मानस जल रहा है। वह एक दिन आपको जगा कर छोड़ेगा। इसलिए मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि इतनी अधिक अपनी मदहोशी में मत रहो। थोड़े ठण्डे दिमाग से विचार करिये। अगर इस बिल को लाये बिना भी आप अपने बने हुए नियमों का पालन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके 70 के कानून में भी इतनी शक्तियां दी हुई हैं कि कोई भी हड़ताल करेगा तो उस को 6 महीने की सजा हो सकती है, समर्थन करेगा तो एक साल की सजा हो जायगी और उसको चन्दा देगा तो एक साल की सजा हो जायेगी। यह सब तो 70 वाले में हैं फिर आप क्या करने जा रहे है ? इस आवश्यक सेवा कानून को लाकर आप उनको कूड़े पर पटक रहे हैं और उनका पूरा शोषण करेंगे। इसलिये, मैं माननीय सदस्यों, जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यहां पर विराजमान हैं, से भी निवेदन करना चाहता हूं, केवल हम विरोध के लिए कह रहे हों, ऐसा नहीं है। हमसे घृणा मत करो। कम से कम इस प्रकार की आन्धी में मत चलिये जिससे आने वाला समय आपको बददुआयें दे। इस देश के नाम पर जो कुछ भी बनेगा उसमें आपकी काली तस्वीरें रखी जायेंगी। मैं चाहता हूं उस प्रकार के इतिहास में आप इस तरह का अपना नाम अमर न करें। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक सेवाओं के नाम पर जो यह बिल लाया गया है, मैं सोचता हूं कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी जिनके कारण यह बिल लाया गया लेकिन ऐसा लगता है कि आपात काल की जो भूलें की गई थीं, मजदूरों के विरुद्ध कानून बनाया था, किसानो के विरुद्ध कानून बनाया था, उसी तरह का कानून बनाने का एक सिलसिला इस देश में फिर से प्रारम्भ किया गया है, रिपीटिशन्स किये जा रहे है। जिस तरह से मेन्टीनेन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, उस समय भी कहा गया था कि इस कानून का उपयोग तस्करों के खिलाफ किया जायगा लेकिन वह कानून तस्करों के खिलाफ उपयोग में लाने के बजाय राजनैतिक लोगों के लिये लाया गया। आज आवश्यक सेवाओं के नाम पर मजदूर विरोधी यह कदम उठाया जा रहा है। आज इस देश में हमने प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है। अंग्रेजों के जमाने में जब इस प्रकार के कानून बने तो गान्धी जी ने विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था और उसको काले कानून की संज्ञा दी थी लेकिन आज उसी तरह का कानून फिर से इस देश में लाया जा रहा है। 19 तारीख की हड़ताल हुई। कहा गया, हड़ताल पर नहीं जायें लेकिन हड़ताल में शरीक हुए और उसके बाद बराबर रेडियो पर कहा है कि हड़ताल असफल हुई। इस तरह की बातों से आप निपट नहीं पाये और 20 तारीख को आर्डिनेन्स लाये। फिर इस बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया। मेरा निवेदन है, जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे चपरासी हो, कोई भी इस तरह का कर्मचारी हो, कल कारखानों में काम कारने वाला कोई भी कर्मचारी हो, अपने किसी भी काम के लिये छुट्टी लेना चाहता है या किसी आधार पर अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी जबान पर ताला लगाने के लिये यह बिल लाया गया है।

हम चाहते हैं, इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, पिछला अनुभव यह कहता है कि आपात काल में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई थीं

(1080)

(श्री बंशीलाल पटवा)

उसी तरह की परिस्थितियां इस कानून को लाकर फिर से पैदा की जा रही हैं। इस तरह का कानून लाकर अघोषित आपात काल का काम किया गया है। मेरा निवेदन है, जो कुछ किया जा रहा है, वह गलत है मैं सोचता हूं जो कदम गान्धी जी ने उठाया था, उसका भी आप विरोध कर रहे हो। उन्होंने एक आजादी की लड़ाई लड़ी, लोगों के हितों के लिए काम किया लेकिन आपके ये सारे काम उनके विपरीत जा रहे हैं। जो कल-कारखाने में काम करता है, असेन्सियल सर्विसेज के नाम पर, जिसमें अस्पताल वगैरह भी आ जाते हैं, उन सब पर यह कानून लाया जा रहा है। यह वीकर सैक्शन की रक्षा नहीं करेगा और उत्पादन बढ़ाने में भी अवरोध पैदा करेगा और इसके साथ पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करने का यह साधन होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि पूंजीवादी की सुरक्षा की गारंटी के रूप में इस बिल की आवश्यकता नहीं है। आज देश में 80 प्रतिशत किसान और मजदूर रहते हैं उनके हितों की रक्षा के लिये होना तो यह चाहिये था कि उनको फ्रीडम दी जाती लेकिन आपने उनको फ्रीडम नहीं दी। आज यदि वे व्यक्ति अपना विकास करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूं कि विकास नहीं कर पायेंगे। आज मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलती है। एक एल0 डी0 सी को कितनी तनख्वाह मिलती है। एक सिपाही को कितनी तनख्वाह मिलती है। जो कुछ उनको मिलती है, इस महंगाई के युग में, मैं सोचता हूं, उनके घरों में महीने के अन्तिम दिनों में उनके बरतन बोलते हैं। ऐसी स्थिति है। उनको विकास करने का अवसर तो दिया नहीं जा रहा। गांधीजी ने इस संदर्भ में कहा था कि देश में गरीब तबके को, कमजोर व्यक्ति को ऊंचा उठाया जाय। लेकिन ऊंचा उठाने की बात कहने के बजाय इस तरह के काले कानून जो असेन्शियल सर्विसेज के नाम पर लाये जाते हैं, मैं यह सोचता हूं कि यह कानून यहां के मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण करेगा। मेरी तो मान्यता है कि जिस तरह से रेशम का कीड़ा होता है, वह धागे को ऊपर लपेटता हुआ चला जाता है, एक दिन स्थिति ऐसी होती है धागे को लपेटने के कारण स्वयं कीड़ा मर जाता है। उसी तरह से मैं सोचता हूं, यह सरकार और कांग्रेस पार्टी इस तरह के कानून लाकर, इस तरह की व्यवस्थायें करके, इस तरह बुराइयों के धागे जोड़ रही है जिसके कारण मैं सोचता हूं एक दिन इसकी मौत हो सकती है। लेकिन मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि जो कुछ यह कानून बनाया जा रहा है या लाया गया है इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये क्योंकि यह एक छोटी-मोटी बात नहीं। इस तरह की परिस्थितियां नहीं हैं। संकट काल में इस तरह की व्यवस्था की जाती है लेकिन इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है। कोई भी बात कानून से नहीं मनवाई जा सकती। यह जो बिल लाया गया है, इसमें जो व्यवस्था की गई है इससे मजदूरों का शोषण होगा। यह कानून पूंजीवादी लोगों की सुरक्षा की गारंटी का है। मेरा निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये। हम इसका विरोध करते हैं। फिर भी बहुमत के आधार पर यदि इस प्रकार का कानून

(श्री बंशीलाल पटवा)

आता है तो जैसे हाण्डी भर जाता है और जब उफान आता है तो वह फूटती है, मैं सोचता हूं यह हाण्डी भर चुकी है और इसमें उफान आया है, सत्ता की राजनीति आपके पीछे दौड़ रही है, इसलिए यह हाण्डी फूटेगी और आप कहीं नजर नहीं आयेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को पारित करने से पूर्व जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये। जनता इजाजत दे तो फिर इसको पारित करायें। जनता ने विरोध करके दिखाया है और आगे भी विरोध करके दिखायेगी। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

आप बोलना चाहें तो बोलें।

श्री नाथूसिंह (बांदोकुई) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

सभापति महोदय, जैसा पहले मैंने कहा था कि गृह मंत्रीजी इस संबंध में अधिक जानते नहीं हैं ; उनको केवल इस विधेयक को रखने के लिये हथियार बनाया गया है। कोई भी कानून से सम्बन्धित बात आती है तो विधि मंत्री जी हमेशा विधेयक को लाते हैं....

श्री सभापति : यह तो पहले आप कह चुके हैं। सिर्फ इस बात पर कहें कि इसको जनमत के लिये भेजा जाये या नहीं।

श्री नाथूसिंह : कारण बता रहा हूं। गृह मंत्री जी इसलिये यह बिल ला रहे हैं अगर स्ट्राईक हो जायेगी, मजदूर हड़ताल कर देंगे तो प्रांत में कानून की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। यह ठीक है, सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के लिये लाया गया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम विधेयक जो यहां लाये हैं, की जो भावना है, मैं समझता हूं कि इसको अच्छी तरह से पढ़ते, समझते, दरअसल इस विधेयक को लाने की आवश्यकता है ही नहीं। आलरेडी ऐसे नियम, कानून हैं जिनके अन्तर्गत यह सारी समस्यायें सुलझ सकती हैं। सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है इसमें कहा गया है कि असैन्शियल सर्विसेस उसको मानेंगे जिनके संबंध में गवर्नमेंट राय बना दे। अब सरकार जिस पर भी राय बनाये और असैन्शियल सर्विस घोषित कर दे उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। उसका कुछ स्कोप या उसका कुछ बेस होना चाहिये, उसके कुछ रीजन्स होने चाहिये। It must be based on reasons. क्या कारण होंगे, कैसी परिस्थितियां होंगी, जब हम उसको असैन्शियल सर्विस घोषित करेंगे। कुछ नहीं। एक सैन्टेन्स लिख दिया, जब सरकार समझे, जब सरकार की राय बने। असैन्शियल सर्विसेज घोषित हों, वह उसी दिन नोटिफिकेशन से घोषित कर सकते हैं। आप स्वयं जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, इसमें असैन्शियल सर्विस की डैफिनेशन

182

(श्री नाथू सिंह)

नहीं दी है। जैसा पहले मैंने बताया, सैबन्थ शिड्यूल की लिस्ट पूरी की पूरी दे दी। परन्तु उस लिस्ट में, जैसा पहले क्वोट किया था, अगर शराब की फैक्ट्री में हड़ताल हो जाये, वह भी असैन्शियल सर्विसेज हो जायेंगी।

श्री सभापति : रिपीटिशन है।

श्री नाथू सिंह : रिपीटिशन नहीं। मैं बता रहा हूं, यह रीजन्स पर आधारित होना चाहिये कि किन-किन सर्विसेज को आप असैन्शियल सर्विसेज घोषित कर सकते हैं। आप लिख देते इसमें। एक सैन्टेन्स लिखने की बजाय डिफाइन कर देते इस विधेयक में कि यह परिस्थितियां बनेंगी, यह कारण बनेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज को असैन्शियल सर्विसेज घोषित कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस डैमोक्रेटिक कन्ट्री में कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो उसका आधार होता है, रीजन्स होते हैं। मैंने अभी आपके सामने एक फेमस केस सुप्रीम कोर्ट का, ग्रार. डी. सेठी वर्सेज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी उद्धृत किया था। सन् 1979 वाल्यूम थर्ड। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी विधेयक लाया जाये, विधान सभा कोई बिल पास करे, एग्जीक्यूटिव को पावर्स दे तो पावर्स अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिये, अनकन्ट्रोल्ड पावर्स नहीं होनी चाहिये। उन्होंने क्राइटेरिया बताया। कैसा होना चाहिये, किसे देना चाहिये। उनके रीजन्स फैयर होने चाहिये। Free from arbitration होना चाहिये। इन तीनों में से एक भी शर्त यह बिल पूरी नहीं करता, और फिर भी अधिकार ले रहे हैं। विधान सभा में विश्वास नहीं इनका। इस तरह से पहले से एक्जीक्यूटिव अधिकार ले रहे हैं, सारे अधिकार ले रहे हैं। सारे अधिकार ले रहे हैं, इसका मतलब है, विधान सभा में इनको विश्वास नहीं है। विधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं। इन्होंने कहा है, कहीं भी स्ट्राइक हो जाये तो हमें पावर होनी चाहिये कि हम असैन्शियल सर्विस घोषित कर दें ताकि उससे आम जनता का जीवन प्रभावित न हो। आप तो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। मैंने पहले भी इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की स्ट्राइक की डैफिनेशन बताई थी। सैक्शन 22, स्ट्राइक कब कर सकते हैं, स्ट्राइक की कन्डीशन्स क्या हैं, पहले कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, फिर कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा। जब तक नोटिस दें, यह विधान सभा का सत्र बुला सकते हैं। इनके सामने कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन यह बिल ले आये हैं। इन्होंने बिलकुल परवाह नहीं की, सभापति महोदय, और इन्होंने तुरन्त घोषणा कर दी कि हमें अधिकार दे दीजिये। मैं, सभापति महोदय, एक और केस क्वोट करना चाहूंगा। माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, जो कि खुद बिजनेस चलाते हैं, उसी क्लास का प्रतिनिधित्व यहां करते हैं और उसी के हित की बात सोचते हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह केस ए. आई. आर. 1960 सुप्रीम कोर्ट, पेज नं. 1258, 1259 और 1260 लेबर लॉ जनरल में भी है, पेज 78 पर, उन्होंने कहा। पहले उन्होंने ग्रौर विलयन कर दिया, मजदूरों को, उन्होंने पहले से ही डिमाण्ड

(श्री नाथूसिंह)

के अन्दर सीमित कर दिया कि उसको वे कहां तक उठा सकते हैं।

"Collective bargaining for securing improvement on matters like basic pay, Dearness allowance, bonus, Provident Fund, and gratuity leave and holidays, is primary object of trade union and when demands like these are put forward and thereafter a strike is resorted to in an attempt to induce the company to agree to the demands or atleast to open negotiations, the strike must primafacie be considered justified."

सभापति महोदय, पहले से ही उन्होंने अलग अलग स्ट्राइक की डेफिनेशन की है और इस तरह के सैकड़ों केसेज हैं। उन्होंने सब्जेक्ट में दे दिया है कि इन चीजों के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं और उसके आधार भी बता दिए कि नोटिस देना पड़ेगा, पहले से बताना पड़ेगा कि ये रीजन्स हैं। इसके बावजूद भी क्या आवश्यकता है ? मजदूरों पर इनको विश्वास नहीं है ? कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है ? इस विधान सभा पर विश्वास नहीं है ? और, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में भी इनका बहुमत है। अचानक आवश्यकता पड़ जाय तो विधान सभा का सत्र आहूत करें और उसमें पास करवा लें । लेकिन, सभापति महोदय, आपको मालूम है, इनको यह डर है कि ये पीछे जो ताली बजाते हैं पता नहीं कब इनका साथ छोड़ कर चले जायं। इनकी पार्टी के सदस्यों पर भी इनको विश्वास नहीं है । इसलिए उस समय जब जनता का दबाव पड़ेगा इनके ऊपर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, ये बैठे बैठे बोल रहे हैं, बीच में टोक रहे हैं। इनको ताड़ना दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मुझे सहानुभूति है इनसे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर बैठे-बैठे बोल रहे हैं । इनको सिखाइये कि कैसे बोलना चाहिए। कैसे बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आप भी बैठ जाइये वरना वे सीखेंगे नहीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे अनुमति लेकर बोल रही हूं। ये अनुमति लेकर नहीं बोल रहे हैं।

श्री सभापति : ये सीखेंगे नहीं, आप नहीं बैठेंगी तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप ताड़ना दीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इण्ट्रप्ट करने का होश आ गया। उस वक्त आपको होश नहीं था, अब होश आ गया आपको कि इण्ट्रप्ट करने से क्या होता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर ऐसे बोलेंगे तो....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय सदस्या, पहले बहुत बोल चुके हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब होश आ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××××

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मुझे हमारे मित्रों के साथ सहानुभूति है।

श्री सभापति : आप सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री नाथूसिंह : मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं। क्योंकि यह नहीं समझ रहे हैं कि यही कभी इनके गले का फंदा बनने वाला है। इनके भाइयों के हाथों में हथकड़ी डलने वाली है, यह इनको पता नहीं है। आपके मजदूर भाई, कर्मचारी लोग जब अपनी मांगों के लिए आगे आयेंगे, जब वे रोटी मांगेंगे सरकार से उस वक्त सरकार रोटी के स्थान पर उनके हाथों में हथकड़ी पहनायेगी, उस समय आपको पता लगेगा कि आप क्या कर बैठे हैं। इसलिए आप पढ़िये। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसको पढ़ो। दुर्भाग्य है, सभापति महोदय, न तो ये कानून को पढ़ते हैं और न सुनते हैं, और सुनते हैं तो समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे गृह राज्य मंत्री जी तो बिजनेस के अलावा कुछ समझते ही नहीं हैं।

श्री सभापति : मुश्किल यह है कि आप ज्यादा समझते हैं और ये कुछ नहीं समझते हैं।

श्री नाथूसिंह : उनको तो बिजनेस के अलावा कुछ बात समझ में ही नहीं आती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो आपकी बात बता रहे हैं कि आप क्या समझे ?

श्री नाथूसिंह : सुनिये साहब। इस तरह से कोई ग्राउण्ड तो हो, कोई आधार हो। इतना बड़ा स्कोप अपने हाथ में लेना चाहते

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूसिंह)

हैं। यह आर्बीट्रेरी नहीं है तो क्या है ? इस तरह का आर्बीट्रेरी अधिकार, इस तरह का असीमित अधिकार क्यों देना चाहते हैं ? इसके पीछे वजह क्या है ? सभापति महोदय, आज देश में, राजस्थान में महंगाई बढ़ रही है, घोटाले हो रहे हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये स्कोप में बोल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : उसी पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : स्कोप की परिभाषा भी तो अपनी-अपनी समझते हैं।

श्री नाथूसिंह : पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उसकी इनको चिन्ता नहीं है। लेकिन चिन्ता है तो इस बात की कि गरीब का गला कैसे घोंटा जाय, उस मजदूर की आवाज को कैसे दबाया जावे, कर्मचारी के मुंह को कैसे बन्द किया जावे। इससे ये आतंक पैदा करना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं, पता नहीं इसका उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, आगे की बात है। लेकिन इस समय भय पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं कर्मचारियों में, ताकि वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष नहीं करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कोई भी कण्ट्री, ईवन कम्युनिस्ट कण्ट्रीज में, पोलैंड तो कम्युनिस्ट कण्ट्री था, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि वहां मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार था, उन्होंने हड़ताल की। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी लेकिन इमरजेंट होने पर उन्होंने हड़ताल की। इतने दिन हड़ताल चली और वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया, उसके बावजूद वहां का मजदूर संघर्ष कर रहा है। कोई भी कण्ट्री बता दें, विश्व में एक भी देश बता दें जहां पर इस तरह का अधिकार सरकार ने ले रखा हो। लेकिन इस भारत में, जिसको हम डेमोक्रेटिक कण्ट्री कहते हैं, सरकार लेने जा रही है। आप समझते हैं कि जनता ने आपको विश्वास दिया है। आज आपका बहुमत है, आपके पीछे तालियां बजाने वाले हैं। आपके पीछे हाथ उठाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन आपके पीछे तेजपाल जी और भारद्वाज जी उधर बैठे हैं, ये लोग जिस तरह से 1977 के अन्दर आपकी पार्टी को और आपका साथ छोड़ कर भाग गए थे, जब इस देश का मजदूर और कर्मचारी जागेगा, जनता जागेगी तब ये सभी लोग भाग जायेंगे, मंत्री महोदय। तब आप इन्दिरा जी को....

(व्यवधान)

छोड़ कर भाग जायेंगे और ये आपको छोड़ कर भाग जायेंगे। ये तेजपाल जी तो अभी से तैयार बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री सभापति : अब आप कर्टेल कीजिए अपनी बात।

श्री नाथूसिंह : तो महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। महंगाई के साथ-साथ तनख्वाह बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ, इसको नहीं सोचते।

श्री सभापति : ऐसा है कि....

श्री नाथूसिंह : समाप्त कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, कोई कितना ही कहे लेकिन they are not responsible to the House as well as to the public, इनको तो घर भागने की जल्दी है। इतना महत्वपूर्ण मसला है और आप घर भागना चाहते हैं। घर जाने की जल्दी है तो जाइये।

सभापति महोदय, रोटी तो मांगेंगे, महंगाई भत्ता, वेतन में बढ़ोतरी मांगेंगे अपना गुजारा करने के लिए, अपनी जिन्दगी के लिए लेकिन ये लोग देना नहीं चाहते बल्कि उनकी आवाज बन्द करना चाहते हैं। इस तरह से, सभापति महोदय, कमीशन बैठा दिये सरकार ने कर्मचारियों के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए। लेकिन वह कमीशन बार-बार अपॉइन्ट किया जाता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है लेकिन उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता है। उस कमीशन पर पैसा खर्च किया जाता है....

श्री सभापति : आप अपनी बात पर आ जायं।

श्री नाथूसिंह : उसी पर आ रहा हूं, साहब।

श्री सभापति : जनमत क्यों मांगा जाय, इस पर एक शब्द नहीं बोले आप।

श्री नाथूसिंह : यह बताना चाहता हूं। मजदूरों के लिये कमीशन बैठाया जाता है, रिपोर्ट मंगाई जाती है, पैसा खर्च किया जाता है, फिर उसको उठा कर फाड़ दिया जाता है। आपसे स्वीकार नहीं की जाती रिपोर्ट तो कमीशन मत बैठाओ, रिपोर्ट मत मंगाओ। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार ही नहीं किया जाये, सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो यह विधेयक लाये हैं, इसके हर पहलू के बारे में केबिनेट में डिसीजन लिया है?

श्री सभापति : आप विधेयक के ऊपर बोलें। आप इनसे मत पूछिये।

श्री नाथूसिंह : आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको पता नहीं है, ऑर्डिनेन्स केबिनेट में अपूर्व होता है। इनको पता ही नहीं है। खाली दे रहे हैं छक्के-पंजे, ऐसे ही।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, केबिनेट में, मैं समझता हूं फार्मेलिटी पूरी की है। आपने तो शायद इसे पढ़ा ही नहीं होगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नाथूसिंह)

अगर आप पढ़ लेते। आप तो मेम्बर ही नहीं हैं, मालूम ही नहीं है आपको। हमको तो फिर भी पता लग जाता है। इसलिये, सभापति महोदय, विधान सभा के अधिकारों को एग्जीक्यूटिव लेना चाहती है। इस विकट परिस्थिति में इनका इशारा किस तरफ़ है, मुझे मालूम नहीं है। लेजिस्लेचर के अधिकार एग्जीक्यूटिव लेना चाहे तो उस समय क्या स्थिति होगी? अगर कोई दिक्कत आती है कर्मचारियों के संबंध में तो ट्रिब्यूनल है, उनमें जायें, लेबर कोर्ट है उसमें जायें। दिक्कत कहां आ रही है? आलरेडी ऐसे कानून बने हुए हैं, पूरे अधिकार आपको मिले हुए हैं। लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में लेना चाहती है। इसके पीछे मंशा यही लगती है, यह लोग धीरे-धीरे हड़तालों पर रोक लगाना चाहते हैं, मजदूरों की आवाज बन्द करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिये सारे अधिकार सुरक्षित रख कर इस देश में डेमोक्रेसी को नष्ट करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। प्रेसीडेंसल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। इंदिरा जी को प्रेसीडेंट और उनके पुत्र को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जब तक विरोध में हैं, चाहे कम ही हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां यह लोग पैदा करें तो हम मुकाबला करेंगे। हमें पहले अनुभव भी हैं, 1974-75 में ऐसी परिस्थितियां पैदा की थीं। लेकिन हमने इनका डटकर मुकाबला किया। इससे ज्यादा परिस्थिति तो आने वाली नहीं है। यह आपके कायदे-कानून एक तरफ रह जायेंगे, जब जनता का सैलाब आयेगा। माननीय मंत्री महोदय, आपके कानून बहते-बहते हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर तक पहुंच जायेंगे और आप लोग कहीं नहीं टिक पायेंगे जनता के सैलाब के सामने। इसलिये, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस पर विचार करें, गौर करें। यह तो कह रहे हैं, हमें बहुमत मिला है बहुत ज्यादा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य कल बोल रहे थे कि यह वर्ष हमारे लिये परीक्षा का वर्ष रहा। परीक्षा का वर्ष कैसे रहा? पंचायतों में परीक्षा हुई, नगरपालिकाओं में परीक्षा हुई। इन परीक्षाओं में सफल रहे हो तो इस परीक्षा से क्यों डर रहे हो। अगर आप में हिम्मत है, आपको मालूम हो, आज भी आत्म विश्वास हो, कि आपके साथ जनता है तो इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित कीजिये। भेजें जनता में, उन मजदूरों में भेजें जिनके हक ले रहे हैं, उन कर्मचारियों में भेजें, जिनके हक ले रहे हैं तो आपको पता लग जायगा, आप कहां हैं, हम कहां हैं और जनता कहां है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री महोदय, इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल बैरवा।

(व्यवधान)

1188

(श्री सभापति)

श्री रतनलाल ताम्बी

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो खण्ड 3 में है सभापति महोदय।

श्री सभापति : इसी में है। श्री कनकराज मेहता।

श्री कनकराज मेहता : अमेण्डमेंट के बारे में है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने दो तीन बातों की तरफ खास तौर से ध्यान दिलाया, ध्यान आकर्षित किया, आलोचना की कि सेठ-साहूकारों के प्रोटेक्शन के लिये यह बिल लाया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फैक्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां तक स्टेट गवर्नमेंट, बिल का सवाल है, उसके तहत इस बात का कोई प्रोवीजन है। जहां तक सेठ-साहूकारों के इंट्रेस्ट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल लायी थी, जो एक्ट बन गया, उसके अन्दर उन्होंने ले ऑफ और लॉक आउट्स के ऊपर पावर अपने हाथ में ली है। अगर कोई मिल-मालिक या फैक्ट्री-मालिक अपनी फैक्ट्री के अन्दर, जो कि असेन्शियल सर्विस है, इम्पॉर्टेन्ट इण्डस्ट्री है, उसके अन्दर ले ऑफ करता है या लॉक आउट करता है, तो उसको नोटिफिकेशन के जरिये भारत सरकार बैन कर सकती है। तो यह कहना गलत है कि इंदिरा गांधी ने करोड़पति सेठों के फायदे के लिये कानून बनाया। यह राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं। यह सेन्ट्रल एक्ट पढ़ें, असेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट, 1981 तो स्थिति बिल्कुल सामने आ जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर इन्होंने एक बात और कही, श्रीमान्। हमने सिर्फ उसके अन्दर जो पुराना स्कोप था उसको बढ़ाया है।

श्री नाथूसिंह : यही तो आपत्ति है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी आप बात सुन लें। हमने उसका स्कोप बढ़ाया। गवर्नमेंट एम्पलाइज असेन्शियल सर्विस, सन् 70 का एक्ट है, उससे कवर होता था। उसके बाद पब्लिक अण्डरटेकिंग एक्ट लागू हुआ, उसको एनलार्ज बिल के जरिये कवर करने का कानून हम आपके सामने ला रहे हैं। श्रीमन्, यह कहते हैं, हमने इस कानून का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। जनता पार्टी के राज में 79 में, खुद इन्होंने इस कानून का इस्तेमाल किया था, वह लाये हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन इश्यू किया है 1970 के एक्ट के तहत। आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं, मेरे सामने पत्रावली रखी हुई है। जिस वक्त राजस्थान मंत्रालयिक सेवा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 12-11-79 से आन्दोलन की कार्यवाही काली पट्टी बांध कर....

(व्यवधान)

मेरे पास नोटिंग है, फाइल रखी हुई है। इन्होंने खुद इस एक्ट का 79 के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्दर उपयोग किया है। अब हमने इस एक्ट के तहत असेन्शियल सर्विसेज के लिये जो पावर ली है, उसके तहत नोटिफिकेशन भी नहीं किया है। मैं आपको पढ़ कर सुनाऊं, जो कानून है उसके तहत।

After sub-section, (1) the following sub-section, (2) shall be added namely :—

"(2) Every notification issued under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature immediately after it is made if it is in session & on the first day of the commencement of the next session of the House if it is not in session & shall cease to operate at the expiration of forty days from the date of its being so laid or from the re-assembly of the State Legislature, as the case may be unless before the expiration of that period a resolution approving the issue of the notification is passed by the House of the State Legislature."

तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, श्रीमन्, हम कोई नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं, उसके तहत हमको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आना पड़ेगा, विधान सभा के सामने आना पड़ेगा और अनुमति विधान सभा की उसके बारे में लेनी पड़ेगी। उसको इनके द्वारा स्वीकार कराना पड़ेगा। इन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नोटिफिकेशन प्लेस करना पड़ेगा। स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां। मैं वही कह रहा हूं। जो नहीं, मुझे लेनी पड़ेगी इसकी मंजूरी। आप अध्ययन कीजिये।

बात यह है कि आपको तो इस बिल के माध्यम से राजनैतिक लाभ उठाना था जो आपने भाषण दे दिया।

आपने खुद इस्तेमाल किया है इसका। तब कर्मचारी कहां गये थे आपके? तब कर्मचारियों के लिये आपके आंचल में दूध नहीं आ रहा था? आपने खुद इस्तेमाल किया है। राज्य कर्मचारियों को, पब्लिक अंडर टेकिंग के जो कर्मचारी हैं उनको इस पर लाना चाहते हैं, आप उसका विरोध करना चाहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कर्मचारियों के लायक? ऑल वर्किंग क्लासेज?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे कहा, मेरा आप निवेदन सुनें।

जो सैन्ट्रल एक्ट है, इसके तहत every recaution has been taken. सरकारी कर्मचारी हों या प्रतिष्ठानों के मालिक हों, हमने उनके खिलाफ भी इसके अन्दर कार्यवाही करने का प्रावधान रखा है। यहां इनका मिथक समाप्त हो जाता है, हम धन्ना सेठों के पोषक हैं या नहीं। यह तो हम खुद जानते हैं, और दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस के बलबूते पर

(190)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

टिकी हुई है। सबको मालूम है। किस से छिपी हुई है यह बात ?

(व्यवधान)

दुनिया जानती है कि आप समाजवादी नीतियों के विरोधी हैं, आप मुक्त व्यापार के हामी हैं। किस से छिपी हुई है यह बात ? लेकिन यहाँ पर कहने की खातिर जो मर्जी हो, कह दीजिये। इनको भी समाजवादी बनने की सूझी है।

श्री यदुनाथ सिंह : समाजवादी आप कब से हो गये ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो रहने दीजिये, यदुनाथ सिंह जी। यह स्वयं इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं। तो, सभापति महोदय, यह प्रस्ताव जो है 'जनमत' के लिए भेजने का, इसको अस्वीकार किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा है, इसलिये मुझे बोलने दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जनमत पर कोई उत्तर नहीं होता। संकल्प पर होता है।

श्री सभापति : इसका सवाल उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनमत जानने का तो मेरी समझ में नहीं आया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : क्यों देर लगा रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मालूम होता है कि मरीज मरने वाला है लेकिन फिर भी इलाज तो होता ही है। आखिरी दम तक भी हम तो इन लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

(8.24 रात्रि)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न एक बार और मैं पढ़ता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुरक्षण सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

डिवीजन क्लेम करते हैं या स्वीकृति दे दूं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : डिवीजन होगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों, हां पक्ष में चले जायं। जो विपक्ष में हों, वे ना पक्ष में चले जायं।

(मत विभाजन)

पक्ष में 22 और ना पक्ष में 56। ना पक्ष जीता।

जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाते हैं।

मत-विभाजन

हां पक्ष

1. श्री अनंग कुमार जैन
2. डा. उर्जला अरोड़ा
3. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल
4. श्री गुलाबचन्द कटारिया
5. श्री गोपाल पचेरवाल
6. श्री घनश्याम तिवाड़ी
7. श्री छीतरलाल आर्य
8. श्री त्रिलोकसिंह
9. श्री दाऊदयाल जोशी
10. श्री नाथूसिंह
11. श्री बंशीलाल पटवा
12. श्री बहादुर सिंह
13. श्री बालचन्द्र आर्यवीर
14. श्री भंवरलाल शर्मा
15. श्री भैरोंसिंह शेखावत
16. श्री मेघराज तावड़
17. श्री यदुनाथ सिंह
18. श्री रघुवीरसिंह कौशल
19. श्री रामकिशोर मीणा
20. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
21. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
22. श्री हरीश शर्मा

ना पक्ष

1. श्री अब्दुल रहमान चौधरी
2. श्री अमराराम
3. श्री अमीन खां

192

4. श्री अमलभ खां
5. श्री ईश्वरलाल सैनी
6. श्री कनकराज मेहता
7. श्रीमती कमला
8. श्री कमला भाई मीणा
9. श्री खेतसिंह राठौड़
10. श्री गोविन्द आमलिया
11. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
12. श्री घासीराम यादव
13. श्री चेतराम
14. श्री छोगाराम बकोलिया
15. श्री सी. एल. कंवरिया
16. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
17. श्री जयकृष्ण शर्मा
18. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
19. श्री जीवराज सिंह राठौड़
20. श्री जेठमल बरबड़
21. श्री तकीउद्दीन अहमद
22. श्री तेजपाल यादव
23. श्री दिनेश डांगी
24. श्री दीन मोहम्मद
25. श्री दुलाराम
26. श्री देवीसहाय गोपालिया
27. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
28. श्री धाराराम फुलवारिया
29. श्री नरपतराम बरबड़
30. श्री नरेन्द्रसिंह भाटी
31. श्री नारायण सिंह
32. श्री परसराम मदेरणा
33. श्री पृथ्वीसिंह
34. श्री प्रद्युम्नसिंह
35. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
36. श्री बनवारीलाल
37. श्री बुलाकीदास कल्ला
38. श्री बृजसुन्दर शर्मा
39. श्री भालू खां
40. श्री भैरूंलाल भारद्वाज
41. श्री मांगीलाल आर्य
42. श्री मानसिंह देवड़ा
43. श्री रामनारायण डूंडी
44. श्री रामपाल उपाध्याय
45. श्री रामसहाय सोनड़
46. श्री रामसिंह विश्नोई
47. श्री जगन्नाथ पहाड़िया

48. श्री शिवचरण माथुर

49. श्री सुजानसिंह यादव

50. श्री सुरेन्द्र व्यास

51. श्री सूरजपाल सिंह

52. श्री सूर्यकुमार

53. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर

54. श्री हरसहाय मीणा

55. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

56. श्री हेमाराम चौधरी

प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन), विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

क्लाज 2 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

संशोधन। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में प्रतिस्थापित की जाने वाली नवीन धारा 7 में प्रयुक्त शब्द "बिना वारन्ट" के स्थान पर शब्द "सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा वारण्ट जारी किये जाने पर ही" प्रतिस्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पेश किया है, उसमें है—

"Power to arrest—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1972 [Central Act No.12 of 1974]......"

उपाध्यक्ष महोदय, धारा 3 में जो मैंने अमेडमेंट दिया है आपने देखा

"....any police officer may arrest without warrant any person who is rersonably suspected of having commited any offence under this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, विदाउट वारण्ट किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो आप जानते हैं कि इस धारा को जोड़ने के कारण ही जितनी भी सर्विसेज हैं सब में काग्नीजेबल आफेन्स लागू होता है, यह सब काग्नीजेबल आफेन्स बन जाते हैं। इसके अन्दर यह किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : ये बातें आप पहले कह चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : यह बात अब इसमें कह रहा हूं-धारा तीन में कह रहा हूं। आप मना

(श्री नाथूसिंह)

करेंगे तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने इसमें अमेंडमेंट दिया है। इसमें लिखा है any police officer और इसमें पुलिस आफिसर की डेफिनेशन नहीं दी है कि वह किस रैंक का आफिसर होगा, एस. पी. होगा, डी. एस. पी. होगा या उससे छोटी श्रेणी का आफिसर होगा। वह भी कर सकता है, कांस्टेबल भी कर सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : Constable is not an officer....

श्री नाथूसिंह : He is an officer. He is very much a police officer.

मैं आपको बताऊं, मैं क्या कहना चाहता हूं। इसमें लिखा है

"cognizable offence means an offence for which..."

इसमें काग्नीजेबल आफेंस की डेफिनेशन दी है, वह मैंने आपको बता दी है। वह है—

"...an cognizable case means a case in which a police officer may arrest without warrant."

शिड्यूल फर्स्ट में आपने देखा होगा, इसमें उन्होंने सूची बढ़ा दी है। इसमें यह लिखा है कि बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है any officer इसमें "without warrant" को डिफाइन किया गया है। यह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"In order that the offience may be cognizable, the power to arrest must be unqualified power and not a power which can be exercised under only particular specified circumstances."

श्री उपाध्यक्ष : "an unqualified power" any police officer को आप "unqualified power देने जा रहे हैं। इसको क्वालिफाइड नहीं कहा गया है। जब चाहें तब किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में आर्टिकल 14 के होते हुए, आर्टिकल 19 के होते हुए....

श्री उपाध्यक्ष : यदि इस एक्ट की धारा का उल्लंघन नहीं हो तो यथा....

श्री नाथूसिंह : यथा नहीं। यह है, इसमें बिल की धारा का उल्लंघन हो तो। सी आर. पी.सी. को दूर कर दिया है, ताक पर उठा कर रख दिया गया है। सी आर. पी. सी. का जो कानून है इसके लागू होने से यह सब बेकार हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ गये हैं। आप इस कानून को जानते हैं, प्रेक्टिस भी की है। क्या यह उचित है ? क्या इस धारा के जोड़ने से आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता है ? फिर इसमें साफ लिखा है....

"...any person who is resonably suspected of having committed any offence under this Act."

(श्री नाथूसिंह)

रीजन्स क्या होंगे, यह नहीं बताया गया है। ये रीजन्स भी इसमें बता देते तो बात समझ में आती। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यह मालूम होगा तो मैं वह नहीं करूंगा और उसको करने से रुकूंगा। पर यह नहीं किया गया है। रीजनेबल सस्पेक्ट। केवल सस्पेक्ट करके चल रहे हैं। रीजनेबल सस्पेक्ट किया है रीजन क्या होंगे? यह है नहीं। यदि इसमें रीजन होते फर्स्ट, सैकण्ड थर्ड, तो फिर भी ठीक रहता....

श्री उपाध्यक्ष : रीजनेबल के मायने रीजन्स नहीं होते हैं। इसके मायने मुनासिब होता है।

श्री नाथूसिंह : हां, मुनासिब होता है। लेकिन मुनासिब की डेफिनेशन क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष It is his discretion.

श्री नाथूसिंह : परिस्थति के बारे में कहना चाहिए। किस परिस्थिति में रीजनेबल होगा, वह परिस्थिति बतायी जानी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यह है, उपाध्यक्ष महोदय, वह इस तरह से without circumstances विदाउट सर्कम्सटान्सेज के ही गिरफ्तार कर सकता है-यह बिलकुल आर्बीट्रेरी एक्शन होगा। यह धारा जोड़कर आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। बहुमत का नाजायज फायदा आप लोग उठा रहे हैं। यह इस तरह की धारा है जो कि मीसा से भी कहीं अधिक खतरनाक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आप पर भी लग सकती है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जो मैंने संशोधन दिया है उसको यह सदन स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिलोक सिंह : मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री कनकराज मेहता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Allow him, Sir. He is leader of a party.

श्री उपाध्यक्ष : कनकराज मेहता।

श्री कनकराज मेहता : मेरा अलग से अमेंडमेंट है।

श्री त्रिलोकसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना अनुमति के ही बोलने लग गये। बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं यह कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कनकराज मेहता : खण्ड 3 में प्रस्तावित धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित, धारा 7 प्रतिस्थापित की जाये : –

'धारा 7-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम-2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी, जो उप अधीक्षक के नीचे के स्तर का न हो, ऐसे किसी व्यक्ति को जिस पर सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध किया है, सक्षम न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों को प्रस्तुत कर वारण्ट प्राप्त कर गिरफ्तार कर सकेगा।''

मेरा निवेदन यह है कि कान्सटेबल और पुलिस एस. एच. ओ. को यह जो पावर दी गयी है, मेरे ख्याल से वे इसका सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि उप अधीक्षक के नीचे के व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकें। मेरा यह भी निवेदन है कि सक्षम न्यायालय द्वारा वारण्ट हासिल करें और उसके उपरांत ही उसको गिरफ्तार किया जाय। यह मेरा संशोधन है, कृपया इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात कहना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी तरफ से कोई संशोधन नहीं आया है इसीलिये रूल्स के तहत आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : माथुर साहब, आप ऊपर से थोपे गये हैं। यह कोई प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है। यह देश के लाखों करोड़ों....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

व्यवस्था का प्रश्न
संशोधन प्रस्तुत करने की रीति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो माननीय सदस्य बोलना चाहते थे उसके लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव का समर्थन कर सकते है, सभी को प्रस्ताव के समर्थन का अधिकार है, उसको आप छीन नहीं सकते हैं, लिख कर दिया है या नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड स्टेज पर बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थर्ड स्टेज पर नहीं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : That is my discretion.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : You should use your discretion.

श्री उपाध्यक्ष : I will do it, but not at this time.

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रभारी मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर हमारी तरफ भी ध्यान दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : देख रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रद्युम्न सिह जी पर आपकी बहुत मेहरबानी है। उन्हीं की तरफ देख रहे हैं।

मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि जो इन्होंने अमेन्डमेण्ट दिया है उस का समर्थन करने या विरोध करने का इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है चाहे उन्होंने कोई लिखित में दिया हो या नहीं। कोई इस क्लाज का आम तौर पर विरोध करना चाहे तो जरूरी नहीं, क्लॉज को डिलीट करने के लिए कोई अमेण्डमेण्ट नहीं दिया जाता लेकिन पूरे क्लॉज के विरोध करने का अधिकार सदन के माननीय सदस्यों को है। ये दो माननीय सदय अमेण्डमेण्ट का समर्थन नहीं, क्लॉज का डिलीशन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनका अधिकार है। बोलने दिया जाये इनको।

श्री उपाध्यक्ष : जो बोलना चाहते हैं उनको थर्ड स्टेज पर मौका दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वे तो इस क्लॉज का विरोध करना चाहते हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : बहुत पक्षपात है हमारे साथ। ऐसा काला कानून बनाते हो....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट भी यदि नहीं लें तो मैं आपको इजाजत दे सकता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा पड़ जायेगी।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री त्रिलोक सिंह : सदन में जो कानून आया है यह काला कानून है। यह × × × की हिफाजत करने वाला, सूदखोरों की हिफाजत करने वाला कानून है। देश के मजदूरों का, किसानों का दुश्मन यह कानून है। उनके गले की फांसी है। हमारे सदन के लिए सब से बड़ी लज्जा की बात होगी अगर ऐसे कानून को पास किया जाये। इसलिए इस सदन के आम लोगों से, सदन के तमाम सदस्य लोगों से अपील करूंगा कि ऐसा काला कानून जो देश के मजदूरों के गले की फांसी है, × ×की हिफाजत करने वाला है, उसको कतई पास नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, इस काले कानून के खिलाफ देश का सारा जनमत है। मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान प्रदेश के लोग, जिन्होने आप को वोट देकर भेजा है, ने इसलिए नहीं भेजा। इसलिए भेजा है कि अवाम के इरादों का ख्याल रखेंगे, अवाम की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। इस कानून को पेश करने का मतलब हैकि इन × × × को शह दी जाये। अगर इस कानून में यह व्यवस्था होती, किसान की फसल की हिफाजत की जाती-

---

× × ×अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

198

(श्री त्रिलोक सिंह)

आप देखेंगे कि जब किसान ने खरीदा था तो 700 रुपये क्विंटल का था और जब किसान इसको बेचेगा 150 रुपये क्विंटल का बिकेगा। ये ×× प्रद्युम्न सिंह जी के लोग किसान को लूटेंगे। ये कानून, उनकी हिफाजत नहीं करेगा। उन किसानों के हक में ये कानून कुछ नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : मुझे एक मिनट और दीजिए। मैं अपील करूंगा, अगर इस कानून में यह बात होती कि किसान को बिजली दी जाये, किसान की फसल को जलने से बचाया जाय तो मैं कहता कि इस इस कानून में कुछ है। पर यह तो ऐसा है कि टाटा-बिड़ला की हिफाजत करने वाला है। और यह कांग्रेसी राज की कब्र का फातिहा बनेगा। ऐसे काले कानून को कभी पास नहीं किया जाय। मैं यह पुरजोर अपील करूंगा। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, देश की जम्हूरियत का सवाल है, देश के अवाम का सवाल है निम्न तबके का सवाल है। यह बहुत जरूरी है कि इस काले कानून को पास नहीं किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, please sit down. You have said enough.

श्री त्रिलोक सिंह : इस काले कानून को यहीं खतम किया जाये।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधन प्रस्तुत करने की रीति

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you. Here is the rule. I will read out the rule. Plese hear.

"The speaker shall have the power to select the amendment..."

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 80 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस की परम्परा है। प्रोसिडिंग निकलवाकर देख लीजिए। जो अमेंडमेंट नहीं रखें, वह बोलते नहीं। भैरोंसिंह जी तो चिट और पुट दोनों रखते हैं। खुद को बोलना होता है तो वैसे बोल लेते हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : गलत परम्परायें नहीं पड़ें, इसीलिए मैं आपका ध्यान....

श्री मेघराज तावड़ : जाने दीजिए। यह तो ऐसे काले कानून लायेंगे, हम रोक नहीं सकेंगे। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने जिस तरह अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं किया जाये।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

××× माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 80 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं

"Notwithstanding anything contained in these rules,the speaker may, when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill, or any part of the Bill, to the house clause by clause. The speaker may call each clause separately, and when the amendments relating to it have been dealt with, shall put the question."

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, उनका जवाब दे रहा हूं। इस सदन की व्यवस्था है कि कोई क्लाज का अमेडमेंट देना हो, यदि अमेडमेंट करना प्रपोज किया जाये तो अमेडमेण्ट देने की आवश्यकता है। लेकिन पूरे क्लॉज को डिलीट करना हो तो उसमें अमेडमेण्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इस पूरे क्लाज को डिलीट किया जाये, यह उनका राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज बाई क्लॉज नहीं लिया जा रहा है। जिन्होंने अमेडमेंण्ट दिया उनको मौका दे दिया गया। बाकी को देने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आवश्यक है। क्यों नहीं है?

एक व्यवस्था और दे दीजिए। जब क्लॉज बाई क्लाज किसी बिल का कंसिडरेशन हो और उसको डिलीट करना हो तो डिलीट करने का प्रस्ताव आपका सैक्रेटेरिएट स्वीकार कर लेगा, लेकिन यह करता नहीं। इस क्लाज को नेगेटिवेट करना है और इसमें डिलीशन का कोई अमेडमेंण्ट दिया जाये, इस प्रकार की बात नहीं है। आप देख लीजिये, वह स्वीकार नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य : ×××

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जवाब देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेडमेण्ट सैक्शन 7 में रखा गया है मैं उस को स्वीकार नहीं करता हूं। पूर्व में भी जो ओरिजनल एक्ट 1970 था उसके अन्दर भी पावर दे रखी हैं, power to arrest without warrant. इसके अन्दर यह प्रिकाशंस दिये गये हैं कि इस अमेडमेण्ट से जरिये एनामोली न रह जाये, कोई विसंगति न रह जाये। एक्सप्लिसिट को क्लीयर करने के लिए यह अमेण्डमेण्ट पेश किया गया है।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसलिए माननीय सदस्यों के मन के अन्दर जो भावना है कि इसका दुरुपयोग होगा नये अमेंडमेंट मे एक्ट में लाकर यह तो पूर्व में ही था। अगर आप सेक्शन 7 देखें

"Power to arrest without warrant."

लेकिन हमारे लॉ डिपार्टमेंट की राय थी इस बारे में कि इसको और ज्यादा क्लीयर कर दिया जाये। इसीलिए यह अमेंडमेंट लाया गया है। आपके मन में जो कोई है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लॉ डिपार्टमेंट की ऐसी राय क्यों थी ? एक्सप्लेन कीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : दूसरी तरह तरह की यूनियनें हैं, वे तरह-तरह की दखलंदाजी करती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कार्यवाही में बाधा न डालिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की राय थी कि कहीं कोई ऐसी चीज सामने नहीं खड़ी हो जाये। उस सेफगार्ड को ध्यान में रखते हुए यह अमेण्डमेण्ट लाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सदस्यों के मन में यह बात है कि कोई नया अमेण्डमेण्ट, कोई नया क्लॉज इन्सर्ट कर रहे हैं। यह तो ओरिजनल के तहत ही दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान)

मेरी राय में ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have is.

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : इसके मुतल्लिक रूल 286 डिवीजन के बारे में वह बताना चाहता हूं ? प्रोविजो है उसका—

"Provided that, if in the opinion of the Speaker the division is unneccssarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and, an account being taken, he may declare the determination of the House."

श्री दाऊ दयाल जोशी : आगे भी पढ़िए ।

श्री उपाध्यक्ष : "In such a case the names of the voters shall not be recorded.

(4) If the Speaker grants the request for a division, the division bell shall be rung for five minutes.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो, उसके पहले कुछ कहना चाहता हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न

मत विभाजन में नामांकन

श्री नाथूसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर । रूल 286 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट ठहरिये । 286 ही पढ़ा है, प्रोविजो है उसका....

श्री नाथूसिंह : इसमें कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा पैरा ग्राफ है ?

श्री नाथूसिंह : तीसरा ।

श्री उपाध्यक्ष : "(a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobbies be cleared."

श्री नाथूसिंह : नहीं ऐसा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : That stage comes afterwards.

श्री नाथूसिंह : प्रोविजो बोल रहा हूं— "Provided that, if in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed ."

What is the definition of "unnecessarily claimed" ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : That is my discretion.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ कर सुनाया उसी को मैं पढ़ कर सुनाता हूं "Provided that, if in the opinion of the Speaker the Division is unnecessarily claimed, ..."

आगे है – "....he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places...."

श्री उपाध्यक्ष : That I am going to do.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो करिये ।

202

श्री उपाध्यक्ष : वही तो कर रहा हूं मैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन-नेसेसरी क्लेम की बात है। सारे विधेयक में यह इस प्रकार का मुद्दा है कि जिस मुद्दे से एग्जिक्यूटिव को इतने बड़े अधिकार देने की परिकल्पना, जिस प्रकार की गई, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। हम जनप्रतिनिधि हैं किसी आम सभा में भाषण करके आये....

(व्यवधान)

हमारी धारणा का सवाल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार का मुद्दा है। हम डिवीजन मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं, रिकार्ड हो। किस प्रकार से बिना वारन्ट के गिरफ्तार करेंगे? यह सामान्य बात नहीं है। इसलिए चाहता हूं आपके निर्णय के पहले डिवीजन हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय विरोधी दल के नेता और माननीय उपनेता दोनों की बात सुनी, दो दफा डिवीजन क्लेम किया गया। आज की मिति में, और

अनेक माननीय सदस्य : तीन बार।

श्री उपाध्यक्ष : तीन बार। I stand to correction.

माननीय सदस्यों को मैंने लॉबीज में भेजा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह अननेसेसरी क्लेम किया गया है।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री नाथू सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में जो हों वह अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(संशोधन प्रस्ताव के पक्ष वाले माननीय सदस्य खड़े हुए)

जो विपक्ष में हों वे खड़े हो जायें।

(संशोधन प्रस्ताव के विपक्ष वाले माननीय सदस्य खड़े हुए)

हां पक्ष में 21 और ना पक्ष में 53।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मतदान विपक्ष में करने वाले हैं-

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य श्री रतनलाल ताम्बी व श्री कनकराज मेहता ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 4 और 5 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 और 5 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 और 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण(संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि प्रजातंत्र की बात करने के लिए 1980 के जब चुनाव हो रहे थे उस समय इनकी नेता, जिन्हें यह तीसरे विश्व की नेता कहते हैं, ने कहा था कि मैंने जो इमर्जेंसी लगाई थी और आपात्काल में जो कानून लागू किये थे उनको अब नहीं दोहराया जायेगा, मैं जनता से माफी मांगती हूं और जनता से कहती हूं कि इस प्रकार के कानून नहीं लाऊंगी। मुझे दुःख है कि जिस प्रकार काठ की हाण्डी एक बार चढ़ती है और दूसरी बार जल जाती है उसी प्रकार से इनकी नेता इन्दिरा, जिसको यह तीसरे विश्व की नेता कहते हैं, वह काठ की हाण्डी निकलीं, जो एक दफा चल निकली और दोबारा जनता को धोखा देने उसी राह पर चल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह काठ की हाण्डी आज जनता के सामने है। यह हाण्डी ऐसी है, जो बार-बार बोल रही है, लेकिन इसको अकल नहीं आ रही है। ×× याद करो वह दिन, जब तुमने लोगों को मीसा में बन्द किया था, प्रेस का गला घोंटा था और जनता ने ×× बाहर निकाला था। आज यह फिर उसी रास्ते पर चल रही हैं। मुख्य मंत्री जी ने इस देश को गिरवी रखा। इन लोगों ने विश्व बैंक से ऋण लिया। विश्व बैंक ने इन्हें इस शर्त पर ऋण दिया कि तुम अपना बजट हमारे अनुसार बनाओगे, यह हमारी देखरेख में बनेगा। दुर्भाग्य की बात है कि पहले यह देश को राजनीतिक दृष्टि से गिरवी रखते थे आज आर्थिक दृष्टि से गिरवी रख रहे हैं। विश्व बैंक ने इन्हें आदेश दिया कि तुम श्रमिकों के अधिकारों को समाप्त करो। श्रमिकों की आवाज

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दबाने के लिये, मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने के लिये आज यहां यह काला कानून लाये हैं, उपाध्यक्ष महोदय । बिजली की कमी के कारण से, उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीपतियों की नीति के कारण मजदूरों में अशांति फैलेगी । माथुर साहब, दुनिया की कोई ताकत आज तक मजदूरों को दबा नहीं सकी । इसलिये मैं कहता हूं कि गरीबों को मत लूटो । मजदूरों के हक को, उनके अधिकारों को कोई भी कानून, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती । मैं कहना चाहता हूं, आपके कानून की धज्जियां उड़ाई जायेंगी, गांव-गांव में इसकी होली जलायी जायेगी । आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा कि हिन्दुस्तान के मजदूरों को इन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया । आपने यह पाप किया है, इसके भागीदार आप बनेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, आज यह लोग प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं । यह जो काला कानून ला रहे हैं, इनकी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया जाय, देश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाय । यह चाहते हैं कि मजदूरों, कर्मचारियों, जो संघर्ष करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं लड़ाई में, के मुंह पर ताला लगा दिया जाय । उनके मुंह पर ताला लगाने के लिए और सरमायेदारों, ××, सूदखोरों के हितों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाना चाहते हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पारित नहीं किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक बात को सौ-सौ दफा कहते हैं । यह थकते नहीं हैं । इनकी तो आदत है ।

(व्यवधान)

मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह दो दफा बोल चुकी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोलेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून लाये हैं, इन्होंने यहां पर एक बात कही कि हम लोगों ने आर्थिक स्थिति चरमरा दी थी, इसलिये यह बड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति की योजना लेकर आये हैं । हमारे समय में तो आर्थिक स्थिति चरमराई थी लेकिन आपके समय में तो आर्थिक स्थिति चरमरा ही नहीं रही, टूट गई है । तुम्हारी दोहरी शिक्षा नीति है, तुम्हारी दोहरी वितरण व्यवस्था है, तुम्हारी दोहरी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मूल्य नीति है। मैं इसको दुबारा नहीं दोहरा रही हूं। मैं दलीलों पर आ रही हूं। जिन दलीलों को आप तर्क से काटना चाहते हैं मैं आपके तर्कों का उत्तर दे रही हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो काला कानून लाये हैं मैं इसका विरोध करती हूं और यह चाहती हूं कि इसको कानून के रूप में नहीं लीजिये। प्रभारी मंत्री ने एक उदाहरण दिया कि यह तो पूर्व में कानून था, लॉ डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि इसको कानून के रूप में रख दीजिये। जब पूर्व में कानून था तो इन्हें इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? पूर्व में यह नहीं था। यह तो था कि बिना वारन्ट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन यह नहीं था कि कोई पुलिस अधिकारी कहीं भी बिना वारन्ट के किसी को भी गिरफ्तार कर ले। आप आधी बात कहते हैं और आधी चबा जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि आप इस प्रकार की जो गलत बात कहते है यह ठीक नहीं है। आप तो यह कहते हैं कि हमारे यहां पर सर्व सम्पन्नता है लेकिन खाने को देते नहीं हैं। जब कमेटी रिपोर्ट देती है कि लोग भूख से मरे हैं तब यह कह देते हैं कि डेफिसियेन्सी थी इस कारण मौत हुई। इनकी परिभाषायें अलग-अलग है, परिभाषायें गलत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी वैदिक सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 16 या 17 या 18, किसी तारीख को कहा था कि हमें वैदिक संस्कृति को लागू करना चाहिये। इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने एक बात वहां पर कही थी-

सर्वे भवन्तु सुखीन
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्ती
मा कश्चित् दुखभागभवेत।

आपने इतने लोगों और कर्मचारियों को दुखी करने के लिए ही नहीं बल्कि उसकी आड़ में अन्य लोगों को सताने के लिये यह कानून बनाया है। आप वहां कुछ बोल रहे थे और यहां कुछ बोल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी, प्रार्थना करूंगी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप इस बिल को वापस ले लें। यह उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है और किसी स्टेज पर व्यावहारिक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज लगभग तीन-चार घण्टे से इस सदन के समय का एक ही विषय पर लगातार माननीय सदस्यों द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है....

(व्यवधान)

जनता ने इन सदस्यों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) : यह पंचायत समिति का मामला नहीं है यह कानून का मामला है।

(व्यवधान)

(208)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । अंकित नहीं हो ।

श्री अनंग कुमार जैन : × × ×

श्री माधव सिंह दीवान : आपके द्वारा सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको चुनने वाले लाखों-करोड़ों लोगों को नहीं भूलें । जो आज····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवाराम गढ़) : आप जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): × ×

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ये हिंदुस्तान के प्रतिक्रियावादी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो दो प्रतिशत लोगों की वकालत करने के लिये ×××में आपसे निवेदन करना चाहता हूं

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हिंदुस्तान की 68 करोड़ जनता की बात इनके ध्यान में नहीं है । आज हिंदुस्तान की जनता में 48 पर्सेंट लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं उनकी इनको चिंता नहीं है । ये उन लोगों की वकालत कर रहे हैं जो संगठन के जरिये, चाहे कर्मचारी हों, चाहे संगठित मजदूर हों, 2 प्रतिशत लोगों के पास हिंदुस्तान की सारी सुविधायें हैं उनकी वकालत के जरिये समाज पर छाये रहते है । उन बेचारे गरीबों के लिए, जो मजदूरी करके संगठित होकर कारखाने में पहुंचते है, हिंदुस्तान के मतदाताओं के लिए, जिनकी सेवाओं के लिए ये कर्मचारी रखे गये हैं, उनके हितों का इनको कोई ध्यान नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विरोधी दल के माननीय लोग आदतों के अनुकूल ही हैं क्योंकि ये लोग वही जनसंघ के लोग हैं, स्वतंत्र पार्टी के लोग, रामराज परिषद से आने वाले हैं····

(व्यवधान)

××× माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हम आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के सरमायेदारों को अमरीका के सरमायेदारों का समर्थन प्राप्त है । उन सरमायेदारों की वकालत करने वाले लोग आज गरीबों का नाम लेते हैं । वे किस गरीब की बात करते हैं ? ये प्रतिक्रिया वादी लोग किस मुंह से····

एक माननीय सदस्य : गरीबों के हत्यारे····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब आदमी, जो कर देता है, जो टैक्स देता है, जिस आम उपभोक्ता की जेब से सरकार का खजाना और सेठों की तिजोरियां भरी जाती हैं, उनके संरक्षण के लिये एक शब्द भी ये नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं, कर्मचारियों के लिये । यह जो अधिनियम है, इसमें स्पष्ट भाषा लिखी है कि यह अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण करेगा । क्या आप चाहते हैं, समाज की आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण न कराया जाय ? क्या आप यह चाहते हैं कि 2 प्रतिशत लोग संगठित होकर और हड़तालबाजी करके सारे जनता के खजाने को अपनी जेब में ले जायें ? क्या आप चाहते हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कमीशन्स पर विश्वास नहीं करते ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ....इस प्रकार का उपयोग करें । माननीय सदस्यों, अपने कलेजे पर हाथ रखो । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनमत संग्रह की बात करते हैं किस मुंह से बात करते हैं ?

श्री अनंगकुमार जैन : जनता को....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : गरीबों का कभी भला नहीं करते, अभी भी मतदान के जरिये यह बात सिद्ध हो गई । कौन हैं आपके पक्ष में ? कितने आदमी बैठे हैं यहां पर ? कितने सरपंच चुनकर आये हैं ?

श्री गुलाबचंद कटारिया : तुम्हारी दया पर नहीं बैठे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय । माननीय सदस्य, आपकी बात अंकित नहीं हो रही है ।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

2008

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : दिन भर गालियां निकालते हैं। दिन भर शोर मचाते रहे। जरा सी बात कही, तिलमिला उठे, जरा सी बात कही और इनके होश उड़ गये। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि ये माननीय सदस्य गरीबों के हित के लिये नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके स्वार्थ के लिये बोल रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह अनुरक्षण बिल आम लोगों की सेवाओं के लिये पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत बोले, इसलिये आपको आराम करना चाहिये। मैंने आपको टाइम दिया है। बोलना चाहें तो आपको टाइम दे सकता हूँ, जो बोल चुके हैं उनको टाइम नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मंत्री महोदय ने उत्तर में कुछ मुद्दे उठाये हैं जिनका स्पष्टीकरण होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : जो बोल चुके हैं उनको टाइम नहीं दूंगा। अंकित न किया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोला हूं।

श्री भालू खां (चूरू) : इन लोगों को बरखास्त कर दें, यह हाउस के अन्दर × × × देकर बरखास्त किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : ××× हम मजदूरों और किसानों के लिये बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

+ + + माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री यदुनाथ सिंह : हम उनकी खिलाफत कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य का भाषण अंकित न किया जाय। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : +++

श्री भालू खां : उपाध्यक्ष महोदय, वे बोलना चाहते हैं। ये ××× इसलिये उन लोगों....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : चौमू में मस्जिदों को गिराया....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न किया जाय।

श्री मेघराज तावड़ : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कुछ सदन की गरिमा का ध्यान रखें। मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय सदस्य से, कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बार-बार गालियां दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर अभी कहा कि आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो सन् 77 में जनता ने आपको भी रिजेक्ट कर दिया था। माननीय सदस्य ने शायद इस देश की जनता के मिजाज को अभी तक पहचाना नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की जनता का मिजाज बड़ा नाजुक है। इस देश की जनता लॉ एण्ड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति को सहन कर सकती है, वह महंगाई को बर्दाश्त कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): आज चन्दनमल जी नहीं हैं इसलिये यह बोल रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, 1975 में मीसा का कानून बना और अपने देश में, मानो, एक दम शान्ति

+++ माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अवलोपित की गई।

216

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हो गयी थी । हवा भी अगर चलती तो इन्दिरा जी को पूछकर चलती थी। फूल भी अगर खिलते तो इन्दिरा जी को पूछ कर खिलते थे। इन्दिरा जी की मीटिंग में लाखों लोग हुआ करते थे। और यह कहा जा रहा था कि देश में अनुशासन पर्व आया है। शान्ति थी। मुझे मालूम है, उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने, जब हम लोगों को जेलों में बन्द किया गया था, उस समय लोगों से कहा कि यह लोग काहे के नेता हैं, ये जेल में बन्द हैं, हमने जब इनको पकड़ा तो कुत्ते भी नहीं भौंके। इस प्रकार ही एक हवा 1975 में चली थी, जिसको आपने मीसा कानून कह कर जनतंत्र पर कुठाराघात किया था, ऐसा वातावरण तब बन चुका था। उस वक्त जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहां की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन यह चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। देश की जनता के मिजाज को अभी तक इन्होंने नहीं पहचाना है। मैं आपका चेहरा देख कर, श्री परसराम जी मदेरणा, यह कह सकता हूं कि जब कि हवा भी इन्दिरा जी को पूछ कर चलती थी, आपने उस समय इमरजेन्सी का जबरदस्त विरोध किया था और इस बात के परिणामस्वरूप जोधपुर में कांग्रेस जीती थी। आपकी आत्मा के आगे आप सरन्डर हो गये थे। माननीय माथुर साहब, आपको कभी मैंने पहले ऐसा सरन्डर होते हुए नहीं देखा, जैसा कि आपके बारे में सुना है, किन्तु आपकी मजबूरी है, मैं स्वयं जानता हूं। यदि आपको कुर्सियों पर रहना है तो इन्दिरा जी के इशारों पर नाचना होगा। आप मुंह से बोल रहे हैं लेकिन आपकी आत्मा से आप नहीं कहना चाहते हैं। इसमें बाहर कुछ और है। आप अभी कुछ और बात कर रहे थे, आप इस कानून का विरोध कर रहे थे। पर वफादारों में नाम लिखाने के लिए यह आप कर रहे हैं। सन् 1975-76 में आपकी आत्मा जो बोलती थी क्या वह मर चुकी है जो आप इस कानून को ला रहे हैं? इस कानून से देश की जनता की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात होगा। लेकिन आपने अभी तक इस देश की जनता के मिजाज को नहीं पहचाना है, आपने देश के मजदूर के मिजाज को नहीं पहचाना है। पोलैण्ड में आज क्या हो रहा है, वह तो कम्यूनिस्ट कन्ट्री है। हमारे देश की जनता के मिजाज को फिर भी आपने नहीं पहचाना है। आप हड़ताल की बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने ही उदाहरण राजस्थान में मौजूद हैं, जबकि फैक्ट्रियों में एक-एक महीने तक हड़ताल चली है। उस हड़ताल के बाद यदि मालिक ने उनसे समझौता कर लिया तो उसको एक महीने के अन्दर-अन्दर उसकी प्रोडेक्शन की कमी को पूरा कर दिया। आप विश्वास में नहीं ले रहे हैं उनको। × × × होते हुए भी आप यह महसूस कर रहे हैं कि देश की जनता करवट बदल रही है। आप इसको और जकड़ रहे हैं। और आप सन् 1975 की स्थिति–उसी प्रकार की स्थिति वापस ला रहे हैं लेकिन उसका अन्त 76-

---

××× शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

77 में जो हुआ वही होगा। आप 76-77 में जनता को जकड़ रहे थे आज हमारी आजादी पर, जनतन्त्र पर आप कुठाराघात कर रहे हैं, आपकी आत्मा मारकर आप चल रहे हैं, इन्दिरा जी को प्रसन्न करने के लिये आप यह कर रहे हैं। अभी आज जो बजट दिल्ली में आया है, उपाध्यक्ष महोदय, 477 करोड़ रुपये के अतिरिक्त-कर देश की जनता पर लगाये गये हैं। मजदूरों के लिये, गरीबों के लिये यह आप क्या कर रहे हैं? तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मा ऐसी चीज हो गई है जिसको कुचला जा सकता है और वह भी केवल गद्दी के लिये। जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाले हत्यारों का विरोध करने का किसी में साहस नहीं हो रहा है। देश में सभी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हो गये कौरवों के लिये। मैंने कुछ माननीय सदस्यों से बात की, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी शायद इस पक्ष के होंगे और आपको सुनकर भी प्रसन्नता होगी और शायद आपकी आत्मा भी वही बोलती होगी, यदि आज आपको स्वेच्छा से बोलने दिया जाय तो आप इस काले कानून के विरोध में बोलोगे। माननीय सदस्यों को मैं यह कहना चाहूंगा, जिनमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, बाकी तो सारे × × × हो गये लेकिन जिनमें स्वाभिमान शेष है, उनको क्या हो गया है, उनको कुर्सी प्यारी है, जनतन्त्र प्यारा नहीं है। यदि जनतन्त्र नहीं रहेगा तो हम और आप कहां रहेंगे? देश की जनता पर कुठाराघात करने वाले काम आप, माथुर साहब, कर रहे हैं। आपके बारे में हमारे नेता जी बड़ी अच्छी बात करते थे और मेरा तो आपसे प्रत्यक्ष रूप से कभी परिचय नहीं था, पर आज इस कानून को लाने के बाद मुझे अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी। इस कानून को आप किस मजबूरी से ला रहे हैं? वह आप देवी को खुश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रद्युम्न सिंह जी, आप नहीं समझ सकते इन बातों को, क्योंकि आपका इन बातों से कोई संबंध नहीं है। आपका तो संबंध है ब्याज से, आपका तो संबंध है लेन-देन से, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप स्वाभिमान की बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इमरजेंसी में जब कांग्रेस छोड़ दी थी, आप तो सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता हमारे पास आयी तो हमारे पास आ गये और सत्ता उधर गयी तो उधर चले गये। आप घाटे में नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपकी सरकार को × × ×। मैं कभी भी आपके पास नहीं आया। आप चाहें तो इस सदन का रेकार्ड उठाकर देख सकते हैं।

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने इन्दिरा जी का जबरदस्त विरोध किया था। आप अब जिसको × × × मान रहे हैं उसका विरोध आपने उस समय किया था। इसकी वजह से आप कुर्सी पर बैठे हैं। माथुर साहब को धन्यवाद देता हूं मैं इस बात का, कि इस कानून को लाने का श्रेय उन्होंने आपको दिया, उन्होंने प्रोपर व्यक्ति का सलेक्शन इस काले कानून को लेने के लिये किया। इसका उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर राजनीति में सत्ता में रहना ही सब कुछ नहीं होता है इससे परे भी कुछ चीज हैं, कुछ जीवन का मूल्य है, कुछ मान्यतायें हैं। क्या उन सारी मान्यताओं पर सत्ता पर रहने के लिये आप कुठाराघात कर देंगे ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी बिल पारित होना बाकी है आप की आत्मा बोलती है तो आप इसको पारित नहीं होने दें। इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। श्री भालू खां।

श्री भालू खां (चूरू) : सन् 77 में, उपाध्यक्ष महोदय, जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो हमारे चूरू जिले में जब स्कूल खोले गये थे, उनको हमारे जिले में भैरोंसिंह शेखावत के रिश्तेदार, जो श्यामपुर ग्राम में रहते हैं वहां उन्होंने स्कूल खुलवायी, वहां ग्राम पंचायत रखवाई, जहां कि 240 वोट हैं, जिसके अन्दर मिडिल स्कूल खोली गई। बड़े शर्म की बात है यह, वहाँ पर 10-12 से ज्यादा बच्चे उस स्कूल में नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल होनी चाहिये थी वहां पर मिडिल स्कूल रखवाई। देवपाल पंचायत और अन्य पंचायतों के चुनावों में जनता पार्टी की पूरी ताकत लगाने के बाद भी चुनाव में एक दो जगहों को छोड़कर सभी जगह पर उनके लोगों की जमानतें जब्त हो गयीं और नगरपालिकाओं के चुनावों में भी उनकी यही हालत हुई। एक दो जगह को छोड़कर सभी जगह पर अपनी जमानतें जब्त करायीं। इनके साथ आज जनता नहीं है। यहां सदन में × × × और इस बिल के पास होने से इनका चन्दा बन्द होता है क्योंकि यह × × × हैं। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 जो इस सदन के समक्ष है, आजादी और आजादी का मूल्य, प्रजातंत्र और प्रजातंत्र की हत्या यह सारे ही मसले आज इस सदन में बहुत चर्चा के, चर्चा के ही नहीं गरम चर्चा के विषय रहे हैं। मेरी यह मान्यता है कि आजादी हिन्दुस्तान के खून में है। प्रजातंत्र को हिन्दुस्तान का हर नागरिक चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, अपने दिल से प्यार करता है। प्रजातंत्र उसकी संस्कृति

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सूर्यकुमार)

का एक अभिन्न अंग है और यह कोई नयी बात नहीं है। आजादी का जब संग्राम चल रहा था हिन्दुस्तान में, तब केवल आजादी की ही बात नहीं थी उस आजादी के पीछे एक मकसद भी था। विरोध पक्ष से बोलने वाले नदबई से आने वाले माननीय सदस्य श्री यदुनाथसिंह जी ने भगतसिंह का नाम लिया। भगतसिंह की कुर्बानी को देश और आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भुला सकतीं। लेकिन भगतसिंह ने जो कुर्बानी दी क्या केवल देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी ? उसने कुर्बानी दी थी देश में समाजवाद लाने के लिए। देश को एक समाजवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए उसने देश को आजाद करने की बात कही थी। केवल इसलिए नहीं कि आजादी एक राजनैतिक स्वतंत्रता है और केवल इस नाम से ही उसको प्यार है। यही एक मकसद नहीं था इस आजादी का।

मैं एक बात इस सदन को और याद दिलाना चाहता हूं, हिन्दुस्तान के इतिहास का एक पृष्ठ। सन् 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन लन्दन मे आयोजित हुआ और वहां गांधी जी से यह सवाल पूछा गया कि आप आजादी क्यों चाहते हैं, क्यों आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिन्दुस्तान आखिर आजादी को लेकर क्या करेगा, क्या मकसद है हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का, महात्मा गांधी ने बहुत खुलासा शब्दों में कहा था, वह शब्द मुझे अक्षरशः याद नहीं लेकिन उनको अगर आप उठाकर देखें तो उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में जो करोड़ों लोग रहते हैं उन करोड़ों लोगों को, भूखे और नंगे लोगों को, बेकार लोगों को रोजी-रोटी देने के लिए, उनको अमीर बनाने के लिए, एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए हम आजादी की बात कर रहे हैं और उन करोड़ों लोगों के हितों को देखते हुए, उन करोड़ों लोगों को आजादी के रास्ते पर, समाजवाद के रास्ते पर और ग्राम स्वराज्य के रास्ते पर ले जाने के लिए और कुछ लोगों के हितों की कुर्बानी करनी पड़े तो हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। यह सन् 1931 की बात है।

उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान आजाद हुआ। हिन्दुस्तान ने संविधान को ग्रहण किया और उस संविधान में हमने बहुत निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा के लिए लेकिन साथ ही साथ समाजवाद को पाने के लिए हमारे लक्ष्य निर्धारित किये और अब यह भी हमें मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो भी राज्य होता है–कल्याणकारी राज्य, उसकी यह खास तौर से जिम्मेदारी है कि वह केवल समाज के वर्ग के लिए ही जिम्मेदार न हो बल्कि समाज के सारे वर्गों के लिए वह जिम्मेदार हो। आर्टिकल 311, जो संविधान का है वह निश्चित रूप से सर्विस क्लास को एक बहुत बड़ा अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार देता है, दूसरे और अधिकार तो उसको हैं लेकिन एक संवैधानिक अधिकार इस बात का मिलता है कि सर्विस क्लास को बिना उससे स्पष्टीकरण मांगे, बिना जांच किये दण्ड नहीं दिया जा सकता ...

214

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री सूर्यकुमार : .. किन्तु प्रश्न यह है बहुत महत्वपूर्ण कि क्या सारी ही व्यवस्थाओं को केवल एक सर्विस क्लास के लिए, केवल एक वर्ग विशेष के लिए कुर्बान कर दिया जाये ? निश्चित रूप से अगर कल्याणकारी राज्य इसको साबित होना है तो इसकी निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां हैं तो आजादी को केवल एक शहद की तरह चाटा नहीं जा सकता। आजादी का मकसद है देश में अमन कायम रखना, आजादी का मकसद है समाज के सब वर्गों को सब सुविधायें देना, आजादी का मकसद है कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं वह चैन और आराम से रह सकें। आजादी का मकसद है उनको पानी समय पर मिले, आजादी का मकसद है कि उन्हें बिजली समय पर मिले, आजादी का मकसद है कि वह साफ वातावरण में रह सकें। आजादी का यह मकसद नहीं है कि कर्मचारी जब चाहें हड़ताल कर दें। आजादी का यह मकसद नहीं है कि समाज की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए चाहें जब एकजुट हो जायें और चाहे जब एक होकर अपने संगठन के नाम पर नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें। अगर उन पर लगाम डालने के लिए किसी प्रकार का कानून लाया जाता है और किसी प्रकार का कानून में संशोधन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि अनुचित कदम एक कल्याणकारी राज्य को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं हो सकता। लेकिन विरोधी पक्ष ने जितनी दलीलें दीं हैं वह दलीलें अपने आप में बड़ी कमजोर हैं।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी आपत्ति जो जाहिर की थी वह उनकी आपत्ति यह थी कि इस संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार असेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन को चौड़ा करेगी, उसमें विस्तार करने का उसको अधिकार होगा। लेकिन 1970 में जब यह कानून पास हुआ और जब असेन्शियल सर्विसेज में किसी प्रकार की सर्विस को इन्क्लूड कर लिया गया तो उसमें आपत्ति नहीं की। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को आपत्ति सैद्धांतिक इस बात से नहीं है कि असेन्शियल सर्विसेज को कायम रखने के लिए सर्विसेज में रहने वाले लोग नाजायज फायदा नहीं उठायें, संगठन के माध्यम से उनको रोकने के लिए कानून में किसी प्रकार की पाबन्दी हो, सैद्धांतिक रूप से माननीय सदस्य शायद उससे सहमत थे। ठीक इसी प्रकार से एक सवाल आज इस सदन के सामने उपस्थित होता है वह यह है कि सन् 1970 से लेकर आज 12 वर्ष गुजर गये सन् 1977 में यह विरोध में जो लोग बैठे हैं इनको सत्ता में बैठने का मौका मिला था। इनके लोकतंत्र और लोकतंत्र की भावना आज यह समझते हैं कि यहां मजदूरों के हितों की कुर्बानी दी जा रही है, आज यह समझते हैं कि कर्मचारियों के हितों की कुर्बानी दी जा रही है। आज यह समझते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह जब सरकार में बैठे हुए थे तो इन्होंने 1970 के कानून को क्यों नहीं रद्द कर दिया ? नहीं कर सकते थे क्या यह ? जो

(श्री सूर्य कुमार)

प्रावधान इसमें मौजूद थे यह तो वैसे के वैसे ही हैं।

अभी गृह राज्य मंत्री महोदय ने पढ़कर सुनाया पावर आफ अरेस्ट, यह प्रावधान पहले से मौजूद था। एसेन्शियल सर्विसेज को डिफाइन करने का प्रावधान पहले ही मौजूद था। तो आपकी लोकतंत्र की भावना को उस समय क्या हो गया था ? वह कहां सो गयी थी आपके लोकतंत्र की भावना ? 1977 को ले लें जब तक आप सत्ता में बैठे रहें। आप आज विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। केवल मुंह दिखाने के लिए, कुछ क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने के लिए, और यह साबित करने के लिए कि आपको लोकतंत्र में विश्वास है आप विरोध दिखाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1970 में जब यह कानून यहां पर बना, राजस्थान की विधान सभा में बना और मुझे याद है ठीक से तो माननीय विपक्ष के नेता उस समय सदन के सदस्य थे....

अनेक माननीय सदस्य : थे उस समय।

श्री सूर्यकुमार : .... जब वह सदन के सदस्य थे और उनकी मौजूदगी में यह कानून सन् 1970 में पारित हुआ तो उस समय क्या हुआ लोकतंत्र की भावना का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): विरोध किया था।

श्री सूर्यकुमार :...बात बहुत खुलासा आई कि 1970 में विरोध किया इन्होंने लेकिन 1977 में जब आप सरकार में बिराजे थे तो क्या हो गया था आपको ? इस कानून को रद्द करने में आपके सामने कौनसी विवशता आ गयी थी ? कौन सी मजबूरी आ गयी थी आपके सामने ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज केवल कर्मचारियों की भावनाओं को उभार देने के लिए, वर्ग विशेष की भावनाओं को उभार देने के लिए क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है, जनता इनकी आवाज को सुनती नहीं इसलिए चाहते क्या हैं कि कर्मचारियों के कंधों पर बन्दूक रख दें....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सूर्यकुमार : ... ये चाहते यह हैं कि कर्मचारियों के कंधों पर बन्दूकें रख दी जायें। ये चाहते यह हैं कि मजदूरों के कंधों पर बन्दूकें रख दी जायें और उस बन्दूक को यह चलायें और राजनैतिक मकसद उनके माध्यम से हल करें। और खीझ का कोई विषय है तो केवल यह विषय है कि अब किस प्रकार से मजदूरों को उभारेंगे, कर्मचारियों को अब किस प्रकार से उभारेंगे। अगर कोई खीझ है, अगर किसी प्रकार का कोई गुस्सा है तो केवल इस विवशता का है। इसके अतिरिक्त कोई विवशता मेरी समझ में विरोधी पक्ष के सामने नहीं है। विरोधी पक्ष की सारी दलीलें एक प्रकार से खोखली दलीलें हैं। आज हमें देखना पड़ेगा सारे हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष में, आज हमें समझना पड़ेगा सारे राजस्थान के परिप्रेक्ष में कि आज कर्म-

216

(श्री सूर्यकुमार)

चारियों की हड़तालों ने किस प्रकार की चुनौतियां सारे राज्य के सामने, सारे देश के सामने उपस्थित कर रखी हैं। मजदूरों की अनावश्यक हड़तालों ने किस प्रकार की व्यवस्था यहां पर कर दी है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे दुष्यंत की दो पंक्तियां याद आती हैं। दुष्यंत ने कहा था :

हो गयी हर घाट पर पूरी व्यवस्था,
शौक से डूबे जिसे भी डूबना है ।।

तो अगर आप यह चाहते हैं कि इसी प्रकार की व्यवस्था....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री सूर्यकुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मौसम बड़ा खराब है, हमारे प्रहरी हैं उनकी पोशाक से सम्बन्धित है। सफेद वर्दी के नीचे स्वेटर भी नहीं पहना जाये, यह गलत परम्परा चल रही है। इस मौसम में प्रहरी यहां आयें उनकी वर्दी में यह पाबन्दी नहीं होनी चाहिये इसके नीचे स्वेटर नहीं पहिनें। आप इस बात की व्यवस्था करिये। कोई बीमार हो जायेगा, मर जायेगा, यह क्या तरीका है ?

श्री सूर्यकुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था आज की परिस्थितियों पर। संगठित ट्रेड यूनियनों ने अपने संगठन का नाजायज फायदा उठाकर समाज की सारी जिन्दगी को एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, इसका अगर इलाज नहीं किया गया, माकूल इलाज नहीं किया गया तो निश्चित रूप से सारे समाज को भुगतना पड़ेगा। आप मजदूरों की बात करते हैं, आपने सोचा किसानों को बिजली की जरूरत है? बिजली मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। समाज पानी चाहता है। पानी मजदूर हड़ताल पर हैं। यह राजनैतिक मसला है और जब यह राजनैतिक मसला है ...

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : चेयरमैन बने रहोगे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या आपस में कोई बात नहीं करें।

श्री सूर्य कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था, राजस्थानी में एक कहावत है, अक्ल उधारी नीं मिले हेत न हाट बिकाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, आपस में बात न करें।

श्री सूर्यकुमार : मुझे मालूम है, मेरी बात कहां चोट कर रही है। इस तरह की चोट से तिलमिलायें नहीं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं यह कह रहा था, यह राजनीति है और राजनीति होने के कारण इस सदन में राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित यह सारा माहौल बनाया जा रहा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माथुर साहब की तरफ देख कर बोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर(डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, × × ×

श्री सूर्य कुमार : मेरी तो एक नैनवा में ही नाक नीची हुई है, आपकी तो सारे राजस्थान में नीची हुई है। आप किस होश में बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सूर्यकुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फिर यह हुल देख कर दुष्यन्त की दो पंक्तियां याद आयीं। ये दो पंक्तियां हैं :—

मस्हलत आयेज होते हैं सियासत के
कदम,
तू क्या समझे सियासत तू अभी
इन्सान है।

मैं आपकी सियासत को नहीं समझ सकता लेकिन राजनीति जिसका नाम है, राजनीति शास्त्र में उसका वर्णन किया है उसका ज्ञान मुझे है। एक बात कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि जिन विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह संशोधन लाने का विरोध किया है वे मेहरबानी करके अपने गिरहबान में झांक कर देखें और केवल विरोध करने के लिये विरोध करना छोड़ कर इस संशोधन का जो बिल लाया गया है, उसको पारित करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार मेरा है। बहुत सी बातें स्पष्ट करना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी बोल चुके हैं। बार-बार बोलने का मौका मांगते हैं। नहीं दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : यह भी बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह उनकी ड्यूटी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से चर्चा की, उसके बाद चन्द एक सवाल आपसे

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करना चाहता हूं। आप 1970 के एक्ट को 1977 में रिपील करने की स्थिति में नहीं थे ? आपने क्यों नहीं किया। आपने 1979 में इसको यूज किया, तब आप राज करना चाहते थे। आज आप राज्य कर्मचारियों को बहका कर खराब करना चाहते हैं, अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं। आप विरोध के लिये विरोध कर रहे हैं। आपने कहा है इन्दिरा गांधी ने....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा, अब अगर बोले तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने आरोप लगाया है मैं पुनः उसका उत्तर देता हूं, खण्डन करता हूं कि यह असेन्शियल सर्विसेज एक्ट सेन्ट्रल से आया है, पूंजीवादियों को बचाने के लिये नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर यह भावना होती तो लॉक आउट और ले आफ पर बैन नहीं लगाया जाता।

श्री यदुनाथ सिंह : उनके मुनाफे पर कानून लाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज....

अंकित नहीं किया जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण संशोधन विधेयक 1982 को पारित किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ना पक्ष जीता। Noes have it.

श्री यदुनाथ सिंह : Noes have it.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : We claim division.

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जायें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :....यह काला कानून यह सरकार ला रही है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ....इस कानून को जल्दी पास मत कराइये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप खड़े रहेंगे तो हां पक्ष में आपकी गिनती हो जायेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, कृपया खड़े हो जायं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

पाइन्ट आफ आर्डर, पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री उपाध्यक्ष : मैं पाइन्ट आफ आर्डर अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सरकार काला कानून ला रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, गलत तरीका है। गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

शासकीय वक्तव्य

श्री चेतराम मीणा, राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण द्वारा बस नं. आर. एस. जी. 40 के ड्राइवर का अपहरण

राज्य गृह मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 27-2-82 को प्रातः 9.50 पर माननीय श्री चेतराम जी मीणा मंत्री महोदय, पुलिस कन्ट्रोल रूम में रोडवेज बस नं. आर. एस. जी. 40 के चालक, श्री सुरेन्द्र सिंह के साथ उपस्थित हुए और एक रिपोर्ट दर्ज करवायी कि अभी ये जब बस्सी की तरफ से जयपुर कार से आ रहे थे तब कानोता के पास उन्होंने बस नं. आर. एस. जी. 40 से साइड लेकर आगे जाना चाहा लेकिन उक्त वाहन के चालक ने उनकी कार से एक्सीडेन्ट करने की कोशिश की। अतः ड्राइवर जिसको वे हमराह लाये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये कहा....

श्री मेघराज तावड़ : ये ××× बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्चार्ज कन्ट्रोल रूम श्री श्याम लाल इन्सपेक्टर जो कन्ट्रोल रूम में ड्यूटी पर उपस्थित थे, उन्होंने ड्राइवर श्री सुरेन्द्र सिंह को देखा जिसके शरीर पर

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

220

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कोई जाहिरा चोट नहीं थी न ही उसने किसी के द्वारा मारपीट करने की कोई रिपोर्ट दी या दर्ज करवाई।

चूंकि यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी थाना बस्सी के हल्के में घटित होना पाया गया अतः उक्त रिपोर्ट वास्ते कानूनी कार्यवाही श्री परसादीलाल कांस्टेबल को मय चालक सुरेन्द्र सिंह के थाना रवाना किया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह ड्राइवर जिसको हमराह कान्स्टेबल परसादी लाल थाना बस्सी रवाना किया गया था, वह इस कान्स्टेबल को चकमा देकर जयपुर शहर में भीड़ का लाभ लेकर कहीं गायब हो गया।

श्री यदुनाथ सिंह : यह भी गलत है। यह × × × है, गलत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस बात की रिपोर्ट कान्स्टेबल परसादी लाल ने वापस कन्ट्रोल रूम में कर दी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून का उल्लंघन हो रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह :....उक्त घटना को लेकर ग्राम कानोता के पास जो ट्रैफिक जमा हुआ था, की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और रुके हुए ट्रैफिक की व्यवस्था करके रास्ता खुलवाया। कोई अन्य अप्रिय घटना नहीं घटी।

श्री गोपाल पचेरवाल : कौनसा कानून था जिसके तहत मंत्री महोदय, पकड़ कर लाये थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर दूं, विपक्ष के नेता महोदय को जो जानकारी चाहे, वह मैं दूंगा लेकिन × × × करके नहीं।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × × क्या होता है, × × × क्या होता है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

माननीय राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चेतराम जी की तरफ से या किसी दूसरे आदमी की तरफ से जो एफ. आई. आर. लाज करवाई, वह कितने बजे करवाई?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एट 9-50 ए. एम.।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस व्यक्ति को इन्होंने थाने में लाकर पेश किया क्या उसे थाने में गिरफ्तार किया था और क्या गिरफ्तारी की हालत में उसको भेजा गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं। उसकी गिरफ्तारी नहीं की । चूंकि जूरिस्डिक्शन दूसरा था, बस्सी का था और कागनीजेबल आफेन्स या कोई भी आफेन्स किसी भी जगह रिपोर्ट किया जा सकता है, कायदा है बिना नम्बरी रिपोर्ट काटकर वह थाने में भेज दी जाती है । यह आपको भी पता है, आप जानते हैं, आपकी जानकारी में है। मैं यह नहीं कहता, आप भी सदन के माननीय सदस्य हैं । उसको वहां से गिरफ्तार नहीं किया । जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है वह यह है कि उसके साथ कर दिया कि इसको ले जाओ और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको दर्ज करवा दो । यह स्थिति थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया । जब मैंने पूछा दूसरे जूरिस्डिक्शन में हुआ है नम्बर-1 और इन्वेस्टीगेशन का मामला जेर तफतीश मामला है । रिपोर्ट दर्ज हो जाने से ही यह बात नहीं थी कि इन्होंने कोई आफेन्स कमिट कर लिया । तफतीश वहां होनी है । हमने तो यही कहा है कि इसको वहां ले जावो । अब जो तफतीश के नतीजे निकलेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप कह रहे हैं उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया और एक तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि वह फरार हो गया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे हमराह कहा है, फरार नहीं कहा है । हमराह का मतलब तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं । एक सिम्पल सी बात है फरार होना शब्द मैंने कब कहा । चकमा देकर भीड़ में से खिसक गया । फरार होने की बात मैंने कही ही नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानना चाहता हूं, सिपाही के साथ गया था, वह फ्री था या नहीं ? उस पर कोई आरोप था या नहीं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किस पर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसका नाम आपने बताया....सुरेन्द्र ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एफ. आई. आर. उसकी लाज हुई थी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूछना चाहता हूं, एफ. आई. आर. लाज हो गई तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जरूरी नहीं है कि एफ. आई. आर. लाज हो जाय तो उसको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाय । मैं आपको निवेदन करूं कागनीजेबल आफेन्स के तहत, मैं एक मिसाल देता हूं । आपके घर के अन्दर कोई चोर घुस आय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे घर के अन्दर क्यों घुस आये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ताले दिखाये थे न आपने । ताले कल दिखाये थे ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और कोई नाम ले लिया जाय ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं निवेदन करूं, ऐसा है, व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी घर में चोर आ जाय....

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह ठीक है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो पकड़ कर उसको पुलिस थाने में ले जाने का अधिकार है या नहीं । इस तरह जो रिपोर्ट दर्ज हुई यह काग्नीजेबल आफेन्स है । उपाध्यक्ष महोदय, वे ले आये, उसको और पुलिस के हवाले कर दिया । उसके शरीर पर कोई मार पिटाई के निशान नहीं थे, कुछ नहीं था, सिम्पल रिपोर्ट दर्ज करवाई । मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि मैंने माननीय चेतराम जी से बात की है, अगर कोई माननीय सदस्य यह सोचें कि साइड नहीं दी इसलिये पकड़ कर ले आये तो 9 बजकर 50 मिनट पर उनके दिमाग में कोई यह बात पैदा नहीं होती । वे सदन में आये । एफ. आई. आर. दर्ज करवाई, उसके बाद सदन में आये । मैंने पूर्व में जो वक्तव्य दिया था वही है, जो वस्तु स्थिति थी उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है, स्टेटमेंट के जरिये । दूसरा, इसके अन्दर कोई अन्य कनक्लूजन ड्रा करने की कोशिश न करें, यही आपसे निवेदन करूंगा ।

श्री नाथूसिंह : क्या मंत्री महोदय के विरुद्ध भी एफ. आई. आर. दर्ज हुई है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या बस्सी थाने में कुछ और लोगों के विरुद्ध माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, कुछ बयानात हुए हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर क्या जानकारी है ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : केकड़ी में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केकड़ी में.... आप सुनिये तो सही....

(व्यवधान)

हाथ कर रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केकड़ी में अपनी झण्डी के रौब में....

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं, 'किस कानून के तहत आप यहां ले आये ? ? कैसे ले आये ?

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कहते हैं वहां से यहां ले आये, जरूरत क्या थी ? बस्सी से यहां लाने की जरूरत क्या हो गई थी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आपने सबने पूछ लिया । चर्चा समाप्त ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जरूरत क्या थी ? बस्सी थाने की बात थी, जरूरत क्या थी यहां आने की ?

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन पूछने का अधिकार था जो आपने ले लिया ।

सभा की कार्यवाही 1 मार्च, 1982 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.11 बजे सोमवार दिनांक 1 मार्च, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

———

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न 144 के आंकड़े

(पताका "अ")

सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(लाख रु. में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
1974-75	44.10	19.45
1975-76	66.00	24.35
1976-77	75.50	58.90
1977-78	107.91	58.97
1978-79	186.20	151.67
1979-80	107.88	91.67
1980-81	86.04	72.87
1981-82	60.63	57.97 (दिस. 81 तक)
योग :	734.26	535-80

सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(पताका "ब")

(लाख रु. में)

मद	प्रावधान 1974-75 से 1981-82	व्यय 1974-75 से 1981-82 (दिसम्बर, 81 तक)
1. कृषि	42.96	18.75
2. भू-जल	90.05	75.21
3. सिंचाई	34.38	24.63
4. वन्य	21.78	20.43
5. भेड़ एवं चरागाह	7.01	—
6. पशु एवं डेयरी	170.12	131.00
7. विद्युतीकरण	95.00	26.00
8. ग्रामीण जल प्रदाय योजना	119.00	139.95
9. दुग्ध मार्ग	72.39	57.79
10. सहकारिता	12.84	11.24
11. भू-अभिलेख	0.04	—
12. लघु कृषक विकास अभि. जैसी सुविधाएं	18.51	11.40
13. पशु जल प्रदाय योजना	2.02	—
14. अनकमिटेड	23.76	—
15. जिला ग्रामीण विकास अभि.	24.40	19.40
योग :	734.26	535.80

———

DPAP (सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम)

(पताका "स")

स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत वर्ष 1974-75 से 1981-82 दिसम्बर, 81 तक किये गये पूर्ण कार्यों का विवरण

कार्यक्रम	इकाई	उपलब्धि 1974-75 से 1981-82 (दिसम्बर, 81 तक)
1	2	3
1. कृषि		
(1) भू-सर्वेक्षण	000 हैक्टेयर	19.00
(2) जल ग्राह्य कार्य	,,	772
2. भू-जल		
(1) वेल इन्वेन्टरी	संख्या	7847
(2) पानी के नमूनों की जांच	,,	8176
(3) भू-भौतिकी ध्वनि	,,	1513
(4) एक्सप्लारेटरी/आ०जर्वेशन आफ वेल्स	,,	70
(5) पम्प टेस्टिंग	,,	19
3. पशु एवं डेयरी		
(1) औसत प्रतिदिन दुग्ध संकलन	000 लीटर	2.75
(2) दुग्ध सहकारी समितियां	संख्या	83
(3) संतुलित पशु आहार वितरण	टन	629
(4) अवशांतन केन्द्र	संख्या	2
5. वन्य		
(1) नर्सरी	संख्या	6
(2) शुष्क चरागाह विकास (रख-रखाव)	हैक्टेयर	2505
6. लघु कृषक विकास अभिकरण जैसी सुविधाएं		
(1) प्रदर्शन	संख्या	83
(2) फार्म पाउन्डस	,,	9

1	2	3
(3) फोडर प्रदर्शन	संख्या	69
(4) दुधारू/पशु	,,	722
(5) बैल/ऊंटगाड़ियां	,,	740
(6) भेड़ इकाई	,,	29
6. सिंचाई कार्यक्रम		
(1) सिंचाई कार्य	संख्या	1
(2) सिंचाई क्षमता	हैक्टेयर	229
7. ग्रामीण जल प्रदाय योजना		
(1) कार्यों की संख्या	संख्या	7
(2) लाभान्वित ग्राम	,,	32
(3) लाभान्वित जनसंख्या	,,	33000
8. दुग्ध मार्ग		
(1) कार्यों की संख्या	संख्या	2
(2) दुग्ध मार्ग निर्माण	किलोमीटर	23.8

(228)

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जिला जालौर में सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) के अन्तर्गत कार्य

148. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) चल रहा है ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम के तहत जिला जालौर में अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं ? क्या उक्त कार्यक्रम के तहत भविष्य में किये जाने वाले कार्यों का कोई प्रारूप तैयार किया गया है ? यदि हां, तो कृपया प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यक्रम के तहत उक्त जिले में पशुधन विकास की योजनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके फलस्वरूप इस जिले में उपलब्ध सर्वाधिक प्रचलित एवं विश्व में विख्यात कांकरेज नस्ल प्रायः समाप्त होती जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जालौर जिले में उक्त कार्यक्रम के तहत डेयरी विकास योजनाओं की तरफ भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया व जिले में मिल्क रूट्स स्वीकृत नहीं करने से किसान अपने दूध को डेयरी वालों को नहीं बेच पाता है ?

(4) जिला जालौर में उक्त कार्यक्रम के तहत पशुधन विकास एवं डेयरी विकास योजनाएं कब तक हाथ में ले ली जायेंगी ?

उत्तर

(1) डी. पी. ए. पी. का कार्यक्रम जिला जालौर में 1974-75 में प्रारम्भ किया गया था तथा वहां पर कृषि, भू-जल, सिंचाई, वन विकास, भेड़ एवं चरागाह विकास, विद्युतीकरण, सहकारिता, भू-अभिलेख एवं लघु कृषक विकास अभिकरण जैसी सुविधाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्य सम्पादित किये गये हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक योजनायें बनाकर कार्य सम्पादित किया जाता है।

वर्ष 1982-83 के लिये विभिन्न मदों पर लगभग 43.14 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस वर्ष अर्थात् 82-83 के लिये केवल प्रतिश्रुत

(कृषि मंत्री)

व्यय के लिये ही राशि दी गई है। अतः इस वर्ष पूर्व में चालू कार्यों पर ही व्यय किया जावेगा इसलिये अभी योजना प्रारूप नहीं बनाया गया है।

(2) यह सही नहीं है। जालोर जिले के पशुधन विकास एवं पशुओं के स्वास्थ्य के लिये मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 पशु स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की गई है।

(3) जालोर जिले में डेयरी का कार्य निजी क्षेत्र में होने के कारण राज्य सरकार ने दुग्ध विकास मार्गों का कार्य हाथ में नहीं लिया है।

(4) जालोर जिले में पशुधन विकास की योजनायें मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में अंकित किया गया है।

डेयरी विकास का कार्य आइडियल डेयरी नामक प्राइवेट संस्था के पास है।

किशनगढ़ में पावरलूम के कपड़े की प्रोसेसिंग आदि के प्रयोजनार्थ प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना करना

149. श्री केसरी चन्द चौधरी (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ में स्थापित पावरलूम उद्योग से जो कपड़ा बनता है उसकी रंगाई, छपाई व प्रोसेसिंग करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या कोई प्रोसेसिंग प्लांट आदि यहां लगाने की सरकार की योजना है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में किशनगढ़ के लिये कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) कारण यह है कि राज्य सरकार के पास किशनगढ़ में प्रोसेस हाउस लगाने की कोई योजना नहीं है।

डीडवाना व नागौर के पशु मेलों से प्राप्त आय से पशुपालकों और व्यापारियों को सुविधायें

150. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर के डीडवाना व नागौर के पशु मेलों में पीने के पानी की भारी कमी रहती है ? यदि हां, तो सरकार इन मेलों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कब तक करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(230)

(श्री रामधन)

(2) क्या सरकार मेले की आय का कुछ हिस्सा मेले के सम्बन्धित विकास कार्यों पर व्यय करने का विचार रखती है ताकि पशु पालकों और व्यापारियों को सुविधा मिल सके ? यदि हां, तो वह राशि कुल आय की कितने प्रतिशत होगी ?

उत्तर

(1) डीडवाना पशु मेला पंचायत समिति डीडवाना द्वारा आयोजित किया जाता है।

नागौर पशु मेला पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। मनुष्यों एवं पशुओं के पानी हेतु 1.50–1.50 लाख गैलन क्षमता वाले तीन तथा 50-50 हजार गैलन क्षमता वाले तीन, इस प्रकार कुल 6 लाख गैलन क्षमता के 6 टैंक बने हुए हैं, जो बिजली द्वारा संचालित हैं। मेले के समय आवश्यकतानुसार जनरेटर भी लगा दिये जाते हैं।

(2) मेला स्थल के विकास एवं सुविधायें देने हेतु विभाग के बजट से आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है।

सीमावर्ती जिलों की आबादी के लिए पेयजल, शिक्षा प्रसार तथा रोजगार सम्बन्धी विशेष योजनायें

151. श्री अमीन खां (शिव) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के सीमावर्ती जिलों में राज्य सरकार विशेष एवं विभिन्न प्रकार की योजनाएं सिद्धान्त तौर पर बनाने का विचार रखती है ?

(2) राज्य के समीवर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पीने के पानी, शिक्षा प्रसार तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष क्या प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सीमावर्ती जिलों के लिये अलग से विशेष प्रावधान नहीं किया जाता है। योजनान्तर्गत किये जाने वाले प्रावधान वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

किसान की फसल की मंडियों में बिक्री हेतु ग्रेडेशन व्यवस्था

152. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन-किन मंडियों में किसान की फसल की बिक्री ग्रेडेशन किये जाने के बाद की जाती है ? कृपया सूची मय

(श्री हरिसिंह)

नाम जिन्स जिसका ग्रेडेशन किया जाता है, सदन की मेज पर रखें।

(2, यदि राज्य की मंडियों में फसल का ग्रेडेशन नहीं किया जाता है तो क्यों और अब कब तक इसकी व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 9 मण्डियों में किसानों की कपास की बिक्री ग्रेडिंग द्वारा किये जाने का प्रावधान है। अन्य फसलों की ग्रेडिंग की अभी व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था हेतु मण्डी समितियों को निर्देश दिये गये हैं कि आगामी बजट में इसका भी प्रावधान करें। मण्डियों एवंम जिन्स की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इसकी योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

232

राज्य में ग्रेडिंग की जाने वाली जिन्स व मण्डियों की सूची

क्र. सं.	मण्डी समिति का नाम	जिन्स
1.	रायसिंह नगर	कपास
2.	सांगरिया	"
3.	सादुलशहर	"
4.	पीलीबंगा	"
5.	श्रीकरणपुर	"
6.	हनुमानगढ़	"
7.	विजयनगर	"
8.	गुलाबपुरा	"
9.	श्रीगंगानगर	"

1981-82 की वित्तीय योजना व सरकार द्वारा जुटाये गये अतिरिक्त संसाधन

153. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष की योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान योजना आयोग ने राज्य की योजना के आकार में कटौती करने को कहा है ? यदि हां, तो यह कितनी कटौती होगी तथा किन-किन मदों में होगी ?

(2) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 1981-82 की योजना पर व्यय कितना निर्धारित किया गया है और उसमें से राज्य को कितने संसाधन जुटाने थे तथा केन्द्रीय सहायता कितनी उपलब्ध होने वाली थी ? 31 दिसम्बर, 1981 तक राज्य ने अपने निर्धारित कोटे से कितने संसाधन जुटाये और केन्द्रीय सहायता कितनी मिली तथा 31 दिसम्बर तक कितने रुपये चालू वित्त वर्ष की निर्धारित योजना में विभिन्न मदों पर व्यय किये गये तथा कितना रुपया निर्धारित था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये योजना आयोग द्वारा मूल रूप में अनुमोदित 340 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के विरुद्ध संशोधित प्रावधान 345.53 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अतिरिक्त 3.06 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 81-82 के बजट में योजना आधिक्य (एक्सेस प्लान) भी सम्मिलित की गई थी। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के लिये 123.60 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने हैं और शेष राशि राज्य के स्वयं के संसाधनों से जुटाई जानी है। 31 दिसम्बर, 1981 तक राज्य सरकार द्वारा 177.39 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये गये और केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में 87.06 करोड़ रुपये प्राप्त किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 81 तक वार्षिक योजनान्तर्गत लगभग 201.33 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है जिसका मदवार ब्यौरा संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

———

वार्षिक योजना 1981-82

क्र. सं.	मद	योजना प्रावधान		योजना आधिक्य	कुल	व्यय माह दिसम्बर, 1981 तक
		मूल	संशोधित			
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	5520.00	5088.26	—	5088.26	2922.73
2.	सहकारिता	445.00	497.00	—	497.00	32.14
3.	सिंचाई एवं विद्युत	18767.00	18895.60	—	18895.60	11022.17
4.	उद्योग एवं खनिज	1277.00	1217.00	70.00	1287.00	624.28
5.	परिवहन एवं संचार	2345.00	2260.00	—	2260.00	1619.34
6.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	5512.00	6458.76	44.50	6503.26	3755.24
7.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	24.00	25.90	—	25.90	14.79
8.	अन्य सेवाएं	110.00	110.00	191.01	301.01	142.96
	योग	34000.00	34552.52	305.51	34858.03	20133.65

अजमेर नगर के पूर्वी क्षेत्र में युवकों की हत्या

154. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर 1981 में अजमेर नगर के पूर्वी क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या हत्या करने वालों का पता लग गया है ?

(2) क्या इस हत्या के मामले का चालान कोर्ट में पेश कर दिया है ?

(3) हत्या करने वाले व्यक्तियों के नाम व पते सहित कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । हत्या के दो अभियोग दर्ज हुये थे । एक अभियोग में अपराधियों का पता चल गया है . दूसरे अभियोग में तफतीश की जा रही है ।

(2) हत्या के एक अभियोग का चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

———

230

सूची अभियुक्त अपराध संख्या 169 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302 भा. द. स. आरक्षी केन्द्र अलवर गेट, अजमेर दिनांक 26-9-81

o—o

(1) श्री करणसिंह पुत्र मंगल जाति कोली निवासी गौतम नगर, अजमेर।

(2) श्री बिहारी लाल पुत्र मंगलसिंह जाति कोली ,,

(3) श्री गुल्लू उर्फ मेदीलाल पुत्र मंगल जाति कोली ,,

(4) श्री मंगल उर्फ केसर सिंह पुत्र मंगल कोली ,,

(5) श्री गोविन्द सिंह पुत्र नानकचन्द जाति कोली ,,

(6) श्री नानगा पुत्र चिरंजीलाल जाति कोली ,,

(7) श्री राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द्र जाति कोली ,,

(8) श्री गुल्लू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति कोली ,,

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

दिनांक 1-2-1982 को निगम में अनुसूचित जाति के सदस्यों के मिनी बस/सिटी बस हेतु विचाराधीन ऋण आवेदन-पत्र

क्रम सं.	आवेदक का नाम व पता	जिला	जाति	विवरण
1.	श्री श्याम बाबू, पुत्र श्री राम नारायण, 15 शॉपिंग सेन्टर, कोटा	कोटा	खटीक	प्रीमियर मिनी बस
2.	श्री बाल चन्द पहाड़िया, सांगानेर, जयपुर	जयपुर	खटीक	हिन्दुस्तान मिनी बस
3.	श्री हीरालाल चित्तोड़िया, ए-123, जनता कॉलोनी, जयपुर	जयपुर	कोली	,,
4.	श्री बजरंग लाल, पुत्र श्री भैरूलाल, दीपक पैस के पीछे, झालावाड़	झालावाड़	मेहर	मेटाडोर मिनी बस
5.	श्री ज्ञान चन्द खटीक, वार्ड नं. 5, धानमण्डी, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	खटीक	,,

———

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति जिसमें गबन किया गया	राशि	वर्ष	किस माध्यम से मामला जानकारी में आया	व्यवस्थापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री नंदकिशोर व्यास पुत्र श्री सोमदास वैरागी	बंडोदिया	4,339.62	75-76	वर्ष 75-76 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला अप्रेल, 78 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।	धारा 74 का मामला अभी अनिर्णीत है ।
		पुठोली	1,962.84	76-77	वर्ष 76-77 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला सितम्बर, 78 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।	,, ,,
2.	श्री घासीलाल	सेजनाथ आंकिया	8,559.40	76-77	,, ,, ,,	धारा 74 में मामला मई, 78 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।	,, ,,

239

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा	जालमपुरा	4,211.85	76-77	वर्ष 76-77 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला जून, 78 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	धारा 74 का मामला अभी अनिर्णित है।
4.	श्री शम्भूसिंह सोलंकी	मंडकिया	720.50	76-77	,, ,, ,,	धारा 74 में मामला मई, 78 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	,, ,,
		नाहरगढ़	2,169.00	80-81	वर्ष 80-81 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला फरवरी, 82 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	,, ,,
5.	श्री बालूराम	रहूनकाखेड़ा	18,731.26	76-77	वर्ष 76-77 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला दिसम्बर, 78 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	,, ,,
6.	श्री जगदीशचन्द्र खींची	गणेशपुरा	282,169.11	77-78	वर्ष 77-78 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला अक्टूबर, 79 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	श्री हेमराज पुत्र श्री घासीजी अहीर	सोनियाना	19,475.39	78-79	वर्ष 78-79 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला अक्टूबर, 79 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	धारा 74 का मामला अभी अनिर्णीत है।
8.	श्री नाथूलाल पुत्र श्री मथुरालाल त्रिपाठी	मरमी	2,285.00	77-78	वर्ष 77-78 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला दिसम्बर, 79 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	" "
9.	श्री प्रहलादराय पुत्र श्री कन्हैयालाल	1—सामरी	8,547.31	77-78	वर्ष 77-78 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला दिसम्बर, 79 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	2,950.00 सुनवाई द्वारा वसूल किया। पर अभी चल रहा है।
		2—सामरी	1,690.16	78-79	वर्ष 78-79 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला जुलाई, 80 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	मामला चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	श्री शंकरलाल पुत्र श्री गणेशलाल ब्राह्मण	रानीखेड़ा	2,771.25	79-80	वर्ष 79-80 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला फरवरी, 81 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।	मामला चल रहा है ।
11.	श्री शंकरलाल कुम्हार पुत्र श्री गणेशलाल	मरमी	5,114.00	78-79	वर्ष 78-79 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला अप्रेल, 80 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।	,, ,,
12.	श्री नंदलाल बाहेती	नपानिया	5,530.18	79-80	वर्ष 79-80 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला अगस्त, 81 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।	,, ,,
13.	श्री गौतमलाल गदिया पुत्र श्री चन्दनमल	जालखेड़ा	6,061.32	79-80	,, ,,	धारा 74 में मामला सितम्बर, 81 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।	,, ,,
14.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री भैरूंलाल कुमावत	बसेरा (विलीनीकृत सबारपुरा)	1,046.76	79-80	,, ,,	,, ,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		2—बसेरा	6,449.20	80-81	वर्ष 80-81 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला फरवरी, 82 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	मामला चल रहा है।
15.	श्री लेहरूलाल पुत्र श्री नाथू लुहार	बूढ़	23,026.34	79-80	वर्ष 79-80 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला नवम्बर, 81 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	,, ,,
16.	श्री हरनारायण पुत्र श्री माधुलाल नागेर	करजू	1,392.30	80-81	वर्ष 80-81 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 में मामला जनवरी, 82 में पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	,, ,,
17.	श्री बिहारी लाल	मण्डफिया	7,680.00	74-75	वर्ष 74-75 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 की कार्यवाही चल रही है (न्यायालय सहा. रजि. चित्तौड़गढ़ में)	मामला अनिर्णीत है।
18.	श्री गोर्वधनलाल	घोसुण्डा	1,000.35	74-75	,, ,, ,,	,, ,,	,,
19.	घीसूलाल	,,	996.00	74-75	,, ,, ,,	,, ,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	श्री राजेन्द्र सिंह	जयसिंपुरा	740.00	80-81	वर्ष 80-81 की जांच रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 की कार्यवाही चल रही है(न्या. सहा.रजि. चित्तौड़गढ़ में)	माल अनिर्णित है
21.	श्री शंकरलाल पारासर	तुमबड़िया	784.00	70-71	वर्ष 70-71 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर	धारा 74 ,,	,,
	नोट :—मामला पुलिस में दर्ज नहीं करवाया है।						
			4,17,453,14		वसूल की गई राशि 2,950.00		

नोट :—उपरोक्त किसी भी मामले में रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई।

(244)

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूची

सूची (अ)

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान	उत्पाद का नाम	वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार बम्बई द्वारा जारी किये गये परमिट का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री रवि झुन्झुनूवाला	भीलवाड़ा	काटन यार्न 25,000 स्पीन्डल	27-6-1977
2.	मैसर्स मॉडर्न थ्रेड्स (इण्डिया) लि.	,,	काटन यार्न 50,000 स्पीन्डल्स	21-9-1979
3.	श्री एस.एस. खेजरीवाल	,,	काटन यार्न 25,000 स्पीन्डल्स	23-11-1979
4.	श्री सतीश कुमार	हुड़ई (भीलवाड़ा)	मेनमेड फाईवर यार्न 12,500 तकुए	29-5-1980
5.	श्री एन.एन. काबरा	,,	मेनमेड फाईवर यार्न 25,000 तकुए	3-10-1980
6.	मैसर्स वूल इण्डिया	खारीग्राम (भीलवाड़ा)	वूलन यार्न (1) 600 स्पीन्डल्स (2) ,, ,,	 25-8-1977 29-2-1980
7.	मैसर्स भीलवाड़ा वूलन मिल्स	भीलवाड़ा	वूलन यार्न 400 तकुए	15-4-1978
8.	मैसर्स सुनील टैक्सटाइल मिल्स	,,	शोडी 600 स्पीन्डल्स एवं 1800 तकुए	नवम्बर, 1979 एवं 21-5-1981
9.	मैसर्स भीलवाड़ा वूलटेक्स लि.	,,	वूलनयार्न 800 तकुए	27-9-1979

1	2	3	4	5
10.	मैसर्स मॉडर्न वूलन (प्रा.) लि.	हमीरगढ़ रोड़ (भीलवाड़ा)	वूलनयार्न 1200 तकुए	25-3-1981
11.	मैसर्स श्रीमती निर्मला फतेहपुरिया	(भीलवाड़ा)	बसंटड यार्न 1200 नॉनबसंटड	18-3-1981
12.	मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.	,,	कॉटन यार्न • 25,000 स्पीन्डल्स	13-2-1979
13.	मैसर्स राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स	गुलाबपुरा शाहपुरा	600 स्पीन्डल्स 600 ,,	22-10-1977

————

246

सूची (ब)

क्र.सं.	इकाई का नाम	क्षमता	पूंजी विनि-योजन (लाख रु०)	रोजगार (व्यक्ति)	स्थापना की संभावित
1.	मैसर्स मॉडर्न थ्रेडस (इण्डिया)	50,000 तकुए	713	1000	उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।
2.	मैसर्स वूल इण्डिया (1)	600 तकुए	30	40	,,
	(2)	600 ,,	30	40	
3.	मैसर्स भीलवाड़ा वूलन मिल्स	400 ,,	25	30	,,
4.	मैसर्स भीलवाड़ा वूल टैक्स.लि.	800 ,,	93	50	,,
5.	श्री रवि झुन्झुनूवाला	25,000 तकुए	482	1155	क्रियान्विति की कार्यवाही चल रही है।
6.	श्री एस.एस. खेजरीवाल	25,000 ,,	480	1120	,,
7.	श्री सतीश कुमार	12,500 ,,	300	624	,,
8.	श्री एस.एन. काबरा	25,000 ,,	714	1200	,,
9.	मसर्स सुनीव टैक्सटाइल	(1) 600 ,, (2) 1800 ,,	120	140	,,
10.	मैसर्स मॉडर्न वूल्स (प्रा.) लि.	1200 ,,	60	70	,,
11.	श्रीमती निर्मला फतेहपुरिया	1200 ,,	60	70	,,
12.	राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स	(1) 600 तकुए (2) 600 ,,	60	70	दिनांक 15-4-81 को निरस्त
13.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	25,000 ,,	482	1155	दिनांक 19-10-81 को निरस्त किया गया।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची

क्र.सं.	नाम स्थान	पं. समिति/तहसील	जिला
1	2	3	4
1.	सुवाप	तह. फलोदी	जोधपुर
2.	पड़िहारा	तह. रतनगढ़	चूरू
3.	खजवाना	तह. मूंडवा	नागौर
4.	जस्सूसर दरवाजा	बीकानेर	बीकानेर
5.	बगड़	झुन्झुनू	झुन्झुनू
6.	कूदन	तह. सीकर	सीकर
7.	दिलोई दक्षिण	तह. मन्डावा	झुन्झनू
8.	चीपलाटा	तह. नीम का थाना	सीकर
9.	काशी का वास	तह. सीकर	सीकर
10.	रामगढ़	तह. नोहर	श्री गंगानर
11.	राणावास	पाली	पाली
12.	बापिनी	ओसीयां	जोधपुर।

———

1.	नांगल कलां	रामगढ़	चूरू
2.	घड़सीसर	सरदार शहर	चूरू
3.	बूसी	पं. स. रानी	पाली
4.	चोपड़ा	सोजत	पाली
5.	मुंडारा	बाली	पाली
6.	बांधनु	नोखा	बीकानेर
7.	केला	लूणकरणसर	बीकानेर
8.	तिलवासनी	पं. स. बिलाड़ा	जोधपुर

248

1	2	3	4
9.	डाँबरा	पं. स. ओसयिां	जोधपुर
10.	नीम्बी जोधा	तह. लाडनूं	नागौर
11.	थावलां	तह. नागौर	नागौर
12.	सनावड़ा	तह. बाड़मेर	बाड़मेर
13.	झिंझिनियाळी	जैसलमेर	जैसलमेर
14.	बलाड़ा	तह. जतारण	पाली
15.	डावड़ी	तह. भादरा	गंगानगर
	———		
1.	सियाना	तह. जालोर	जालोर
2.	धानोल	पं. स. रानीवाड़ा	जालोर
3.	सवाऊ पदमसिंह	पं. स. बायतू	बाड़मेर।

———

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची

सूची "क"

जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सालय (पशु स्वास्थ्य केन्द्र) पशु औषधालयों की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम एवं स्थान	
1.	पशु चिकित्सालय :—	जैसलमेर, रामगढ़, मोहनगढ़, पोकरण व नाचना
2.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र : —	खूड़ों, मोहनगढ़, सत्तो, सम, सतखाया, फलसूंड, लोहारकी, चान्दन, देवा, डागरी, राजमथाई, नोख, बडोड़ा गांव, झिझिनियाली
3.	पशु औषधालय :—	लाठी, देवीकोट, सांकड़ा ।

———

जैसलमेर जिले में कुल स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूची

		कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	सहायक शल्य पशु चिकित्सक	19	14
2.	पशु चिकित्सक	5	5
3.	पशुधन निरीक्षक	1	1
4.	पशुधन सहायक	39	24
5.	सईस	39	2
6.	जलधारी	8	8
7.	हरिजन	22	13
	योग	130	67

परिशिष्ट 8

परिशिष्ट 'क'

अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची—ऋण अग्रिम एवं वसूली 1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—कुचामन सिटी

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति	ऋण अग्रिम		ऋण वसूली	
		अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1	2	3	4	5	6
1.	प्रेमपुरा ग्राम सेवा स. स.	152750 8490	—	—	—
2.	चितावा ,,	57010	—	—	—
3.	लालास ,,	10700	—	—	—
4.	घाटवा ,,	—	—	—	—
5.	काकरिया इण्डोरवा ,,	53810	100070	—	—
6.	हनुमानपुरा ,,	116304-25	—	—	—
7.	मण्डवारा ,,	135540	—	—	—
8.	करकेडी ,,	—	—	—	—
9.	रसाल ,,	158400 27100	—	—	—
10.	ढढीयाना मिठडी ,,	81148	—	—	—
11.	मारोठी ,,	—	—	—	—
12.	भगवानपुरा ,,	107280	—	348-96	—
13.	भांवता ,,	—	5500	—	—
14.	देवली ,,	145050 3990	—	50-00	—

252

1	2	3	4	5	6	7
15.	देवली ग्राम सेवा	स. स.	102935	72553	—	—
16.	लोहराना	,,	—	—	—	—
17.	गोवीन्दी	,,	79450	—	3282-58	—
18.	अडकसर	,,	57477 13610	—	5677	—
19.	झिलियां आनन्दपुरा	,,	66210	—	—	—
20.	शिम्भुपुरा	,,	75140 31610	—	1143-88	—
21.	श्यामगढ़	,,	131920	—	—	—
22.	रांचवा	,,	—	130894	—	—
23.	पालड़ा	,,	—	—	—	—
	योग		1615654-25	300017	10502-42	—

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची ऋण अग्रिम एवं वसूली
1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—डेगाना

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति		ऋण अग्रिम		ऋण वसूली	
			अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1.	सांजू ग्राम सेवा सहकारी स.लि.		19550	—	—	—
2.	डेगाना जंक्शन	,,	—	—	—	—
3.	नथावड़ा	,,	--	53300	—	—
4.	सिरासना	,,	73300	91540-34	—	—
5.	गुणसली	,,	124300	8285	—	—
6.	सांवलीगवास	,,	28600	—	—	—
7.	इंड़वा	,,	38800	—	—	—
8.	डेगाना गांव	,,	131900	5969	—	—
9.	खारिया कलां	,,	—	19069	—	—
10.	ढाढरिया कलां	,,	125900	99685-73	—	—
11.	गांभी	,,	126350	83134-29	—	—
12.	खुडीकला	,,	91500	142423-06	—	—
13.	बिखरनिया	,,	97500	19700	—	—
14.	चांदनी	,,	314437-50	18820	—	—
15.	पालड़ीकला	,,	71350	—	—	—
16.	बुटाटी	,,	41200	43800	—	—
17.	सारसंडा	,,	43300	—	—	—
18.	हिरणी ढाणी	,,	89900	3780-04	—	—
19.	पुन्दलोता	,,	—	—	—	—
20.	बंवरला	,,	130250	18054	—	—
21.	आकेली बी	,,	—	—	—	—
22.	पालियास	,,	—	—	—	—
23.	जाखेड़ा	,,	192600	147091	—	—
24.	चान्दकणा	,,	104350	110584	—	—
25.	बरणा	,,	45100	—	—	—
	योग :		1890187-50	161989-46	—	—

(254)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची—ऋण अग्रिम एवं वसूली
1-4-81 से 31-1-82

पंचायत समिति—लाड़नूं

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति		ऋण वितरण		ऋण वसूली	
			अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1.	चन्दाई ग्राम सेवा स.स.लि.		68700	—	—	—
2.	हुडास	,,	64450	—	—	—
3.	रताऊ	,,	160545	—	—	—
4.	जसवतगढ़	,,	17900	—	—	—
5.	कसुम्बी अलिपुरा	,,	—	17393	—	—
6.	रोडू	,,	53150	—	—	—
7.	मिठडीमहावीर	,,	15400	—	—	—
8.	गिरडोदा मिठा	,,	117850	—	—	—
9.	निम्बीजोधा	,,	202700	—	—	—
10.	सुनारी	,,	142550	—	—	—
11.	ढींगसरी	,,	117150	4938	—	—
12.	गेनाना	,,	138750	—	—	—
13.	बलदू	,,	99600	717	—	—
14.	सिलनवाद	,,	56950	28587	—	—
15.	सीवां	,,	149100	—	—	—
16.	दुजार	,,	97350	41978	—	—
17.	बाकलिया	,,	—	25526	—	—
18.	रिंगन	,,	90160	—	—	—
19.	सारड़ी	,,	—	55635	—	—
20.	बिठुडा	,,	—	9763	—	—
	योग :		1596805	191198	—	—

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची—ऋण अग्रिम एवं वसूली 1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—मकराना

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति		ऋण अग्रिम		ऋण वसूली	
			अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प कालीन	मध्य-कालीन
1	2		3	4	5	6
1.	बेसरोली ग्राम सेवा स.स.लि.		—	—	—	—
2.	रानी गांव	,,	70550	23616	—	—
3.	रामसा५.	,,	52800	—	—	—
4.	मनाणा (कुडिया)	,,	36700	—	—	—
5.	जसूरी	,,	60750	60774	—	—
6.	इटावा बामनिया	,,	65250	—	—	—
7.	डाबडकिला	,,	96800	—	—	—
8.	इन्दोरण	,,	71336	—	—	—
9.	बुडसू	,,	—	—	—	—
10.	अलतवा	,,	—	—	—	—
11.	लाडोती	,,	—	—	—	—
12.	सकेड़	,,	—	—	—	—
13.	खेडोशीला	,,	14800	19625	—	—
14.	बखाली	,,	80400	—	—	—
15.	भाभडोली	,,	26250	—	—	—
16.	चाण्डी	,,	38300	—	—	—
17.	सरनावड़ा	,,	68800	—	—	—
18.	जाखली	,,	—	—	—	—
19.	घानणवां	,,	28800	—	—	—
20.	भीचावां	,,	95500	—	—	—

(256)

1	2		3	4	5	6
21.	खारडिया ग्राम सेवा स.स.लि.		—	—	—	—
22.	गैलासर	,,	28500	—	—	—
23.	इटावालाखा	,,	55550	—	—	—
24.	भैयाकला	,,	—	—	—	—
25.	बोराबड़	,,	—	—	—	—
26.	कालवा	,,	—	—	—	—
27.	बिल्लू	,,	—	1286 38839	—	—
	योग :		927680	195472	—	—

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची—ऋण अग्रिम एवं वसूली 1-4-81 से 31-1-82

नाम पंचायत समिति - परबतसर

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति	ऋण अग्रिम		ऋण वसूली	
		अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1.	हरनावा ग्राम सेवा स.स.लि.	4000	—	—	—
2.	पीह ,,	43150	13224	—	—
3.	बागोर ,,	—	—	—	—
4.	खोखर ,,	—	2502	—	—
5.	राबडीयाद ,,	—	—	—	—
6.	रोहिन्डी ,,	2412	—	—	—
7.	मंगलाना ,,	106000	—	—	—
8.	बडू ,,	8500	—	—	—
9.	परबतसर नीरतेजा ,,	17325	—	—	—
10.	भडसीया ,,	119520	—	—	—
11.	बालेड़ ,,	—	—	—	—
12.	भरूरी ,,	38150	10745 12098	—	—
13.	बावड़ास ,,	52497	—	—	—
14.	बिडियाद ,,	128700	—	—	—
15.	रीड़ ,,	53750	—	—	—
16.	गूलर ,,	—	—	—	—
17.	कुराड़ा ,,	66650	—	—	—
	योग :	638242	41081		

———

258

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची—ऋण अग्रिम एवं वसूली
1-4-81 से 31-1-82

पंचायत समिति--डीडवाना

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति		ऋण अग्रिम अल्प-कालीन	ऋण अग्रिम मध्य-कालीन	ऋण वसूली अल्प-कालीन	ऋण वसूली मध्य-कालीन
1	2		3	4	5	6
1.	धनकेली ग्राम सेवा स.स.लि.		12000 62300	—	—	—
2.	डीकावा	,,	111500	4162		
3.	कोलिया महावीर	,,	82050	5685	—	—
4.	मन्डूकडा	,,	—	—	—	—
5.	सानिया	,,	—	—	—	—
6.	गादेरास	,,	—	—	—	—
7.	आजवा	,,	32900	14991	—	—
8.	किचक	,,	32965	—	—	—
9.	छापरी	,,	30200	8424	—	—
10.	दयालपुरा	,,	3000 7500	—	—	—
11.	बेरीखुर्द	,,	—	—	—	—
12.	छोटू खाटू	,,	50800	—	—	—
13.	बेगसर	,,	124500	10835	—	—
14.	निगोद	,,	—	—	—	—
15.	दिनदारपुरा	,,	—	8192	—	—
16.	तोसिना	,,	—	—	—	—
17.	सुर्दासन	,,	—	—	—	—
18.	खोपाल	,,	—	—	—	—
19.	दोदोली	,,	69300	—	—	—

1	2		3	4	5	6
20.	सागूकला ग्राम सेवा स.स.लि.		41500	5991	—	—
21.	पांवा	,,	84250	—	—	—
22.	कलवानी	,,	47375	—	—	—
23.	केराप	,,	—	—	—	—
24.	चीलूखां	,,	12200 22650	—	—	—
25.	डीडवाना पठान	,,	86900	—	—	—
26.	दोलतपुरा	,,	64250	—	—	—
27.	नोलासर	,,	16900	3553	—	—
28.	सूपका	,,	51900	—	—	—
29.	लोरौली खुर्द	,,	38100	5024	—	—
30.	लालासरी	,,	8192	—	—	—
31.	चढ़लिया	,,	—	—	—	—
32.	दाऊसर	,,	51100	7482	—	—
		योग :	1203643	82561	—	—

———

260

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची ऋण अग्रिम वसूली
दिनांक 1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—जायल

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति		ऋण अग्रिम		ऋण वसूली	
			अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1	2		3	4	5	6*
1.	रोल ग्राम सेवा सहकारी समिति		—	—	—	—
2.	डिडिया खुर्द	,,	257550	18114	—	—
3.	बुगरड़ा	,,	153060 153800	—	—	—
4.	बोड़वा	,,	—	—	—	—
5.	फरड़ोढ	,,	—	—	—	—
6.	अडवड़	,,	67990 145000	—	—	—
7.	वरसूना	,,	—	—	—	—
8.	गेलोर्ला	,,	—	—	—	—
9.	दोतिणा	,,	132750.00	—	—	—
10.	रोहिणा	,,	134850	25837	—	—
11.	खांटू कचरास	,,	167000	—	—	—
12.	घारणा	,,	—	129374	—	—
13.	जोचिणा	,,	—	—	—	—
14.	जायूल	,,	—	—	—	—
15.	कठीति	,,	—	—	—	—
16.	बरनेल	,,	—	—	—	—
17.	राजोद	,,	—	—	—	—
18.	रोटू	,,	48300	13352.50	—	—

261

1	2		3	4	5	6
19.	खियाला ग्राम सेवा स.स.लि.		—	26105	—	—
20.	छाजोली	,,	79300	—	—	—
21.	दुगोली	,,	5510	38635	—	—
22.	सोमणा	,,	208200	—	—	—
23.	डेहू	,,	163288 248976	—	—	—
24.	छापड़ा	,,	212640	—	—	—
25.	सोनेली	,,	334115	—	—	—
26.	झाडेली	,,	101205	—	—	—
27.	मांगलोद	,,	185600	—	—	—
28.	दुगस्ताऊ	,,	118300	—	—	—
29.	आकोड़ा	,,	—	30915	—	—
30.	मामोडिया	,,	—	—	—	—
31.	गुगारियाली	,,	31720	—	—	—
32.	सुरपालया ग्राम से.स.स.		213855	19819	—	—
33.	आवलियासर	,,	111200	—	—	—
		योग :	2222799	292151.50	—	—

(263)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची ऋण अग्रिम वसूली
दिनांक 1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—रियां

क्र.स.	नाम सहकारी समिति		ऋण अग्रिम		ऋण वसूली	
			अल्प-कालीन	मध्य कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1.	कात्यासीनी ग्राम सेवा सह.स.		55975	28456	—	—
2.	गाविं लिलियां	,,	276589.45	—	—	—
3.	गावकड़ी	,,	194000.00	16408	—	—
4.	रीयाबड़ी	,,	11200	—	—	—
5.	धान्धलास	,,	238350	—	—	—
6.	मोरा	,,	—	—	—	—
7.	ज्ञानगर	,,	233158.50	—	1600	—
8.	अलनियावास	,,	69137	—	—	—
9.	रोहीसा	,,	64838.05	—	—	—
10.	डोडीयाना श्रीबालाजी	,,	75561	85142	—	—
11.	मढोस की ढाणह	,,	108924	—	1000	—
12.	डुकिया	,,	103500	—	—	—
13.	गोमलियावास	,,	199281.45	—	—	—
14.	बीजपाल	,,	—	—	—	—
15.	सूदवाड़	,,	27866.25	—	—	—
16.	पासूखर्द	,,	155599.50	—	—	—
17.	मोडीकलॉ	,,	36500	—	—	—
18.	झिंदिया	,,	122665.25	—	—	—
19.	पादूकला	,,	136725	—	—	—
20.	अरनियाला	,,	40320	32249	—	—
21.	बड़ायली	,,	—	—	—	—
22.	बगड़	,,	—	—	—	—
23.	मुगदड़ा	,,	—	—	—	—
24.	लाम्पोलाई	,,	89952	—	250	—
			2240142.40	162255	2850	—

ग्राम सेवा सहकारी समिति की सूची ऋण अग्रिम वसूली
दिनांक 1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—मेड़ता

क्र.सं.	ग्राम सहकारी समिति		ऋण अग्रिम		ऋण वसूली	
			अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1	2		3	4	5	6
1.	खाखड़की ग्राम से सह.स.		205905.50	90776	—	—
2.	जारोड़ा	,,	—	—	—	—
3.	नेताड़िया	,,	50027.75	—	—	—
4.	डांगावास	,,	61250,00	—	—	—
5.	नोखा चान्दापहा	,,	31956.00	—	—	—
6.	ओलाधन	,,	50600.00	—	—	—
7.	टियाश्यामदास	,,	75050.00	—	—	—
8.	हरसोलाव	,,	39750 00	—	—	—
9.	पुफंलू	,,	161063.00	16000.00	—	—
10.	लम्बा	,,	253750.00	—	—	—
11.	कलरू	,,	71973.00	—	—	—
12.	मोकाला	,,	90356.00	—	—	—
13.	गोटन	,,	194657.00	—	—	—
14.	बायड़	,,	158940.00	—	—	—
15.	खेड़ूली	,,	92167.76	14054	—	—
16.	ढावा	,,	21100.00	—	—	—
17.	भाखाड़ छावरी	,,	176159.25	—	—	—
18.	बड़गांव	,,	145890.00	25660.00	—	—
19,	दताणी	,,	28000.00	104140.67	—	—

1	2	3	4	5	6
20.	बासनीसेजा ग्रा.सेवास.स.लि.	35342.20	—	—	—
21.	रेण ,,	16275.00	—	—	—
22.	मेड़ता रोड़ ,,	60938.60	—	—	—
23.	कुरडाया ,,	25000.00	10424.60	—	—
24.	सांगिवण ,,	97235.50	42765.54	—	—
25.	इम्वावड़ ,,	—	—	—	—
	योग :	2588342.40	323645.81	—	—

———

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची ऋण अग्रिम वसूली दिनांक 1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—मूण्डवा

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति	ऋण वितरण		ऋण वसूली	
		अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1	2	3	4	5	6
1.	कुचेरा ग्राम सेवा सहकारी स.	373071	—	—	—
2.	संखवास ,,	—	—	—	—
3.	सलिगांव ,,	96655	18727	—	—
4.	असावरी ,,	140290	—	—	—
5.	बिरलोका ,,	24165	79116	—	—
6.	इन्नाणा ,,	—	—	—	—
7.	फिड़ोद ,,	13575	—	—	—
8.	गाजू ,,	308950	—	—	—
9.	जनापा ,,	—	—	—	—
10.	खजवाना ,,	269850	—	—	—
11.	मुण्डवा ,,	99050	—	—	—
12.	रूप ,,	81800	—	—	—
13.	मुन्दिचाड ,,	—	9776 71175	—	—
14.	कड़लू ,,	206058.50	—	—	—
15.	घुन्धियाड़ी ,,	210375	—	—	—
16.	भावन्ड़ा ,,	—	—	—	—
17.	नागड़ी ,,	105890	42170	—	—
18.	खीवसर ,,	53880	—	—	—
19.	साटिकाखुर्द ,,	—	—	—	—

(266)

1	2	3	4	5	6
20.	करछी ग्राम से.स.स.	—	54512	—	—
21.	वैराथल ,,	87115	—	—	—
22.	पांचलाखोश ,	42660	—	—	—
23.	आचौणा ,,	117625	—	—	—
24.	पांचोड़ी ,,	—	—	—	—
25.	खरनाल ,,	123770	—	—	—
26.	पालड़ी पिचाकिया	172728	—	—	—
	योग :	2883078.90	275476	—	—

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची ऋण व अग्रिम वसूली
दिनांक 1-4-81 से 31-1-82 तक

नाम पंचायत समिति—नागौर

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति	ऋण वितरण		ऋण वसूली	
		अल्प-कालीन	मध्य-कालीन	अल्प-कालीन	मध्य-कालीन
1	2	3	4	5	6
1.	भदाणा ग्राम सेवा स.स.	238020	—	—	—
2.	छाडिसरा ,,	56845	21213	—	—
3.	जोधियासी ,,	135330	61602	—	—
4.	गंठीलासर ,,	216765	—	—	—
5.	रामधनू ,,	90330	—	—	—
6.	भेड़ ,,	134805	—	—	—
7.	भुण्डेल ,,	103225	—	—	—
8.	अलाय ,,	107020	—	—	—
9.	चुटिसरा ,,	154450	66126	—	—
10.	गोगोलाव ,,	112800	—	—	—
11.	गुडाभगवानदास,,	42570	—	—	—
12.	करनू ,,	142940	—	—	—
13.	सुरवार्सा ,,	149175	—	—	—
14.	रोहणी ,,	239900	47942	—	—
15.	बासनी ,,	—	—	—	—
16.	देऊ ,,	36590	—	—	—
17.	श्यामसर ,,	90910	—	—	—
18.	तातवास ,,	62390	—	—	—
19.	चाऊ श्री जसनाथ ,,	61800	34296	—	—
20.	कालड़ी आदर्श ,,	104970	—	—	—

1	2	3	4	5	6
21.	उठवालीया ग्राम सेवा स.स.	250635	—	—	—
22.	सिणोद ,,	424050	35763	—	—
23.	वरणगोद ,,	100800	—	—	—
24.	चेनार ,,	197435	—	—	—
25.	श्राऊसर ,,	199761	—	—	—
26.	साडोकण ,,	190950	—	—	—
27.	साधरेण ,,	71500	—	—	—
28.	चीला ,,	132240	—	11344	—
29.	श्रीबालाजी ,,	66250	—	—	—
	योग :	3904456	378116	11344	—

———

269

दी नागौर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि.

गोदाम निर्माण सम्बन्धी सूचना

परिशिष्ट 'ख'

क्र.सं.	नाम ग्राम सेवा सह. स. जिनके गोदाम पूर्ण हो चुके हैं।		ग्राम सेवा सह. स. जिनके गोदाम निर्माण का कार्य चालू हैं।		विशेष विवरण
1.	खजवाना ग्राम सेवा सह. स. लि.		1.	खोखर ग्रा. से. सह. स.	
2.	बाजवास	,,	2.	नागौर ,,	
3.	रोहिणी	,,	3.	रावडियाद ,,	
4.	खारडिया	,,	4.	भाभडोली ,,	
5.	पुन्दलू	,,	5.	लाडोली ,,	जो 29 कार्य
6.	भेड़	,,	6.	मुन्दियाड़ ,,	पूर्ण हुये हैं
7.	नागड़ी	,,	7.	शिम्भूपुरा ,,	उनमें साधारण
8.	रूण	,,	8.	लूणवा ,,	फिनिशिंग कार्य
9.	खरनाल	,,	9.	मारोठ ,,	कार्य शेष है।
10.	सोगवास	,,	10.	लालास ,,	
11.	बायड	,,	11.	खुडीकला ,,	
12.	बवरला	,,	12.	नगसर ,,	
13.	मांजी	,,	13.	सानीयां ,,	
14.	कोलिया	,,	14.	चांदणीबांमना ,,	
15.	जायल	,,	15.	निम्बीजोदा ,,	
16.	घारणा	,,	16.	सिलनवाद ,,	
17.	डेह	,,			
18.	भदाणा	,,			
19.	गोगिलाव	,,			
20.	रायधेनू	,,			
21.	भडसिया	,,			
22.	भगवानपुरा	,,			
23.	गोविन्दी	,,			
24.	हुडास	,,			
25.	खियाला	,,			
26.	भखरी	,,			
27.	जाखेडा	,,			
28.	खेडली	,,			
29.	असावरी	,,			

(270)

क.स.	ग्राम सेवा सहकारी समिति जिनके मार्च, 82 तक गोदाम बनाने की योजना है (ग्राम सेवा सहकारी समितियां)			विशेष विवरण
	स्वीकृत हुदा जिनके कार्य करने के आदेश जारी हो चुके हैं	स्वीकृति आनी है	प्रस्ताव भेजना है	
1	2	3	4	5
	1. इटावा बामनियां ग्रा.से.स.स.	1. तांतवास जी.एस.एस.	1. दताणी जी.एस.एस.	
	2. भैखाकलां ,,	2. सोमसर ,,	2. घावनवा ,,	
	3. सरनावड़ा ,,	3. भींचावा ,,	3. मनाना ,,	
	4. डोगडीकलां ,,	4. सरसन्डा ,,	4. जूसरी ,,	जिन
	5. रोटू ,,	5. डेगाना गांव ,,	5. इटावालाखा ,,	समितियों
	6. सीवा ,,	6. गाठियां ,,	6. नेतडिया ,,	के प्रस्ताव
	7. जोधियासी ,,	7. चूटिसरा ,,	7. इन्दावड ,,	बनाने हैं
	8. चाऊ ,,	8. बरवाली ,,	8. चावडिया ,,	उनमें मुख्य
	9. करनू ,,	9. खाखडकी ,,	9. गेलासर ,,	कठिनाई
	10. पालरी ,,	10. सिरासना ,,	10. कालवा ,,	जमीन
	11. हिरणीधाणी ,,	11. डिडियाखुर्द ,,	11. पर्वतसर ,,	उपलब्ध
	12. धांधलास ,,		12. गूलर ,,	न होने की
	13. मोडीकलां ,,		13. कुरोडा ,,	है।
	14. दयालपुरा ,,		14. पीह ,,	
	16. चोलूखां ,,		15. रोहिणी ,,	
	16. दिनदारपुरा ,,		16. बड़ ,,	
	17. अजवा ,,		17. बासेड़ ,,	
	18. मीठडी ,,		18. रिड ,,	
	19. रोडू ,,		19. पाचोडी ,,	
	20. दुजार ,,		20. जनाड़ा ,,	
			21. भावडा ,,	
			22. फिडोद ,,	
			23. कुरछी ,,	
			24. बिरलोका ,,	
			25. बेराथड़ ,,	

1	2	3	4	5
			26. सीलगांव जी.एस.एस.	
			27. सांठिका ,,	
			28. पांचलासिद्धा ,,	
			29. मांगलोद ,,	
			30. अवलियासर ,,	
			31. सोमगा ,,	
			32. बोडवा ,,	
			33. अडबड़ ,,	
			34. बुगरडा ,,	
			35. कचरासखाटू ,,	
			36. सोनोली ,,	
			37. छाजोली ,,	
			38. डुगोली ,,	
			39. छापड़ा ,,	
			40. गुगरियाली ,,	
			41. कमेडिया ,,	
			42. आकोड़ा ,,	
			43. वरसुणा ,,	
			44. रोहिणय ,,	
			45. जोचिना ,,	
			46. कठोती ,,	
			47. राजोद ,,	
			48. फडौद ,,	
			49. बासणी ,,	
			50. भून्डेल ,,	
			51. ऊंठवालिया ,,	
			52. सथेरण ,,	
			53. झाड़ीसरा ,,	
			54. सिणोद ,,	
			55. बरनगांव ,,	
			56. श्रीबालाजी ,,	
			57. गुढाभगवानदास ,,	

1	2	3	4	5
			58. आनन्दपुरा जी.एस.एस.	
			59. चितावा ,,	
			60. अडकसर ,,	
			61. भावण्डा ,,	
			62. श्यामगढ़ ,,	
			63. कांकरिया ,,	
			64. इन्दोखा ,,	
			65. करकेडी ,,	
			66. लोहराना ,,	
			67. ठठियाणा मीठडी ,	
			68. हनुमानपुरा ,,	
			69. पांचवा ,,	
			70. पालड़ी ,,	
			71. घाटवा ,,	
			72. छोटीखाटू ,,	
			73. पावा ,,	
			74. ललासरी ,,	
			75. सांगूकला ,,	
			76. लोरोली ,,	
			77. तोचिणा ,,	
			78. लूण्डकरा ,,	
			79. खोजास ,,	
			80. भांलासर ,,	
			81. डिकावा ,,	
			82. सूपका ,,	
			83. डिडवाना ,,	
			84. मेडासकिढाणी ,,	
			85. गवारडी ,,	
			86. आसडियावास ,,	
			87. झीढिया ,,	
			88. अरनियाला ,,	
			89. रियावरी ,,	

1	2	3	4	5
			90. कात्यासणी जी.एस.एस.	
			91. बग्गड ,,	
			92 लिलिया ,,	
			93. सारडी ,,	
			94. खिरडोदा मीठा ,,	
			95. बिठुडा ,,	
			96. बाकलिया ,,	
			97. चन्द्राई ,,	
			98. गेनाना ,,	
			99. सुनारी ,,	
			100. जसवन्तगढ़ ,,	
			101. लाम्पोडाई ,,	
			102. बडायली ,,	

———

(274)

परिशिष्ट 'ग'

क्रमांक	नाम समिति	दोषी व्यक्ति का नाम	गबन की राशि	मामला दर्ज होने का दिनांक	प्रगति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मेड़ता क्रय विक्रय सह. समिति	श्री नाथूराम बुगालिया, अध्यक्ष श्री आनन्दसिंह, अध्यक्ष श्री मोतीलाल वैद्य, संचालक श्री अब्दुल रहमान, संचालक श्री अम्बालाल, व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर, ,, श्री रघुनाथ व्यास, ,, श्री बालूराम, वैतानिक कर्म. श्री अनवरअली ,, ,, श्री अर्जुनराम ,, ,, श्री भूरा राम ,, ,, श्री हजारी राम ,, ,,	40847-18	16-12-1969	धारा 74 (2) के तहत सुनवाई की कार्यवाही चल रही है।

1	2	3	4	5	6
2.	गेलानी ग्राम सेवा सह. स.	श्री डालाराम, कोषाध्यक्ष श्री हनुमानराम, व्यवस्थापक	21382.59	6-1-1967	धारा 74 (1) के तहत कार्यवाही चालू है ।
3.	गोराऊ ,,	श्री भूराराम, मंत्री	5133.18	20-4-79	,, ,,
4.	सुनारी ,,	श्री अणदाराम, मंत्री	16990.86	12-6-79	धारा 74 (2) के तहत सुनवाई चल रही है ।
5.	इन्दावाड ,,	श्री रामचन्द्र, अध्यक्ष श्री ईशाक गौर, सदस्य	14412.19	24-6-80	,, ,,
6.	सिरासन ,,	श्री छोगाराम, अध्यक्ष श्री नाथाराम, मंत्री श्री भोमाराम, सदस्य श्री जीवणराम, सदस्य श्री रामेश्वरलाल सदस्य श्री तेजाराम, कोषाध्यक्ष श्री धन्नाराम, व्यवस्थापक	7016.97	30-6-80	,, ,,
7.	फिडोद ,,	श्री रामनिवास, रिटेलर श्री कवराराम, कोषाध्यक्ष श्री कानाराम, मंत्री	2166.88	1-8-80	धारा 74 (1) के तहत कार्यवाही चल रही है ।

275

1	2		3	4	5	8
8.	डूडिया ग्राम सेवा सह. स.		श्री अर्जुनराम, मंत्री	3944.64	1-8-80	धारा 74 '1) के तहत कार्यवाही चालू है।
9.	पालीयास	,,	श्री रामदयाल, मंत्री एवं प्रबन्धकारिणी	26409.89	2-12-80	,, ,,
10.	कात्यासनी	,,	श्री रूपाराल, मत्री श्री बाबूराम चौधरी, व्यवस्थापक	37179.41	15-1-81	,, ,,
11.	चान्दारूण	,,	प्रबन्धकारिणी चान्दारूण	12054.82	3-3-81	,, ,,
12.	डांगावास	,,	श्री मांगीलाल, अध्यक्ष	5260.00	16-5-81	,, ,,
13.	तांतवास	,,	श्री खींयाराम, भू. पू. रिटेलर	1902.18	16-5-81	धारा 74 (2) के तहत कार्यवाही चालू है।
14.	धारणा	,,	श्री हरजीराम, भू. पू. मंत्री	4240.05	16-5-81	,, ,,
15.	धारणा	,,	श्री सांवतराम, भू. पू. कोषा.	630.09	16-5-81	,, ,,
16.	खारियाकलां	,,	श्री धन्नाराम, व्यवस्थापक	5210.00	15-7-81	धारा 74 (1) के तहत कार्यवाही चालू है।

1	2	3	4	5	8
17	खारियाकलां ग्राम सेवा सह.स.लि.	श्री सुजानसिंह, मंत्री	1413.78	15-7-81	धारा 74 (1) के तहत कार्यवाही चालू है।
18.	,, ,, ,,	श्री भंवरलाल, कोषाध्यक्ष	4504.25	15-7-81	,, ,,
19.	वाजवास ,, ,,	श्री जगन्नाथसिंह, अध्यक्ष	7141.05	5-8-81	धारा 74 (2) के तहत कार्यवाही चालू है।
20.	,, ,, ,,	श्री नाथूराम, कोषाध्यक्ष	18497.09	5-8-81	,, ,,
21.	,, ,, ,,	श्री दलपतसिंह, रिटेलर	191.50	5-8-81	,, ,,

नोट :—21 सहकारी समितियों में कुल गबन राशि 238565.79 पैसे है।